DREDGING CORPORATION OF INDIA LIMITED

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్

वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24

भविष्य के लिए पुनर्नवीकृत

भविष्य–उन्मुख कथन

इस रिपोर्ट में कुछ जानकारी में भविष्य–उन्मुख कथन हो सकते हैं, जिनमें कंपनी की प्रत्याशित वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणाम, व्यापार संबंधी योजनाएँ और संभावनाएँ इत्यादि कथन शामिल हैं और आम तौर पर इन्हें भविष्य–उन्मुख शब्दों जैसे ''विश्वास,'' ''योजना,'' ''प्रत्याशा'', ''जारी रखें,'' ''अनुमान,'' ''उम्मीद,'' ''हो सकता है,'' ''होगा'' या इसी तरह के अन्य शब्दों से पहचाना जाता है। ऐसे कथनों में अंतर्निहित मान्यताओं या आधार पर भविष्य–उन्मुख कथन निर्भर होते हैं। हमने इन मान्यताओं या आधारों को सद्भावनापूर्वक चुना है, और हमारा मानना है कि वे सभी भौतिक मामलों में उचित हैं। हालाँकि, हम चेतावनी देते हैं कि वास्तविक परिणाम, निष्पादन या उपलब्धियाँ ऐसे भविष्य–उन्मुख कथनों में व्यक्त या निहित तथ्यों से भौतिक रूप से भिन्न हो सकती हैं। हम किसी भी भविष्य–उन्मुख कथन को अद्यतन या संशोधित करने के लिए कोई दायित्व नहीं लेते हैं, चाहे वह नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या अन्यथा के परिणामस्वरूप हो।

इस वार्षिक प्रतिवेदन को आनलाइन पर देखने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।

अधिक जानकारी के लिए
हमारा वेबसाइट http://www.dredge-india.com देखें।

विषय–सूची

पृष्ठ संख्या ———— 02–13

निगमित परिदृश्य

02 ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन एक नज़र में
04 वित्तीय मुख्यांश
06 अध्यक्ष का संदेश
08 हमारी सेवाओं संबंधी पोर्टफोलियो
10 निदेशक मण्डल
12 निगमित सूचना
13 दशक की एक झाँकी

पृष्ठ संख्या ———— 14–114

संवैधानिक रिपोर्टें

14 सूचना
23 निदेशकों का प्रतिवेदन
52 प्रबंधीय विचार–विमर्श और विश्लेषण प्रतिवेदन
60 निगमित अभिशासन प्रतिवेदन
80 व्यापारिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

पृष्ठ संख्या ———— 115–165

वित्तीय विवरण

115 स्वतंत्र लेखा–परीक्षकों का प्रतिवेदन
126 तुलन–पत्र
127 लाभ–हानि विवरणी
128 नकद–प्रवाह विवरणी
130 ईक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरणी
131 टिप्पणियाँ

चार दशकों से अधिक समय से, हमने अपनी अग्रणी सेवाओं के माध्यम से उत्कृष्टता की विरासत हासिल की है। निकर्षण (ड्रेजिंग) और समुद्री विकास में अपनी विशेषज्ञता से, हम भारत के प्रधान और साथ ही छोटे पत्तनों, मात्स्यकी बंदरगाहों और भारतीय नौसेना के लिए व्यापक सेवाएँ प्रदान करते हुए राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने हेतु हम प्रतिबद्ध हैं।

जैसे–जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ड्रेजिंग के आधुनिक और परिष्कृत तरीकों को अपनाने, नई तकनीक को अपनाने और बेहतर कल के लिए तैयार होने हेतु एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाने के लिए संकल्प लेने में दृढ़ रहे हैं। एक स्थिर ऑर्डर बुक, प्रतिभाशाली लोगों की एक टीम और जटिल परियोजनाओं को पूरा करने की हमारी क्षमता के साथ, हम आगे बढ़ रहे हैं – एक उज्जवल भविष्य की ओर आत्मविश्वास और नई उमंग के साथ ।

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

1976 में अपनी स्थापना के बाद से, हम भारत भर के प्रधान पत्तनों को निकर्षण की सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। हम ड्रेजिंग और समुद्री विकास के क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं, जो भारत और विदेशों में उपयोगकर्ताओं को ड्रेजिंग और संबद्ध सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हैं।

हम प्रधान और छोटे पत्तनों, भारतीय नौसेना, मात्स्यकी बंदरगाहों और अन्य समुद्री संगठनों के नौवहन जलमार्गों में वांछित गहराई की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। हमारी सेवाओं में भारत के 7,500 किलोमीटर के समुद्रीतट भर नए बंदरगाहों के निर्माण के लिए निर्माणगत निकर्षण, मौजूदा बंदरगाहों को गहरा करना और वांछित गहराई बनाए रखने के लिए निर्वाहगत निकर्षण शामिल हैं।

हमारे नौबेड़े में दो कर्तक चूषण निकर्षक, दस अनुगामी चूषण निकर्षक, एक बैकहो ड्रेजर, एक अंतर्देशीय निकर्षक और अन्य आनुषंगिक जलयान शामिल हैं।

दूरदर्शिता :

पर्यावरण-अनुकूल निकर्षण तकनीकों का विशिष्ट ज्ञान रखते हुए और सृजनात्मक दृष्टिकोण के साथ स्वास्थ्य, संरक्षा एवं लागत-दक्षता पर अधिक दृष्टि केंद्रित कर, उच्च व्यावसायिक मानकों को बनाए रखते हुए समेकित निकर्षण सेवाओं में विश्व स्तरीय प्रमुख संस्था बनना।

ध्येय :

निम्नलिखित क्षेत्रों में समग्र, मौलिक और पर्यावरणात्मक स्थायी समाधानों द्वारा हमारे पणधारियों के हित में मूल्यवर्धन की व्यवस्था करना।

- निकर्षण और भूमि उद्धार
- समुद्री निर्माण
- समुद्री सेवाएँ
- उथले जलीय / अंतर्देशीय निकर्षण
- अधोजलीय खनन
- परियोजना परामर्श

उद्देश्य :

- परियोजना प्रबंधन परामर्श के साथ-साथ इस देश के पत्तनों के सभी मौलिक निकर्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आद्यंत समाधान प्रदाता बनना।
- समुद्री दुनिया में अपने लिए एक सुस्थिर स्थान बनाने हेतु भारतीय / अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यमी कम्पनियाँ स्थापित करना / व्यूहनीतिगत गठबंधन में बंधना।
- आंतरिक विशेषज्ञता के साथ विश्वसनीय भू-तकनीकी आंकड़ों को निरंतर उत्पन्न करना और/या पत्तनों के लिए अनुकूल नौचालनीय जलमार्गों के निर्माण और निर्वाह हेतु प्रमुख संस्थानों के साथ मैत्री-बंधन में बंधना।
- अंतर्देशीय और उथले जलीय निकर्षण तथा अधोजलीय खनन के व्यापक अवसर खोजना।
- सभी प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार, ई-अभिशासन के कार्यान्वयन द्वारा उच्चतम वैयक्तिक, व्यावसायिक और नैतिकमानकों के साथ व्यापार चलाते हुए सभी पणधारियों को संतुष्ट करते हुए स्थिर, मौलिक और सहयोग-पूर्ण कार्य करना।

DCI DREDGE XIX
विशाखपट्नम
VISAKHAPATNAM

वित्तीय मुख्यांश

कुल आय
(भारतीय रुपये लाख)

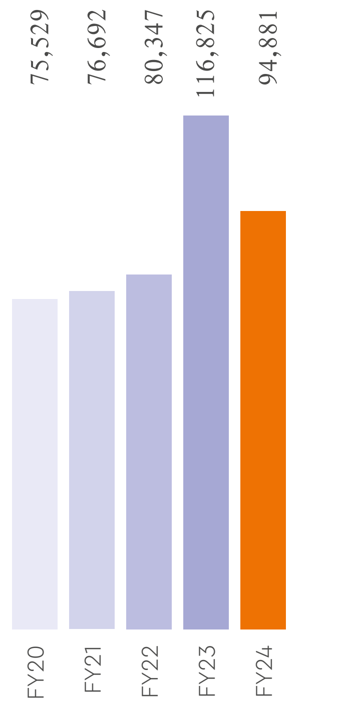

कर-पश्चात लाभ
(भारतीय रुपये लाख)

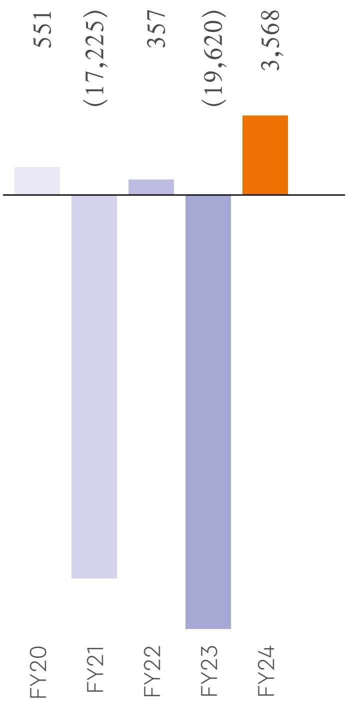

कर-पूर्व लाभ
(भारतीय रुपये लाख)

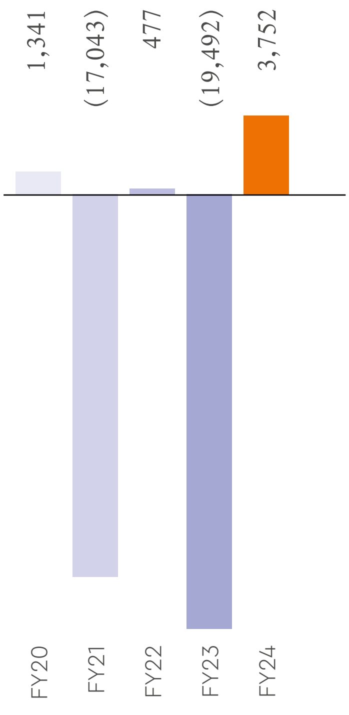

प्रचालनिक लाभ सीमांत
(%)

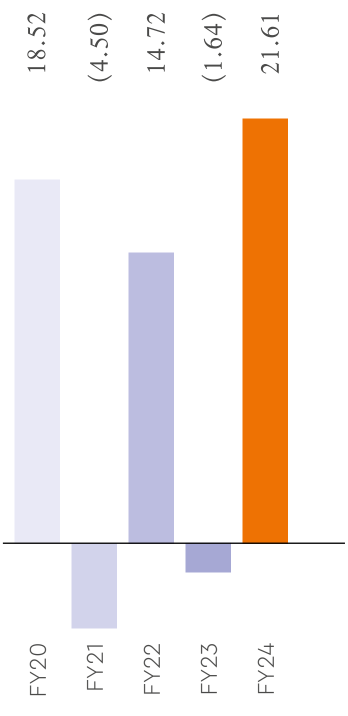

निवललाभ सीमांत
(%)

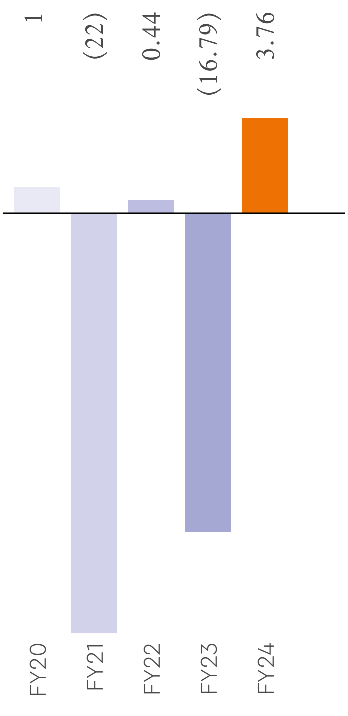

आमदनी प्रतिशेयर
(भारतीय रुपये)

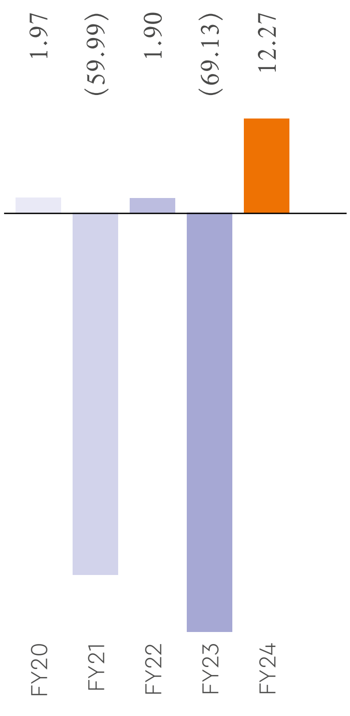

सकल खण्ड

(भारतीय रुपये लाख)

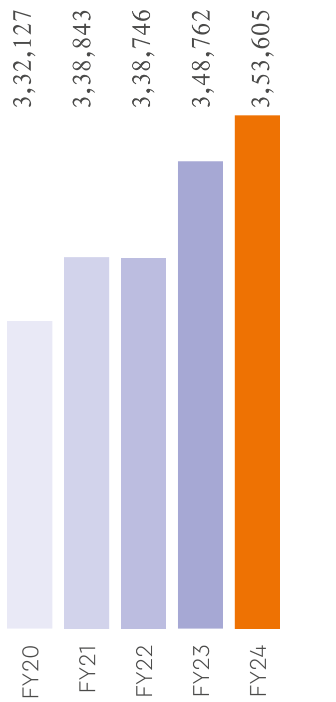

बही-मूल्य प्रति शेयर

(भारतीय रुपये)

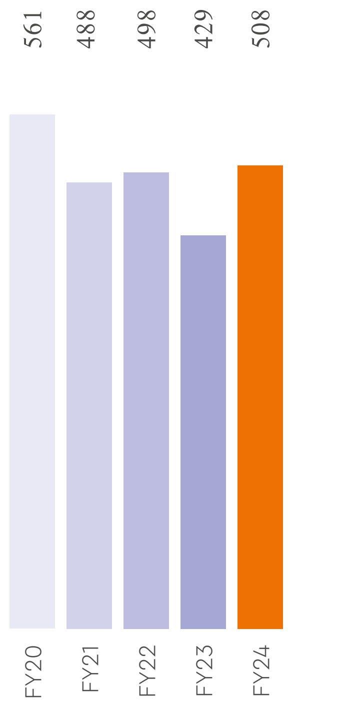

पण्यावर्त बनाम व्यय

(%)

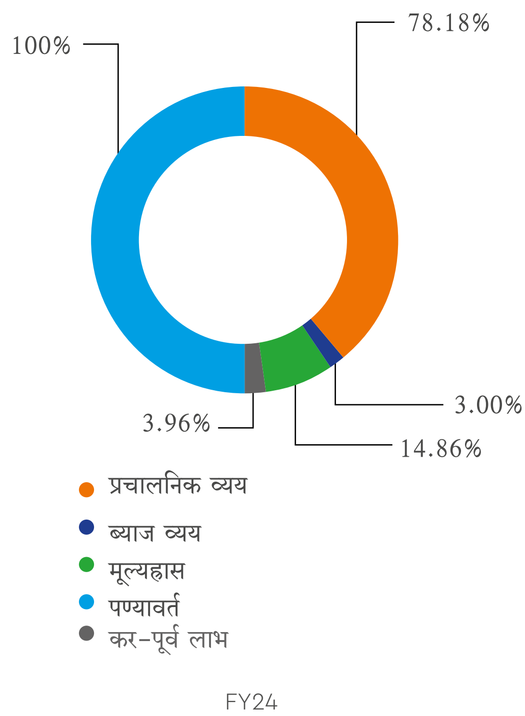

व्यय ब्यौरा

(%)

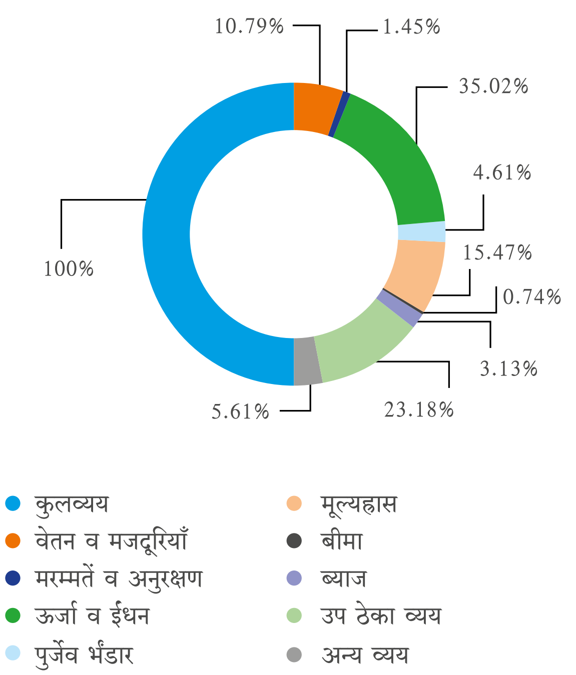

शेयरधारिता रीति

दिनांक 31.03.2024 तक

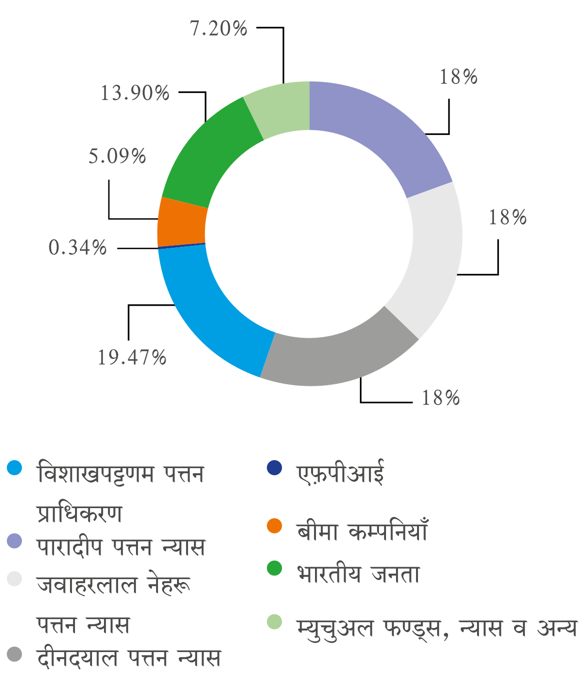

अध्यक्ष का संदेश

पत्तनों से निकर्षण संविदाओं के नवीनीकरण से समर्थित हमारा ऑर्डर बुक मजबूत बना हुआ है। हमने एक खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एसएमपीए टेंडर हासिल किया, जिसमें पांच साल की अवधि में ₹2,015 करोड़ का संविदा मूल्य है, जो पिछले ऑर्डर की तुलना में 45% की राजस्व वृद्धि दर्शाता है। डीपीए टेंडर को ₹445 करोड़ के संविदा मूल्य पर एक अन्य खुली निविदा के माध्यम से जीता गया, जिसमें 9% का लोडेड मार्जिन था।

डॉ. मधैयान अंगमुथु

अध्यक्ष

प्रिय शेयरधारियो,

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हमारी वार्षिक रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बीता वर्ष घटनापूर्ण रहा, जिसमें पर्याप्त सीख और विकास देखने को मिला।

हमारे प्रचालन परिदृश्य का सिंहावलोकन

हाल के वर्षों में, भारतीय निकर्षण उद्योग में समुद्री क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण उल्लेखनीय उछाल देखा गया है। निकर्षण मार्गदर्शन-सूत्र 2021 में परिकल्पना की गई है कि अगले दशक में निकर्षण गतिविधियाँ 3 बिलियन घनमीटर तक बढ़ जाएँगे, जो मुख्य रूप से विद्यमान और भावी ग्रीनफील्ड पत्तनों पर क्षमता वृद्धि योजनाओं द्वारा संचालित होंगी। जैसे-जैसे वैश्विक नौवहन बेड़े का आकार और क्षमता बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे भारत के पत्तन तेजी से गहरे नौजलमार्गों और बेर्थों की आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं। इससे वे बड़े जहाजों को समायोजित करने, अधिक माल आकर्षित करने और राजस्व बढ़ाने में सक्षम होंगे।

प्रधान और प्रधानेतर दोनों पत्तनों से मांग बड़े पैमाने पर भारतीय निकर्षण उद्योग को संचालित करती है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाल के घटनाक्रम और भारतीय समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने की ओर सरकार का बढ़ता ध्यान भी निकर्षण उद्योग को प्रत्यक्ष लाभार्थी के रूप में स्थापित कर रहा है।

पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा व्यवस्थित 'अमृत काल विजन 2047', 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030' पर आधारित है और इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय पत्तनों का विकास करना, अंतर्देशीय जल परिवहन और तटीय पोत-परिवहन को बढ़ावा देना, साथ ही एक स्थायी समुद्री क्षेत्र को बढ़ावा देना है। भारतीय पत्तनों द्वारा नई क्षमता निर्माण, जिसमें जलमार्गों को गहरा करना भी शामिल है, भारतीय निकर्षण बाजार में प्राथमिक विकास चालक है।

हमारे वित्तीय आंकड़े

प्रतिवेदनावधि के दौरान, हमने ₹945 करोड़ का पण्यावर्त दर्ज किया, जबकि हमारा कर-पश्चात लाभ ₹35.55 करोड़ रहा। आगामी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, हम लगभग ₹1,843 करोड़ के राजस्व और लगभग ₹161 करोड़ के कर-पश्चात लाभ का अनुमान लगा रहे हैं। एक स्वस्थ ऑर्डर बुक की ताकत पर, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रचालनिक राजस्व अगले पाँच वर्षों में ₹2,500 करोड़ तक बढ़ जाएगा और अगले दशक में ₹5,000 करोड़ तक पहुँच जाएगा। हम अपनी प्रचालनिक दक्षता को लगातार बढ़ाकर और अपनी बाज़ार उपस्थिति का विस्तार करके इस वृद्धि को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं।

इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक हमारे बाजार पूंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि रही है, जो ₹3,000 करोड़ को पार कर गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 239% की वृद्धि दर्शाती है। इस उछाल के कारण हमारे शेयरधारकों के लिए ₹2,000 करोड़ की संपत्ति का सृजन हुआ है।

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन अब भारत की शीर्षस्थ 1,000 सूचीकृत कंपनियों में श्रेणीबद्ध है, जो हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे शेयर की कीमत हाल ही में ₹1,458 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई और फिलहाल ₹850 से ₹950 प्रति शेयर की सीमा पर कारोबार कर रही है। अपनी प्रमोटर कंपनियों के लिए, हमने पांच वर्षों की अवधि में 100% की प्रभावी पूँजी वृद्धि दर्ज की है।

प्रचालनिक मुख्यांश

पत्तनों से निकर्षण संविदाओं के नवीनीकरण से समर्थित हमारा ऑर्डर बुक मजबूत बना हुआ है। हमने एक खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से एसएमपीए टेंडर हासिल किया, जिसमें पांच साल की अवधि में ₹2,015 करोड़ का संविदा मूल्य है, जो पिछले ऑर्डर की तुलना में 45% की राजस्व वृद्धि दर्शाता है। डीपीए टेंडर को ₹445 करोड़ के संविदा मूल्य पर एक अन्य खुली निविदा के माध्यम से जीता गया, जिसमें 9% का लोडेड मार्जिन था। यह संविदा नौ वर्षों के अंतराल के बाद इस परियोजना में हमारी वापसी को दर्शाता है। हमें दो साल की अवधि में ₹313 करोड़ के लिए नामांकन के आधार पर सीओपीए टेंडर दिया गया, जो पिछले संविदा की तुलना में 31% की वृद्धि दर्शाता है।

हम निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करने के लिए निर्वाहगत निकर्षण पर निर्भर हैं। चूंकि समुद्री मार्ग वैश्विक वाणिज्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए पत्तन प्रचालनों के निर्वाह के लिए अवसादन को नियमित रूप से हटाना आवश्यक है। यह निरंतर मांग आपकी कंपनी के लिए एक स्थिर राजस्व धारा प्रदान करती है। आपको अवश्य पता होगा कि विजन मैरीटाइम 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा 2047 तक विकसित भारत में योगदान देने के लिए बड़े ग्रीनफील्ड बंदरगाहों तथा ब्राउनफील्ड बंदरगाहों का विस्तार भी किया जाना है। प्रतिष्ठित वधवन परियोजना को जेएनपीटी पत्तन द्वारा शुरू किया जा रहा है; तथा आईडीसीओ-आईओसी परियोजना, आईडीसीओ-जेएसडब्ल्यू परियोजना तथा बड़ी भूमि-उद्धार परियोजनाओं जैसी अन्य परियोजनाएं भी शुरू होने वाली हैं। परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने और पुराने ड्रेजर को बदलने के लिए, हम अब अगले पाँच वर्षों में दो नए निकर्षक खरीदने की योजना बना रहे हैं। आईडीसीओ-ओडिशा परियोजना, जिसका मूल्य ₹1,300 करोड़ है और 7.5% का मार्कअप है, हमारे प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो का और विस्तार करेगी। इसके अलावा, हमने हाल ही में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में लगभग ₹800 करोड़ के निवेश के साथ एक नए ड्रेजर का निर्माण शुरू किया है, जिसे सितंबर 2025 तक पूरा किया जाना है।

एक लक्षित विकास रणनीति तैयार करना

हमारी विकास रणनीति प्रचालनिक आय बढ़ाने और घरेलू और वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को तेज करने पर केंद्रित है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमारा लक्ष्य पारंपरिक और नई निकर्षण सेवाओं में अपने प्रचालनों का विस्तार करना, सक्रिय विपणन प्रयास करना और भारतीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना है। विदेशी बाजारों में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के हमारे प्रयास भी जारी हैं।

प्रचालनिक लागत को कम करने के लिए, हम पोत-प्रचालनों में ईंधन दक्षता को अनुकूलित करने और अतिरिक्त पुर्जों की खरीद को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम सुनिश्चित कारोबार चलाने और जलयानों के परिनियोजन के लिए अग्रिम योजना बनाने में सक्षम बनाने के लिए प्रधान पत्तनों के साथ व्यूहनीतिगत गठबंधन की खोज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हम देश के प्रधान पत्तनों की सभी निकर्षणगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करना चाहते हैं।

नई शुरुआत के लिए तैयार

डीसीआई में, हम घरेलू निकर्षण क्षेत्र में उभरते अवसरों को पूँजी में परिणत करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। भारत के निकर्षण बाजार की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कम्पनी के रूप में, हम प्रधान पत्तनों के निर्वाहगत निकर्षण बाजार के 80% से अधिक हिस्सेदारी पर कब्जा करते हैं। चार दशकों से अधिक के प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड के साथ, हमारी विशेषज्ञता और विश्वसनीयता भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में प्रमाणित हैं। आगे बढ़ने का हमारा उद्देश्य इसलिए है कि भारतीय बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखना है, साथ ही प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यमों के माध्यम से वैश्विक बाजारों में भी अपना छापा मारना है।

आगे बढ़ते हुए, हम उद्योग की चुनौतियों का समाधान लचीलेपन और नवाचार के साथ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रचालनिक क्षमता बढ़ाने, लागत कम करने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी बाजार पहुंच का विस्तार करने की हमारी पहल से हमारी दीर्घकालिक सफलता की उम्मीद है। मैं दोहराना चाहूंगा कि हम रणनीतिक गठबंधन बनाने, अपनी सेवाओं में सुधार करने और पर्यावरण के अनुकूल निकर्षण की तकनीकों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेंगे। अमृत काल विजन 2047 और सागरमाला कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्यों को सरेखित करके, हम भारत के समुद्री संरचना के विकास और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देने की अपनी क्षमता में विश्वास रखते हैं।

हम प्रौद्योगिकी, संधारणीय व्यवहारों और मानव संसाधनों में भी निवेश कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम भारत के निकर्षण क्षेत्र के विकास का नेतृत्व करें। अपने शेयरधारकों, ग्राहकों और सभी पणधारियों को संधारणीय मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध, हम सुरक्षा, दक्षता और पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के उच्चतम मानकों का पालन करने के लिए समर्पित हैं।

आभार-निवेदन

अंत में, मैं हमारी समर्पित टीम की सराहना करना चाहता हूँ और हमारे वफादार ग्राहकों, मूल्यवान पणधारियों, बैंकरों, लेखा परीक्षकों और पोत-परिवहन मंत्रालय को उनके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे विज़न में आपका भरोसा और विश्वास हमारी सफलता में सहायक रहा है।

सादर,

डॉ. मधैयान अंगमुथु
अध्यक्ष

हमारी सेवा–सूची

निर्वाहगत निकर्षण

निर्वाहगत निकर्षण में शामिल है – सुरक्षित नौचालन सुनिश्चित करने के लिए पत्तनों और बंदरगाहों से अवसादन और कचरे को समय–समय पर हटाना। नौगम्य गहराई को प्रभावी ढंग से पुन:स्थापन करने और प्रचालनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग करते हुए हम सभी प्रधान भारतीय पत्तनों को व्यापक निर्वाहगत निकर्षण सेवाएं प्रदान करते हैं।

निर्माणगत निकर्षण

निर्माणगत निकर्षण से अनुपयुक्त मिट्टी को हटाकर नये या गहरे नौजलमार्गों का सृजन किया जाता है। हमारे पास तीन अत्याधुनिक कर्तक चूषण निकर्षक हैं, जो हमारे लिए आवश्यक समुद्री संरचना का सृजन सुसाध्य करते हुए अंतर्देशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह की निर्माणगत निकर्षण की मांगों को पूरा करने में हमें सक्षम बनाते हैं।

भूमि–उद्धार

भूमि उद्धार में अक्सर निकटवर्ती क्षेत्रों से निकर्षित सामग्री का उपयोग कर जल निकायों से नई भूमि का निर्माण करते हुए भूमि का स्तर बढ़ाना सम्मिलित हैं। कर्तक चूषण निकर्षक और अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक सहित हमारा नौबेड़ा, व्यापक भूमि–उद्धार संबंधी परियोजनाओं के लिए सुसज्जित है, जो भूमि विकास और जलमार्गों की गहराई को सुधारने में योगदान देता है।

तट-पोषण

तट पोषण से तटरेखाओं पर रेत और अवसाद की पुनः पूर्ति द्वारा तटीय अपरदन को रोका जाता है। समुद्र तट प्रोफाइल को प्रभावी ढंग से बनाए रखने और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और संपत्तियों की रक्षा करने के लिए हम ड्रेज-12 और ड्रेज-14 जैसे उन्नत निकर्षकों का उपयोग करते हैं, जो 2500 मीटर के किनारे तक पंपिंग करने में सक्षम हैं।

अंतर्देशीय जलमार्ग

अंतर्देशीय जलमार्ग निकर्षण नौगम्यता को बनाए रखता है और उथले जल निकायों में बाढ़ को रोकता है। भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन संरचना के विकास और निर्वाह को समर्थन देने के लिए अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाते हुए हम राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए निकर्षण, विगादीकरण और परामर्श सेवाएं देते हैं।

परियोजना प्रबंधन परामर्श

सफल निकर्षण प्रचालनों के लिए प्रभावी परियोजना प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

हम अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निकर्षण और विगादीकरण परियोजनाओं की रूपरेखा और निष्पादन सुनिश्चित करते हुए, आरंभ से अंत तक परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं।

निदेशक मण्डल

श्री टी.के.रामचन्द्रन
(दिनांक 01.04.2023 से 09.05.2023 तक)
अध्यक्ष
ग़ैर-कार्यपालक - ग़ैर-स्वतंत्र निदेशक

डॉ. मधैयान अंगमुथु, भाप्रसे
(दिनांक 19.05.2023 से प्रभावी)
अध्यक्ष
ग़ैर-कार्यपालक - ग़ैर-स्वतंत्र निदेशक

श्री दिवाकर सनमंद्रा
(दिनांक 16.04.2024 तक)
मु.का.अ. - प्र.नि.
कार्यपालक निदेशक

श्री दुर्गेश कुमार दूबे भा.रे.या.से.
(दिनांक 16.04.2024 से प्रभावी),
मु.का.अ. - प्र.नि. कार्यपालक निदेशक

श्री संजय कुमार मेहता, भाविसे
(दिनांक 16.04.2024 तक)
ग़ैर-कार्यपालक - ग़ैर-स्वतंत्र निदेशक

श्री विनोद कुमार नानुकुट्टन, भाडासे
(दिनांक 26.04.2024 से 01.07.2024 तक)
ग़ैर-कार्यपालक - ग़ैर-स्वतंत्र निदेशक

श्री सुशील कुमार सिंह
(दिनांक 05.07.2024 से प्रभावी)
भा.रे.यां.अ.से.
ग़ैर-कार्यपालक - ग़ैर-स्वतंत्र निदेशक

श्री पी एल हरनाथ
भा.रे.या.से.
ग़ैर-कार्यपालक - ग़ैर-स्वतंत्र निदेशक

श्री संजय जगदीशचंद्र सेठी
(दिनांक 02.01.2024 तक),भा.प्र.से.
ग़ैर-कार्यपालक - ग़ैर-स्वतंत्र निदेशक

श्री रजत सचर
भा.अ,से. (सेवा-निवृत्त)
ग़ैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक

श्री अरुण कुमार गुप्ता
ग़ैर-कार्यपालक -
स्वतंत्र निदेशक

श्री लव वर्मा
भा.प्र.से. (सेवा-निवृत्त)
ग़ैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक

श्री उन्मेष शरद वाघ, भारासे
(दिनांक 17.01.2024 से प्रभावी) .
गैर-कार्यपालक - ग़ैर-स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती नूतन गुहा बिश्वास
भा.प्र.से.(सेवा-निवृत्त)
ग़ैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक

श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया
भा.प्र.से.(सेवा-निवृत्त)
ग़ैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक

लेखा-परीक्षा समिति | नामांकन व पारिश्रमिक समिति | पणधारी संबंध समिति | जोखिम प्रबंधन समिति | निगमित सामाजिक दायित्व समिति | स्वतंत्र निदेशक

C अध्यक्ष   M सदस्य

निगमित सूचना

पंजीकृत कार्यालय
कोर-2, पहली मंजिल, 'स्कोप मीनार' प्लॉट
नबर 2ए & 2बी, लक्ष्मीनगर जिला केंद्र,
दिल्ली - 110 092
दूरभाष : 011 22448528;
फ़ैक्स: 011 22448527
निपसं. L29222DL1976PLC008129
जीएसटी सं. 377AAACD6021B1ZB
ई-मेल :kalabhinetri@dcil.co.in
वेबसाइट : www.dredge-india.com

प्रधान कार्यालय
'निकर्षण सदन',
एच.बी.कोलनी मेंन रोड, सीतम्मधारा,
विशाखपट्टणम - 530 022
दूरभाष : 0891 2523250;
फ़ैक्स: 0891 2560581

पंजीयक एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता
सर्वश्री अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड
205-208, अनार्कली काम्प्लेक्स,
झंडेवालन एक्स्टेंशन,
नई दिल्ली -110055
लैण्डलाइन.: +91-11-42541234
ई-मेल: rta@alankit.com

सचिवीय लेखा-परीक्षक
सर्वश्री अगर्वाल एस. एण्ड एसोइएट्स,
कम्पनी सचिव
डी-427, दूसरी मंजिल, पालम एक्स्टेंशन,
रामफ़ल चौक, सेक्टर 7, द्वारका,
नई दिल्ली - 110075

बैंकर
केनरा बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ़ इण्डिया
बीएनपीपरिबास
एबीएन आम्रो बैंक
एक्सिम बैंक
डट्सचे बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इण्डियन बैंक

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्री ई.किरण

कम्पनी सचिव, अनुपालन अधिकारी, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्रीमती पी.चंद्रकलाभिनेत्री
kalabhinetri@dcil.co.in

सांविधिक लेखा-परीक्षक
सर्वश्री राव एण्ड कुमार एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखापाल,
10-50-19, सौदामनी,
सिरिपुरम, विशाखपट्टणम-530002

दशक की एक झाँकी

प्रचालनिक आंकड़े (₹ लाखों में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 (पुन: घोषित)	2019-20	2020-21 (पुन: घोषित)	2021-22 (पुन: घोषित)	2022-23 (पुन: घोषित)	2023-24
प्रचालनिक अर्जन (A)	77041	73496	66586	58587	59187	69174	74969	76376	80103	116502	94550
ब्याज आय	227	699	953	832	447	416	331	245	198	169	159
अन्य आय	2	184	579	550	1578	262	229	71	46	154	172
कुल आय	77270	74379	68118	59969	61212	69852	75529	76692	80347	116825	94881
प्रचालनिक व्यय (C)	58456	56177	53621	46888	45694	52469	61084	79813	68309	118414	74120
ब्याज व्यय	1099	2566	1761	1894	2023	1754	1391	1992	1210	2936	2848
मूल्यह्रास	13832	9214	9331	9960	11318	11291	11713	11930	12020	14968	14082
अपवादात्मक मदें	0	(114)	(1110)	0	0	0	0	0	(1669)	0	80
कुल व्यय	73387	67843	63603	58742	59035	65514	74188	93735	79870	136317	91129
कर-पूर्व लाभ	3883	6536	4515	1227	2177	4338	1341	(17043)	477	(19492)	3752
कर दायित्व	128	296	323	487	463	535	790	182	120	128	184
कर-पश्चात् लाभ (D)	3755	6240	4192	740	1714	3803	551	(17225)	357	(19620)	3568
अन्य व्यापक आय (अ.व्या.आ.) (E)	0	0	159	(28)	(50)	0	0	429	174	263	(132)
इस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (अ.व्या.आ.) (D+E) (F)	3755	6240	4350	711	1664	3803	551	(16797)	531	(19357)	3436
प्रचालनिक व्यय बनाम प्रचालनिक आय	76%	76%	81%	80%	77%	76%	81%	104%	85%	102%	78%
प्रचालनिक लाभ (A-C) (G)	18585	17319	12965	11699	13493	16705	13885	(3437)	11793	(1912)	20430
प्रचालनिक लाभ सीमांत (G-A)	24.12%	23.56%	19.47%	19.97%	22.80%	24.15%	18.52%	-4.50%	14.72%	-1.64%	21.61%
निवल लाभ सीमांत (F/B)	5%	8%	6%	1%	3%	5%	1%	-22%	0.44%	-16.79%	3.76%

वित्तीय मुख्यांश

	31/03/14	31/03/15	31/03/16	31/03/17	31/03/18	31/03/19	31/03/20	31/03/21	31/03/22	31/03/23	31/03/24
कम्पनी के स्वामित्व में स्थित											
स्थिर परिसंपत्तियाँ											
सकल खण्ड	327408	304245	320080	317761	325355	326841	332127	338843	338746	348762	353605
घटाव : मूल्यह्रास (घनमीटर)	108633	117694	127317	137008	143694	154985	166698	177932	180710	195677	209760
निवल खण्ड	218775	186551	192763	180753	181662	171856	165429	160912	158036	153085	143845
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य	1435	2518	3836	2600	4284	775	828	1219	2940	471	3104
कार्यशील पूँजी	58800	59507	54851	50414	49911	51100	47683	22622	9620	-20948	-17859
वित्तीय परिसंपत्तियाँ (निवेशन, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ)	3000	1242	1087	907	921	414	47	51	51	11597	31377
	282010	**249818**	**252537**	**234673**	**236778**	**224145**	**213988**	**184802**	**170647**	**144205**	**160468**
कम्पनी द्वारा देय बकाये											
दीर्घकालिक निधियाँ											
प्रतिभूत उधार	139669	103866	101328	81778	80948	65202	55210	42658	27283	18554	31162
अप्रतिभूत उधार/अन्य अप्रचलित देयताएँ	0	717	1026	833	1420	1457	1753	2626	2926	2727	2946
	139669	**104583**	**102355**	**82611**	**82368**	**66659**	**56963**	**45284**	**30210**	**21281**	**34108**
कम्पनी का निवल मूल्य											
शेयर पूँजी	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
आरक्षितियाँ और अधिशेष	139541	142435	147383	149262	151610	154686	154224	136719	139481	120124	123560
	142341	**145235**	**150183**	**152062**	**154410**	**157486**	**157024**	**139519**	**142281**	**122924**	**126360**
लगाई गई पूँजी (निवल खण्ड + कार्यशील पूँजी)	277575	246058	247614	231167	231573	222956	213113	183533	167656	132137	125986
अदा किया गया लाभांश	840	840	840	0	560	840	0	0	0	0	0
लाभांश %	30%	30%	30%	0%	20%	30%	0%	0%	0%	0%	0%
ऋण/साम्या अनुपात	0.98:1	0.72:1	0.68:1	0.54:1	0.53:1	0.41:1	0.35:1	0.32:1	0.19:1	0.23:1	0.34:1
प्रति शेयर आमदनी (कर-पश्चात लाभ/2.8 करोड़) (शेयरों की संख्या)	13.41	22.29	14.97	2.54	5.94	13.58	1.97	-59.99	1.90	-69.13	12.27

सूचना

इसके द्वारा **सूचना** दी जाती है कि **'ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड'** के सदस्यों की 48वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') दिनांक **27 सितंबर 2024**, शुक्रवार, को **11:00** बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') / अन्य ऑडियो-विज़ुअल माध्यम ('ओएवीएम') के माध्यम से रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('ई-वोटिंग') के द्वारा नीचे दी गई कार्यसूची पर कंपनी के शेयरधारकों ('सदस्यों') की सहमति लेने के लिए, आयोजित की जाएगी।:-

साधारण व्यापार:

1. दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इस कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी और उसपर निदेशक मण्डल व लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन तथा उनपर भारत के नियंत्रक व महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना तथा तत्संबंधी निम्नोक्त संकल्प को यदि उचित समझा जाए तो परिवर्तित करते हुए या किए बिना, **साधारण संकल्प** के रूप में विचार करना और पारित करना :-

   '**संकल्प लिया गया** कि इस बैठक के सम्मुख रखी गई दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की इस कंपनी की परीक्षित वित्तीय विवरणी, उसपर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और उनपर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित, इसके द्वारा प्राप्त कर विचार किया जाए और स्वीकृत किया जाए।'

2. आवर्ती निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होनेवाले और पात्र होने के नाते अपने को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करनेवाले श्री हरनाध लक्ष्मी पोलमराजू (निदेशक पहचान सं.07295378) की नियुक्ति करना और निम्नोक्त संकल्प को यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के, **साधारण संकल्प** के रूप में विचार करना और पारित करना:-

   संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, इस बैठक में आवर्ती रूप में सेवानिवृत्त होनेवाले श्री हरनाध लक्ष्मी पोलमराजू (निदेशक पहचान सं.07295378) की नियुक्ति कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से हो और इसके द्वारा वही निर्धारित किया जाता है।

3. आवर्ती निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त होनेवाले और पात्र होने के नाते अपने को पुनर्नियुक्ति के लिए पेश करनेवाले डॉ. मधैयान अंगमुथु (निदेशक पहचान सं.06549030) की नियुक्ति करना और निम्नोक्त संकल्प को यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के, **साधारण संकल्प** के रूप में विचार करना और पारित करना:-

   संकल्प लिया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, इस बैठक में आवर्ती रूप में सेवानिवृत्त होनेवाले डॉ. मधैयान अंगमुथु (निदेशक पहचान सं.06549030) की नियुक्ति कंपनी के निदेशक के रूप में फिर से हो और इसके द्वारा वही निर्धारित किया जाता है।

4. सांविधिक लेखा-परीक्षकों को पारिश्रमिक के भुगतान हेतु निम्नोक्त संकल्प को यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के, साधारण संकल्प के रूप में विचार करना और पारित करना

   'संकल्प लिया गया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानो, सेबी (एलओडीआर) विनियमों और अन्य सभी प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसरण में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षक(कों) को देय शुल्क का निर्धारण करने के लिए इस कम्पनी के निदेशक मण्डल को प्राधिकृत किया जाए और इसके द्वारा वही निर्धारित किया जाता है।'

विशेष व्यापार:

5. सामग्री संबंधित पार्टी लेन-देन को अनुमोदित करना

   निम्नोक्त संकल्प को यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के, **साधारण संकल्प** के रूप में विचार करना और पारित करना:-

   संकल्प लिया गया कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 23 और ऐसे अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों (तत्समय लागू किसी भी संवैधानिक संशोधन सहित), इसके तहत बनाए गए नियम और कम्पनी की संबंधित पार्टी लेन-देन नीति के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, संबंधित पक्षों अर्थात प्रमोटर (जैसे विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी) के साथ, व्यवसाय के सामान्य क्रम में और आर्म्स लेंथ के आधार पर, भौतिक सीमा अर्थात इस कम्पनी के वार्षिक समेकित पण्यावर्त के दस प्रतिशत से अधिक या रु.1000 करोड़, जो भी इस कम्पनी की पिछली परीक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार निम्न हो, की वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति हेतु किए गए या किए जानेवाले संविदाओं/ व्यवस्थाओं / लेन-देन के लिए इस कम्पनी के सदस्यों का अनुसमर्थन/अनुमोदन, यथा-स्थिति, निदेशक मण्डल को दिया जाए और इसके द्वारा वही दिया जाता है।

   'आगे यह संकल्प लिया गया कि निदेशक मंडल को इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए उनके अपने पूर्ण विवेक में यथा-आवश्यक, यथा-समीचीन या यथा-वांछनीय, सभी निर्देश देने और ऐसे सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और इसके द्वारा वही किया जाता है।'

निदेशक मण्डल के आदेश से

-हस्ता/-

स्थान: विशाखपट्टणम

(पी.चंद्र कलाभिनेत्री)

दिनांक: 04.09.2024

कम्पनी सचिव

टिप्पणियाँ

1. जारी कोविड-19 महामारी को दृष्टि में रखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ('एमसीए') ने अपने सामान्य परिपत्र दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020, 20 दिसंबर, 2022, 25 सितंबर, 2023 और समय-समय पर जारी अन्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी अन्य परिपत्र, परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/ पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओ/ सीएफडी/सीएमडी1/पी/सीआईआर/2021/602 दिनांक 23 जुलाई, 2021, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/ 2022/62 दिनांक 13 मई, 2022, सेबी/एचओ/डीडीएचएस/डीडीएचएस-आरएसीपीओडी1/पी/सीआईआर/2023/001 दिनांक 5 जनवरी, 2023 और सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 (सेबी परिपत्र) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी') सुविधा/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएए') आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम'), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीकरण विनियम') और एमसीए परिपत्रों के लागू प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। वार्षिक सामान्य बैठक के लिए माना गया स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा, जो कोर-2, प्रथम तल, 'स्कोप मीनार', प्लॉट नंबर 2ए और 2बी, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली- 110091, भारत में स्थित है।

2. कंपनी की सदस्य-पंजी और शेयर अंतरण बही वार्षिक समापन (वा.सा.बै. के लिए) के लिए दिनांक 20 सितंबर, 2024 से 27 सितंबर, 2024 (दोनों दिन सहित) तक बंद रहेंगी। इस कंपनी के शेयर पंजीकरण कार्य (भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक) के लिए पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता सर्वश्री अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड हैं, जिनका कार्यालय अलंकित हाउस, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110055 में है।

3. अधिनियम की धारा 102(1) के अनुसार वासाबै में किए जाने वाले साधारण व्यापार और विशेष व्यापार से संबंधित एक विवरणी इसके साथ संलग्न है।

4. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ('आईसीएसआई') द्वारा जारी सचिवीय मानक-2, साथ ही आईसीएसआई द्वारा जारी 13 अप्रैल, 2020 के सचिवीय मानक-1 और 2 की प्रयोज्यता पर स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन के अनुसार, वासाबै की कार्यवाही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित मानी जाएगी, जो वासाबै का आयोजन स्थल माना जाएगा।

5. यह वासाबै सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') से प्राप्त सदस्य-पंजी / हितभागी स्वामियों की सूची में आज की तिथि तक दिखाई देते हैं। उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में, वासाबै सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते इस कंपनी// अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड / जमाकर्ताओं के यहाँ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि वासाबै सूचना इस कंपनी की वेबसाइट www.dredge-india.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, अर्थात बीएसई (www.bseindia.com), एनएसई (www.nseindia.com) और सीएसई (www.cseindia.com) में क्रमशः उपलब्ध होगी । किसी भी संचार के लिए, सदस्य कंपनी को rta@alankit.com; kalabhinetri@dcil.co.in पर अनुरोध भी भेज सकते हैं।

6. कंपनी अधिनियम की धारा 105 के प्रावधानों के अनुसार, वासाबै में भाग लेने और वोट देने का हकदार सदस्य अपनी ओर से भाग लेने और वोट देने के लिए एक प्रतिपत्री को नियुक्त कर सकता है और इस प्रतिपत्री को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। फिर भी, चूंकि यह वासाबै वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, ऊपर बताए गए लागू एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, इसलिए वासाबै के लिए सदस्यों द्वारा प्रतिपत्री को नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रतिपत्री फॉर्म और उपस्थिति पर्ची इस वासाबै सूचना के साथ संलग्न नहीं की गई है।

7. कंपनी अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (यथा-संशोधित) के नियम 20 और सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 और एमसीए परिपत्रों के अनुसार, यह कंपनी वासाबै में किए जाने वाले कारोबार के विषय में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा और साथ ही वासाबै के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा के लिए सर्वश्री अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

8. चूंकि एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए रूट मैप इस वासाबै सूचना के साथ संलग्न नहीं किया गया है।

9. कंपनी के निदेशक मंडल ने सर्वश्री अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स के श्री सचिन अग्रवाल, अभ्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या 5774) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

10. निगमित/संस्थागत सदस्यों (अथात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि से अन्य) को बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रमाणित प्रति (पीडीएफ प्रारूप) भेजनी होगी, जिससे उनके प्रतिनिधि को उनकी ओर से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम के दौरान मतदान करने के लिए अधिकृत किया जा सके। उक्त संकल्प/प्राधिकरण को संवीक्षक को उसके पंजीकृत ईमेल पते kalabhinetri@dcil.co.in पर ई-मेल द्वारा भेजा जाना होगा, जिसकी एक प्रति rta@alankit.com को मार्क किया जाना होगा।

11. रिमोट ई-वोटिंग की अपेक्षाओं का उपयोग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफफॉर्म पर सदस्य का लॉग-इन होना वासाबै में उपस्थिति के रिकॉर्ड के लिए माना जाएगा और बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य को कंपनी अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा।

12. **वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वासाबैः**

सदस्यों को एनएसडीएल/सीडीएसएल/सर्वश्री अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफफॉर्म के माध्यम से वासाबै में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। । सदस्य वासाबै के शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में वासाबै में शामिल हो सकते हैं। एमसीए परिपत्रों के अनुसार, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वासाबै में भागीदारी की सुविधा 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वासाबै में भाग लेने के लिए सदस्यों के लिए अनुदेश इस प्रकार हैं:

i. वासाबै में भाग लेना: सदस्यों को एनएसडीएल / सीडी एसएल/सर्वश्री अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफफॉर्म के माध्यम से वासाबै में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

ii. कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड नहीं है या जो उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड भूल गए हैं, वे नीचे दी गई टिप्पणियों में दिए गए अनुदेशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

iii. सदस्य बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट और आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सदस्यों को अच्छी स्पीड के साथ इंटरनेट का उपयोग करना होगा। सदस्यों को क्रोम, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, एमएस एज या फ़ायरफ़ॉक्स के नवीनतम संस्करण की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या लैपटॉप के माध्यम से मोबाइल हॉटस्पॉट से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

iv. जिन सदस्यों को वासाबै से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे श्री वीरेंद्र शर्मा, प्रबंधक (आरटीए), सर्वश्री अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड से लैंडलाइन नंबर पर +91-11-42541234 से संपर्क करें या ईमेल आईडी rta@alankit.com पर एक ईमेल अनुरोध भेजें।

13. **रिमोट ई-वोटिंग के लिए पद्धति :**

i. अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों, साथ ही कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय-समय पर यथा-संशोधित, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 44 और सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा के संबंध में सेबी के परिपत्र सं.एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/ सीआईआर/पी/2020/242, दिनांकित 09.12.2020, के अनुसार, सदस्यों को एनएसडीएल/सीडीएसएल/सर्वश्री अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से, इस सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। ई-वोटिंग के अनुदेश नीचे दिये गये हैं :

ii. फिर भी, 'सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा' पर के सेबी परिपत्र सं.एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242, दिनांकित 09.12.2020, के अनुसार सभी व्यक्तिगत डीमैट खाता धारकों के लिए मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने हेतु उनके डीमैट खाताओं / डिपॉजिटरी / डीपी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल द्वारा ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम कर दी गई है।

iii. व्यक्तिगत डीमैट खाताधारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) के साथ दोबारा पंजीकरण कराए बिना अपना वोट डालने में सक्षम होंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में भी आसानी होगी। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा पाने के लिए अपने जमाकर्ता भागीदार के साथ अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें।

iv. रिमोट ई-वोटिंग अवधि:

रिमोट ई-वोटिंग के प्रारंभ की तिथि और समय	सुबह 9:00 बजे मंगलवार 24.09.2024
रिमोट ई-वोटिंग के अंत की तिथि और समय जिसके बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी	शाम 5:00 बजे बृहस्पतिवार 26.09.2024

v. सदस्यों के मतदान अधिकार अंतिम तिथि तक कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।

vi. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक, जो सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर हासिल कर कंपनी का सदस्य बनते हैं और अंतिम तिथि तक शेयर धारण करते हैं, वे rta@alankit.com को एक अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।.

vii. डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के विषय में जो सूचना भेजने के बाद कंपनी के शेयर हासिल कर कंपनी का सदस्य बनते हैं और अंतिम तिथि तक शेयर धारण करते हैं, वे 'डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारियों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने हेतु लॉग-इन करने की पद्धति' के तहत नीचे उल्लिखित चरणों का पालन करें।

viii. रिमोट ई-वोटिंग और ई-वासाबै की प्रक्रिया और पद्धति के विवरण नीचे दिए गए हैं:

चरण : डीमैट मोड में शेयर धारण करनेवाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के विषय में जमाकर्ता ई-वोटिंग प्रणाली की अभिगम्यता।

विवरण नीचे दिए गए हैं:

I) डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारियों के लिए रिमोट ई-वोटिंग हेतु लॉग-इन करने की पद्धति :.

शेयरधारियों की किस्म	लॉग-इन विधि
एनएसडीएल के यहाँ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारी	1. आईडीईएएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत उपयोगकर्ता : I. URL: https://eservices.nsdl.com पर जाएँ। II. 'IDeAS' सेक्शन के 'लाग-इन' के तहत "Beneficial Owner" (हितभागी स्वामी) आइकन पर क्लिक करें।. III. नये पृष्ट में उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड टाइप करें। सफल प्रमाणीकरण केबाद, 'ई-वोटिंग पर पहुँच' "Access to e-Voting" पर क्लिक करें। IV. कम्पनी का नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें तो आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पुन: प्रेषित किया जाएगा।. 2. आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकरण नहीं करनेवाले उपयोगकर्ता I. पंजीकरण के लिए लिंक https://eservices.nsdl.com पर क्लिक करें। II. "Register Online for IDeAS" का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। III. अपेक्षित विवरणों को प्रविष्ट करते हुए आगे बढ़ें।. IV. पाइंट 1 में दिए गए चरणों का पालन करें। 3. वैकल्पिक रूप से या सीधे एनएसडीएल के ई-वोटिंग वेबसाइट का प्रयोगकरना I. URL: https://www.evoting.nsdl.com/ को खोलें। II. Click on the icon "Login" which is available under "Shareholder/Member' के अंतर्गत उपलब्ध 'लाग-इन'आइकन पर क्लिक करें।. III. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना उपयोगकर्ता पहचान (यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएलके यहाँ धारित आपके डीमैट खाते की सोलह अंकोंवाली संख्या) पासवर्ड / ओटीपी और जाँच कोड, स्क्रीन में दिखाए गए अनुसार प्रविष्ट करना होगा।. IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद आपसे अनुरोध किया जाएगा कि कम्पनी का नाम चयन करें। V. सफलता से चयन करनेके बाद आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट देने के लिए ई-वोटिंग पृष्ट पर पुन:प्रेषित किया जाएगा।.
सीडीएसएल के यहाँ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारी	1. विद्यमान उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi / Easiest को चुना है : I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login अथवा URL:www.cdslindia.com पर जाएँ। II. New System Myeasi पर क्लिक करें। III. अपने पंजीकृत उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड के साथ लॉग-इन करें। . IV. उपयोगकर्ता को ई-वोटिंग मेनू दिखाई देगा। इस मेनू में ईएसपी अर्थात ई-वोटिंग पोर्टल के लिंक होंगे। V. अपना वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।. 2. जो उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं हैं : I. पंजीकरण का विकल्प यहाँ उपलब्ध है : https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration II. अपेक्षित विवरण प्रविष्ट करते हुए आगे बढ़ें। III. पाइंट 1 में दिए गए चरणों का पालन करें। 3. वैकल्पिक रूप से या सीधे सीडीएसएल के ई-वोटिंग वेबसाइट का प्रयोग करना I. यूआरएल : www.cdslindia.com पर जाएँ। II. आप अपना डीमॉट खाता नंबर और पॉन नंबर दें। III. डीमॉट खाते में रिकार्ड किए गए उपयोगकर्ता के पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल को ओटीपी भेजकर सिस्टेम प्रमाणीकरण करेगा।. IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद उपयोगकर्ता को ई-वोटिंग के लिए, जहाँ ईवोटिंग की प्रक्रिया जारी है, के लिंक दिए जाएँगे।
अपने डीमॉट खाते/ जमाकर्ता प्रतिभागी के वेबसाइट द्वारा लॉग-इन करनेवाले वैयक्तिक शेयरधारी	I. ई-वोटिंग सुविधा के लिए आप एनएसडीएल/सीडीएसएल के यहाँ पंजीकृत अपने जमाकर्तासहभागी के द्वारा अपने डीमॉट खाते की लॉग-इन अपेक्षाओं का प्रयोग करते हुए भी आप लॉग-इन कर सकते हैं।. II. लॉग-इन करते ही आपको ई-वोटिंग विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल / सीडीएसएल जमाकर्ता साइट पर पुन: प्रेषित किया जाएगा, जहाँ आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा।

महत्वपूर्ण टिप्पणी : जो सदस्यअपना उपयोगकर्ता पहचान / पासवर्ड भूल गए हों या पुन: प्राप्त नहीं कर पाए हों, उनको सुझाव है कि वे संबंधित वेबसाइटों में उपलब्ध Forgot user ID and Forgot Password विकल्प का उपयोग करें।.

जमाकर्ताओं, अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल द्वारा लॉग–इन से संबंधित मुद्दों के लिए डीमॉट मोड में प्रतिभूतियाँ रखनेवाले वैयक्तिक शेयरधारियों के लिए सहायता–केंद्र (हेल्पडेस्क) :

लॉग–इन टाइप	सहायता–केंद्र के विवरण
एनएसडीएल के यहाँ प्रतिभूतियाँ रखनेवाले	कृपया evoting@nsdl.co.in को अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नंबर **1800 1020 990 और 1800 22 44 30** को फोन कर एनएसडीएल के सहायता–केंद्र से संपर्क करें।
सीडीएसएल के यहाँ प्रतिभूतियाँ रखनेवाले	कृपया helpdesk.evoting@cdslindia.com को अनुरोध भेजकर अथवा **022– 23058738 या 022–23058542–43** को फोन कर सीडीएसएल के सहायता–केंद्र से संपर्क करें।

अन्य अनुदेश :

I. वक्ता पंजीकरण : जो सदस्य बैठक के दौरान बोलना चाहते हों, वे अपने विचार व्यक्त करने हेतु वासाबै के लिए वक्ताओं के रूप में अपना पंजीकरण कर सकते हैं। वे सर्वश्री अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड rta@alankit.com और kalabhinetri@dcil.co.in को ई–मेल भेज सकते हैं। सदस्यों को बैठक के पहले 'कतार संख्या' दी जाएगी। यह कम्पनी वासाबै के समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं को केवल उन सदस्यों तक ही सीमित रखने का अधिकार रखती है, जिन्होंने वासाबै के लिए खुद को पंजीकृत किया है।

II. अपना प्रश्न पोस्ट करें : जो सदस्य बैठक के पहले अपना प्रश्न पोस्ट करना चाहते हों, वे सर्वश्री अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड rta@alankit.com का और kalabhinetri@dcil.co.in को ई-मेल भेजकर कर सकते हैं।

III. यदि इलेक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग के संबंध में कोई स्पष्टीकरण / शंका और/या शिकायत हो तो सदस्य श्री वीरेंदर शर्मा, प्रबंधक (आरटीए), सर्वश्री अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड को लैण्डलाइन नंबर +91–11–42541234 पर संपर्क कर सकते हैं या ई–मेल आईडी : rta@alankit.com को ई–मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

IV. जिन सदस्यों के नाम, शुक्रवार, 20 सितम्बर, 2024 तक अंतिम तिथि के होतेहुए सदस्य पंजी / हितभागियों की सूची में शामिल हैं, वे इस सूचना में निर्धारित संकल्पों पर वोट देने के हकदार हैं। जो व्यक्ति अंतिम तिथि तक सदस्य नहीं हैं, वे इस सूचना को केवल जानकारी मात्र ही समझें। एक बार सदस्य द्वारा किसी संकल्प(संकल्पों) पर वोट दिए जाने के बाद उसको बदलने के लिए सदस्य को अनुमति नही दी जाएगी।

V. यदि कोई व्यक्ति वासाबै की सूचना के प्रेषित किए जाने के बाद, लेकिन ई–वोटिंग की अंतिम तिथि तक इस कम्पनी के सदस्य बन गए हों तो वे इसके नीचे दी गई पद्धति में उपयोगकर्ता पहचान और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं :

i. यदि सदस्य का मोबाइल नंबर फोलियो नंबर/जमाकर्ता सहभागी पहचान/ग्राहक पहचान के प्रति पंजीकृत किया हुआ हो, तो सदस्य 9212993399 को एसएमएस : MYEPWD <स्पेस> ई–वोटिंग ईवेंट नंबर + फोलियो नंबर या डीपी आईडी क्लाइंट आईडी भेज सकते हैं :

1. एनएसडीएल के लिए उदाहरण :
2. MYEPWD <SPACE> IN12345612345678
3. सीडीएसएल के लिए उदाहरण:
4. MYEPWD <SPACE> 1402345612345678
5. भौतिक के लिए उदाहरण:
6. MYEPWD <SPACE> XXXX1234567890

ii. यदि सदस्य का ई–मेल पता या मोबाइल नंबर फोलियो नंबर/जमाकर्ता सहभागी पहचान/ग्राहक पहचान के प्रति पंजीकृत किया हुआ हो, तो सदस्य "Forgot Password" पर क्लिक करें और पासवर्ड पाने के लिए फोलियो नंबर / जमाकर्ता सहभागी पहचान / ग्राहक पहचान और पॉन के विवरण दर्ज करें।

VI. इलेक्ट्रानिक वोटिंग के परिणाम वासाबै के बाद शेयर बाजारों को घोषित किए जाएँगे। इन परिणामों को, संवीक्षक रिपोर्ट सहित इस कम्पनी के वेबसाइट में दर्शाया जाएगा।

दस्तावेजों के निरीक्षण की पद्धति:

1 अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत निर्वाहित की जानेवाली 'निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और उनकी शेयरधारिता संबंधी पंजी', अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत निर्वाहित की जानेवाली 'संविदाएँ या व्यवस्थाएँ पंजी, जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं, तथा सूचना में संदर्भित संगत दस्तावेज, इलेक्ट्रानिक रूप में वासाबै के दौरान सदस्यों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध किए जाएँगे। सूचना में सदर्भित सभी दस्तावेज भी इस सूचना की जारी की तिथि से वासाबै की तिथि तक, सदस्यों द्वारा, बिना किसी शुल्क के, निरीक्षणार्थ इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध किए जाएँगे। जो सदस्य ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करनाचाहते हैं, वे kalabhinetri@dcil.co.in को. ई–मेल भेज सकते हैं।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि संबंधी सूचना :

2 अधिनियम की धारा 125(2) में यथा–संदर्भित, खाते में पड़ा हुआ, दावा नहीं किया गया लाभांश प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों के नाम और अंतिम ज्ञात पते, राशि का स्वरूप, प्रत्येक व्यक्ति की हकदारी की रकम, नि.शि.सं.नि. में हस्तांतरित होने की नियत तिथि, इत्यादि की जानकारी इस कम्पनी द्वारा अपने वेबसाइट www.dredge-india.com पर और नि.शि.सं.नि प्राधिकरण के वेबसाइट पर दर्शाई गई है। संबंधित सदस्यों से अनुरोध है कि इन वेबसाइटों से वे अपने दावा नहीं किए गए लाभांशों, यदि कोई हों, के विवरणों की जाँच करें और इन दावा नहीं किए गए लाभांशों के नि.शि.संनि. खाते में स्थानांतरित होने से पहले, इस कम्पनी के पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता के यहाँ अपना दावा प्रस्तुत करें। इन अदत्त और दावा नहीं किए गए लाभांशों के विवरण नि.शि.सं. नि. प्राधिकरण के वेबसाइट में भी अपलोड किए गए हैं और लिंक : www.ief.gov.in द्वारा देखा जा सकता है।

3 वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए लाभांश और उसके बाद सात वर्ष की अवधि तक जो लाभांश अदत्त और दावा नहीं किए जाने के कारण शेष रह जाता है, उसे संबंधित नियत तिथियों को नीचे दी गई विवरणी के अनुसार ''निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि'' को अंतरित किया जाएगा। जिन सदस्यों ने अब तक नीचे दिए गए वित्तीय

वर्षों के लिए अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया हो, वे अदत्त लाभांश का दावा करने हेतु पंजीयक और अंतरण अभिकरण, सर्वश्री अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, नई दिल्ली, या इस कम्पनी को लिख सकते हैं।

वित्तीय वर्ष	घोषणा की तिथि	दावा नहीं किए गए मामले	दावा नहीं की गई लाभांश राशि(रु.)	सहायता-केंद्र के विवरण
2015-16	30/09/2016	2742	123069	-
2016-17	लाभांश की घोषणा नहीं की गई			
2017-18	13/08/2018	3343	164536	सितम्बर 2025
2018-19	08/08/2019	2405	183156	सितम्बर 2026
2019-20	लाभांश की घोषणा नहीं की गई			
2020-21	लाभांश की घोषणा नहीं की गई			
2021-22	लाभांश की घोषणा नहीं की गई			
2022-23	लाभांश की घोषणा नहीं की गई			
2023-24	लाभांश की घोषणा नहीं की गई			

4 निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा-परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियमावली, 2016, यथा-संशोधित, में निश्चित विविध अपेक्षाओं का पालन करते हुए इस कम्पनी ने उन सभी लाभांशों और शेयरों को हस्तांतरित कर दिया है, जिनके विषय में लाभांश (वित्तीय वर्ष 2015-16 तक और 2015-16 वर्ष के लिए घोषित लाभांश सहित) लगातार सार वर्षों या उससे अधिक समय तक अदत्त या दावा नहीं किया हुआ पड़ा था। अब तक नि.शि.सं.नि. प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गए शेयरों के विवरण इस कम्पनी के वेबसाइट में उपलब्ध हैं और इनको कम्पनी के वेबसाइट में देखा जा सकता है। इन विवरणो को नि.शि.सं.नि. प्राधिकरण केवेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है और इसे लिंक www.ief.gov.in पर भी देखा जा सकता है। सदस्य कृपया ध्यान दें कि नि.शि.सं.नि. प्राधिकरण को अंतरित शेयरों और दावा नहीं किए गए लाभांश को फिर से उनसे दावा कर वापस लिया जा सकता है। संबंधित सदस्यों/निवेशकों को सुझाव है कि वे नि.शि.सं.नि. प्राधिकरण के यहाँ दावा प्रस्तुत करने के विवरणात्मक पद्धति के लिए नि.शि.सं.नि. प्राधिकरण वेबलिंक http://ief.gov.in/IEPF/refund.html, को देखें या सर्वश्री अलंकित एसाइनमेंट्स / इस कम्पनी से संपर्क करें।

अन्य सूचना :

5 सेबी सूचीकरण विनियम, यथा-संशोधित, के विनियम 40 के अनुसार, अप्रैल 1, 2019 से प्रभावी, प्रतिभूतियों के प्रसारण या हस्तांतरण के लिए प्राप्त अनुरोध के मामलों को छोड़कर, सूचीकृत कम्पनियों की प्रतिभूतियों को केवल डीमेटीरियलाइज फार्म में ही स्थानांतरित किया जा सकता है। इस दृष्टि से और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों से बचने के लिए और पोर्टफोलियो प्रबंधन में आसानी के लिए, भौतिक रूप में शेयर धारण करनेवाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयरों को डीमेटीरियलाइज फार्म में रूपांतरित करने पर विचार करें। तदनुसार, इस कम्पनी / सर्वश्री अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड ने किसी नये भौतिक रूपी शेयरों के अंतरण के दावों को स्वीकार करना रोक दिया है। भौतिक रूपी शेयरों को धारण करनेवाले सदस्यों से कहा जाता है कि वे इस डीमेटीरियलाइजेशन सुविधा का लाभ उठाएँ। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए इस कम्पनी से या इस कम्पनी के पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता सर्वश्री अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड से संपर्क करें।

6 सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियम 26(4) और 36(3) और भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी किए गए ङ्कसामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकङ्क के अनुसरण में, इस वासाबै में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की माँग करनेवाले निदेशकों के विषय मे, संगत विवरण इससे अनुलग्न किया गया है।

7 शेयर हस्तांतरण दस्तावेज और उससे संबंधित सभी पत्राचार पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्ता (आरटीए), श्री वीरेंद्र शर्मा, प्रबंधक (आरटीए), सर्वश्री अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड, 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालन एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055, लैंडलाइन नंबर +91-11-42541234 को संबोधित किया जाना चाहिए या ईमेल पहचान: rta@alankit.com पर ईमेल अनुरोध भेजें।

8 सदस्य अपने पते, बैंक खाता विवरणों, ईसीएस अधिदेशों, ई-मेल पते, नामांकनों को जोड़ने/ परिवर्तन/अद्यतनीकरण के लिए अपने अनुरोध :

i) डी-मेटीरियलाइज रूपी शेयरों के लिए - अपने संबंधित जमाकर्ता सहभागी को भेजें।.

ii) भौतिक शेयरों के लिए-पंजीयक व अंतरण अभिकर्ता, सर्वश्री अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड या इस कंपनी को भेजें।

9 प्रवासी भारतीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे पंजीयक व अंतरण अभिकर्ता, सर्वश्री अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड को निम्नलिखित के बारे में तुरंत सूचित करें:

i) स्थायी निवास केलिए भारत वापस आने पर उनकी आवासीय स्थिति में परिवर्तन।.

ii) भारत में निर्वाहित उनके बैंक खाता विवरण, पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरूप, खाता संख्या और बैंक का पता, पिनकोड नंबर सहित, यदि इसके पहले प्रस्तुत नहीं किया हो।

10 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति विपण में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा करना अनिवार्य कर दिया है, अन्यथा डीमैट खाता/फोलियो नंबर कारोबार के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डीमैट खाताओं का निर्वाह कर रहे जमाकर्ता सहभागियों को पैन जमा कराएं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य कंपनी या उसके आरटीए को अपना पैन विवरण जमा करा सकते हैं।

11 भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपने द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से रखे गए सभी शेयरों के संबंध में किसी व्यक्ति को नामित कर सकते हैं। एक नाम से शेयर रखने वाले सदस्यों को उनके अपने हित में नामांकन सुविधा का लाभ उठाने की सलाह दी जाती है। नामांकन करने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने अनुरोध फार्म 2बी (जिनको माँगकर प्राप्त किया जा सकता है) में पंजीयक व अंतरण अभिकर्ता / इस कंपनी को भेजें। डीमेटीरियलाइज रूप मेंशेयर रखनेवाले सदस्य अपने शेयरों के विषय में नामांकन के अभिलेखन हेतु अपने संबंधित जमाकर्ता सहभागी(गियों) से संपर्क करें।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-

(पी.चंद्र कलाभिनेत्री)

कम्पनी सचिव

स्थान: विशाखपट्नम

दिनांक: 04.09.2024

सूचना का अनुलग्नक

सेबी (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 (मद सं.2, 3 और 5 के लिए) के अनुसार नियुक्त / पुनर्नियुक्तहो रहे निदेशकों का संक्षिप्त जीवन–वृत्त और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन विशेष कार्य व्यापार संबंधी वस्तुगत तथ्यों की विवरणी

मद सं.2 : निदेशक के रूप में श्री हरनाथ लक्ष्मी पोलमराजु (निदेशक पहचान संख्या : 07295378) की नियुक्ति.

श्री पोलमराजु लक्ष्मी हरनाथ, आवर्तन पर सेवा–निवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं। वे पारादीप पत्तन प्राधिकरण के नामिती निदेशक हैं। उनका संक्षिप्त जीवन–वृत्त इस प्रकार है : –

निदेशक पहचान संख्या	07295378			
जन्म की तारीख	01.08.1966			
शैक्षिक योग्यताएँ व्यावसायिक योग्यताएँ	श्री पी.एल.हरनाथ 1994 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा अधिकारी हैं। वे आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से एमएससी और पीएचडी की पढ़ाई की है।			
रोजगार का स्वरूप	अध्यक्ष, पारादीप पत्तन प्राधिकरण			
अनुभव	अपनी 27 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने 22 वर्ष भारतीय रेलवे में और 5 वर्ष पोत–परिवहन मंत्रालय में कार्य किया। रेलवे में उन्होंने रायपुर मंडल और चक्रधरपुर मंडल में वरिष्ठ मंडल प्रचालन प्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के उप मुख्य प्रचालन प्रबंधक और पूर्वी तट रेल्वे में मुख्य प्रचालन प्रबंधक (विपणन) के रूप में काम किया। वर्तमान में पूर्वी तट रेलवे में मुख्य माल परिवहन प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। उनको रेल परिवहन, विशेषकर माल प्रचालन, व्यापार विकास और यातायात नियोजन में अपार अनुभव है। उनके सराहनीय कार्य के लिए उन्हें 2002 में और 2005 में रेल मंत्रालय से उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उन्होंने 2015 से 2020 तक विशाखापत्तनम पत्तन के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया। उन्होंने कोयला, कंटेनर आदि जैसे कार्गो को आकर्षित करने के लिए ग्राहकों के लिए कुल लॉजिस्टिक्स समाधान जैसे अभिनव विपणन समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विशाखपट्टणम पत्तन के समग्र विकास में पूर्ण योगदान दिया और यह पत्तन प्रधान पत्तनों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। वर्तमान में वे पारादीप पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं।			
डीसीआई में धारित शेयरों की संख्या	शून्य			
अन्य कम्पनियों की समितियों में निदेशकत्व / सदस्यता / अध्यक्षता (लेखा–परीक्षा समिति और पणधारी संबंध समिति का विचार किया गया	कम्पनी का नाम	संभाला गया पद	समिति का नाम	सदस्य/अध्यक्ष
	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कम्पनी	निदेशक	––	––
	सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड	निदेशक	––	––
	भारतीय पत्तन, रेल व रोपवे निगम लिमिटेड	निदेशक	––	––

श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरनाथ को बोर्ड या उसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए कोई उपस्थिति शुल्क नहीं दिया जाएगा। निदेशक के रूप में अपनी भूमिका और कर्तव्य निभाने के लिए उनको यह कम्पनी यात्रा, होटल की व्यवस्था और अन्य प्रासंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी।

श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरनाथ आवर्ती रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।

श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरनाथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की शर्तों के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहरते।

सिर्फ नियुक्त व्यक्ति को छोड़कर, निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से इस संकल्प से वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित या इच्छुक नहीं है।

श्री पोलमराजू लक्ष्मी हरनाथ इस संकल्प में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की सीमा तक ही रुचि रखते हैं।

मण्डल साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 3 : निदेशक के रूप में डॉ मधैयान अंगमुथु (निदेशक पहचान सं.06549030) की नियुक्ति।.

डॉ मधैयान अंगमुथु, आवर्तन पर सेवा-निवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं। वे विशाखपट्टणम पत्तन प्राधिकरण के नामिती निदेशक हैं। उनका संक्षिप्त जीवन-वृत्त इस प्रकार है : -

निदेशक पहचान संख्या	06549030			
जन्म की तारीख	28.04.1975			
शैक्षिक योग्यताएँ	कृषि में पीएच.डी.			
व्यावसायिक योग्यताएँ				
रोजगार का स्वरूप	अध्यक्ष, विशाखपट्टणम पत्तन प्राधिकरण			
अनुभव	डॉ. मधैयान अंगमुथु असम-मेघालय कैडर 2002 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं, जिन्हें लोक प्रशासन के कई प्रमुख क्षेत्रों में पर्याप्त अनुभव है। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के मूल निवासी, उन्होंने असम के जोरहाट जिले में सहायक कलेक्टर के रूप में अपना करियर शुरू किया। असम भर में पांच जिलों में जिला कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने कई सकारात्मक परिवर्तन शुरू किए हैं, जिन्हें व्यापक और सार्वजनिक प्रशंसा मिली है। प्रधान अंशों में एक यह है कि कार्बी आंगलोंग जिले में GINFED (अदरक उत्पादक सहकारी विपणन संघ) की उनकी अवधारणा और कार्यान्वयन, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैविक अदरक को पेश करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक केंद्रित अभियान शुरू किया। अपने करियर के छोटे से समय में, उन्हें सार्वजनिक केंद्रित पहलों से लेकर संरचनात्मक निर्माण तक, विविध कार्यक्षेत्रों में संलग्न होने का गौरव मिला है। उन्हें गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण का वीसी और सीईओ नियुक्त किया गया था। उन्होंने सीईओ-गुवाहाटी बायो-टेक पार्क, एमडी, गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, परियोजना निदेशक-असम शहरी अवसंरचना निवेश कार्यक्रम (एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना) और असम सरकार के सचिव-योजना और विकास विभाग, आयुक्त, गुवाहाटी नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। असम सरकार के आयुक्त और सचिव के रूप में, उन्होंने जनजातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, खेल और युवा कल्याण विभाग और संभागीय आयुक्त, उत्तर असम संभाग, तेजपुर, असम जैसे विभागों का नेतृत्व किया है। विशाखपट्टणम पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से पहले, वे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे, जो भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक शीर्ष संगठन है, जिसे विशेष रूप से भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। एपीईडीए की निर्यात टोकरी में शामिल हैं-ताजे और प्रसंस्कृत फल और सब्जियां, अन्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, अनाज और अनाज उत्पाद, पशुधन उत्पाद, फूलों की खेती और जैविक उत्पाद। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) से बागवानी में विशेषज्ञता के साथ कृषि में डॉक्टरेट की डिग्री और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना से बागवानी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है; और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबत्तूर से कृषि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। डॉ. अंगमुथु ने कार्यक्रम और परियोजना कार्यान्वयन, नेतृत्व विकास, शहरी परिवहन, शहरी जल प्रबंधन, सार्वजनिक नीति प्रबंधन और ई-अभिशासन के क्षेत्रों में देश और विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया है।			
डीसीआई में धारित शेयरों की संख्या	शून्य			
अन्य कम्पनियों की समितियों में निदेशकत्व / सदस्यता / अध्यक्षता (लेखा-परीक्षा समिति और पणधारी संबंध समिति का विचार किया गया	कम्पनी का नाम	संभाला गया पद	समिति का नाम	सदस्य/ अध्यक्ष
	भारतीय पत्तन रेल व रोपवे निगम लिमिटेड	नामिती निदेशक	--	--
	असम मैदानी जनजाति विकास निगम लिमिटेड	नामिती निदेशक	--	--

डॉ. मधैयान अंगमुथु को बोर्ड या उसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए कोई उपस्थिति शुल्क नहीं दिया जाएगा। निदेशक के रूप में अपनी भूमिका और कर्तव्य निभाने के लिए उनको यह कम्पनी यात्रा, होटल की व्यवस्था और अन्य प्रासंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी।

डॉ. मधैयान अंगमुथु आवर्ती रूप से सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।

डॉ. मधैयान अंगमुथु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की शर्तों के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहरते।

सिर्फ नियुक्त व्यक्ति को छोड़कर, निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से इस संकल्प से वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित या इच्छुक नहीं है।

डॉ. मधैयान अंगमुथु इस संकल्प में निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की सीमा तक ही रुचि रखते हैं।

मण्डल साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश करता है।

मद संख्या 5 – संबंधित अभिकरणों से लेन–देनों के लिए अनुमोदन

दिनांक 8 मार्च, 2019 को भारत सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व पोत–परिवहन मंत्रालय द्वारा किया गया और चार पत्तनों ('खरीददार') – विशाखपट्टणम पत्तन प्राधिकरण, पारादीप पत्तन प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण – के बीच निष्पादित शेयर क्रय समझौते के अनुसार, प्रबंधन और नियंत्रण के स्थानांतरण सहित, इस कम्पनी की ईक्विटी शेयर पूँजी के 73.47% के सभी शेयर, खरीददारों – विशाखपट्टणम पत्तन प्राधिकरण (19.47%), पारादीप पत्तन प्राधिकरण (18%), जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (18%) और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण (18%) – के नाम पर स्थानांतरित किए गए। यद्यपि कम्पनी अधिनियम, धारा 2(76) और साथ ही 2(6) के अनुसार, ये अलग–अलग संबंधित अभिकरणों की परिभाषा में नहीं आते, चूँकि ये अलग–अलग पत्तन कुल मतदान शक्ति के 20% से अधिक नियंत्रण नहीं रखते, किंतु तथापि शेयर खरीद समझौते के संबद्ध प्रावधानों को सामंजस्यपूर्ण पढ़ने पर, इसका अनुमान किया जा सकता है कि चारों पत्तनों में से प्रत्येक पत्तन डीसीआईएल के संबंध में संपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इसलिए ये चारों पत्तन सहयोगी हैं तथा इस स्थितिके खंडन द्वारा कि चारों पत्तनों में प्रत्येक पत्तन ईक्विटी शेयरों के 20% से अधिक शेयरधारिता नहीं रखते और परिणामत: चूँकि ये सभी सहयोगी हैं, डीसीआईएल रिपोर्टिंग इकाई के संबद्ध दल हैं और इन चारों पत्तनों के साथ लेन–देन, जब साधारण व्यापार कार्य में संपन्न होते हैं, संबंधित प्राधिकरणों से लेन–देन होते हैं।

सेबी (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 23 के प्रावधानों और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 100 और साथ ही उसके अंतर्गत बनाए गए नियम तथा अन्य प्रयोज्य प्रावधानों, यदि कोई हो, एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों व इस कम्पनी की संबंधित अभिकरणों से लेन–देन नीति के अनुसार, सभी तथ्यात्मक संबंधित अभिकरणों से लेन–देनों के लिए इस कम्पनी के शेयरधारियों का अनुमोदन अपेक्षित होगा और ये संबंधित अभिकरण ऐसे संकल्पों पर मतदान में भाग नहीं ले सकते। आगे, संबंधित अभिकरण के साथ लेन–देन तथ्यात्मक विचार की जानी होगी, यदि वैयक्तिक रूप से या वित्तीय वर्ष के दौरान की गई पिछली लेन–देनों के साथ की जानेवाली ये लेन–देन इस कम्पनी की पिछली परीक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार, इस कम्पनी के वार्षिक समेकित पण्यावर्त के दस प्रतिशत या रु.1000 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक हो। आगे, सेबी (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 23 के प्रावधानों और साथ ही संगत लेखाकरण मानकों के संदर्भ में, प्रमोटर (अर्थात् विशाखपट्टणम पत्तन प्राधिकरण, पारादीप पत्तन प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण) और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक इस कम्पनी के संबंधित अभिकरणों के रूप में बनेंगे और यह कम्पनी साधारण कार्य व्यापार में और आर्म्स लेंथ बेसिस पर किए जानेवाले कार्य व्यापार में संबंधित अभिकरणों के साथ निर्धारित किए जानेवाले नये संविदाओं / लेन–देनों के साथ–साथ विद्यमान और चालू संविदाएँ/ व्यवस्थाएँ, जो जारी रही हैं और दिनांक 31 मार्च 2024 के बाद भी जारी रहेंगी। इस स्थिति में ऐसे लेन–देनों का कुल मूल्य निर्दिष्ट रूप से निर्धारित करना कठिन है। फिर भी, यह प्रत्याशा की जाती है कि ऐसी सभी लेन–देनों का समग्र मूल्य ऊपर निर्धारित अनुसार तथ्यात्मक सीमा से बाहर होंगे।

अत: साधारण कार्य व्यापार में और बिना किसी संबंध या दबाव के स्वतंत्रता से किए जानेवाले कार्य व्यापार में वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान निर्धारित हुए / होनेवाले संविदाओं / व्यवस्थाओं / लेन–देनों में भौतिक सीमा से बाहरवाले माल या सेवाओं की आपूर्ति के लिए, अर्थात् इस कम्पनी की पिछली परीक्षित वित्तीय विवरणियों के अनुसार इस कम्पनी के वार्षिक समेकित पण्यावर्त के दस प्रतिशत या रु.1000 करोड़, जो भी कम हो, से अधिक हो, के लिए इस कम्पनी के सदस्यों का अनुसमर्थन / अनुमोदन, यथास्थिति, माँगा जाता है।

संबंधित पत्तनों का प्रतिनिधित्व करनेवाले नामिती निदेशकों को छोड़कर, निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से इस संकल्प में वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित या इच्छुक नहीं है।

मण्डल साधारण संकल्प के रूप में सदस्यों के अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/–

(पी.चंद्र कलाभिनेत्री)
कम्पनी सचिव

स्थान: विशाखपट्नम
दिनांक: 04.09.2024

वर्ष 2023-24 के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन

आपके निदेशक दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इस कम्पनी के 48वें वार्षक प्रतिवेदन को परीक्षित लेखों सहित, सहर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

1. वित्तीय परिणाम

(रुपये लाखों में)

विवरण	2023-24	2022-23
(I) आय		
प्रचालन	94550.08	1,16,501.46
अन्य	330.90	323.11
कुल आय	**94880.98**	**1,16,824.57**
(II) व्यय		
i) कर्मचारी प्रसुविधाएँ	9,824.71	9,599.51
ii) वित्तीय लागत	2,847.51	2,935.88
iii) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	14,082.21	14,967.53
iv) उप ठेका व्यय	21,101.55	32,194.49
v) अन्य व्यय	43,193.25	76,619.50
कुल व्यय	**91,049.24**	**1,36,316.91**
अपवादात्मक मदें और कर के पहले लाभ	**3831.74**	**(19492.34)**
अपवादात्मक मदें	79.42	-
कर-पूर्व लाभ	**3752.33**	**(19492.34)**

2. नये निकर्षक का अर्जन

हमें आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मंत्रालय ने डीसीआई द्वारा 12000 घनमीटर अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक की खरीद के उद्देश्य से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के लिए अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत किया जाएगा - पहला 2021 में, दूसरा 2023 में और तीसरे ड्रेजर की खरीद इन दोनों निकर्षकों के निष्पादन के विश्लेषण के आधार पर होनी चाहिए। तीसरे ड्रेजर की क्षमता 2025 में बाजार के अंतर व्यवहार्यता विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की जाएगी, ताकि मैरीटाइम विजन 2030 में परिकल्पित भारतीय प्रधान पत्तनों के निकर्षण की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच समझौते पर 17/03/2022 को हस्ताक्षर किए गए और डीसीआई-सीएसएल-आईएचसी के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर 13/04/2022 को हस्ताक्षर किए गए। निकर्षक की लागत 104.59 मिलियन यूरो है।

पहली और दूसरी किस्त का भुगतान क्रमशः 04/11/2022 और 14/11/2022 को किया गया। इस वर्ष के लिए तीसरी, चौथी, पांचवीं और छठी किस्त का भुगतान 18/04/2023, 04/08/2023, 13/11/2023 और 08/01/2024 को किया गया। यह नए बाजार में एक बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए कंपनी एक दशक से अधिक समय से काम कर रही थी।

3. क्षमता का उपयोग

वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में निकर्षण दिनों की संख्या और निकर्षित मात्रा में क्षमता का उपयोग निम्नानुसार है: -

निकर्षक	प्रचालनिक दिन		लाख घनमीटर में निकर्षित मात्रा	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक तखखख	307.00	304.27	119.38	121.44
अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक दख	306.00	290.15	49.87	48.83
अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक दखख	184.00	174.23	11.50	10.51
अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक दखत	200.00	106.00	21.42	7.33
अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक दत	318.00	301.39	94.22	68.44
अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक दतख	319.00	283.70	125.95	55.64
अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक दतखख	314.00	227.54	68.45	58.17
अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक दखद	330.00	315.95	34.21	29.20
अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक दद	331.00	299.67	129.75	128.21
अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक ददख	330.00	332.92	34.79	32.46
कर्तक चूषण निकर्षक ददख	246.00	-	-	-
बक-हो-ख	246.00	-	-	-
आईडी गंगा	215.00	-	-	-
कुल	**3646.00**	**2635.82**	**689.52**	**560.25**
% क्षमता का उपयोग	72.29%		81.25%	

क्षमता के निम्न उपयोग के मुख्य कारण हैं - निकर्षकों का शुष्क गोदीकरण और उनका पुराना हो जाना।

4. डीसीआई नौबेड़ा

इस कंपनी के लिए अन्य आनुषंगिक नौयानों के साथ-साथ 10 अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक(टीएसएचडी), 1 कर्तक चूषण निकर्षक (सीएसडी), एक बैक हो ड्रेजर और एक अंतर्देशीय कर्तक चूषण निकर्षक हैं। नौबेड़े के विवरण इस प्रकार है-

जलयान	निर्माण	जलयान की किस्म	अधिकतम निकर्षण की गहराई (मी)	समग्र लम्बाई (मी)	स्थापित निकर्षण ड्राफ़्ट (मी)	हॉपर क्षमता (घ.मी.)	पम्पन क्षमता (घ.मी.प्रति घंटा)	निवल टन भार
डीसीआई ड्रेज VIII	1977	स्वचालित अचूहानि	25	124	8.5	6500	-	4437
डीसीआई ड्रेज XI	1986	स्वचालित अचूहानि	25	103	7.5	4500	-	1551
डीसीआई ड्रेज XII	1990	स्वचालित अचूहानि	20	115	6.5	4500	-	1906
डीसीआई ड्रेज XIV	1991	स्वचालित अचूहानि	20	115	6.5	4500	-	1906
डीसीआई ड्रेज XV	1999	स्वचालित अचूहानि	25	122	8.5	7400	-	2421
डीसीआई ड्रेज XVI	2000	स्वचालित अचूहानि	25	122	8.5	7400	-	2414
डीसीआई ड्रेज XVII	2001	स्वचालित अचूहानि	25	122	8.5	7400	-	2414
डीसीआई ड्रेज XIX	2012	स्वचालित अचूहानि	25	114	6.5	5500	-	2091
डीसीआई ड्रेज XX	2013	स्वचालित अचूहानि	25	114	6.5	5500	-	2091
डीसीआई ड्रेज XXI	2013	स्वचालित अचूहानि	25	114	6.5	5500	-	2091
डीसीआई ड्रेज -XVIII	2009	अचालित कचूनि	25	88	3	-	2000	607
डीसीआई ड्रेज -बीएच1	2011	अचालित बैक-हो	21.5	55.7	2.5	-	-	293
डीसीआई आईडी गंगा	2016	अचालित अंनि	14	28.5	1.5	-	500	39
सर्वेक्षण लांच-I	1999	स्वचालित	-	12.5	1.85	-	-	18 (जीटी)
सर्वेक्षण लांच -II	2009	स्वचालित	-	16	1.45	-	-	41 (जीटी)
सर्वेक्षण लांच-III	2009	स्वचालित	-	16	1.45	-	-	41 (जीटी)
डीसीआई मल्टीकैट-I	2015	स्वचालित	लागू नहीं	32	4	-	-	408 (जीटी)

5. निकर्षण प्रचालन

A. i) वर्ष के दौरान पूरा किए गए महत्वपूर्ण संविदाएँ -

1. हुगली नदीमुख में हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स की ओर जाने वाले नौपरिवहन जलमार्ग का निर्वाहगत निकर्षण।
2. वर्ष 2022-23 के लिए पारादीप पत्तन न्यास के पहुँच जलमार्ग, एंट्रेंस चैनल, टर्निंग सर्कल, पोत-घाट और रेतपाश का निर्वाहगत निकर्षण।
3. वर्ष 2023-24 के लिए पारादीप पत्तन न्यास के पहुँच जलमार्ग, एंट्रेंस चैनल, टर्निंग सर्कल, पोत-घाट और रेतपाश का निर्वाहगत निकर्षण।
4. पारादीप पत्तन के उत्तरी गोदी संकुल में निर्माणगत निकर्षण।
5. वर्ष 2022-23 के लिए नए रेतपाश क्षेत्र (एनएसटी) और उसके पहुँच जलमार्ग और विशाखपट्टणम पत्तन न्यास के अन्य क्षेत्रों में निर्वाहगत निकर्षण।
6. वर्ष 2023-24 के लिए नए रेतपाश क्षेत्र (एनएसटी) और उसके पहुँच जलमार्ग और विशाखपट्टणम पत्तन न्यास के अन्य क्षेत्रों में निर्वाहगत निकर्षण।
7. विशाखपट्टणम में निकर्षण प्रचालन के लिए सर्वश्री आरकेईसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को ड्रेज-ददख को भाड़े पर देना।
8. डीजीएनपी, विशाखपट्टणम में निकर्षण प्रचालन के लिए सर्वश्री जेपी ऑफशोर्स को ड्रेज-दत को भाड़े पर देना।
9. रामय्यपटनम में निकर्षण प्रचालन के लिए सर्वश्री अरबिंदो रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ड्रेज-दख को भाड़े पर देना।
10. वर्ष 2022-23 के लिए कोचीन पत्तन के जलमार्गों और बेसिनों के निर्वाह के लिए निकर्षण।
11. वर्ष 2022-23 के लिए एर्नाकुलम में नौसेना जलमार्गों (दक्षिणी नौसेना कमान, कोचि) का निर्वाहगत निकर्षण।
12. वर्ष 2022-23 के लिए मुंबई बंदरगाह जलमार्ग और जेएन पत्तन जलमार्ग का निर्वाहगत निकर्षण।
13. वर्ष 2022-23 के लिए मंगरोल मात्स्यकी बंदरगाह का निर्माणगत निकर्षण।

B ii) वर्ष 2023-24 के दौरान प्रविष्ट नए ठेके :

1. रामय्यपटनम में निकर्षण प्रचालन के लिए सर्वश्री अरबिंदो रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ड्रेज-XI को भाड़े पर देना।
2. वर्ष 2023-24 के लिए कोचीन पत्तन के नौजलमार्गों और बेसिनों के निर्वाह के लिए निकर्षण।

3. वर्ष 2023-24 के लिए एर्नाकुलम में नौसेना जलमार्गों (दक्षिणी नौसेना कमान, कोचि) का निर्वाहगत निकर्षण।

4. वर्ष 2023-24 के लिए नव मंगलूर पत्तन का निर्वाहगत निकर्षण।

5. वर्ष 2023-24 के लिए मुंबई बंदरगाह नौजलमार्ग और जेएन पत्तन जलमार्ग का निर्वाहगत निकर्षण।

6. संरक्षा प्रबंधन प्रणाली (अं.सं.प्र.)–

(a) डीसीआई के सभी ड्रेजर (अचालित पोत डीसीआई ड्रेज दतखखख को छोड़कर) वैध सुरक्षा प्रबंधन प्रमाणपत्र (सु.प्र.प्र.) रखते हैं।

(b) डीसीआई ड्रेज तखखख, डीसीआई ड्रेज दख और डीसीआई मल्टीकैट -1 वैध भारतीय तटीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र रखते हैं।

(c) डीसीआई के पास अनुपालन दस्तावेज (डीओसी) 24.06.2027 तक वैध है। नौवहन महानिदेशालय द्वारा वाषक सत्यापन लेखा परीक्षा के बाद प्रत्येक वर्ष इसका पृष्ठांकन किया जा रहा है।

पोत सुरक्षा प्रणाली (अं.पो.प.सु.सु.)–

(a) डीसीआई के सभी ड्रेजर (अचालित पोत डीसीआई ड्रेज दतखखख को छोड़कर) वैध अंतर्राष्ट्रीय पोत सुरक्षा प्रमाणपत्र (अं.पो.सु.प्र.) रखते हैं।

(b) डीसीआई ड्रेज तखखख, डीसीआई ड्रेज दख और डीसीआई मल्टीकैट -1 भारतीय तटीय पोत संबंधी अधिसूचना के अनुलग्नक 11 में परिभाषित जहाज सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली(आईएसओ 9001:2015)–

डीसीआई गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001: 2015) के लिए प्रमाणित है और यह प्रमाण पत्र 24 फरवरी, 2025 तक वैध है। प्रणाली के प्रमाणन के अंतर्गत आईआरक्यूएस द्वारा प्रत्येक वर्ष गु.प्र.प्र. निगरानीयुत जाँच की जा रही है।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001:2015)–

डीसीआई पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001: 2015) के लिए प्रमाणित है और यह प्रमाण पत्र 12 मार्च, 2025 तक वैध है। प्रणाली के प्रमाणन के अंतर्गत आईआरक्यूएस द्वारा प्रत्येक वर्ष ईएमएस निगरानीयुत जाँच की जा रही है।

7. सदस्य/निवेशक सेवाएँ

इस कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। इस कंपनी के शेयर दोनों जमाकर्ता, एनएसडीएल और सीडीएसएल के यहाँ विभौतिकीकृत हैं। सर्वश्री अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, दिल्ली, कंपनी के पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता है।

8. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) के अनुसरण में अपेक्षित विवरण आदि निम्नानुसार हैं: –

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उप-धारा (3) के अंतर्गत फ़ार्म नं.एमजीटी-9 में दिए गए अनुसार वार्षिक विवरणी का सार इस कम्पनी के वेबसाइट http://www.dredge-india.com/ investors.html में दर्शाया गया है।

2. मंडल की बैठकों की संख्या- वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, इस कंपनी ने नौ मंडल बैठकें आयोजित कीं। अधिक जानकारी निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है। इस कंपनी में विधिवत् गठित लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, पणधारी संबंध समिति हैं और उनके गठन, बैठकों की संख्या आदि विवरण निगमित अभिशासन रिपोर्ट में दिए गए हैं।

3. निदेशकों का दायित्वपूर्ण कथन:- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसरण में आपके निदेशकों का कथन है कि:

i) वार्षिक लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन सामग्री के संबंध में लागू होनेवाले लेखाकरणगत मानकों का समुचित स्पष्टीकरण सहित अनुपालन किया गया था।

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को चुना और उनका सदा अनुप्रयोग किया था और ऐसे अधिनिर्णय और प्राक्कलन किए हैं जो समुचित और प्राज्ञता युत हैं ताकि उनके सहारे वित्तीय वर्ष के अंत में इस कंपनी के व्यवहारों की और लाभ-हानि स्थिति के सही और ऋजु स्वरूप को दर्शाया जा सके।

iii) इस कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा कपटपूर्णता और अन्य अनियमितताओं को पहचानने और रोकने के लिए विधिक विनियमों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के निर्वाह के लिए आपके निदेशकों ने समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती थी।

iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को प्रचलित व्यवहार्यता के आधार पर तैयार किया था;

v) निदेशकों ने इस कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे जो पर्याप्त थे और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे;

vi) निदेशकों ने सभी प्रयोज्य विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सही प्रणालियों की रचना की थी।

4. केंद्र सरकार को सूचित किए जाने योग्य को छोड़कर धारा 143 की उप-धारा (12), के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित छल या कपट के संबंध में विवरण : **शून्य**।

5. स्वतंत्र निदेशकों ने स्वतंत्रता के लिए निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के संबंध में धारा 149 की उप-धारा (6), के तहत अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत की है।

6. प्रवर्तक शेयर खरीद समझौतों के प्रावधानों के अनुसार प्रमोटरों को उन्हीं पारिश्रमिक मानदंडों के साथ जारी रखा जा रहा है। स्वतंत्र निदेशकों को मंडल या समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 20,000/- रुपये (बीस हजार रुपये मात्र) के बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है और उन्हें कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। अंशकालिक सरकारी निदेशकों को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम की धारा 197/198 और उसके नियमों में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अंदर ही है। इस कंपनी ने धारा 178 के अनुसार नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है जिसमें तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

7. किए गए प्रत्येक विशेषक, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण पर मण्डल द्वारा स्पष्टीकरण या टिप्पणियां :

(A) स्वतंत्र लेखा परीक्षकों ने 2023-24 के लिए अपनी रिपोर्ट में निम्नानुसार कहा है –

राय :-

हमने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखपट्टणम ('कंपनी') के स्टैंडअलोन भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों का परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), ईक्विटी में परिवर्तन के विवरण और उस समय समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और सामग्री लेखांकरण नीति संबंधी सूचनासहित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित)।

हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133, साथ ही कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006, यथा-संशोधित (लेखाकरण मानक) और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की इस कम्पनी की लाभ-हानि विवरणी, नकद प्रवाह विवरणी इस कम्पनी की सही स्थिति प्रस्तुत करती हैं।

राय के लिए आधार –

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षण संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखा-परीक्षण किया है। इसके तहत हमारे दायित्वों के विवरण आगे हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरणियों के लेखा-परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व खंड में दिए गए हैं। भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी की गई आचार संहिता, साथ ही कम्पनी अधिनियम,2013 के प्रावधानों और उसकी नियमावली के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे परीक्षण के लिए संगत नैतिक अपेक्षाओं के अनुसरण में, हम स्वतंत्र हैं और आचार संहिता की इन अपेक्षाओं के अनुसार हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा-परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त और समुचित आधार बने हैं।

जोर देने योग्य विषय –

हम ध्यान आकर्षित करते हैं;

a) टिप्पणी संख्या 1 में किसी हानि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाजार मूल्य/उपयोग में मूल्य रिपोर्टिंग तिथि के अंत में पीपीई की वहन राशि से अधिक है।

b) सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा की गई विवादित वसूली के कारण उनसे प्राप्य राशियों के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 6

c) टिप्पणी संख्या 30 और उप टिप्पणी सं.11, जो क्रमश: देनदारों और लेनदारों के शेष के संबंध में हैं। उक्त शेष राशियाँ पुष्टिकरण और समाधान के अधीन हैं।

d) टिप्पणी संख्या 30 उप टिप्पणी सं 12, जो चालू वर्ष के दौरान लेखागत पूर्व अवधि मदों के कारण तुलनात्मक और पिछली अवधियों के पुनर्विवरण के संबंध में।

उपरोक्त मामलों के बारे में हमारी राय अपरिवर्तित है।

प्रमुख लेखा-परीक्षण मामले :-

प्रमुख लेखा-परीक्षण मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा-परीक्षण के संदर्भ में समग्र रूप से संबोधित करने और उस पर हमारी राय बनाने में किया गया था। हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए किसी भी प्रमुख लेखा-परीक्षण मामले की पहचान नहीं की है।

वित्तीय विवरणों और लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी –

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के कथन में सम्मिलित जानकारी है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उम्मीद है कि वार्षिक रिपोर्ट लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को आवरित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, विचार करें कि ऑडिट में प्राप्त अन्य जानकारी या हमारा ज्ञान या अन्यथा वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या नहीं। वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ते समय, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हम संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत लागू आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अभिशासन के प्रभारी लोगों को मामले की सूचना देते हैं।

प्रबंधन की जिम्मेदारियां और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के प्रभारी –

अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरणगत मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरणगत सिद्धांतों के अनुसार, इस कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, ईक्विटी में परिवर्तन और नकद प्रवाह का सही और उचित सूचना देनेवाली इन स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में कम्पनी अधिनियम,2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए इस कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है।

इस कम्पनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा करने और छल-कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता कर उनका निवारण करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा-अभिलेखों का निर्वाह करना, लेखाकरण कार्यनीतियों के समुचित चयन और अनुप्रयोग करना, समुचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय और प्राक्कलन करना, लेखा अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित होनेवाले पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन और निर्वाह करना, किसी छल या तृटि के कारण, सही और स्पष्ट सूचना देनेवाली और वस्तुगत अपकथन से मुक्त वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुति करना भी इस दायित्व में सम्मिलित हैं।

जब तक निदेशक मण्डल इस कम्पनी को परिसमाप्त करने का इरादा नहीं रखता या प्रचालनसमाप्त नहीं कर देता अथवा ऐसा करने के सिवा कोई अन्य वास्तविक विकल्प नहीं रखता, तब तक इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी में व्यवहार्य पद्धति पर जारी रहने की इस कम्पनी की क्षमता का निर्धारण करने और यथा-प्रयोज्य मामलों को व्यवहार्य पद्धति में प्रकटन करने तथा लेखाकरण के व्यवहार्य पद्धति का प्रयोग करने के लिए यह निदेशक मण्डल उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां:

हमारा उद्देश्य लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन, जिसमें हमारी राय भी सम्मिलित है, जारी करने के लिए इस बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या किसी छल या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण पूरी तरह से वस्तुगत अपकथन से मुक्त हैं या नहीं। समुचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन तो है ही, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा-परीक्षणगत मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखा-परीक्षा वस्तुगत अपकथन को, यदि मौजूद हो, तो हमेशा पता लगाएगा।

ये अपकथन छल-कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं।

लेखा-परीक्षणगत मानकों के अनुसार लेखा-परीक्षा के अंतर्गत, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा-परीक्षण में संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- छल-कपट या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में हुए वस्तुगत अपकथन की जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन कर निष्पादित करते हैं और लेखा-परीक्षा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त होते हैं।

  छल-कपट के परिणामस्वरूप वस्तुगत अपकथन का पता नहीं लगाने का जोखिम, भूल या त्रुटि के परिणामस्वरूप होनेवाली जोखिम से भी अधिक है, क्योंकि छल-कपट में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना जुड़ी होती है।

- परिस्थितियों के अनुरूप ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (ळ) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन दक्षता है।

- प्रयोग की गई लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संगत प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन के लेखाकरण की व्यवहार्यता के प्रयोग की समुचितता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, व्यवहार्य पद्धति पर चालू रहने की इस कंपनी की क्षमता पर संदेह पैदा करनेवाली घटनाओं या स्थितियों संबंधी वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है कि नहीं, इस पर निष्कर्ष निकालते हैं। यदि हम एक वस्तुगत अनिश्चितता के अस्तित्व की पहचान करते हैं, तो हमें अपने लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन में वित्तीय विवरणियों से संबंधित प्रकटनोंपर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा या यदि ये प्रकटन अपर्याप्त हों तो हमें अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाएँ या स्थितियाँ इस कंपनी के लिए व्यवहार्य पद्धति में चालू रहने के लिए बाध्य नहीं करती हैं।

- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय का मूल्यांकन करते हैं और इन वित्तीय विवरणियों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं

को ऐसी पद्धति में दर्शाया गया है कि नहीं जिससे सही प्रस्तुतीकरण प्राप्त हो।

हम लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध विस्तार और समय तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्ष, अपनी लेखा-परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों संबंधी सूचना अभिशासकों को देते है।

हम उन अभिशासकों को यह बयान भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता संबंधी संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और हम सभी संबंधों और अन्य मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता के निर्वाह में उचित लगे, तथा संबंधित संरक्षा उपायों, जहाँ लागू हों, की सूचना भी उनको देते हैं।

उन अभिशासकों को सूचित किए गए मामलों में से, हम उन मामलों को महत्वपूर्ण निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए वे प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्णय लेते हैं कि इस मामले का उल्लेख हमारी रिपोर्ट में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं जिससे सार्वजनिक हित लाभ ऐसी सूचना से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते है।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट:

1. भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) में यथापेक्षित, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) की शर्तों के अधीन, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर, जहां तक लागू हो, 'अनुलग्नक-क' में एक विवरणी देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथापेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   (a) हमने अपने लेखा-परीक्षण के प्रयोजनों के लिए अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं।

   (b) हमारी राय में, कानून द्वारा यथापेक्षित, उचित लेखा-बहियाँ कंपनी में निर्वाहित की गई हैं, जहां तक यह उन बहियों की हमारी लेखा-परीक्षा से लगता है।

   (c) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ -हानि विवरणी, ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकद प्रवाह विवरणी, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

   (d) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 साथ ही कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के अंतर्गत निर्धारित लेखाकरणगत मानकों का अनुपालन करते हैं।

   (e) निदेशक मंडल द्वारा अभिलेखित दिनांक 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अधीन, कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहरते।

   (f) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाविता के संबंध में, अनुलग्नक-ख में हमारे अलग से दिए गए प्रतिवेदन को देखें।

   (g) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में, हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

   (i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 30 देखें।

   (ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं थे, जिनके लिए कोई सामग्री संबंधी पूर्वानुमानित हानि थे।

   (iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जाने को अपेक्षित राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.7 को देखें।

   (iv) परीक्षण जांच सहित हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने अपने लेखा-बहियों के निर्वाह के लिए एक लेखाकरण सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी संगत लेनदेन के लिए वर्ष-भर इसका प्रचालन किया गया है। आगे, हमारे लेखा-परीक्षण के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ हेरफेर का कोई प्रमाण नहीं मिला।

   (v) (i) प्रबंधन ने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रस्तुत किया है कि कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (मध्यस्थ) शामिल है, में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) अग्रिम या उधार या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार

ली गई निधियों, शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा।

(ii) प्रबंधन ने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रस्तुत किया है कि कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (फ़ंडिंग पार्टी) शामिल है, से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कम्पनी, फ़ंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (अंतिम लाभार्थी) को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगी।

(iii) इन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत दिए गए अभ्यावेदनों में, जैसा कि ऊपर (i) और (ii) में बताया गया है, कोई वस्तुगत अपकथन है।

(h) अधिनियम, यथा-संशोधित, की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 5 की शर्तों के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के अंतर्गत यथापेक्षित, हम अपनी रिपोर्ट अनुलग्नक - ग में संलग्न करते हैं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-एः

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट में 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

(A) कंपनी ने अपनी स्थिर परिसंपत्ति बही को एक संपादन योग्य एक्सेल प्रारूप में निर्वाह किया है और मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की स्थिति सहित पूर्ण विवरणों की आवश्यक रिकॉर्डिंग का अनुपालन नहीं किया है।

(B) कंपनी कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं रखती, आदेश के पैराग्राफ 3 (i) के खंड (बी) को कंपनी के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। प्रबंधन ने वार्षिक तौर पर सभी प्रधान परिसंपत्तियों (निकर्षक) का भौतिक सत्यापन किया है। हमारी राय में, भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित है। इस तरह के सत्यापन पर कोई सामग्री विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और इस कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.30, उप टिप्पणी सं.16 के साथ पढ़े जाने पर, अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के विवरण (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और जहाँ पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) कंपनी के नाम पर दिए गए हैं।

कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया था।

हमारी अधिकतम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही लंबित है।

वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा शाखाओं में ड्रेजरों पर मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया है। तथापि, प्रबंधन द्वारा सत्यापन के विस्तार क्षेत्र और प्रक्रिया में, समय पर समन्वय, अचल और अप्रचलित मालसूची की पहचान जैसे सुधारों की आवश्यकता है। जिसके अधीन, भौतिक स्टॉक और बही अभिलेखों के बीच मालसूचियों के प्रत्येक वर्ग में समग्र रूप में 10% से कम की विसंगतियाँ सत्यापन पर पाई गईं।

चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों/ वित्तीय संस्थानों द्वारा कंपनी को कुल मिलाकर 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी मंजूर की गई। ऐसे बैंकों/ वित्तीय संस्थानों के साथ कंपनी द्वारा फाइल की गई तिमाही विवरणियाँ, कंपनी की लेखा-बहियों से मेल नहीं खाती हैं, जैसा कि नीचे वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.30, उप-टिप्पणी 16 में दिया गया है।

(रुपये लाखों में)

विवरण	30 जून 2023 को समाप्त तिमाही	30 सितम्बर 2023 को समाप्त तिमाही	31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही
बहियों के अनुसार व्यापार प्राप्य शेष	27,975.49	34,533.19	37,065.84	35,693.43
गुणवत्ता विवरणी के अनुसार व्यापार प्राप्य शेष	35,400.43	34,618.62	37,065.85	35,769.25
अंतर	-7,424.94	-85.43	-0.01	-75.82

(iii) चूंकि इस कंपनी ने ऋणों में कोई निवेश नहीं किया था/कोई उधार और अग्रिम नहीं दिए थे, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (iii) के खंड (ए) से (एफ) को कंपनी के लिए लागू नहीं माना जाता है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) इस कंपनी ने ऐसी कोई जमा राशि या राशियाँ स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है जिस पर अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान और अन्य संगत प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम लागू होते हैं।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के व्यापार स्वरूप के विषय में केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का निर्वाह निर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर, और अन्य संवैधानिक बकाया सहित अविवादात्मक संवैधानिक देय राशियाँ समुचित प्राधिकारियों को जमा करने में नियमित रही है, सिवाय रु. 2.06 करोड़ तक के जीएसटी आईटीसी रिवर्सल पर ब्याज देयता को छोड़कर, जिसके लिए बहियों में प्रावधान किया गया था।

(a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवादों के हिसाब पर निम्नलिखित बकाये जमा नहीं की गई हैं :

क्र. सं.	संविधि का नाम	बकायों का स्वरूप	किस फोरम में लंबित है	यह राशि किस अवधि से संबंधित है	रुपये (लाखों में)
1	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	उच्च न्यायालय	2008-09 ीं 2011-12	2828.00
2	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीआईटी (ए)	2011-12 ीं 2014-15 । 2016-17 ीं 2020-21	5801.00
3	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	आईटीएटी	2015-16	82.00
4	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीपीसी	2020-21	596.00
5	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	सीईएसटीएटी	2005-06 ीं 2017-18	13,843.00
6	माल व सेवा कर अधिनियम, 2017	माल व सेवा कर	ट्रिबुनल	2017-18	918.00
7	माल व सेवा कर अधिनियम, 2017	माल व सेवा कर	अपर आयुक्त	2017-18	310.00

(viii) ऐसे कोई लेनदेन नहीं थे, जिनका अभिलेख लेखा-बहियों में नहीं किया गया और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किए गए।

(ix) (a) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण, अन्य उधार या ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

(b) हमें दी गई जानकारी से, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(c) समग्र रूप से आहरित आवधिक ऋण और उसके उपयोग संबंधी अभिलेखों की समीक्षा के आधार पर, आवधिक ऋणों का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए ऋण लिए गए थे।

(d) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र परीक्षा पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए किसी भी धन का उपयोग नहीं किया गया है।

(e) इस कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधि नहीं लिया था।

(f) वर्ष के दौरान इस कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों की गिरवी पर कोई ऋण नहीं लिये थे।

(x) (a) इस कंपनी ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या आगे के पब्लिक ऑफर (ऋण संबंधी दस्तावेजों सहित) द्वारा कोई धन-राशि एकत्रित नहीं की थी।

(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर) का कोई अधिमानी आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।

(xi) (a) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष रूप से रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई लेखा-परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के ऊपर कोई छल-कपटपूर्ण व्यवहार नहीं देखा गया है।

(b) लेखा परीक्षकों ने कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत, कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।

(c) सचिवीय अभिलेखों की समीक्षा से हमें पता चला है कि कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड वाक्य 3 (xii) लागू नहीं होता।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन, जहाँ कहीं लागू हों, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुसार हैं, और ऐसे लेनदेन के विवरण, प्रयोज्य लेखाकरण मानकों द्वारा यथापेक्षित, वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

(xiv) (a) कंपनी ने आंतरिक लेखा-परीक्षण करने के लिए एक बाहरी एजेंसी नियुक्त की है और उनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई है। हमारी राय में, इस कंपनी में अपने व्यापार के परिमाण और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(b) हमने लेखा-परीक्षाधीन अवधि केलिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, इस कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन नहीं किए हैं।

(xvi) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को धारा 45-1 ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

(b) कंपनी के अभिलेखों की समीक्षा करने पर, हमारा विचार है कि इस कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवासीय वित्त कार्यकलाप नहीं किए थे।

(c) यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में यथा-परिभाषित, एक प्रधान निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

(d) यह कंपनी किसी भी समूह का हिस्सा नहीं है (कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, यथा-संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार)।

(xvii) कंपनी को चालू वित्त वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में उसे 4,524.81 लाख रुपए की नकद हानि हुई थी।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति व वित्तीय देयताओं के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान एवं पूर्वानुमानों का समर्थन करने वाले प्रमाणों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम है। फिर भी, हमारा कहना है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देयताओं को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

(xx) (a) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा 5के अंतर्गत यथापेक्षित, अन्य चालू परियोजनाओं के विषय में, इस कम्पनी के यहाँ कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है।

(b) इस कम्पनी के यहाँ चालू परियोजनाओं के विषय में, धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने को अपेक्षित, कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है।

(xxi) इन खंडों के अंतर्गत, कोई रिपोर्ट करने योग्य संस्थाएं नहीं हैं, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (xx) को इस कंपनी के लिए अनुपयुक्त माना जाता है।

अनुलग्नक – बी (सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में 'अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 2 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2024 तक ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का परीक्षण किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और निर्वाह शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथापेक्षित, कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, छल-कपट और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल संचालन, लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (मार्गदर्शन नोट) और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू सीमा तक लेखा परीक्षा के मानकों, दोनों के अनुसार अपना परीक्षण किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं। हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालनिक प्रभाविता के बारे में लेखा-परीक्षण प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं लागू करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मौजूद वस्तुगत कमजोरी की जोखिम का निर्धारण करना और निर्धारण किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालनिक प्रभाविता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों में किसी छल-कपट या त्रुटि के कारण हुए वस्तुगत अपकथन के जोखिमों का आकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी विशेष लेखा-परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं : (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार होने देने के लिए आवश्यक ढंग से दर्ज किए गए, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर वस्तुगत प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, अर्थात् छल की संभाव्यता या अव्यवस्थित प्रबंधन, नियंत्रणों का उल्लघन आदि की वजह से, त्रुटि या कपट से वस्तुगत अपकथन पाए जा सकते हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है।

इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर गिर सकता है।

विशेष राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, दिनांक 31, मार्च 2024 तक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में नियंत्रण वातावरण, इकाई की जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, नियंत्रण गतिविधियों, सूचना प्रणाली और संचार, नियंत्रणों की निगरानी और कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाविता में निम्नलिखित वस्तुगत कमजोरियाँ पहचानी गई हैं:

a) अचल और अप्रचलित स्टॉक की पहचान और मूल्यांकन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। खपत प्रविष्टियों को पारित करने में देरी और चूक और ड्रेजर्स पर पड़ी माल-सूचियों के लिए बाद में संशोधन।

b) प्रणाली माल-सूची की मदों के खिलाफ खपत प्रविष्टियों को पोस्ट करने की अनुमति देती है जिनमें अपर्याप्त/शून्य शेष होता है जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक इन्वेंट्री समापन शेष होता है।

c) ग्राहक स्वीकृति, क्रेडिट मूल्यांकन और बिक्री के लिए क्रेडिट सीमा स्थापित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अंतिम संग्रह की उचित निश्चितता स्थापित किए बिना राजस्व को पहचान सकती है।

d) ईआरपी प्रणाली का समय-समय पर परीक्षण नहीं किया जाता है।

e) संपादन योग्य एक्सेल प्रारूप में स्थान, मात्रा इत्यादि परिसंपत्तियों के विवरण का निर्वाह।

f) व्यापार देय और प्राप्य लेखों का लंबित मदों की उचित निगरानी और निकासी के साथ आवधिक मिलान।

g) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा और परीक्षण एक परामर्शदाता को सौंपा गया था, लेकिन हमारे ऑडिट के निष्कर्ष की तिथि तक पूरा नहीं हुआ था।

एक 'वस्तुगत कमजोरी' वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में एक ऐसी कमी या कमियों का एक संयोजन है, जिससे इस कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में वस्तुगत अपकथनों का सामयिक तौर पर निवारण या पहचान नहीं किए जाने की उपयुक्त संभावना है।

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, को छोड़कर, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया था।

हमने 31, मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई वस्तुगत कमजोरियों पर विचार किया है और ये वस्तुगत कमजोरियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं.

अनुलग्नक-सी (सम तारीख की हमारी रिपोर्ट में 'अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट

क्र.सं.	जाँच किए गए क्षेत्र	प्रेक्षण/ निष्कर्ष
1	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली अमल में है? यदि हां, तो वित्तीय आशयों सहित, लेखों की संपूर्णता पर लेखाकरण लेनदेन के बाहरी आईटी प्रणाली के माध्यम से भेजने का प्रभाव, यदि हो, तो उल्लेख करें।	कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स - आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखाकरण लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। यह सुझाव दिया जाता है कि कंपनी समय-समय पर सिस्टम ऑडिट करवाने के लिए एक नीति बनाए।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना या ऋण/उधार/ब्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले ऋणदाता द्वारा कंपनी को किए गए हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का समुचित रूप से हिसाब रखा गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा लिए गए पुनर्गठित/छूट-प्राप्त/बट्टे खाते में डाले गए कोई विद्यमान उधार नहीं है।

क्र.सं.	जाँच किए गए क्षेत्र	प्रेक्षण/ निष्कर्ष
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था? व्यतिक्रम के मामलों की सूची दें	केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए ऐसी कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है।

9. बीमा

कंपनी ने अपनी परिसंपत्तियों के लिए संभावित खतरों के खिलाफ उचित बीमा लिया है।

10. विनियामकों या अदालतों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और वस्तुगत आदेश

विनियामकों, अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा इस कम्पनी की व्यवहार्य स्थिति और कंपनी के भावी प्रचालनों को प्रभावित करनेवाले कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए हैं।

11. कंपनी अधिनियम की धारा 197 और कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 की अपेक्षाओं के अनुसार प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों और साथ ही कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अनुसार, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण के साथ-साथ प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का औसत कर्मचारी से अनुपात और ऐसे अन्य विवरण निदेशकों की रिपोर्ट के अंश बनते हैं और इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

12. विक्रेता विकास

यह एक सतत प्रक्रिया है और डीसीआई पूरे विश्व में फैले आपूर्तिकारों से नियमित आधार पर अतिरिक्त पुर्जों और भंडार का आसादन करता रहा है। डीसीआई आपूर्तिकार-सूची को लगातार अद्यतन करता रहा है। डीसीआई ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, ई-खरीद प्रक्रिया को अपनाया है। इस कंपनी की ई-खरीद प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रशिक्षण समर्थन और हैंडिंग होल्डिंग समर्थन के माध्यम से विक्रेताओं को सुविधा प्रदान करने और सक्षम बनाने पर जोर दिया गया था। डीसीआई ने स्थानीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) कार्यालय (विशाखापत्तनम शाखा) के सहयोग से एक राज्य स्तरीय विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया है और एमएसएमई मंत्रालय/राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा आयोजित अधिकांश विक्रेता विकास कार्यक्रम सह क्रेता-विक्रेता बैठकों में संभावित विक्रेताओं के साथ लगातार भाग ले रहा है और बातचीत कर रहा है। इस कंपनी ने स्वदेशीकरण के लिए पुर्जों की पहचान के लिए एमएसएमई विक्रेताओं को डीसीआई के जहाजों का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है। विस्तृत प्रचार के लिए निविदाएं डीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल में प्रकाशित की गई हैं ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भाग ले सकें। कुल वार्षिक खरीद में से प्रधान अंश ईंधन की खरीद है, जो एमएसएमई विक्रेताओं से खरीदा नहीं जा सकता और आगे चूंकि अधिकांश ड्रेजरों का निर्माण नेदरलैण्ड्स में किया गया है और अत: अधिकांश अतिरिक्त पुर्जे विदेशी मूल उपस्कर निर्माताओं से आयात किया जानाअपेक्षित है, अत: इस कम्पनी ने एमएसएमई से 20% की खरीद के सार्वजनिक खरीद नीति के अनिवार्य प्रावधान के कार्यान्वयन से छूट के लिए अभ्यावेदन किया है।

13. अनुसंधान और विकास के कार्यकलाप

डीसीआई ड्रेज एक्वेरियस में विद्यमान पीएलसी प्रणाली, जिसका आयात किया गया था और विदेशी मूल उपस्कर निर्माता के अतिरिक्त पुर्जे और सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, उसके स्थान में स्वदेशी रूप से विकसित कार्यक्रमक संभारतंत्र नियंत्रक (पीएलसी) को स्थापित किया गया। नव संस्थापित पीएलसी को लागत प्रभावी और संतोषजनक ढंग से कार्य करते हुए पाया गया है।

14. निगमित अभिशासन और प्रबंधीय विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, प्रबंधीय विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट, निगमित अभिशासन रिपोर्ट और निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र इससे अनुलग्न है, जो इस रिपोर्ट के अंश बनते हैं।

15. कर्मचारी-बल

31 मार्च, 2024 तक निगम में कर्मचारियों की कुल संख्या (तटीय और जहाजी दोनों) इस प्रकार थी -

तटीय (कार्यपालक 112 कार्यपालकेतर 60)	172
जहाजी (नियमित 76 संविदात्मक 310)	386
कुल	**558**

16. औद्योगिक संबंध

समीक्षाधीन वर्ष भर निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

17. विविध आरक्षित वर्गों के लिए रोजगार

विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के संबंध में कर्मचारी-बल की स्थिति नीचे दी गई है:

A. अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का रोजगार

निगम ने सरकारी नीति के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के

अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे। 31 मार्च, 2024 तक निगम में अ.जा./अ.ज.जा. का समग्र प्रतिनिधित्व (तटीय और जहाजी स्थापनाएँ, लेकिन मासिक वेतन कर्मकारों को छोड़कर):

क्र.सं.	तटीय स्थापना	कुल कर्मचारी बल	अ.जा.	प्रतिशतता	अ.ज.जा.	प्रतिशतता	निर्धारित प्रतिशतता	
							अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	तटीय स्थापना	172	34	19.77%	11	6.40%	16.66	7.5

B. भूतपूर्व सैनिकों का नियोजन

निगम में समूह ग और घ वर्गों में भूतपूर्व सैनिकों (तटीय कर्मचारी) का प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा निर्धारित क्रमश 14.5% और 24.5% की प्रतिशतता की तुलना में शून्य था।

C. शारीरिक रूप से विकलांगों का नियोजन

31 मार्च, 2024 तक निगम में शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की संख्या 02 (दो) है। तटीय स्थापना में क, ख, ग और घ के समूह-वार विवरण, नीचे दी गई हैं -

क्र. सं.	समूग	कुल कर्मचारी-बल	वास्तव में नियोजित अशक्त व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
1.	समूह क'	112	01	0.89
2.	समूह ख'	32	01	3.13
3.	समूह ग'	22	-	
4.	समूह घ'	06	-	-
	योग	**172**	**02**	**1.16**

B. महिला कर्मचारियों का नियोजन :

दिनांक 31.03.2024 तक नामिका में महिला कर्मचारियों की संख्या

कार्यपालकेतर : 18
कार्यपालक : 13
} 31

18. महिलाओं संबंधी सरकारी नीति का अनुपालन

काम की जगहों में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर तथा सरकार के विनियमों को दृष्टि में रखते हुए, काम की जगहों में महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न पर की शिकायतों की जांच करने के लिए एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति गठित की गई थी। एक शिकायत रजिस्टर भी रखा जा रहा है।

डीसीआई सार्वजनिक क्षेत्रीय महिला मंच का आजीवन सदस्य है और उक्त मंच में डीसीआई से एक महिला प्रतिनिधि को नामित किया गया है। श्रमिक संघों की ओर से जो समस्याएँ प्रस्तुत की जाती हैं, उनके अलावा, विशेषकर महिलाओं से संबंधित समस्याएँ, यदि कोई हों, जब कभी प्रबंधन की दृष्टिमें लाई जाती हैं, उनको भी निपटाया जाता है।

19. महिला कर्मचारियों के लिए मौजूदा लाभ और कल्याणकारी उपाय

a) निगम की महिला कर्मचारी, जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं, 26 सप्ताह के प्रसूति छुट्टी की हकदार हैं।

b) प्रसूतीतर बंध्यीकरण शस्त्र-चिकित्सा के लिए निगम की नियमित महिला कर्मचारियों को 14 कार्य दिवसों से अनधिक दिनों की विशेष आकस्मिक छुट्टी मंजूर की जाती है।

c) आईसीयूडी इन्सर्शन के लिए इस निगम की नियमित महिला कर्मचारियों को एक दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी दी जाती है।

d) अपेक्स न्यायालय के फैसले के आधार पर और काम की जगहों में यौन उत्पीड़न पर सरकारी अनुदेशों दृष्टि में रखते हुए, काम की जगहों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए एक महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक शिकायत समिति गठित की गई थी। एक शिकायत रजिस्टर भी रखा जा रहा है।

e) श्रमिक संघों की ओर से जो समस्याएँ प्रस्तुत की जाती हैं, उनके अलावा, विशेषकर महिलाओं से संबंधित समस्याएँ, यदि कोई हों, जब कभी प्रबंधन की दृष्टिमें लाई जाती हैं, उनको भी निपटाया जाता है।

f) निगम में महिला कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से एक मनोरंजन कक्ष उपलब्ध कराया गया है.

g) समूह घ कर्मचारियों को नियमों में निर्धारित वेतनमानों के अनुसार वर्दी प्रदान की जाती है.

20. अन्य लाभ

इस निगम की छुट्टी नियमावली के अनुसार, दो से कम बच्चों वाले नियमित पुरुष कर्मचारी को उसकी पत्नी के प्रसवावस्था के दौरान 15 दिन की पैतृक छुट्टी मंजूर की जाती है।

21. वेतन समझौते

A. **तटीय स्थापना**

i) कार्यपालक कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण 01.01.2017 से लागू किया गया था।

ii) तटीय स्थापना में कार्यपालकेतर कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2017 से लागू किया गया था।

B. **जहाजी स्थापना**

i) अधिकारियों के विषय में नए वेतन समझौते 01.01.2024 से लागू किए गए।

ii) जहाजी पैटी अफ़सरों के विषय में नए वेतन समझौते 01.01.2024 से लागू किए गए।

iii) जहाजी कर्मियों के विषय में नए वेतन समझौते 01.01.2024 से लागू किए गए।

22. मानव संसाधन विकास

यह निगम मानव संसाधनों के समग्र विकास के लिए निष्ठा से भरपूर प्रयास कर रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान, 56 कार्यपालक और 33 कार्यपालकेतर कर्मचारियों को विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

23. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

जनता से प्राप्त शिकायतों/शिकायतों की जांच करने के लिए निगम में 1988 से एक लोक शिकायत कक्ष कार्य कर रहा है। कंपनी सचिव लोक शिकायत निदेशक हैं। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशक मंडल की सूचना के लिए एक स्थितिगत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है और मंत्रालय को तिमाही स्थितिगत रिपोर्ट भेजी जा रही है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निगम के कंप्यूटर नेटवर्क में एक लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (पीजीएआरएम) सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया था, जो मंत्रालय और निगम के बीच संधान रीति से काम करता है।

24. लोक व्यथावेदन और शिकायत एकक के कार्यकलाप

जनता से प्राप्त शिकायतों/शिकायतों की जांच करने के लिए निगम में 1988 से एक लोक शिकायत कक्ष कार्य कर रहा है। कंपनी सचिव लोक शिकायत निदेशक हैं। मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशक मंडल की सूचना के लिए एक स्थितिगत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है और मंत्रालय को तिमाही स्थितिगत रिपोर्ट भेजी जा रही है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निगम के कंप्यूटर नेटवर्क में एक लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (पीजीएआरएम) सॉफ्टवेयर स्थापित किया गया था, जो मंत्रालय और निगम के बीच संधान रीति से काम करता है।

25. कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए किए गए कल्याणकारी उपाय

निगम ने विविध कल्याणकारी योजनाएं जारी रखीं, जैसे पारिवारिक पेंशन योजना, उपदान योजना, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज, सामूहिक बचतबद्ध बीमा योजना, अंशदायी भविष्य निधि, प्रसूति छुट्टी, पैतृक छुट्टी, मृतक कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों/परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि का भुगतान, परियोजना कर्मचारियों के लिए कैंटीन, चिकिसीय परिचर्या, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के बच्चों के लिए योग्यता छात्रवृत्ति, पेंशन योजना और डीसीआई, सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा ट्रस्ट/योजना, जहाजी कर्मियों के लिए पारिवारिक गाड़ी सुविधा इत्यादि।

26. सूचना और सौकर्य काउंटर

इस निगम की कार्यकारिता में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए और जनता के लिए किसी भी जानकारी के मार्ग को सरल और त्वरित बनाने के लिए, डीसीआई प्रधान कार्यालय, विशाखपट्टणम में एक सूचना और सौकर्य काउंटर (आईएफसी) का गठन किया गया था और इसे वेब-साइट में दर्शाया गया है।

नागरिक अधिकार-पत्र

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, सेवाओं, सूचना, विकल्प और परामर्श, निष्पक्षपात और अभिगम्यता, शिकायत निवारण, शिष्टाचार और धन-मूल्यता के संबंध में अपने नागरिकों/ग्राहकों के प्रति डीसीआई की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, जिसमें संगठन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नागरिक/ग्राहक से संगठन की अपेक्षाएं शामिल हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित एक नागरिक चार्टर कॉर्पोरेट वेबसाइट पर पोस्ट किया गया था।

इसकी अपेक्षा के अंतर्गत, प्रबंधन और कर्मचारी संघों के साथ-साथ विशाखापत्तनम पत्तन प्राधिकरण, एक स्थानीय ग्राहक संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक कार्यदल का गठन किया गया है। यह कार्यदल प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा यथा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। विभागाध्यक्ष (मानव संसाधन) को डीसीआई में नागरिक चार्टर के निर्माण और कार्यान्वयन के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो डीसीआई में नागरिक चार्टर के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए गठित कार्यदल के सदस्य सचिव भी हैं।

27. सतर्कता विभाग की गतिविधियां और उपलब्धियां

सतर्कता विभाग प्रणालियों और प्रक्रियाओं में निरंतर सरलीकरण और सुधार के साथ-साथ पारदर्शी तरीके से तेजी से और प्रभावी निर्णय लेने की सुविधा के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

1) **सतर्कता जागरूकता सप्ताह (स.जा.स.) 2023**

भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के तत्वावधान में 30 अक्टूबर, 2023 से 5 नवंबर, 2023 तक ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट मुख्यालय और विविध क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 मनाया गया। समाज के सभी वर्गों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने पर जोर देते हुए, वर्ष 2023 के लिए सीवीसी का विषय था 'भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें'। सीवीसी के विषय और दिशा-निर्देशों की भावना के अनुरूप, समाज के सभी वर्गों को शामिल करते हुए कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं, जिनका उद्देश्य जागरूकता फैलाना और भ्रष्ट आचरण से लड़ने के तरीकों और साधनों के बारे में जनता को संवेदनशील बनाना था।

स.जा.स.-2023 के दौरान, स्कूलों और कॉलेजों में निबंध लेखन, भाषण और पेंटिंग जैसी आउटरीच गतिविधियाँ आयोजित की गईं। हम प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के समर्थन की मदद से इसे हासिल कर सके, जिसने हमारी गतिविधियों को व्यापक प्रचार दिया।

2) **निवारक सतर्कता**

निवारक सतर्कता के उपाय के रूप में वर्ष के दौरान 4 आवधिक, 12 आकस्मिक और 3 सीटीई प्रकार के निरीक्षण किए गए हैं। इस संबंध में पाई गई चूकों/अनियमितताओं के बारे में उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सूचित कर दिया गया है।

3) **प्रणालीगत सुधार किए गए**

सतर्कता विभाग द्वारा कार्यान्वयन के लिए विविध प्रणालीगत सुधार उपायों का सुझाव दिया गया था।

i) अतिरिक्त पुर्जों और भण्डार संबंधी मालसूची की उचित जवाबदेही और विनिर्दिष्ट स्थानों पर उनका भंडारण करना।

ii) निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान यथोचित परिश्रम करना और निविदा दस्तावेज में विवाद खंड का निपटान में संशोधन।

iii) फाइलों के खो जाने से बचने और डेटा की त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए उपलब्ध रिकॉर्ड को तुरंत डिजिटाइज़ करने का सुझाव दिया गया है।

iv) जब भी कर्मचारियों का रोटेशन हो या कार्य अनुभागों में परिवर्तन हो, विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें उचित रूप से रिपोर्टों के ग्रहण करने और सौंपने के द्वारा रोटेट किए जाएं।

v) मानव संसाधन विभाग समय पर जाति/योग्यता प्रमाण पत्र/चरित्र और पूर्ववृत्त/गोपनीय रिपोर्टों का सत्यापन सुनिश्चित करेगा।

vi) निविदा विभाग यह सुनिश्चित करें कि निगम के निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए प्रस्ताव अग्रिम रूप से शुरू किए गए।

28. सूचना प्रौद्योगिकी, ईआरपी और साइबर सुरक्षा

इस कंपनी ने हितधारकों के लाभ के लिए विविध पहल की हैं। वित्त वर्ष 2023- 2024 के दौरान प्रधान पहल नीचे दी गई हैं:

(i) कंपनी ने मार्च, 2021 में विभिन्न विभागों के लिए माइक्रोसाफ़्ट डैनमिक्स 365 वित्त और प्रचालन ईआरपी लागू किया है। उत्पादकता में सुधार, करीबी निगरानी और स्वचालन के लिए ईआरपी की नई सुविधाओं को प्रयोग में लाया गया है। विविध प्रबंधन रिपोर्ट प्रदान करने के लिए वित्त के क्षेत्र में बिजनेस इंटेलिजेंस डैश बोर्ड विकसित किए गए हैं।

(ii) ईआरपी में नियंत्रणों की उपलब्धता की जांच करने के लिए सूचना प्रणाली ऑडिट किया गया था और ऑडिट टिप्पणियों को समाप्त कर दिया गया था।

(iii) जहाजों के लिए प्रबंधन योजना में साइबर सुरक्षा मौजूद है और किसी साइबर घटना के मामले में पूरी टीम की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जहाजों पर नियमित रूप से अभ्यास किए गए थे।

29. सांविधिक लेखा परीक्षक

सर्वश्री राव एंड कुमार कंपनी, सनदी लेखापाल, विशाखपट्टणम को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी के लेखों के परीक्षण के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) के अनुसार, लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को वासाबै में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना है। पिछली वासाबै में, लेखा परीक्षा समिति को सांविधिक लेखा परीक्षकों को देय शुल्क तय करने के लिए अधिकृत किया गया था। 2024-25 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए लेखा परीक्षा समिति को अधिकृत करने की सिफारिश की गई थी।

30. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

वर्ष 2023-24 के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, इन लेखों के साथ संलग्न है। लेखापरीक्षकों के मामलों पर प्रबंधन की टिप्पणियां इस रिपोर्ट में अन्यत्र दी गई हैं।

31. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, सचिवीय लेखा परीक्षक, सर्वश्री अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स के श्री सचिन अग्रवाल की रिपोर्ट को निदेशकों के प्रतिवेदन के बाद रखा गया है। सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन की टिप्पणियां/उत्तर इस रिपोर्ट में अन्यत्र दिए गए हैं।

32. नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई कंपनी के लेखों की अनुपूरक जाँच पूरी हो गई है और इसे लेखों और प्रबंधन के उत्तरों के साथ रखा गया है।

33. व्यापारगत उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर)

सेबी विनियमों के अंतर्गत यथापेक्षित मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 33. व्यापारगत उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निदेशकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।

34. कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से स्वैच्छिक रूप से . गैर–सूचीबद्धता

मंडल के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने जून, 2020 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से शेयरों की स्वैच्छिक रूप से डीलिस्टिंग के लिए आवेदन किया है। एक्सचेंज के अनुरोध के अनुसार, स्पष्टीकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। डीलिस्टिंग की पुष्टि की प्रतीक्षा है।

35. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

निदेशक वासाबै की सूचना में यथा प्रस्तावित, निदेशकों की उपर्युक्त नियुक्तियों/ पुनर्नियुक्तियों को, सदस्यों के अनुमोदनार्थ, सिफारिश करते हैं।

36. आभारोक्ति

निदेशक, पत्तन, पोत–परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माननीय मंत्री, माननीय राज्य मंत्री, और उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति, समय–समय पर दी गई बहुमूल्य सहायता, मदद और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। निदेशक अन्य सभी मंत्रालयों के प्रति भी उनके द्वारा दी गई सहायता और सहयोग के लिए आभारी हैं। यह मण्डल भारत के नियंत्रक और महा लेखा–परीक्षक, सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड और सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञ है। यह मण्डल इस कंपनी के बैंकरों के लिए भी उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए आभारी है। बोर्ड अपने मूल्यवान ग्राहकों के प्रति उनकी चालू प्रतिश्रयता के लिए अपना आभार व्यक्त करता है। निदेशक इस निगम के सभी स्तरों के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की सराहना अभिलेखांकित करना चाहते हैं।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

–ह0/–

डॉ मधैयान अंगमुथु, भा.प्र.से.

स्थान : विशाखपट्टणम

दिनांक: 04.09.2024

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा -

डीसीआई की निगमित सामाजिक दायित्व नीति (सीएसआर नीति) का उद्देश्य है कि अपने निगमित ध्येय को सामाजिक दायित्व के साथ समेकित कर सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से हमेशा इस जीवन के साथ प्रकृति का सामंजस्य स्थापित करते हुए राष्ट्र निर्माण की प्रकिया में सरकार के प्रयासों को पूरा करना। कंपनी की सीएसआर और सततता नीति के अनुसार, सीएसआर गतिविधियां मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, गंदी बस्तियों का विकास और आपदा प्रबंधन जैसी पहलों पर केंद्रित होंगी। राज्य सरकारों के साथ-साथ केंद्र सरकार के विभागों/एजेंसियों की पहलों को कंपनी की सीएसआर गतिविधियों के साथ तालमेल बिठाया जा सकता है। ये गतिविधियाँ कम्पनी अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई नियमावली में सूचीकृत परिधि में आने चाहिएं। इस कम्पनी के निगमित सामाजिक दायित्वगत कार्यकलाप इस कम्पनी के वेबसाइट- https://www.dredge-india.com/left-related-links/ corporate-social-responsiblities में दर्शाए गए हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशकत्व का स्वरूप	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान उपस्थित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1	श्री अरुण कुमार गुप्ता	अध्यक्ष	1	1
2	श्री लव वर्मा	सदस्य	1	1
3	श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया	सदस्य	1	1
4	कप्तान एस. दिवाकर	सदस्य	1	1

3. इस कम्पनी के वेब-लिंक के विवरण दें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएँ प्रकट किए गए: सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं के विवरण हमारे वेबसाइट http://dredge-india.com/files/CSR%20Policy.pdf पर उपलब्ध हैं।

4. कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में संभाली गईं सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के विवरण दें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें): यह कंपनी, कंपनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 (सीएसआर संशोधन नियम) के नियम 8 के उप-नियम (3) का संज्ञान लेती है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए उपरोक्त नियमों की प्रभावी तिथि के बाद कोई परियोजना शुरू या पूरी नहीं की गई है।

5. (a) धारा 135 की उप-धारा **(5)** के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ- **₹ 12112.35 लाख**

(b) धारा 135 की उपधारा **(5)** के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत - **₹ 242.25 लाख**

(c) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष - **शून्य**

(d) वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन की जाने को अपेक्षित राशि, यदि कोई हो- **शून्य**

(e) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (बी)+(सी)-(डी)- **₹ 0.00**

6. (a) सीएसआर परियोजनाओं (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अलावा अन्य) पर खर्च की गई राशि - **शून्य**

(b) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि- **शून्य**

(c) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो- **शून्य**

(d) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (क)+(ख)+(ग)- **शून्य**

(e) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि-

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपयों में)	खर्च न की गई राशि (रुपयों में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची तखख के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि।		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
शून्य	-	-	-	-	-

(श) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो: **शून्य**

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये लाखों में)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	0.00
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	0.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि (ii)-(i)	0.00
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेष, यदि कोई हो	81.66
(v)	आनेवाले वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (iii)-(iv)	81.66

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि का ब्यौरा- **शून्य**

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है (हां / नहीं) - **नहीं**

   यदि हाँ, तो सृजित/अर्जित पूंजीगत आस्तियों की संख्या प्रविष्ट कीजिए

9. कारण निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा **135** की उप-धारा **(5)** के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है- **सीएसआर खर्च के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कोई पूंजीगत संपत्ति नहीं बनाई गई थी**।

10. 2020-21 के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि ₹81.66 लाख थी, जिसे अगले तीन वित्तीय वर्षों 2021-22 से 2023- 24 के लिए आगे ले जाया गया है। 2021-22,2022-23 और 2023-24 के लिए कोई राशि खर्च नहीं की गई है।

-ह0/-	-ह0/-
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अ/भा)	**अध्यक्ष, सीएसआर समिति**

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

रिपोर्ट फॉर्म नंबर एओसी -2

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें तीसरे परंतुक के तहत कुछ आर्म्स लेंथ लेनदेन शामिल हैं

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

क्र. सं	विवरण	राशि (रुपये)
1	(a) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध का स्वभाव	
	(b) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति	लागू नहीं
	(c) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देन की अवधि	लागू नहीं
	(d) मूल्य सहित संविदा या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	लागू नहीं
	(e) ऐसे संविदाओं या व्यवस्था या लेनदेन में प्रवेश करने का औचित्य	लागू नहीं
	(f) अनुमोदन की तिथि (तिथियाँ)	लागू नहीं
	(g) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	लागू नहीं
	(h) धारा 188 के पहले परंतुक के अंतर्गत यथापेक्षित, किस तिथि को सामान्य बैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया था	लागू नहीं
2	आर्म्स लेंथ बेसिसपर के सामग्री संविदाओं या व्यवस्थाओं या लेन-देन के विवरँण	
	(a) संबंधित पक्ष का नाम और संबंध की प्रकृति	**संबंधित पार्टियों के नाम:** 1. विशाखपट्टणम पत्तन प्राधिकरण 2. पारादीप पत्तन प्राधिकरण 3. जवाहर लाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण 4. दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण **संबंध की प्रकृति:** महत्वपूर्ण प्रभाव
	(b) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेनदेनों की प्रकृति	निकर्षण संविदा
	(c) संविदाओं/व्यवस्थाओं/लेन-देन की अवधि	संविदाओं के अनुसार विभिन्न अवधियाँ.
	(d) मूल्य सहित संविदा या व्यवस्था या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो:	वर्ष 2023-24 के दौरान सबसे बड़ा एकल लेनदेन- 1. विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी- ₹ 1700 लाख 2. पारादीप पोर्ट अथॉरिटी- ₹ 2156.81 लाख 3. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी- ₹ 7660.85 लाख 4. दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी- ₹ 0.00 लाख
	(e) मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि (तिथियाँ), यदि कोई हों:	लागू नहीं
	(f) अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो:	अग्रिम के रूप में कोई राशि अदा नहीं किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, डीसीआई को चालू बिलों के खिलाफ राशि प्राप्त हुई.

कृते ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

-ह0/-

श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आईआरटीएस

प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. (अतिरिक्त भार)

स्थान: विशाखपट्टणम

दिनांक: 04.09.2024

कम्पनी अधिनियम और कम्पनी (प्रबंधकीय कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 की धारा 197 की अपेक्षाओंके अनुसार प्रकटन

(i) वित्तीय वर्ष के लिए इस कंपनी के कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक के प्रति प्रत्येक कार्यकारी निदेशक (2023-24 के लिए) के पारिश्रमिक का अनुपात नीचे दिया गया है। अन्य निदेशकों को इस कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड अथवा उसकी समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

क्र.स.	नाम व पदनाम	अनुपात
1	कप्तान एस.दिवाकर, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. (अतिरिक्त भार)	0.25

(ii) वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक, यदि कोई हो, के पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि:

क्र.स.	नाम व पदनाम	प्रतिशतता
1	कप्तान एस.दिवाकर, प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. (अतिरिक्त भार)	1.56
2	श्री के.राजेश, विभागाध्यक्ष (वित्त) एवं मु.वि.अ. (दिनांक 06.03.2024 तक)	1.13
3	श्री ई.किरण, मु.वि.अ.,(दिनांक 06.03.2024 से प्रभावी)	0.08
4	श्रीमती पी.चंद्रकलाभिनेत्री, कम्पनी सचिव	0.72

कंपनी की नीति के अनुसार, कंपनी के कर्मचारियों के मूल वेतन में वार्षिक वृद्धि 3% है। महंगाई भत्ता सरकारी नियमों के अनुसार बढ़ाया जाता है। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस कंपनी और व्यक्ति के निष्पादन के आधार पर लागू नियमों के अनुसार निष्पादन संबद्ध भुगतान अदा किए जाते हैं।

(iii) वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के औसत पारिश्रमिक में वृद्धि की प्रतिशतता -

	चालू वर्ष (रुपये)	पिछले वर्ष (रुपये)	प्रतिशतता
औसत पारिश्रमिक	10,40,878	885970	0.394

(iv) कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की संख्या- 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या 248 थी। (तटीय और जहाजी सहित)

(v) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंधकीय कर्मचारियों को छोड़कर अन्य कर्मचारियों के वेतन में की गई औसत प्रतिशत में वृद्धि और प्रबंधकीय पारिश्रमिक के प्रतिशत में वृद्धि के साथ इसकी तुलना और उसका औचित्य और यह इंगित करें कि क्या प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए कोई अपवादात्मक परिस्थितियां हैं: वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों सहित पारिश्रमिक के औसत प्रतिशत में वृद्धि 0-1% के बीच रही है।

(vi) पुष्टि है कि पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है: सभी कर्मचारियों को पारिश्रमिक कंपनी की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है।

(vii) वर्ष 2023-24 के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के तहत प्रकटन किए जाने को अपेक्षित कर्मचारियों का विवरण शून्य है क्योंकि किसी भी कर्मचारी ने निर्धारित सीमा से अधिक कमाई नहीं की थी।

फ़ार्म नं.एमआर-3

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और साथ ही
कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में)

सेवा म
सदस्य,
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

हमने **ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (इसके बाद मकंपनीफ या मडीसीआईएलफ कहा जाता है) द्वारा लागू संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और उत्तम निगमित व्यवहार-पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय जाँच की है। यह सचिवीय जाँच इस तरीके से की गई थी कि इससे हमें निगमित आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने में एक समुचित आधार प्राप्त हुआ है।

कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फाइल किए गए फॉर्म और विवरणों और कंपनी द्वारा निर्वाहित किए गए अन्य अभिलेखों की हमारे द्वारा जाँच और इस सचिवीय जाँच के दौरान इस कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय अवधि को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, इस कंपनी ने नीचे सूचीकृत संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इस कंपनी में इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के तरीकों के अधीन, उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र इस सीमा तक और इस रीति में लागू हैं:

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इस कंपनी द्वारा निर्वाहित बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, फॉर्म और फाइल की गई विवरणियों और अन्य रिकॉर्डों की जांच नीचे दिए गए अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार की है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाई गई नियमावली;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (मएससीआरएफ) और उसके अधीन बनाई गई नियमावली;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उप-नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधारों की सीमा तक बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (मसेबी अधिनियमम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:-

(a) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

(b) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भीतरी कारोबार का निषेध) विनियम, 2015;

(c) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाओं की जारी) विनियम, 2018;

(d) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;

(e) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

(f) कंपनी अधिनियम और ग्राहकों से व्यवहारों के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर निर्गमन पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993;

(g) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ईक्विटी शेयरों को सूची से हटा देना) विनियम, 2021;

(h) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की वापसखरीद) विनियम, 2018;

(vi) इस कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए गए आंतरिक अनुपालन प्रणाली के अंतर्गत के आवधिक प्रमाण-पत्र के आधार पर इस कंपनी के लिए प्रयोज्य अन्य निर्धारित विधियों (उद्योग के लिए यथा प्रयोज्य) के अंतर्गत अनुपालनों/प्रक्रियाओं/प्रणालियों की जाँच की जा रही है।

हमने निम्नलिखित लागू खंड-वाक्यों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए समय-समय पर यथा संशोधित सचिवीय मानक - आम तौर पर अनुपालन किया जाता है।

(ii) सूचीकरण समझौते और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है:

प्रेक्षण सं.1 *कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) और साथ ही सेबी (एलओडीआर), विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (10) अननुपालन। इस कंपनी ने सेबी विनियमों में यथा निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों तथा समिति का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, गैर–कार्यपालक निदेशकों और मंडल का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन दिनांक 12 फरवरी, 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में समग्र रूप से किया गया था।*

प्रेक्षण सं.2 *भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 23(9) में यह प्रावधान है कि सूचीबद्ध इकाई समय–समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में स्टॉक एक्सचेंजों को संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटीकरण से संबंधित आवश्यकता का अनुपालन करेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर दर्शाएगी। हमने देखा कि अद्यतन आरपीटी नीति वेबसाइट पर नहीं डाली गई है। तथापि, इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख को कंपनी की वेबसाइट पर इसे अद्यतन कर दिया गया है।*

प्रेक्षण सं.3 *भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार, कंपनी बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों की सूची में होने के कारण लाभांश वितरण नीति तैयार करने के लिए गैर–अनुपालन में है और उसने उक्त नीति को कंपनी की वेबसाइट पर नहीं डाला है। तथापि, इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख को कंपनी की वेबसाइट पर इसे अद्यतन कर दिया गया है।*

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को दिसंबर, 2020, सितंबर, 2023, 31 मार्च, 2022 और 30 सितंबर, 2022, मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली तिमाहियों के लिए क्रमशः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17(1), 23(9), और 33, 43ए के तहत गैर–अनुपालन के लिए बीएसई और एनएसई से नोटिस प्राप्त हुए थे। कंपनी ने बीएसई और एनएसई से लगाए गए जुर्माने की छूट के लिए अनुरोध किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कार्यपालक निदेशकों, गैर–कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ इस कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

आम तौर पर, सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों की कार्यक्रमबद्ध कार्यसूची निर्धारित करने के लिए पर्याप्त सूचना दी जाती है, और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स भेजे गए थे, और बैठक से पहले ही कार्यसूची की मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने और प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड/समिति की बैठकों में लिए गए सभी निर्णय बैठक के दौरान उपस्थित सभी निदेशकों/सदस्यों की सर्वसम्मति से किए गए्।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि इस कंपनी में लागू विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुश्रवणन और अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इस कंपनी के परिमाण और प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं्।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा–परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर कोई बड़ा असर डालने वाली कोई विशिष्ट घटना / कार्रवाई नहीं हुई है।

अग्रवाल एस एसोसिएट्स के लिए,
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनिक कोड: P2003DE049100
पीर रेव्यू प्रमाणपत्र सं.: 2725/2022

–ह0
सीएस अंजलि
एसीएस नं .:65330
सी पी नं .:26496

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.07.2024
यूडीआईएन: 065330F000707950

इस रिपोर्ट को हमारे सम तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक – ए

सेवा में,

सदस्य,

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है.

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना है, जो लेखापरीक्षा के लिए हमारे सामने पेश किए गए रिकॉर्ड के हमारे निरीक्षण पर आधारित है।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों्। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं्।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पहले से बताए गए प्रेक्षणों/टिप्पणियों/कमजोरियों को शामिल नहीं किया गया है।

4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों, घटनाक्रम आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. निगमित और अन्य लागू विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक और हमारी राय देने के लिए सीमित थी कि क्या इस कंपनी में उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र है या नहीं्।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के व्यवहार संभाले हैं्।

अग्रवाल एस एसोसिएट्स के लिए,
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनिक कोड: P2003DE049100
पीर रेव्यू प्रमाणपत्र सं 2725/2022

-ह0
सीएस अंजलि
एसीएस संख्या:65330
सीपी नंबर:26496

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.07.2024

फार्म सं. एमजीटी 9

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम,
2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण म दिनांक 31 मार्च, 2024
को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष तक वार्षिक विवरणी का सार

I	**पंजीकरण और अन्य विवरण:**	
i	निगमित पहचान संख्या	L29222DL1976PLC008129
ii	पंजीकरण की तारीख	29/03/1976
Iii	कंपनी का नाम	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Iv	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	सार्वजनिक कंपनी / शेयरों द्वारा लिमिटेड कम्पनी
V	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	कोर -2, पहली मंजिल, स्कोप मीनार, प्लॉट नंबर 2 ए और 2 बी, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली - 110092। फोन: 01122448528
Vi	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हाँ
vii	पंजीयक व अंतरण अभिकर्ता का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो।	सर्वश्री अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड 205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 फोन नं. +91-11-42541234, ई-मेल : rta@lankit.com

II **कंपनी की प्रमुख व्यापारिक गतिविधियां**

कम्पनी के कुल व्यापार का 10% या उससे अधिक योगदान करनेवाली सभी व्यापारिक गतिविधियों का उल्लेख किए जाएँ:

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद का एनआईसी कोड / सेवा	कम्पनी के कुल पण्यावर्त के प्रति %
1	निकर्षण	63012	99.44%

III **होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण**

क्र.सं.	कंपनी का नाम पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/सहयोगी	धारित शेयरों का %	प्रयोज्य धारा
1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

IV **शेयरधारिता रीति (कुल ईक्विटी के % के रूप में ईक्विटी शेयर पूँजी ब्रेकअप)**

i) **श्रेणी-वार शेयरधारिता**

क्र. सं.	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या 01/04/2023				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या 31/03/2024				वर्ष के दौरान % परिवर्तन का
		डीमैट	वस्तुगत	कुल	कुल शेयरों का%	डीमैट	वस्तुगत	कुल	कुल शेयरों का%	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(त)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(A)	**प्रमोटर और प्रमोटर समूह**									
(1)	**भारतीय**									
(a)	व्यक्ति/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(b)	केंद्र सरकार/ राज्य सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(c)	निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(व)	वित्तीय संस्थान / बैंक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(e)	अन्य	20572013	0	20572013	73.47	20572013	0	20572013	73.47	0.00
	उप-योग(1) :	**20572013**	**0**	**20572013**	**73.47**	**20572013**	**0**	**20572013**	**73.47**	**0.00**

IV शेयरधारिता रीति (कुल ईक्विटी के % के रूप में ईक्विटी शेयर पूँजी ब्रेकअप)

i) श्रेणी-वार शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या 01/04/2023				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या 31/03/2024				वर्ष के दौरान % परिवर्तन का
		डीमैट	वस्तुगत	कुल	कुल शेयरों का%	डीमैट	वस्तुगत	कुल	कुल शेयरों का%	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(त)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
(2)	**विदेशी**									
(a)	व्यक्ति (एनआरआई/	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(b)	निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(c)	संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(d)	अर्हक विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(e)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	लघु-योग (2) :	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
	कुल =(1)+(2)	**20572013**	**0**	**20572013**	**73.47**	**20572013**	**0**	**20572013**	**73.47**	**0.00**
(B)	**सार्वजनिक शेयरधारिता**									
(1)	**संस्थान**									
(a)	म्यूचुअल फण्ड्स/ यूटीआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(b)	वित्तीय संस्थान / बैंक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(c)	केंद्र सरकार / राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(d)	अभियान पूँजी निधियाँ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(e)	बीमा कम्पनियाँ	1993042		1993042	7.12	1439292	0	1439292	5.14	-1.98
(f)	विदेशी संस्थागत निवेशक	101732	0	101732	0.36	83911	0	83911	0.30	-0.06
(g)	विदेशी अभियान पूँजी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(h)	अर्हक विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(i)	अन्य	18206	0	18206	0.07	21613	0	21613	0.08	0.01
	लघु-योग B(1) :	**2112980**	**0**	**2112980**	**7.55**	**1544816**	**0**	**1544816**	**5.52**	**-2.03**
(2)	**ग़ैर-संस्थान**									
(a)	निगमित निकाय	335462	0	335462	1.20	311359	0	311359	1.11	-0.09
(b)	व्यक्ति									
	(i) रु.1 लाख तक की नाममात्र शेयर पूँजी की धारिता रखनेवाले	4206845	0	4206845	15.02	3988316	0	3988316	14.24	-0.78
	(ii) रु.1 लाख से अधिक तक की नाममात्र शेयर-पूँजी की धारिता रखनेवाले	301960	0	301960	1.08	1049128	0	1049128	3.75	2.67
(c)	अन्य									
	निकासी सदस्य	6598	0	6598	0.02	83874	0	83874	0.3	0.28
	निवेशक शिक्षा संरक्षण निधि	0								
	प्रवासी भारतीय	108187	0	108187	0.39	125899	0	125899	0.45	0.06
	प्रत्यावर्तित न होनेवाले प्रवासी भारतीय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

IV शेयरधारिता रीति (कुल ईक्विटी के % के रूप में ईक्विटी शेयर पूँजी ब्रेकअप)

i) श्रेणी–वार शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या 01/04/2023				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या 31/03/2024				वर्ष के दौरान % परिवर्तन का
		डीमैट	वस्तुगत	कुल	कुल शेयरों का%	डीमैट	वस्तुगत	कुल	कुल शेयरों का%	
(I)	(II)	(III)	(IV)	(त)	(VI)	(VII)	(VIII)	(IX)	(X)	(XI)
	न्यास	50421	0	50421	0.18	39504	0	39504	0.14	-0.04
	दावा नहीं किए गए शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	निवासी हिंदू अविभक्त परिवार	305534	0	305534	1.09	285091	0	285091	1.02	-0.07
(d)	अर्हक विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	लघु–योग B(2) :	**5315007**	**0**	**5315007**	**18.98**	**5883171**	**0**	**5883171**	**21.01**	**2.03**
	कुल इ=B(1)+B(2):	**7427987**	**0**	**7427987**	**26.53**	**7427987**	**0**	**7427987**	**26.53**	**0.00**
	कुल (A+B) :	**28000000**	**0**	**28000000**	**100.00**	**28000000**		**28000000**	**1000.00**	**0.00**
(C)	**अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर, जिनके लिए जमाकर्ता रसीद जारी किए गए हैं**									
(1)	प्रमोटर व प्रमोटर समूह	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(2)	सार्वजनिक जनता	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	सकल योग (A+B+C):	**27997891**	**2109**	**28000000**	**100**	**28000000**	**0**	**28000000**	**100**	**0.00**

(ii) प्रमोटर सहित प्रमोटरों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारी का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन की प्रतिशतता
		शेयरों की संख्या	इस कम्पनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों के प्रति गिरवी रखे गए / भारित शेयरों की संख्या	शेयरों की संख्या	इस कम्पनी के कुल शेयरों की प्रतिशतता	कुल शेयरों के प्रति गिरवी रखे गए / भारित शेयरों की संख्या	
1	विशाखपट्टणम पत्तन प्राधिकरण	5451710	19.47	0	5451710	19.47	0	0
2	पारादीप पत्तन प्राधिकरण	5040101	18.00	0	5040101	18.00	0	0
3	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण	5040101	18.00	0	5040101	18.00	0	0
4	जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण	5040101	18.00	0	5040101	18.00	0	0
	योग	**20572013**	**73.47**	**0**	**20572013**	**73.47**	**0**	**0**

(iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्र. सं.	शेयरधारी का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
1	विशाखपट्टणम पत्तन प्राधिकरण	5451710	19.47	5451710	19.47	5451710	19.47
2	पारादीप पत्तन प्राधिकरण	5040101	18.00	5040101	18.00	5040101	18.00
3	दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण	5040101	18.00	5040101	18.00	5040101	18.00
4	जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण	5040101	18.00	5040101	18.00	5040101	18.00

(iv) शीर्षस्थ दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रमोटरों के अलावा) की शेयरधारिता रीति :

क्र. सं.	शीर्षस्थ दस शेयरधारक*	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता अप्रैल 1, 2023		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता मार्च 31, 2024	
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	1230473	4.39	1230473	1230473
2	द न्यू इण्डिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड	115307	0.41	88293	88293
3	नेशनल इंश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड	147262	0.53	120526	120526
4	एरोल फ़र्नांडिस	0	0.00	63242	63242
5	राकेश राजकृष्ण अगर्वाल	0	0.00	156607	156607
6	पशुपति कैपिटल सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड	1000	0.00	51732	51732
7	रमेश चिमनलाल शाह	125000	0.45	56000	56000
8	बोफा सेक्यूरिटिस यूरोप एसए-ओडीआई	0	0.00	62742	62742
9	राहुल दुलेरे शाह	0	0.00	43963	43963
10	मुकुल महावीर अगर्वाल	0	0.00	505000	505000

* कंपनी के शेयरों का दैनिक आधार पर कारोबार किया जाता है और इसलिए शेयरधारिता में डेटावार वृद्धि/कमी का संकेत नहीं दिया जाता है। शेयरधारिता को शेयरधारी के स्थायी खाता संख्या (पॉन) पर समेकित किया जाता है।

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की शेयरधारिता

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	दिनांक	कारण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता अप्रैल 1, 2023		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता मार्च 31, 2024	
निदेशक							
1	कप्तान एस. दिवाकर,	01/04/2023		99	0.0004	99	0.0004
	मुख्य महा प्रबंधक	31/03/2024		99	0.0004	99	0.0004
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक							
2	2 पी.चंद्रकलाभिनेत्री,	01/04/2023		300	0.0011	0	0.0011
	कम्पनी सचिव	31/03/2024		300	0.0011	0	0.0011

V ऋणभार (लाखों में)

बकाया / प्रोद्भूत ब्याज, परंतु भुगतान के लिए नहीं, सहित कम्पनी का ऋणभार

शीर्षस्थ दस शेयरधारी*	जमों को छोड़कर प्रतिभूत उधार	अप्रतिभूत उधार	जमे	कुल ऋणभार
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणभार				
i) मूलधन की राशि	4739.25			4739.25
ii) देय ब्याज परंतु अदा नहीं किया गया	-			-
iii) प्रोद्भूत ब्याज, परंतु देय नहीं	254.31			254.31
कुल (i+ii+iii)	**4993.56**			**4993.56**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन				
जोड़ : विनिमय विभिन्नता				
घटाव : किए गए प्रतिभुगतान				
घटाव: किए गए ब्याज का पुनर्भुगतान				
जोड़/घटाव : भा.ले.मा.				
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणभार				शून्य
i) मूलधन की राशि	शून्य			
ii) देय ब्याज परंतु अदा नहीं किया गया				
iii) प्रोद्भूत ब्याज, परंतु देय नहीं				शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**			

VI निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

A. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक

क्र. सं.	शीर्ष दस शेयरधारक*	एमडी/डब्ल्यूटी/ प्रबंधक का नाम	कुल राशि (लाखों में)
1	सकल वेतन	41.15	41.15
	(a) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		
	(b) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभों का मूल्य		
	(c) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ		
2	स्टॉक विकल्प		
3	उद्यम ईक्विटी		
4	कमीशन		
	लाभ की प्रतिशतता के रूप में		
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
5	अन्य, (विनिर्दिष्ट करें)		
	भविष्य निधि के लिए कम्पनी का अंशदान		
	निवर्तन प्रसुविधाएँ		
	कुल (A)	**41.15**	

B. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक के विवरण	निदेशकों के नाम					कुल राशि (रुपये लाखों में)
		नूतन गुहा बिश्वास	विनोद कुमार पिपरसेनिया	रजत सचड़	अरुण कुमार गुप्ता	लव वर्मा	
1	स्वतंत्र निदेशक						
2	(a) मंडल समिति बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क	2.80	4.60	5.20	4.60	3.00	20.20
	(b) कमीशन						
	(c) अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें						
	योग (1)	**2.80**	**4.60**	**5.20**	**4.60**	**3.00**	**20.20**
	अन्य ग़ैर-कार्यपालक निदेशक						
	(a) मंडल समिति बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क						
	(b) कमीशन						
	(c) अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें						
	योग (2)						
	योग (B)=(1+2) (धारा 197/198 के तहत केवल उपस्थिति शुल्क प्रबंधकीय पारिश्रमिक के उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाता है)						
कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		**2.80**	**4.60**	**5.20**	**4.60**	**3.00**	**20.20**
	अधिनियम के अनुसार कुल अधिकतम सीमा	धारा 196 साथ ही अनुसूची V, धारा II, भाग-ए में निर्धारित सीमाओं के अनुसार उत्तर में, रु. 250 करोड़ से अधिक की प्रभावी पूंजी वाली कंपनियों के लिए सीमा रु. 120 लाख प्लस रु. 250 करोड़ से अधिक प्रभावी पूंजी का 0.01% है। 61.35 लाख रुपये की राशि सीमा के भीतर है.					

प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्णकालिक निदेशक को छोड़कर मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र. स.	पारिश्रमिक के विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक				कुल
				मुख्य वित्तीय अधिकारी		
		मु.का.अ.	कं.स.	के.राजेश	ई.किरण दिनांक 06.03.2024 से प्रभावी	
1	(a) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन.	35.48	16.4	25.82	1.97	93.798
	(b) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभों का मूल्य		-			
	(c) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ		-	-		
2	स्टॉक विकल्प			-		
3	उद्यम ईक्विटी			-		
4	कमीशन			-		
	लाभ की प्रतिशतता के रूप में			-		
	अन्य, विनिर्दिष्ट करें			-		
5	अन्य, विनिर्दिष्ट करें			-		
	भविष्य निधि के लिए कम्पनी का अंशदान	3.09	1.43	2.25	0.018	
	निवर्तन प्रसुविधाएँ	2.58	1.19	1.87	0.1	
6	**कुल**	**41.15**	**19.02**	**31.54**	**2.088**	**93.798**

VII. अर्थ दंड / सजाएँ / अपराध शमन

किस्म	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए अर्थ दंड / सजाएँ / अपराध शमन संबंधी विवरण	प्राधिकरण (आर डी/एनसीएलटी/अदालत)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
A. कम्पनी / B निदेशक / C. व्यतिक्रम में अन्य अधिकारी					
अर्थ-दण्ड					
सजाएँ			शून्य		
अपराध शमन					

VII. अर्थ दंड / सजाएँ / अपराध शमन

किस्म	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए अर्थ दंड / सजाएँ / अपराध शमन संबंधी विवरण	प्राधिकरण (आर डी/एनसीएलटी/अदालत)	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
A. कम्पनी / B निदेशक / C. व्यतिक्रम में अन्य अधिकारी					
अर्थ-दण्ड					
सजाएँ			शून्य		
अपराध शमन					

प्रबंधीय विचार-विमर्श और विश्लेषण

अर्थव्यवस्था

वैश्विक अर्थव्यवस्था

पंचांग वर्ष 2023 को वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों द्वारा चिह्नित किया गया था। लगातार भू-राजनीतिक उथल-पुथल, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और बढ़ती मुद्रास्फीति का सामना करने के बावजूद, पंचांग वर्ष 2023 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3.3% की वृद्धि हुई।

रिपोर्ट किए गए वर्ष में, मध्य पूर्व और लाल सागर संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई थी, जिससे वैश्विक परिवहन लागत और व्यापार समय में वृद्धि हुई थी। हालांकि, यह अभी भी 2021-22 के स्तर से नीचे बना हुआ है। जबकि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDEs) में 4.3% की वृद्धि हुई, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में समीक्षाधीन वर्ष में 1.6% की वृद्धि हुई। वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस लचीलेपन को मुख्य रूप से केंद्रीय बैंकों द्वारा कार्यान्वित कठोर मौद्रिक नीतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति में गिरावट आई और माल की कीमतों में कमी आई। श्रम की मजबूत आपूर्ति और एक स्वस्थ कॉर्पोरेट बैलेंस शीट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य-लाभ में बड़े पैमाने पर योगदान दिया।

वैश्विक दृष्टिकोण

पंचांग वर्ष 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.2% पर अपनी गति बनाए रखने का अनुमान है, इसके बाद पंचांग वर्ष 2025 में 3.3% की मामूली वृद्धि होगी। वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में इस वृद्धि को मुद्रास्फीति में गिरावट से समर्थन मिलने की उम्मीद है। वैश्विक मुद्रास्फीति पंचांग वर्ष 2024 में घटकर 5.9% और पंचांग वर्ष 2025 में 4.5% होने का अनुमान है। वैश्विक मुद्रास्फीति अनुमान से अधिक तेजी से अपने लक्ष्य स्तर तक पहुंचने से, दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों से उम्मीद की जाती है कि वे मौद्रिक नीतियों को आसान बनाएँ, आर्थिक गतिविधियों में सुधार लाएँ और आगे की वृद्धि में तेजी लाएँ। इसके अलावा, यह उम्मीद की जाती है कि ईएमडीई की तुलना में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति दर अपने लक्ष्य स्तर तक तेजी से पहुंचेगी।

वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

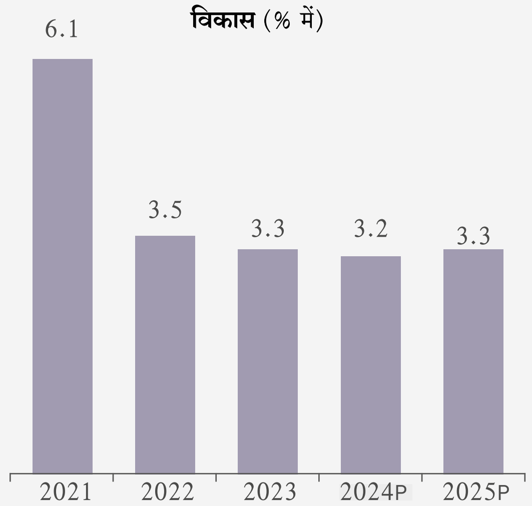

P - Projected
Source: World Economic Outlook July 2024, IMF[2]

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2024 में 8.2% की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के साथ मजबूत वृद्धि प्रदर्शित की, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लगातार तीसरे वर्ष 7% या उससे अधिक की विकास दर हासिल करने के लिए चिह्नित हुई। जबकि सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 7.2% की वृद्धि हुई, मुद्रास्फीति 5.4% पर लंगर डाले गई। इससे अर्थव्यवस्था में निजी खपत का समर्थन करने में मदद मिली।

भारत सरकार ने देश में कारोबारी माहौल के परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके परिणामस्वरूप 71.0 बिलियन अमरीकी डालर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की आमद हुई। इसके अलावा, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.9% से घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% कर दिया है, जो अर्थव्यवस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। इससे आगामी वर्षों में अधिक राजकोषीय अनुशासन की दिशा में मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने देश में संरचनात्मक विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% योगदान दिया। वित्त वर्ष 2024[3] में संरचनात्मक विकास के लिए कुल बजटीय परिव्यय 3.7 लाख रुपये से बढ़कर 7.5 लाख रुपये हो गया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है.

भारतीय दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 7.0% बढ़ने की उम्मीद है, जो भारत सरकार द्वारा तैयार की गई रणनीतिक नीतियों और कार्यक्रमों द्वारा समर्थित है। भारत सरकार देश को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में विकसित करने की कल्पना कर रही है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, भारत जर्मनी और जापान जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि

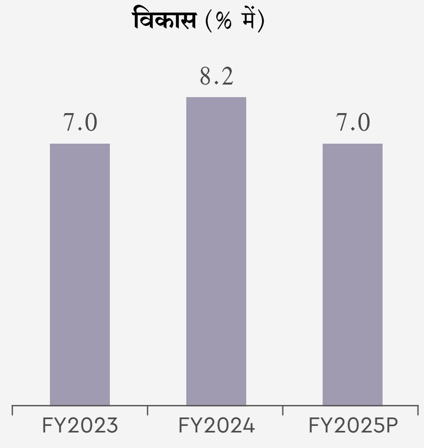

P- projected

[1] https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024
[2] https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/07/16/world-economic-outlook-update-july-2024
[3] https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/indias-push-infrastructure-development

उद्योग

वैश्विक निकर्षण उद्योग

विद्यमान पत्तनों के विस्तार, जलमार्गों को बनाए रखने और नए पत्तनों के निर्माण में ड्रेजिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैश्विक निकर्षण बाजार हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है, जो प्रारंभिक पत्तन विकास, तटीय संरक्षण पहल, नहर निर्माण, खनन और सामग्री निष्कर्षण गतिविधियों और नदी और जलमार्ग निर्वाह परियोजनाओं की बढ़ती मांग से प्रेरित है। इसके अलावा, तकनीकी प्रगति और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के कारण, वैश्विक ड्रेजिंग उद्योग ने 2023 में मजबूत वृद्धि दर्ज की।

ड्रेजिंग बाजार में उत्पाद नवीनीकरण एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभरा है, जिसमें प्रमुख कंपनियां अपनी बाजार स्थिति को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक समाधान विकसित कर रही हैं। प्रमुख उद्योग खिलाड़ी रणनीतिक रूप से उत्पाद लॉन्च, विशेष रूप से बाजार राजस्व को बढ़ाने के लिए ड्रेजिंग पंप, पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा, पर्यावरण पर निकर्षण प्रचालनों के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न संधारणीय ड्रेजिंग तकनीकों को लागू किया गया। इसके अलावा, संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने, प्रचालनिक दक्षता को बढ़ावा देने और उद्योग में लागत अनुकूलन में सुधार करने के लिए स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग को आम तौर पर ड्रेजिंग गतिविधियों में समेकित किया गया।

पंचांग वर्ष 2023 में, वैश्विक ड्रेजिंग उद्योग ने 10.88 बिलियन[4] अमरीकी डालर का बाजार परिमाण प्राप्त किया, जिसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र ने उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। निकर्षण गतिविधियों की आवश्यकता मुख्य रूप से पत्तन विस्तार और तटीय संरचना के विकास के कारण बढ़ी। चीन, जापान, कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और यूक्रेन जैसे देशों ने अपने संबंधित घरेलू बाजारों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, इसने वैश्विक ड्रेजिंग उद्योग के विकास को और प्रेरित किया है।

वैश्विक दृष्टिकोण

वैश्विक ड्रेजिंग बाजार में अगले कुछ वर्षों में स्थिर वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो 2028 में 4.0% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पर 15.18 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच जाएगा।[5] यह वृद्धि सरकारी संरचना के खर्च, पर्यटन और मनोरंजन में निवेश, उपचार और अपशिष्ट प्रबंधन पहल, व्यापार मार्गों के विस्तार और वैश्विक संरचना परियोजनाओं में भागीदारी से प्रेरित होने का अनुमान है। पत्तन विस्तार और निर्वाह, तटीय संरक्षण और जलवायु परिवर्तन शमन प्रयास, संरचना विकास परियोजनाएं, और नदी बहाली और बाढ़ प्रबंधन से संबंधित पहल, उद्योग के विकास को और आगे बढ़ाएंगी।

इसके अतिरिक्त, वैश्विक ड्रेजिंग उद्योग को तेल और गैस बाजार के विकास से लाभ होगा। वैश्विक तेल और गैस उद्योग 2024 से 2031[6] तक 3.68% की सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है। अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन को 2023 में कच्चे तेल का उत्पादन 12.4 मिलियन बीपीडी तक बढ़ाने का अनुमान है।

इसके अलावा, वैश्वीकरण पर बढ़ता जोर, विद्यमान नौबेड़े की ताकत को तालमेल करने की आवश्यकता और समय से आगे रहने के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा आदि अंतरराष्ट्रीय ड्रेजिंग उद्योग में समेकन के कारण बनने का अनुमान है। बाजार नए बाजार के खिलाड़ियों के उद्भव को भी देख रहा है, खासकर एशिया। चीन, जापान और जर्मनी जैसे देशों को 2034 तक ड्रेजिंग गतिविधियों में वृद्धि का अनुभव होगा। इसके अलावा, उत्तरी अमेरिका में ड्रेजिंग की मांग लगातार बढ़ने और 7.32 बिलियन अमरीकी डालर के बाजार परिमाण को प्राप्त करने की उम्मीद है[7].

भारतीय ड्रेजिंग उद्योग

वित्त वर्ष 2024 में, भारतीय समुद्री क्षेत्र ने ड्रेजिंग गतिविधियों में तेजी लाते हुए महत्वपूर्ण विस्तार का अनुभव किया। हालांकि, ड्रेजिंग उद्योग ने रिपोर्ट किए गए वर्ष में भी विभिन्न चुनौतियों का सामना किया। परियोजना में देरी और बढ़ती लागत के मुद्दों ने भारतीय ड्रेजिंग उद्योग के विकास को काफी प्रभावित किया।

भारतीय ड्रेजिंग उद्योग अपने प्रमुख और गैर-प्रमुख पत्तनों की ड्रेजिंग मांग से प्रेरित है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए हाल के घटनाक्रमों और भारतीय समुद्री क्षेत्र में सुधार लाने पर सरकार के ध्यान में वृद्धि के साथ, ड्रेजिंग उद्योग को प्रत्यक्ष लाभ होने की उम्मीद है। भारतीय पत्तनअधिक कार्गो को संभालने और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने हेतु पत्तन संरचना में सुधार करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, पत्तन जलमार्गों को गहरा कर रहे हैं, मशीनीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अधिक बर्थ बना रहे हैं।

ड्रेजिंग उद्योग की निरंतर वृद्धि के साथ, पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने उद्योग पर नकारात्मक प्रभावों को कम करने और उद्योग के स्थायी प्रचालनों का समर्थन करने के लिए ड्रेजिंग दिशानिर्देश जारी किए। नए ग्रीन फील्ड पत्तनों के निर्माण से घरेलू बाजार में ड्रेजिंग की मांग बढ़ने का अनुमान है।

रिपोर्ट किए गए वर्ष में, वैश्विक तकनीकी क्षमताओं का लाभ उठाकर सामाजिक-आर्थिक लाभ पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत सरकार द्वारा 'वेस्ट टू वेल्थ पहल' में तेजी लाने के लिए 'सागर समृद्धि' शुरू की गई थी । इसी तरह, सागर समृद्धि एक ऑनलाइन निकर्षण अनुश्रवणन प्रणाली है जिसका उद्देश्य पुराने ड्राफ्ट और लोडिंग मॉनिटर (डीएलएम) प्रणाली में सुधार करना है। यह प्रणाली दैनिक और मासिक प्रगति के प्रभावी दृश्य को सुविधाजनक बनाने और दैनिक ड्रेजिंग रिपोर्ट का बेहतर विश्लेषण सुनिश्चित करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त, एमओपीएसडब्ल्यू ने इस प्रणाली को एकीकृत करने के लिए सभी प्रमुख पत्तनों के लिए विनियम जारी किए। इसके साथ ही, सागरमाला परियोजना और राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना ने घरेलू ड्रेजिंग क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा किए हैं।

भारतीय दृष्टिकोण

2047 तक भारत की पत्तन क्षमता में 10000 मेट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की अपेक्षित वृद्धि के साथ आने वाले वर्षों में ड्रेजिंग गतिविधियों में वृद्धि बढ़ने का अनुमान है। MoPSW के अनुसार, अधिकांश प्रमुख बंदरगाह आने वाले वर्षों में बड़े जहाजों को समायोजित करने की अपनी क्षमता में सुधार करेंगे। नौसेना, राष्ट्रीय जलमार्गों और अपतटीय अन्वेषण से आने वाले नए विकास के साथ ये संभावनाएं भारतीय ड्रेजिंग उद्योग के लिए रोमांचक अवसर प्रदान करती हैं।

[4]https://www.maximizemarketresarch.com/market-report/global-dredging-market/110051/#
[5]https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/dredging-global-market-report
[6]https://www.kingsresearch.com/oil-and-gas-market-177#
[7]https://www.factmr.com/report/922/dredging-market#

इसके अलावा, मात्रा के हिसाब से भारत का लगभग 90% व्यापार देश के समुद्री मार्ग के माध्यम से किया जाता है। यह विनिर्माण उद्योग में विकास में तेजी लाने और 'मेक इन इंडिया' पहल की सहायता के लिए भारत के पत्तनों और व्यापार से संबंधित संरचना को विकसित करने की आवश्यकता पैदा करता है।

भारत में 12 प्रधान पत्तन और लगभग 200 गैर-प्रधान पत्तन हैं जिन्हें क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है। आगे देखते हुए, भारत सरकार 2030 तक 23 जलमार्गों के प्रचालन की परिकल्पना करती है। भारत के पत्तनों के विस्तार के साथ, जहाजों के लिए नौजलमार्गों को बनाए रखने और गहरा करने के लिए ड्रेजिंग सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी। इसके अलावा, विकसित ड्रेजिंग प्रक्रिया, नीति और नियामक पहलों से उद्योग के सतत विकास का समर्थन करने की उम्मीद है।

सागरमाला कार्यक्रम के तहत किए गए अध्ययनों के अनुसार, भारतीय पत्तनों की वर्तमान कार्गो हैंडलिंग क्षमता केवल 1500 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है, भारतीय पत्तनों में कार्गो यातायात लगभग 2500 एमएमटीपीए होगा। इसके साथ ही, प्रोजेक्ट उन्नति के तहत, 12 प्रधान पत्तनों के लिए दक्षता और उत्पादकता केपीआई में सुधार के लिए वैश्विक बेंचमार्क अपनाए गए थे। दक्षता में सुधार करके 100 एमटीपीए क्षमता से अधिक अनलॉक करने के लिए 12 प्रधान पत्तनों में लगभग 116 पहलों की पहचान की गई।

पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रधान पत्तनों में ड्रेजिंग के लिए दिशानिर्देश

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, पत्तनों के स्वामित्व वाली ड्रेजिंग कंपनियों पर प्रबंधन नियंत्रण रखने वाले महापत्तन नामांकन आधार पर संबंधित पत्तनों के निकर्षण संबंधी कार्यकलाप कंपनी को सौंप सकते हैं। इस नामांकन के लिए पत्तन के न्यासी मंडल/निदेशकों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। नामांकन विधि समान गुणवत्ता और शर्तों (ड्रेजिंग परियोजनाओं के निष्पादन में सर्वोत्तम मूल्य, समय और गुणवत्ता) के लिए प्रतिस्पर्धी बाजार मूल्य खोज के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित करती है। पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी महापत्तनों में ड्रेजिंग शुरू करने पर, सभी महापत्तन निर्माणगत / निर्वाहगत निकर्षण कार्यों के लिए खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदाएं आमंत्रित करेंगे।

वैश्विक ड्रेजिंग बाजार में वर्तमान मंदी और इसके परिणामस्वरूप वैश्विक कंपनियों का सीधे या अपनी भारतीय शाखाओं के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर संविदा प्राप्त करने के लिए स्पर्धा कर रहे हैं।

विकास चालक

- **अर्थव्यवस्था में विकास का समर्थन करना**

  भारतीय अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में मजबूत विकास प्रदर्शित करने का अनुमान है और यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, वैसे-वैसे आने वाले वर्षों में ड्रेजिंग गतिविधियों के सृजन के लिए ये अवसर पैदा करती हैं। ये पत्तनों और तटीय संरचनाओं के विकास के लिए निवेश के अवसर भी पैदा करती हैं।

- **समुद्र तट की सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता**

  कटाव वाले हॉटस्पॉटों में विविध तटीय सुरक्षा कार्य शुरू किए जाने का अनुमान है। इससे समुद्र तट के पोषण में मदद करने के लिए आने वाले वर्षों में ड्रेजिंग गतिविधियों में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, तटीय संरचना की सुरक्षा और तटीय क्षेत्र की स्थिरता के निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं से ड्रेजिंग गतिविधियों में और तेजी आने का अनुमान है। इसके साथ ही, तटीय आर्थिक क्षेत्रों (सीईजेड) का विकास सभी समुद्री राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए बढ़ने की उम्मीद है

- **बढ़ता तटीय पर्यटन**

  पश्चिमी तट पर संरचना के विकास और लक्षद्वीप को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहलों से समुद्री और तटीय पर्यटन में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह अनुमान लगाया गया है कि तटीय और समुद्री पर्यटन भारत की नीली अर्थव्यवस्था में 26% योगदान देगा। इससे दिक्चालनात्मक चैनलों में वृद्धि करने की मांग सृजित होने की आशा है, जिससे ड्रेजिंग सेवाओं के विकास में तेजी आएगी।

- **मैरीटाइम इंडिया विजन (एमआईवी) 2030**

  भारत के समुद्री क्षेत्र में समन्वित और त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए MIV को तैयार किया गया था। एमआईवी 2030 का गठन पत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों, व्यापार निकायों और संघों और कानूनी विशेषज्ञों के परामर्श को ध्यान में रखते हुए किया गया था। इस पहल से पत्तन विकास और निर्वाह में निवेश को आकर्षित करके ड्रेजिंग उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

- **तेल संरचना की बढ़ती मांग**

  यह उम्मीद की जाती है कि भारत में तेल की मांग बढ़ेगी और 2030 तक 6.6 मिलियन बीपीडी तक पहुंच जाएगी। यह गैस संरचना के विस्तार में और योगदान देगा, रिफाइनरियों और तेल के सुचारू परिवहन की आवश्यकता होगी। इससे ड्रेजिंग बढ़ेगी, जिससे भारत में ड्रेजिंग उद्योग के लिए और अवसर पैदा होंगे।

- **उथला जल निकर्षण**

  राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के कारण मांग पर अलग से विचार किया जाता है क्योंकि परिसंपत्ति आवश्यकताएं, प्रौद्योगिकी और खिलाड़ी पूरी तरह से निर्वाहगत और निर्माणगत निकर्षण बाजार से अलग हैं।

[8]https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/indias-push-infrastructure-development

- **सागरमाला योजना**

  भारत सरकार ने सागरमाला कार्यक्रम की परिकल्पना की है, जिसका उद्देश्य भारत की 7,500 किलोमीटर की तटरेखा और 14,500 किलोमीटर संभावित नौवहन योग्य जलमार्गों का दोहन करना है। यह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थानों का उपयोग करके देश में पत्तन-केंद्रित विकास को बढ़ावा देता है।

- **महा पत्तनों को गहरा करना**

  महापत्तनों से यह आशा की जाती है कि वे गहरे ड्राफ़्टवाले जलयानों को आकर्षित करने के लिए अपने नौचालन जलमार्ग को गहरा और चौड़ा करेंगे। अगले 10 वर्षों में निकर्षण की निवल मात्रा लगभग 3 बिलियन घन मीटर (16 बिलियन घन मीटर निर्माणगत निकर्षण और 24 बिलियन घन मीटर निर्वाहगत निकर्षण) हो सकती है।

- **पत्तनों का विकास और निर्वाह**

  भारतीय ड्रेजिंग उद्योग मौजूदा विद्यमान महा पत्तनों के विभिन्न विकास और निर्वाह परियोजनाओं का लाभ उठा सकता है। अन्य कारक जैसे नए पत्तनों का निर्माण, तटवर्ती संसाधनों की खोज, नौसेना से मांग और, अधिक दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए परिकल्पित परियोजनाएं ड्रेजिंग उद्योग के लिए कई अवसर प्रदान करती हैं।

कम्पनी

1976 में स्थापित, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) एक सुस्थिर संगठन है जो पिछले 48 वर्षों से भारतीय महा पत्तनों को ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है। विशाखापत्तनम में मुख्यालय के साथ, कंपनी देश के महा पत्तनों से व्यूहनीतिगत निकटता से लाभान्वित होती है। इस कंपनी के स्वामित्व में अद्यतन और परिष्कृत कर्तक चूषण निकर्षक, अनुगामी चूषण निकर्षक, और बैकहो निकर्षक हैं। यह कंपनी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों अवसरों को पूरा करने के लिए तैयार है। आगे देखते हुए, डीसीआई उच्च पेशेवर मानकों को बनाए रखते हुए और अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल ड्रेजिंग तकनीकों का उपयोग करने में अपने विशेष ज्ञान का लाभ उठाकर समेकित ड्रेजिंग सेवाओं में एक वैश्विक खिलाड़ी बनने की कल्पना करता है।

डीसीआई और बीईएमएल ने भविष्य के विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए

दिनांक 6 मार्च 2024 को, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) और DCI ने नवाचार चलाने, स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारतीय समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने में और योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। ममेक इन इंडियाफ पहल के अनुरूप, डीसीआई ने अतिरिक्त पुर्जों की खरीद के लिए आयात पर अपनी निर्भरता पहले ही कम कर दी है। इसके साथ ही, बीईएमएल और डीसीआई दोनों कम्पनियाँ, अपने अपने समय और लागत को कम करने के लिए एक रणनीतिक उपकरण के रूप में स्वदेशीकरण को स्वीकार करते हैं।

बीईएमएल के अ.प्र.नि. और डीसीआई के प्र.नि. एवं मु.का.अ. द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन तीन साल के लिए वैध है और इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। दोनों कंपनियों के बीच बने तालमेल से देश में ड्रेजरों के विकास और निर्माण को बढ़ाने का अनुमान है।

नए निकर्षक का अर्जन

मंत्रालय ने आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित किए जाने वाले डीसीआई द्वारा 12000 एम^3 अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक की खरीद के उद्देश्य से गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है; 2025 में पहला, 2028 में दूसरा और तीसरे ड्रेजर की खरीद 2 निकर्षकों के कार्य-निष्पादन के विश्लेषण के आधार पर होनी चाहिए। तीसरी ड्रेजर की क्षमता का निर्धारण 2030 में बाजार के अंतराल व्यवहार्यता विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा ताकि समुद्री विजन 2030 में परिकल्पित भारतीय महा पत्तनों की ड्रेजिंग की अपेक्षाओं को साध्य किया जा सके।

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच समझौते पर 17/03/2022 को हस्ताक्षर किए गए और डीसीआई-सीएसएल-आईएचसी के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर 13/04/2022 को हस्ताक्षर किए गए। ड्रेजर की लागत 104.59 मिलियन यूरो है। पहली और दूसरी किश्तों का भुगतान क्रमशः 4 नवंबर 2022 और 14 नवंबर 2022 को किया गया था. तीसरी और चौथी किस्त 11 अप्रैल 2023 और 4 अगस्त 2023 को, पांचवीं और छठी किस्त का भुगतान 13.11.2023 और 08.01.2024 को किया गया।

कार्य-निष्पादन

वर्ष के दौरान लक्ष्यों की तुलना में दिनों की संख्या और मात्रा में क्षमता का उपयोग निम्नानुसार है

नौयान	लक्ष्य	वास्तविक	उपयोग की %
दिनों की संख्या	3646.00	2635.82	72.29%
मात्रा (मि.घ.मी.)	689.52	560.25	81.25%

कंपनी की प्रमुख ताकत

मजबूत विरासत और नेतृत्व	डीसीआई की एक समृद्ध विरासत है, जो अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाती है और अपने मूल्यवान उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रदान करती है। इसने कंपनी को घरेलू ड्रेजिंग उद्योग में एक अग्रणी बाजार खिलाड़ी के रूप में स्थान दिया है। कंपनी 1976 से महा पत्तनों और भारतीय नौसेना की ड्रेजिंग आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।
मजबूत हॉपर क्षमता	डीसीआई के पास भारत में सबसे बड़ी हॉपर क्षमता है और यह बड़े परिमाण में निकर्षण परियोजनाओं को संभालने समर्थ है। इस मजबूत हॉपर क्षमता ने कंपनी को अपने साथियों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने में सक्षम बनाया है।
कुशल और अनुभवी कर्मचारी-बल	डीसीआई के पास एक कुशल और अनुभवी कार्यबल है जिसने कंपनी को महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और निष्पादित करने और समय पर ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता की है। कंपनी के वरिष्ठ नेतृत्व ने भी संगठन के विकास को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
ड्रेज-XIX, XX और XXI	ड्रेजर (DR-XIX, XX और XXI) डीसीआईएल की प्रीमियम संपत्ति हैं, जो भारतीय कंपनियों के बेड़े के बीच सर्वोत्तम तकनीक से उपस्कृत हैं। ड्रेजर्स के पास तट पंपिंग सुविधाएं हैं, जिससे उन्हें समेकित ड्रेजिंग, समुद्र तट पोषण और भूमि उद्धार कार्य जैसे उच्च प्रधान कार्य संभालने में सक्षम बनाया गया है।
प्रचालनिक दक्षता	डीसीआई लागत को कम करने और प्रचालनिक दक्षता बढ़ाने के लिए अपने बेड़े, उपस्कर और जहाजों के नियमित निर्वाह पर दृढ़ता से केंद्रित है। अंतर्देशीय कर्तक चूषण निकर्षक को जोड़ने के बाद, कंपनी ने अंतर्देशीय ड्रेजिंग क्षेत्र में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त किया है।
सम्मानित ग्राहक आधार	कंपनी भारतीय नौसेना और भारत के महा पत्तनों को सेवाएं प्रदान करती है। इसका प्रतिष्ठित ग्राहक आधार कंपनी की विश्वसनीयता का एक वसीयतनामा है। यह आगे कंपनी के सतत विकास का समर्थन करने वाली स्थिर प्रचालनिक गतिविधियों में योगदान देता है।

सुधार के क्षेत्र

- डीसीआई के निकर्षण बेड़े की औसत आयु 25 वर्ष से अधिक है। हालांकि, पुराने जलयानों के कुछ उपस्कर पहले ही अपनी दक्षता खो चुके हैं। इन उपस्करों के लिए व्यापक नवीनीकरण की आवश्यकता होती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप निष्पादन क्षमता कम हो सकती है। इसके अलावा, कुछ ड्रेजिंग संविदाएँ परियोजना में तैनात किए जाने वाले उपकरणों की आयु को उनके पूर्व-योग्यता मानदंड के रूप में सीमित करते हैं। इस सीमा तक, कंपनी ने पहले ही अपनी कुछ परिसंपत्तियों को स्क्रैप करने के लिए कदम उठाए हैं जिन्हें अक्षम माना जाता है। क्षमता में कमी को पूरा करने के लिए, डीसीआई ने 12,000 घन मीटर हूपर क्षमता वाले ड्रेजर की खरीद की कार्रवाई शुरू की है।

- अतिरिक्त पुर्जों और भंडार की खरीद के लिए उच्च लीड समय मरम्मतों और शुष्क गोदीकरण में परिणामित हो रहा है। कंपनी ने पहले ही आवश्यक पहल की है। इसके अलावा, माल सूची के बेहतर प्रबंधन के लिए ईआरपी लागू किया जा रहा है।

- कुशल जनशक्ति की सेवानिवृत्ति और अनुपलब्धता के कारण परियोजना निष्पादन में विलंब के साथ-साथ जलयानों का शुष्क गोदीकरण हो रहा है। परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में तेजी लाने के लिए परियोजना प्रबंधन प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने की आवश्यकता है। निवारक निर्वाह शुष्क गोदीकरण योजना को भी लागत और समय दोनों को कम करने के लिए बेहतर करने की आवश्यकता है। इस दिशा में, कंपनी ने दो जलयानों के तकनीकी निर्वाह के लिए जनशक्ति को आउटसोर्स किया है। लागत-लाभ विश्लेषण के आधार पर उसी तर्ज पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आगे देखते हुए, डीसीआई एक ड्रेज प्रशिक्षण संस्थान और मरम्मत सुविधा स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है।

ड्रेजिंग उद्योग में कुशल जनशक्ति की कमी है जो डीसीआई के लिए कर्मचारी को बनाए रखना बहुत मुश्किल बना देता है। कर्मचारी अपने प्रतिस्पर्धियों से आकर्षक प्रस्तावों के लिए कंपनी छोड़ देते हैं। अतीत में, डीसीआई ने भारतीय बाजार में निजी और अंतरराष्ट्रीय समकक्षों के लिए अपने कर्मचारियों को खो दिया है। इसके लिए, कंपनी ने तटीय कर्मचारियों के लिए एक मजबूत व्यवसाय प्रगति नीति बनाई है। इसके अलावा, जहाजी कर्मचारियों के लिए पारिश्रमिक पैकेज भारत में उद्योग मानकों के बराबर है।

कंपनी के अवसर

- कंपनी मौजूदा बाजार के रुझानों और मांग को पूरा करने के साथ-साथ लागत अनुकूलन की सुविधा के लिए अपने उपस्करों को अपग्रेड करने से काफी लाभ उठा सकती है। इसके अलावा, कंपनी का मानना है कि प्रमुख संस्थानों और संगठनों के साथ साझेदारी और सहयोग का निर्माण संगठन के आगे के विकास में योगदान दे सकता है। इस तरह के सहयोग के माध्यम से बनाए गए तालमेल से कंपनी के सतत विकास का समर्थन करने और बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने की उम्मीद है।

- अपनी स्थापना के बाद से, डीसीआई मुख्य रूप से महा पत्तनों के निर्वाहगत निकर्षण कार्यों में लीन रहा है। चूंकि एकल खिलाड़ी के लिए भारतीय निर्वाहगत निकर्षण बाजार में विकास के अवसर भारतीय रुपये 2,000 करोड़ तक सीमित है, इसलिए डीसीआई को ड्रेजिंग उद्योग से संबंधित अन्य क्षेत्रों और व्यापारों तक अपने कार्यों में विविधीकरण लाने की आवश्यकता है।

विविधीकरण के अवसरों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

मुख्य व्यापारों में विविधीकरण

इसमें निर्वाहगत और निर्माणगत निकर्षण के अलावा अन्य क्षेत्रों में मुख्य व्यापारों में विविधता लाना शामिल है। अन्य क्षेत्रों में समुद्र तट पोषण, अंतर्देशीय निकर्षण, समेकित निकर्षण, तेल और गैस ड्रेजिंग, उथले जलीय निकर्षण, अपतटीय खनन और भूमि उद्धार गतिविधियां, जलाशय निकर्षण, निकर्षित सामग्री का लाभकारी उपयोग शामिल हैं। तथापि, कोर ड्रेजिंग बाजार में उपस्थिति को और सुदृढ़ करना प्राथमिकता होगी। इसके अलावा, विविधीकरण में अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में भी पदचिह्न स्थापित करना शामिल है।

नए व्यापारों में विविधीकरण

नए व्यापारों में विविधीकरण में डीसीआई के लिए अग्रगामी और पश्चगामी समेकन के अवसर शामिल हैं। अग्रगामी समेकन में पत्तनों, समुद्री निर्माण और अपतटीय स्थापना गतिविधियों जैसी ड्रेजिंग सेवाओं में उपयोग किए जानेवाले व्यापारों का विविधीकरण सम्मिलित होगा। पश्चगामी समेकन में पोत निर्माण, पोत मरम्मत, बंकर बॉर्ज और अतिरिक्त पुर्जों का निर्माण जैसे अवसर शामिल होंगे।

व्यूहनीतियाँ

- आय बढ़ाने और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, कंपनी का लक्ष्य अपने सेवा पोर्टफोलियो में विविधता लाना है।
- कंपनी का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों की लगातार खोज करके अपने भौगोलिक पदचिह्न का विस्तार करना है। कंपनी ने पहले ही मोंगला पोर्ट, बांग्लादेश के लिए ड्रेजिंग संविदा निष्पादित किया है, जिससे वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति स्थापित हो गई है।
- कंपनी अनुगामी चूषण हॉपर निकर्षक की हॉपर क्षमता बढ़ाने की योजना बना रही है। यह विद्यमान पुराने निकर्षकों को उनकी प्रभावशीलता में सुधार करने और उनके आर्थिक जीवन को बढ़ाने के लिए नवीनीकृत करने की भी योजना बना रहा है।
- कंपनी एक कुशल कार्यबल के मूल्य को स्वीकार करती है। इसलिए, कंपनी उचित प्रशिक्षण में निवेश करने और अपने कर्मचारियों के लिए विकास के अवसर प्रदान करने की योजना बना रही है। इससे उत्पादकता बढ़ेगी और व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास दोनों सुसाध्य होंगे।
- वित्तीय स्थिरता का समर्थन करने और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए डीसीआई प्रचालनों में प्रभावी लागत प्रबंधन रणनीतियों को लागू किया जाता है। कंपनी पोत प्रचालन और जहाज खरीद में ईंधन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करके प्रचालनिक लागत को कम करने के साथ-साथ अतिरिक्त पुर्जों की खरीद संबंधी प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने के लिए अथक पहल करती है।
- कंपनी ने टिकाऊ ड्रेजिंग प्रथाओं को अपनाया था और पर्यावरण मानकों के साथ सरेखित करने के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाया था। यह कंपनी की प्रतिष्ठा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की उम्मीद है।
- कंपनी का लक्ष्य सुनिश्चित व्यापार सुनिश्चित करने के लिए कुछ समय तक निरंतर पोत निर्वाहके लिए जहाज मरम्मत यार्ड के साथ सहयोग करना है। इससे कंपनी को जलयानों के परिनियोजन की अग्रिम योजना बनाने में सुसाध्य होगी। डीसीआई देश के महा पत्तनों की सभी ड्रेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने की योजना बना रहा है।
- कंपनी निरंतर परियोजना निगरानी और समीक्षा द्वारा अपनी क्षमता के उपयोग में सुधार लाती रहती है। इनमें निवारक निर्वाह के माध्यम से उपस्कर डाउनटाइम को कम करना और मरम्मत यार्ड के साथ काम करते हुए शुष्क गोदीकरण मरम्मत अवधियों में तेजी लाने के साथ-साथ निकर्षकों के बीच ऑनलाइन संपर्क स्थापना सहित कम्प्यूटरीकरण में वृद्धि भी शामिल है। कंपनी गुणवत्तापूर्ण निकर्षण-पूर्व सर्वेक्षण और उपस्करों में निवेश जारी रखने का भी इरादा रखती है।
- कंपनी खरीद, लागत और कार्यशील पूंजी प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं की शुरूआत के साथ-साथ अनुरूप मानव संसाधन प्रथाओं, भागीदारी प्रबंधन और नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत में विश्वास रखती है।
- प्रशिक्षण पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के माध्यम से, कंपनी अपने कर्मचारियों को नए बाजार के अवसरों की पहचान करने और पूंजीकरण करने के लिए शिक्षित करने हेतु विशिष्ट परियोजना योजना और प्रबंधन पहल शुरू करने का इरादा रखती है।

आशंकाएँ

- बढ़ती विदेशी प्रतिस्पर्धा।
- भारतीय ड्रेजिंग कंपनियों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा।
- उम्र बढ़ने के कारण निकर्षकों की बार-बार और महंगी मरम्मतें।
- अल्पावधि में कोविड-19 की स्थिति के बाद सरकार/पत्तनों द्वारा किए जानेवाले निकर्षण पर के खर्च में संभावित कमी।
- प्रचालनों को प्रभावित करनेवाले नियामक परिवर्तन।
- पर्यावरण संबंधी चिंताएं और संबंधित विनियम।

सेवाएँ

निर्वाहगत निकर्षण	निर्वाहगत निकर्षण के माध्यम से, डीसीआई अवसाद के जमाव के कारण होने वाले कचरे को पत्तनों और बंदरगाहों से हटाता है। यह जहाजों के सुरक्षित प्रवेश और निकास को सुनिश्चित करता है।
निर्माणगत निकर्षण	डीसीआई जल निकायों में वांछित गहराई हासिल करने के लिए अनुपयुक्त मिट्टी को हटाकर निर्माणगत निकर्षण की सेवाएँ देता है।
भूमि-उद्धार	कंपनी भूमि उद्धार प्रक्रिया में शामिल है। डीसीआई भूमि स्तर को बढ़ाने, नई भूमि बनाने और जल निकायों की गहराई बढ़ाने के लिए आसपास के जल निकायों से भराव सामग्री का उपयोग करता है।
तट-पोषण	डीसीआई समुद्र तट पोषण सेवाएं प्रदान करता है; समुद्र तट में तटीय रेखाएं जमाव और क्षरण के अधीन हैं, कंपनी एक स्थिर समुद्र तट बनाए रखने के लिए अवसादों को जोड़ती है।
अंतर्देशीय / उथले जलीय निकर्षण	कंपनी जल निकायों की गहराई को कम करने के लिए झीलों और तालाबों जैसे उथले जल निकायों से तलछट और मलबे को हटाती है।
परियोजना प्रबंधन परामर्श	डीसीआई भारत के सभी महा पत्तनों को निर्वाहगत निकर्षण सेवाएँ प्रदान करता है। कंपनी देश भर में ऐसी परियोजनाओं की देखरेख और प्रबंधन करती है।

औद्योगिक संबंध

पूरे वित्त वर्ष 2024 के दौरान, औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे हैं।

वित्तीय कार्य–निष्पादन

वित्त वर्ष 2024 में इस कम्पनी का मुख्य वित्तीय कार्य–निष्पादन (भारतीय रुपये लाखों में) नीचे दिया जा रहा है:

विवरण	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023
कुल आय	94,880.98	116824.57
कुल व्यय	91,049.24	136316.91
कर पश्चात लाभ	3568.38	-19619.93
प्रति शेयर आमदनी	12.27	(69.13)
प्रचालनिक लाभ सीमांत	21.61%	15.03
निवल लाभ सीमांत	3.76%	1.08

वित्तीय अनुपात

प्रमुख वित्तीय अनुपातों और उनमें परिवर्तन के बारे में जानकारी का उल्लेख किया गया है। परिवर्तनों के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण (पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 20% या उससे अधिक के परिवर्तन) नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित हैं। ये स्पष्टीकरण सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 की अनुसूची V के भाग–बी (प्रबंधीय विचार–विमर्श और विश्लेषण) में नए उप–खंड 1 के अनुसार दिए गए हैं।

विवरण	गणक	डिनामिनेटर	वित्त वर्ष 2024	वित्त वर्ष 2023	% में परिवर्तन
चालू अनुपात	(चालू परिसंपत्तियाँ)	(चालू देयताएँ)	78%	71%	7%
ऋण–साम्या अनुपात	(दीर्घावधिक ऋण)	(कुल ईक्विटी)	34%	23%	11%
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(ईबीआईटीडीए)	(ऋण अनिवार्यता)	146%	-13%	160%
ईक्विटीअनुपात पर प्रतिफल	(कर पश्चात लाभ)	(कुल ईक्विटी)	3%	-16%	19%
माल सूची पण्यावर्त अनुपात	(प्रचालनिक आय)	(और्सत मालसूची)	749%	789%	-39%
व्यापार प्राप्तव्य पण्यावर्त अनुपात	(प्रचालनिक आय)	(औसत व्यापार प्राप्तव्य)	428%	489%	-61%
व्यापार देय पण्यावर्त अनुपात	(प्रचालनिक आय)	(औसत व्यापार देय)	279%	296%	-17%
निवलपूँजी पण्यावर्त अनुपात	(प्रचालनिक आय))	(कुल ईक्विटी)	75%	95%	-20%
निवल लाभ अनुपात	(कुल व्यापक आय)	(कुल आय)	4%	-17%	20%
लगाई गई पूँजी पर (आरओसीई)	(पीबीआईटी)	(लगाई गई पूँजी)	4%	-12%	15%
निवेश पर प्रतिफल (आरओआई)	(कर–पूर्व लाभ)	(पूँजी निवेश)	3%	-13%	16%
ब्याज कवरेज अनुपात	(ईबीआईटीडीए)	(ब्याज)	851%	-126%	977%
निवल मूल्य अनुपात पर प्रतिफल	निवल आय	शेयरधारी ईक्विटी	2.72%	-15.75%	18.47%

पिछले वर्ष की तुलना में 25% से अधिक अनुपात में परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण:

- **ऋण सेवा कवरेज अनुपात**

  ऋण सेवा कवरेज अनुपात में 160% की वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में ईबीआईटीडीए में वृद्धि के कारण है।

- **माल सूची पण्यावर्त अनुपात**

  मालसूची पण्यावर्त अनुपात में -39% की कमी मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान प्रचालनिक आय में कमी और मालसूची शेष में कमी के कारण हुई है।

- **व्यापार प्राप्तव्य पण्यावर्त अनुपात**

  देनदार पण्यावर्त अनुपात में -61% की कमी मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान प्रचालनिक आय में कमी और पुराने व्यापार प्राप्तियों को बट्टे खाते में डालने के कारण है।

- **ब्याज कवरेज अनुपात**

  ब्याज कवरेज अनुपात में 977% की वृद्धि मुख्य रूप से रु.(2522.21) लाख के पिछले वर्ष के ईबीआईटीडीए की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में रु.20299.70 लाख की ईबीआईटीडीए में वृद्धि के कारण है।.

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए निवल मूल्य पर प्रतिफल में वृद्धि मुख्य रूप से कानूनी मामलों के एकमुश्त खर्चों की बुकिंग के कारण हुई है, जो पिछले वर्ष 2022- 23 से चार्ज किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप रुपये (193.57 करोड़) की निवल हानि हुई है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

मुद्रा में उतार-चढ़ाव के कारण, कंपनी लगातार अपने नकदी प्रवाह में सेंध दर्ज करने के जोखिम में है। विदेशी मुद्रा में ऋण सेवा दायित्वों के कारण कंपनी की लाभप्रदता और इसके समग्र निष्पादन को प्रभावित किया जा सकता है।

निगमित सामाजिक दायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल ने निगमित सामाजिक दायित्व नीति तैयार की है और इसके कार्यान्वयन के लिए निदेशकों की एक उप-समिति का गठन किया है। कंपनी की निगमित सामाजिक दायित्व गतिविधियों की रिपोर्ट निदेशक की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी अपने परिमाण और अपनी किस्म के लिए उपयुक्त एक कुशल आंतरिक नियंत्रण संरचना बनाए रखती है, और इसने सही स्तरों पर एक मजबूत प्रतिनिधिमंडल प्रणाली स्थापित की है। एक निष्पक्ष आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रचालनिक और वित्तीय मुद्दों पर व्यापक जाँच की जाती है। चार्टर्ड अकाउंटिंग कंपनियों को कुछ परियोजनाओं और प्रधान कार्यालय के आंतरिक लेखा परीक्षा कर्तव्यों के एक हिस्से को संभालने के लिए किराये पर लिया74 जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग समय-समय पर इन नियंत्रणों की जांच करता है। निवारण पर जोर देने के साथ, सतर्कता विभाग अनुशासनात्मक और सतर्कता मामलों का प्रबंधन करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा एक मालिकाना लेखा परीक्षा की जाती है। कंपनी ने एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है

जिसके लिए यह प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों और उसके बाद की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट देती है। बोर्ड को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के साथ-साथ अन्य निदेशक उप-समिति सत्रों के परिणामों के साथ प्रस्तुत किया जाता है।

सावधानीपूर्वक कथन

भविष्य के लिए योजनाओं और अपेक्षाओं पर इस रिपोर्ट में योजनाएं, उम्मीदें, इच्छा, अनुमान, विश्वास, इरादे, परियोजनाएं, अनुमान, जैसे शब्दों को शामिल किया गया है और इन शब्दों का अक्सर प्रयोग किया गया है। इन दूरदर्शी कथनों द्वारा विभिन्न प्रकार के विषयों को कवर किया गया है, जैसे कि कंपनी की विकास रणनीति, उत्पाद विकास, बाजार की स्थिति, व्यय और वित्तीय कार्य निष्पादन। कंपनी इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि ये कथन सटीक हैं या भविष्य की घटनाएं अमल में आएंगी, क्योंकि वे मान्यताओं और अपेक्षाओं पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम, आउटपुट या उपलब्धियां उक्त अनुमानों से मेल नहीं खा सकती हैं। कंपनी को नए विकास, सूचना या घटनाओं के प्रकाश में इन कथनों को सार्वजनिक रूप से अपडेट या बदलने की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जब तक कि कानून द्वारा आवश्यक न हो।

वर्ष 2023-24 के लिए

निगमित अभिशासन रिपोर्ट

1. कम्पनी के निगमित अभिशासन का तत्व

प्रभावी निगमित अभिशासन के व्यवहार वह आधार हैं जिन पर सफल वाणिज्यिक उद्यमों का निर्माण किया जाता है। इस कम्पनी का निगमित अभिशासन संबंधी तत्व व्यावसायिक रणनीतियों की देखरेख करता है और विनियामकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, विक्रेताओं, निवेशकों और बड़े पैमाने पर समाज सहित सभी हितधारकों के लिए राजकोषीय जवाबदेही, नैतिक निगमित व्यवहार और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है। यह कंपनी अपने सभी हितधारकों के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर अपनी दृष्टि केंद्रित करती रही है।

2. निदेशक मण्डल

31 मार्च, 2024 तक निदेशक मंडल की संरचना: व्यूहनीतिक बिक्री के बाद, अर्थात 08/03/2019 के बाद और भारत सरकार और चार महा पत्तनों (खरीददार), जिन्होंने सरकारी हिस्सेदारी खरीदी है, के बीच हुए शेयर खरीद समझौते के बाद, संगम नियमावली में उपयुक्त परिवर्तन किए जाने के बाद, खरीददारों को, कंपनी अधिनियम, 2013 और अन्य लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन भारत सरकार द्वारा निदेशकों को नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी।

कंपनी में दस निदेशक हैं जिनमें अध्यक्ष, एक कार्यकारी निदेशक - प्रबंध निदेशक, तीन अंशकालिक आधिकारिक निदेशक और एक महिला निदेशक सहित पांच अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) शामिल हैं। सभी निदेशकों के विस्तृत प्रोफाइल उनकी नियुक्ति पर कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।

अधिनियम की धारा 149 (6) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और साथ ही सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 16 (1) (बी) के तहत यथा-परिभाषित स्वतंत्र निदेशक गैर-कार्यकारी निदेशक हैं। सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 25(8) के अनुसार, उन्होंने पुष्टि की है कि उन्हें ऐसी किसी परिस्थिति अथवा स्थिति की जानकारी नहीं है जो विद्यमान हो अथवा युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशित हो जो उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता को क्षीण अथवा प्रभावित कर सकती हो। स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर, निदेशक मंडल ने पुष्टि की है कि वे स्वतंत्रता के उल्लिखित मानदंडों को पूरा करते हैं।

i. दिनांक मार्च 31, 2024 तक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	संवर्ग
1	डॉ.मधैयान अंगमुथु, अध्यक्ष	प्रमोटर - ग़ैर-स्वतंत्र, ग़ैर-कार्यपालक
2	कप्तान एस.दिवाकर, प्र.नि.व मु.का.अ. (अ/भा)	पूर्णकालिक कार्यपालक
3	श्री उन्मेष शरद वाघ	प्रमोटर - ग़ैर-स्वतंत्र, ग़ैर-कार्यपालक
4	श्री संजय कुमार मेहता	प्रमोटर - ग़ैर-स्वतंत्र, ग़ैर-कार्यपालक
5	श्री पोलमराजु लक्ष्मी हरनाध	प्रमोटर - ग़ैर-स्वतंत्र, ग़ैर-कार्यपालक
6	श्रीमती नूतन गुहा बिश्वास	आंशकालिक सरकारेतर - स्वतंत्र, ग़ैर-कार्यपालक
7	श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया	आंशकालिक सरकारेतर - स्वतंत्र, ग़ैर-कार्यपालक
8	श्री रजत सचड़	आंशकालिक सरकारेतर - स्वतंत्र, ग़ैर-कार्यपालक
9	श्री अरुण कुमार गुप्ता	आंशकालिक सरकारेतर - स्वतंत्र, ग़ैर-कार्यपालक
10	श्री लव वर्मा	आंशकालिक सरकारेतर - स्वतंत्र, ग़ैर-कार्यपालक

ii. 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन:

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	तिथि	परिवर्तन का स्वरूप
1	श्री टी.के.रामचंद्रन	01/04/2023	नियुक्ति
2	श्री टी.के.रामचंद्रन	09/05/2023	समाप्ति
3	डॉ.मधैयान अंगमुथु	19/05/2023	नियुक्ति
4	कप्तान एस.दिवाकर	01/04/2023	निदेशकत्व का विस्तार
5	श्री जगदीश चन्द्र सेठी	02/01/2024	समाप्ति
6	श्री उन्मेष शरद वाघ	17/01/2024	नियुक्ति

iii. 01 अप्रैल, 2024 से रिपोर्ट की तारीख तक निदेशक मंडल में परिवर्तन:

क्र. सं.	नाम	तिथि	परिवर्तन का स्वरूप
1	श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आईआरटीएस	16/04/2024	नियुक्ति
2	कप्तान एस.दिवाकर	16/04/2024	समाप्ति

क्र. सं.	नाम	तिथि	परिवर्तन का स्वरूप
3	श्री संजय कुमार मेहता, आईएफ़ओएस	16/04/2024	समाप्ति
4	डॉ. विनोद कुमार नानुकुट्टन	26/04/2024	नियुक्ति
5	डॉ. विनोद कुमार नानुकुट्टन, आईपीओएस	01/07/2024	समाप्ति
6	श्री सुशील कुमार सिंह, आईआरएसएमई	05/07/2024	नियुक्ति

iv. **दिनांक 27 सितंबर, 2023 को वासाबै की समाप्ति के बाद 2023-2024 के दौरान नियुक्त और आज की तिथि तक चालू रहे निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत्त:**

01. एक नए अतिरिक्त निदेशक - श्री उन्मेश शरद वाघ, आईआरएस को 17/01/2024 को अतिरिक्त निदेशक (प्रमोटर समूह) के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री उन्मेश शरद वाघ, आईआरएस	
निदेशक पहचान संख्या.	08805348
जन्म की तारीख	31.03.1972
शैक्षिक योग्यताएँ	आईआरएस, सीओईपी पुणे से बीई (मैकेनिकल) डिग्री, प्रबंधन विज्ञान विभाग (PUMB)
व्यावसायिक योग्यताएँ	विश्वविद्यालय से एमबीए (सामग्री) और एमबीए (वित्त)
रोजगार का स्वरूप	2000 बैच की भारतीय राजस्व सेवा
अनुभव	श्री उन्मेश शरद वाघ आईआरएस का भारतीय राजस्व सेवा में 23 साल का करियर है। वे वर्तमान में नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण के प्रभारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। श्री उन्मेश शरद वाघ जेएनपीए के समग्र प्रबंधन की देखरेख करते हैं। उनके योगदान ने पत्तन को वैश्विक मानकों के बराबर लाने में सक्षम बनाया है और विविध ईओडीबी पहलों के माध्यम से पत्तन के आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है। वे ईरान के चाबहार में शहीद बहिशती पत्तन के जिम्मेदार आईपीजीएल के निदेशक (प्रचालन) की भूमिका भी निभाते हैं। श्री उन्मेश शरद वाघ 2000 में भारतीय राजस्व सेवा में भर्ती हुए और उन्होंने 2000 से 2004 तक महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग में सहायक आयुक्त के रूप में काम किया। आईआरएस में भर्ती होने से पहले, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार के रेल मंत्रालय में सेवा की। वित्त मंत्रालय में, उन्होंने अवर सचिव, कर अनुसंधान इकाई (टीआरयू) और निदेशक उत्पाद शुल्क के रूप में कार्य किया है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने दिल्ली में आईटी एवं संचार, गृह और कोयला मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर काम किया है। श्री उन्मेश शरद वाघ ने सीओईपी पुणे से बीई (मैकेनिकल) की डिग्री, प्रबंधन विज्ञान विभाग (पीयूएमबीए) विश्वविद्यालय से एमबीए (मैटेरियल्स) और एमबीए (वित्त) की डिग्री प्राप्त की है। उनको नीति निर्माण, राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों के लिए खुफिया जानकारी जुटाने, कराधान और विधिक मामलों में अपार अनुभव है। उन्हें एक सक्रिय, व्यावहारिक पेशेवर के रूप में जाना जाता है जो समस्याओं को तेजी से पहचान सके, सामरिक योजनाएँ बना सके, बदलाव की पहल कर सके और विविध मांग और विविध संदर्भों में प्रभावी कार्यक्रमों को लागू कर सके। उनमें उत्कृष्ट पारस्परिक और टीम प्रबंधन क्षमताएँ भी हैं और वे एक अच्छे संचारक हैं।
डीसीआईएल में धारित शेयरों की सं.	शून्य

अन्य कम्पनियों की समितियों में निदेशकत्व / सदस्यता / अध्यक्षता (लेखा-परीक्षा समिति और पणधारी संबंध समिति का विचार किया गया)

कम्पनी का नाम	संभाला गया पद	समिति का नाम	कम्पनी का नाम
इंडियन पोर्ट रेल व रोपवे कार्पोरेशन लिमिटेड	अपर निदेशक	-	-
जेएनपीटी एंटवर्प पोर्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी फाउंडेशन	नामिती निदेशक	-	-
महाराष्ट्र नगर और औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	निदेशक	-	-
इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड	निदेशक	-	-
वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड	नामिती निदेशक	-	-
मुंबई-जेएनपीटी पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	नामिती निदेशक	-	-

02. एक नए अतिरिक्त निदेशक – श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आईआरटीएस को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अतिरिक्त भार), और केएमपी के ओहदे में कंपनी के बोर्ड में 16/04/2024 को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आईआरटीएस	
निदेशक पहचान सख्या	09207436
जन्म की तारीख	02.04.1976
शैक्षिक योग्यताएँ	एम.ए. लोक प्रशासन
व्यावसायिक योग्यताएँ	
रोजगार का स्वरूप	2006 बैच की भारतीय रेल यातायात सेवा
अनुभव	श्री दुर्गेश कुमार दुबे, आईआरटीएस, ने 21.12.2020 को विशाखपट्टणम पत्तन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे 2006 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने भारत सरकार में विविध पदों पर काम किया है। उन्होंने 2008 से 2011 तक बिलासपुर में मंडल प्रचालन प्रबंधक के रूप में कार्य किया। 2011 से 2013 के दौरान, उन्होंने प्रयागराज में क्षेत्र प्रबंधक के रूप में कार्य किया। इसके अलावा, 2014 से 2017 तक, उन्होंने झांसी में वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में और उसके बाद विशाखपट्टणम पत्तन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में भर्ती होने से पूर्व दिनांक 18.12.2020 तक उप मुख्य प्रचालन प्रबंधक (कोचिंग), उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज में कार्य किया।
डीसीआई में धारित शेयरों की संख्या	शून्य
अन्य कम्पनियों की समितियों में निदेशकत्व / सदस्यता / अध्यक्षता (लेखा-परीक्षा समिति और पणधारी संबंध समिति का विचार किया गया)	(see table below)

कम्पनी का नाम	संभाला गया पद	समिति का नाम	कम्पनी का नाम
सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नामिती निदेशक	–	–
विशाखपट्टणम पोर्ट लॉजिस्टिक पार्क लिमिटेड	निदेशक	–	–

03. एक नए अतिरिक्त निदेशक – श्री सुशील कुमार सिंह, आईआरएसएमई को 05/07/2024 को अतिरिक्त निदेशक (प्रमोटर समूह) के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री सुशील कुमार सिंह, आईआरएसएमई	
निदेशक पहचान सं.	09817935
जन्म की तारीख	09.01.1967
शैक्षिक योग्यताएँ	बीई (मैकेनिकल), एमटेक (डिजाइन इंजीनियरिंग)
व्यावसायिक योग्यताएँ	–
रोजगार का स्वरूप	अध्यक्ष, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण
अनुभव	श्री सुशील कुमार सिंह, आईआरएसएमई ने दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। यह पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत देश के महा पत्तनों में से एक है। इससे पहले, उन्होंने पत्तन, पोत-परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (भारत सरकार) में संयुक्त सचिव (पत्तन/पीपीपी/पीएचआरडी) के रूप में कार्य किया है। उनकी जिम्मेदारियों में भारत सरकार के अधीनस्थ सभी 12 महा पत्तनों में पत्तन आधुनिकीकरण, पत्तन स्वचालन, हरित पत्तन पहल, स्मार्ट पत्तन पहल, पत्तन अवसंरचना का मशीनीकरण और पीपीपी शामिल हैं। ये महा पत्तन हैं – मुंबई पत्तन, चेन्नई पत्तन, जवाहर लाल नेहरू पत्तन, पारादीप पत्तन, दीनदयाल (कांडला) पत्तन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी (कोलकाता) पत्तन, विशाखपट्टणम पत्तन, कामराजर पत्तन, वीओसी चिदंबरनार पत्तन, कोचीन पत्तन, न्यू मंगलौर पत्तन और मुरगाँव (गोआ) पत्तन। उन्होंने एमआईवी -2030 (मैरीटाइम इंडिया विजन-2030) में यथा-परिकल्पित, महा पत्तनों में क्षमता वृद्धि और दक्षता सुधार परियोजनाओं को संभाला। इसके अतिरिक्त, उन्होंने व्यापार करने में आसानी और आपूर्ति श्रृंखला दृश्यता में सुधार के लिए नीति और प्रौद्योगिकी पहलों को लागू किया। भारतीय रेलवे में, उन्होंने रेल मंत्रालय (भारत सरकार) के लिए ट्रेन संचालन, रोलिंग स्टॉक निर्वाह, रोलिंग स्टॉक डिजाइन और विनिर्माण परियोजनाओं को संभाला है। उनकी विशेषज्ञता में लोकोमोटिव डिजाइन, परीक्षण और सत्यापन, विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला विकास शामिल हैं। श्री सिंह ने शिक्षाविदों, उद्योग और केआरआरआई/कोरिया, आरटीआरआई/जापान और वीएनआईआईजेडएचटी (रूसी रेलवे अनुसंधान) संगठनों सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेलवे अनुसंधान संगठनों के साथ संयुक्त सहयोग के माध्यम से रेलवे अनुसंधान परियोजनाओं का समन्वय किया है। उनके अनुभव में अमेरिका, हंगरी, स्पेन, कोरिया गणराज्य, जापान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार सहित कई देशों में प्रौद्योगिकी कार्य शामिल हैं।

कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शून्य			
कम्पनियों की समितियों म निदेशकत्व / सदस्यता / अध्यक्षता (लेखा-परीक्षा समिति और पणधारी संबंध समिति का विचार किया गया)	**कम्पनी का नाम**	**कम्पनियों की समितियों में निदेशकत्व / सदस्यता / अध्यक्षता (लेखा-परीक्षा समिति और पणधारी संबंध समिति का विचार किया गया)**	**कम्पनी का नाम**	**कम्पनियों की समितियों में निदेशकत्व / सदस्यता / अध्यक्षता (लेखा-परीक्षा समिति और पणधारी संबंध समिति का विचार किया गया)**
	मेसर्स इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड	शून्य	मेसर्स इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड	शून्य

vi 2023-24 के लिए मण्डल की बैठकें और उपस्थिति

2023-24 में, नौ मंडल बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निदेशक मंडल की बैठकों और 27/09/2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार है:-

क्र. सं.	निदेशक	आयोजित मंडल बैठकों की संख्या		पिछली वासाबै में उपस्थित (27/09/2023)
		सेवाकाल के दौरान	उपस्थित	
1	श्री टी.के.रामचंद्रन	1	1	-
2	डॉ मधैयान अंगमुथु	7	7	हाँ
3	कप्तान एस.दिवाकर, प्र.नि. व मु.का.अ (अ/भा)	9	6	हाँ
4	श्री संजय जगदीश चंद्र सेठी	6	3	हाँ
5	श्री संजय कुमार मेहता	9	5	हाँ
6	श्री उन्मेष शरद वाघ	3	0	-
7	श्री पोलमराजु लक्ष्मी हरनाध	9	5	हाँ
8	श्रीमती नूतन गुहा बिश्वास	9	7	हाँ
9	श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया	9	8	हाँ
10	श्री रजत सचड़	9	8	हाँ
11	श्री अरुण कुमार गुप्ता	9	9	हाँ
12	श्री लव वर्मा	9	8	हाँ

vii. वर्ष 2023-24 के दौरान अन्य बोर्डों/बोर्ड समितियों की संख्या जिनमें निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं:

बोर्ड के किसी भी निदेशक के लिए बीस से अधिक कंपनियों में निदेशक का पद नहीं है। कोई भी निदेशक दस से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक नहीं है। इसके अतिरिक्त, कोई भी निदेशक दस से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या पांच से अधिक समितियों (लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति) का अध्यक्ष नहीं है)।

क्र. सं.		निदेशकत्व (सूचीकृत संस्थाएँ)	ओहदों की संख्या (डीसीआईएल सहित)	
			समिति सदस्य	अध्यक्ष
1	डॉ मधैयान अंगमुथु	1	-	-
2	कप्तान एस.दिवाकर, प्र.नि. व मु.का.अ (अ/भा)	1	-	-
3	श्री संजय जगदीश चंद्र सेठी	1	-	
4	श्री संजय कुमार मेहता	1	-	-
5	श्री उन्मेष शरद वाघ	1	-	-
6	श्री पोलमराजु लक्ष्मी हरनाध	1	-	-
7	श्रीमती नूतन गुहा बिश्वास	1	-	-
8	श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया	1	2	2
9	श्री रजत सचड़	1	1	-
10	श्री अरुण कुमार गुप्ता	1	1	-
11	श्री लव वर्मा	1	1	-

viii. वर्ष 2023–24 के दौरान वीडियो कांफ़रेंस/भौतिक पद्धति में आयोजित मंडल की बैठकों के विवरण

क्र. सं.	दिनांक	स्थान	निदेशकों की कुल संख्या	उपस्थित निदेशकों की कुल संख्या
1	27-04-2023	विशाखपट्टणम	10	10
2	18-05-2023	विशाखपट्टणम	10	09
3	25-05-2023	विशाखपट्टणम	10	09
4	11-08-2023	विशाखपट्टणम	10	06
5	03-10-2023	विशाखपट्टणम	10	07
6	07-11-2023	विशाखपट्टणम	10	06
7	13-02-2024	विशाखपट्टणम	10	08
8	20-03-2024	विशाखपट्टणम	10	07
9	25-03-2024	विशाखपट्टणम	10	05

ix. निदेशकों के बीच संबंधों का प्रकटन : निदेशकों में कोई एक–दूसरे के रिश्तेदार या बंधु नहीं हैं।

x. इस कम्पनी की प्रभावी कार्यकारिता के लिए मंडल ने निम्नलिखित बुनियादी कुशलताओं/विशेषज्ञताओं/दक्षताओं को पहचाना है। इस कम्पनी के सभी निदेशक निम्नलिखित कुशलताएँ रखते हैं।

व्यापारगत अपेक्षा	विविध भौगोलिक विपणों, औद्योगिक क्षेत्रों और विनियामकों के क्षेत्रों के वैश्विक व्यापार की गतिशीलता को समझना।
व्यूहनीति और योजना	दीर्घकालिक रुझानों की पहचान करना, रणनीतिक विकल्प बनाना और मार्गदर्शन करने में अनुभव रखना अनिश्चित वातावरण में निर्णय लेने में प्रबंधन टीमों का नेतृत्व करना।
अभिशासन	शासन प्रथाओं को विकसित करने, सभी हितधारकों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देने, बोर्ड और प्रबंधन जवाबदेही बनाए रखने, दीर्घकालिक प्रभावी हितधारक जुड़ाव बनाने और कॉर्पोरेट नैतिकता और मूल्यों को बनाए रखने में अनुभव.

3. लेखा–परीक्षा समिति

लेखा-परीक्षा समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 और सूचीकरण विनियम, 2015 के प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है। समिति को कम से कम दो सदस्यों या अपने सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों की बैठकों के लिए कोरम की आवश्यकता होती है, जिसमें न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशक शामिल हों। इस संबंध में संगत प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा समिति के अधिकार, विचारार्थ विषय और विनियम निर्धारित किए गए हैं।

कंपनी सचिव लेखा परीक्षा समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है। समिति के सभी सदस्य मवित्तीय रूप से साक्षरफहैं और लेखाकरण और वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता रखते हैं। समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त), यदि कोई हो, और सांविधिक लेखा परीक्षक भी भाग लेते हैं। इसके अतिरिक्त, आंतरिक लेखा परीक्षक, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ कार्यपालक भी लेखापरीक्षा समिति द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, इन बैठकों में भाग लेते हैं। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सात लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की हैं।

ii. 31 मार्च, 2024 तक लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार है: –

1. श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया : अध्यक्ष
2. श्री रजत सच्चर : सदस्य
3. श्री अरुण कुमार गुप्ता : सदस्य

iii. वर्ष 2023–24 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठकें और उपस्थिति:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	स्थान	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	24-05-2023	विशाखपट्टणम	03
2	09-06-2023	विशाखपट्टणम	03
3	26-07-2023	कोलकाता	03
4	10-08-2023	विशाखपट्टणम	02
5	07-11-2023	विशाखपट्टणम	03
6	12-02-2024	विशाखपट्टणम	03
7	22-02-2024	विशाखपट्टणम	03

उपस्थिति के विवरण:

निदेशक	आयोजित बैठकों की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान	उपस्थित
श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया	07	06
श्री रजत सच्चर	07	07
श्री अरुण कुमार गुप्ता	07	07

4. निदेशकों का पारिश्रमिक

i. चार पत्तनों को प्रबंधन और नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ भारत सरकार की अपनी हिस्सेदारी बेचते हुए, भारत सरकार और चार पत्तनों के बीच 08/03/2019 को हुए शेयर खरीद समझौते के अनुसार, कर्मचारियों को देय वेतन के भुगतान संबंधी उस समय के विद्यमान नियम और विनियम 08/03/2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए जारी रहे। तथापि, बोर्ड ने विद्यमान नीतियों को उस सीमा तक और बोर्ड द्वारा संशोधित किए जाने तक जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

ii. गैर-कार्यपालक (प्रमोटर) निदेशकों को कंपनी द्वारा किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया था।

iii. स्वतंत्र और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों को प्रत्येक बोर्ड बैठक और प्रत्येक समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 20,000 / - रुपये (बीस हजार मात्र) की बैठक शुल्क का भुगतान किया गया था।

iv. इस कंपनी के किसी भी निदेशक को लाभों पर कमीशन अदा करने की कोई नीति डीसीआई में नहीं है।

v. वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित बोर्ड या समिति की बैठकों के लिए पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक और अंशकालिक अधिकारेतर सदस्यों को देय बैठक शुल्क निम्नानुसार है: -

(₹ लाख में)

क्र. सं.	निदेशक का नाम	वेतन	निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन	बैठक शुल्क	कुल
कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक)					
1	कप्तान एस.दिवाकर	41.15	-	-	41.15
गैर-कार्यकारी निदेशक (स्वतंत्र)					
1	श्रीमती नूतन गुहा बिश्वास	-	-	2.80	2.80
2	श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया	-	-	4.60	4.60
3	श्री रजत सच्चर	-	-	5.20	5.20
4	श्री अरुण कुमार गुप्ता	-	-	4.60	4.60
5	श्री लव वर्मा			3.00	3.00

vi. उपर्युक्त के अतिरिक्त, जहां कहीं आवश्यक हो, निदेशकों को बोर्ड और अन्य बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा, होटल और अन्य संबंधित व्यय की व्यवस्था / प्रतिपूर्ति की जाती है।

vii. गैर-कार्यपालक निदेशक कंपनी में कोई शेयर नहीं रखते हैं।

viii. कंपनी में फिलहाल कोई स्टॉक विकल्प योजना नहीं है।

5. हितधारक संबंध समिति

i. हितधारक संबंध समिति शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान करती है, सुधार के लिए उपायों का प्रस्ताव करती है।

ii. पी. चंद्र कभिनेत्री, कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

iii. वर्ष 2023-24 के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

iv. इस कंपनी और पंजीयक व अंतरण अभिकर्ता द्वारा निवेशकों की संतुष्टि तक शिकायतों का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया।

v. 31 मार्च, 2024 तक हितधारक संबंध समिति का गठन निम्नानुसार है: -

1. श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया : अध्यक्ष
2. श्री लव वर्मा : सदस्य
3. कप्तान एस. दिवाकर : सदस्य

vi. वर्ष 2023-24 के दौरान हितधारक संबंध समिति की बैठकें और उपस्थिति:

आयोजित हितधारकों की संबंध समिति की बैठकों के विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	स्थान	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	25-03-2024	विशाखपट्टणम	03

उपस्थिति के विवरण:

निदेशक	आयोजित बैठकों की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान	उपस्थित
श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया	01	01
श्री लव वर्मा	01	01
कप्तान एस. दिवाकर	01	01

6. शेयर अंतरण समिति

शेयर अंतरण समिति में प्रबंध निदेशक और अनुपालन अधिकारी सदस्यों के रूप में हैं। यह समिति कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण और पारेषण को अनुमोदन देने के लिए अधिकृत है। शेयर हस्तांतरण, पारेषण और अन्य महत्वपूर्ण मामलों को समय पर कंपनी सचिव के नियंत्रण के अधीन निपटाया जाता है। कंपनी को वर्ष 2023-2024 के दौरान शेयर हस्तांतरण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। कंपनी ने हमेशा शेयरधारक से संबंधित गतिविधियों को प्राथमिकता दी है, उनसे संबंधित मामलों को तुरंत निपटाया है। हैदराबाद के सर्वश्री अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, इस कंपनी के पंजीयक व अंतरण अभिकर्ता हैं, जो जमाकर्ताओं को भौतिक शेयर रजिस्ट्री कार्य और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस सुविधा की सेवाएं प्रदान करता है।

7. निगमित सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर)

i. 31 मार्च, 2024 तक सीएसआर समिति निम्नानुसार है: –

1. श्री अरुण कुमार गुप्ता : अध्यक्ष
2. श्री लव वर्मा : सदस्य
3. श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया : सदस्य
4. कप्तान एस दिवाकर : सदस्य

वर्ष 2023-24 के दौरान निगमित सामाजिक दायित्व समिति की बैठकें और उपस्थिति:

आयोजित निगमित सामाजिक दायित्व समिति की बैठकों के विवरण:

क्र. सं.	बैठक की तिथि	स्थान	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	12-02-2024	विशाखपट्टणम	04

उपस्थिति के विवरण:

निदेशक	आयोजित बैठकों की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान	कार्यकाल के दौरान
श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया	01	01
श्री लव वर्मा	01	01
कप्तान एस दिवाकर	01	01
श्री अरुण कुमार गुप्ता	01	01

ii. वर्ष 2023-24 के दौरान, सीएसआर के तहत खर्च की जाने को अपेक्षित राशि शून्य है, फिर भी समिति ने वर्ष 2023-2024 के लिए सीएसआर पहलों पर 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख) खर्च करने का निर्णय लिया है।

8. जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड ने निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है, समिति का गठन निम्नलिखित है: –

31 मार्च, 2024 तक जोखिम प्रबंधन समिति इस प्रकार है: –

1. श्री लव वर्मा : अध्यक्ष
2. श्री पी.एल.हरनाध : सदस्य
3. कप्तान एस दिवाकर : सदस्य
4. कप्तान एस.वी.प्रसाद : सदस्य
5. कप्तान के.एम.चौधरी : सदस्य

वर्ष 2023-24 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें और उपस्थिति:

आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों के विवरण

क्र. सं.	बैठक की तिथि	स्थान	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	20-09-2023	विशाखपट्टणम	05
2	12-03-2024	विशाखपट्टणम	04

उपस्थिति के विवरण

निदेशक	आयोजित बैठकों की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान	उपस्थित
श्री पी.एल.हरनाध	02	02
श्री लव वर्मा	02	02
कप्तान एस दिवाकर	02	02
कप्तान एस.वी.प्रसाद	02	02
कप्तान के.एम.चौधरी	02	01

समिति की संदर्भगत शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार हैं।

9. नामांकन और पारिश्रमिक समिति

i. मंडल ने कार्यपालकों और असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के बीच वार्षिक बोनस और परिवर्तनीय वेतन पूल तथा इसके वितरण के लिए नीति तय करने के उद्देश्य से निदेशकों की पारिश्रमिक समिति का गठन किया है। समिति का गठन निम्नानुसार है: -

31 मार्च, 2024 तक नामांकन और पारिश्रमिक समिति इस प्रकार है: -

1. श्रीमती नूतन गुहा बिश्वास : अध्यक्ष
2. श्री रजत सच्चर : सदस्य
3. श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया : सदस्य

वर्ष 2023-24 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें और उपस्थिति:

आयोजित नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों के विवरण

क्र. सं.	तिथि	स्थान	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	06.04.2023	विशाखपट्टणम	03
2	04.08.2023	विशाखपट्टणम	03
3	11.09.2023	विशाखपट्टणम	03
4	01.11.2023	विशाखपट्टणम	03
5	20.03.2024	विशाखपट्टणम	03
6	25.03.2024	विशाखपट्टणम	02

उपस्थिति के विवरण

निदेशक	आयोजित बैठकों की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान	उपस्थित
श्रीमती नूतन गुहा बिश्वास	06	06
श्री रजत सच्चर	06	05
श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया	06	06

ii. समिति की संदर्भगत शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार हैं।

10. सेबी (एलओडीआर) की अपेक्षाओंके अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों ने मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया।

12. स्वतंत्र निदेशकों की बैठक

31 मार्च, 2024 तक स्वतंत्र निदेशक की बैठक निम्नानुसार है: –

1. श्रीमती नूतन गुहा बिश्वास : अध्यक्ष
2. श्री रजत सच्चर : सदस्य
3. श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया : सदस्य
4. श्री अरुण कुमार गुप्ता : सदस्य
5. श्री लव वर्मा : सदस्य

वर्ष 2023-24 के दौरान स्वतंत्र निदेशक की बैठक और उपस्थिति:

आयोजित स्वतंत्र निदेशक बैठकों के विवरण:

क्र. सं.	तिथि	स्थान	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	12-02-2024	विशाखपट्टणम	05

उपस्थिति के विवरण:

निदेशक	आयोजित बैठकों की संख्या	
	कार्यकाल के दौरान	उपस्थित
श्रीमती नूतन गुहा बिश्वास	01	01
श्री रजत सच्चर	01	01
श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया	01	01
श्री अरुण कुमार गुप्ता	01	01
श्री लव वर्मा	01	01

13. स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

सभी स्वतंत्र निदेशकों ने वित्तीय वर्ष की पहली बैठक में घोषणा की कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं।

14. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचयात्मक कार्यक्रम

मंडल के सदस्य समय-समय पर संगोष्ठियों, सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और स्वतंत्र निदेशकों को दिए जानेवाले उन परिचयात्मक कार्यक्रमों के विवरण वेब लिंक - https://www.dredge-india.com/investors/ familiarisation-programme में उपलब्ध हैं।

15. सर्वश्री अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिवों से एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या ऐसे किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है; यह प्रमाण-पत्र इस रिपोर्ट के साथ भी संलग्न है।

16. वार्षिक सामान्य बैठकें

i. पिछली 3 वार्षिक आम बैठकों के विवरण

1	**वर्ष**	2020-21	2021-22	2022-23
2	**वासाबै**	45वी वासाबै	46वी वासाबै	47वी वासाबै
3	**तिथि**	17/12/2021	21/12/2022	27/09/2023
4	**समय**	10:30 बजे	11:00 Hrs.	15:00 बजे.
5	**स्थान**	वीडियो कांफ़्रेंस	वीडियो कांफ़्रेंस	वीडियो कांफ़्रेंस

ii. पिछले वर्षों 2020-21, 2021-22 और 2022-23 से संबंधित वासाबै के दौरान, कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

iii. पिछले वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान, डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया।

17. नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा रखनेवाले निदेशकों के विवरण:

कंपनी अधिनियम और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के तहत यथापेक्षित नियुक्त किए जा रहे निदेशकों के संक्षिप्त जीवन-वृत्त अन्य विवरण बैठक की सूचना के साथ दिए गए हैं।

18. कंपनी ने आईसीएआई द्वारा जारी सभी लेखा मानकों का अनुपालन किया है। कंपनी ने पूंजी बाजार से संबंधित मामलों पर विनियामक प्राधिकरणों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई दंड या संरचना नहीं लगाई गई है, सिवाय इसके कि एनएसई और बीएसई ने सेबी (एलओडीआर) की अपेक्षाओं के अनुसार निदेशकों की संरचना न होने के लिए जुर्माना लगाने की सूचना दी है। बीएसई और एनएसई दोनों से जुर्माना लगाए जाने की समीक्षा करने का अनुरोध किया गया।

19. सेबी (एलओडीआर) के विनियम 22 के अंतर्गत यथा अपेक्षित सतर्कता तंत्र के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि कंपनी इस संबंध में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों द्वारा अभिशासित होती है जिसमें अवैध अथवा अनैतिक व्यवहार की सूचना देने का एक तंत्र विद्यमान है। कर्मचारी विधि, नियम, विनियम या नैतिक आचरण के उल्लंघन के बारे में अपने पर्यवेक्षक, मुख्य सतर्कता अधिकारी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन ऐसी रिपोर्टिंग की गोपनीयता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि सूचना प्रदाता किसी पक्षपाती व्यवहार के शिकार न हो जाएँ। किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति के यहाँ जाने से रोका नहीं किया गया है। सीवीसी में निदेशक (निदेशकों) अथवा कर्मचारी (कर्मचारियों) अथवा तंत्र का लाभ उठाने वाले किसी अन्य व्यक्ति के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षोपाय किए जाने का प्रावधान है। समुचित या असाधारण मामलों में लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक कर्मचारी सीधे जा सकते हैं।

20. समितियों की सभी सिफारिशें बोर्ड द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं।

21. इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता: सेबी (भीतरी कारोबार का प्रतिषेध) विनियमों के अनुसार आंतरिक व्यक्ति से व्यापार की रोकथाम के लिए डीसीआई की अपनी आचार संहिता है। संहिता में ऐसे दिशानिर्देश दिए गए हैं जो प्रबंधन और कर्मचारियों को कंपनी के शेयरों के साथ लेन-देन करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और प्रकटीकरण पर सलाह देते हैं और उन्हें उल्लंघनों के परिणामों के बारे में चेतावनी देते हैं।

22. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता:

बोर्ड ने सेबी विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता को अपनाया है। इस संहिता में इस कंपनी के मामलों के प्रबंधन में आचरणपरक, नीतिपरक और पारदर्शी प्रक्रियाओं के मानकों को विस्तार से निर्धारित किया गया है, जिनका केंद्र विषय पर इस प्रकार है:

इस कंपनी के बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक इस कंपनी के लिए काम करते समय और इस कम्पनी का प्रतिनिधित्व करते समय, उच्च स्तरीय ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, स्वच्छता और नैतिक आचरण का अनुसरण करेंगे जिसमें अपने स्वतंत्र निर्णय के अधीनस्थ नहीं होने देंगे और न्यासीय अनिवार्यताओं को पूरा करेंगे।

इस संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट्ु.वीशवसश-ळपवळर. लेा पर पोस्ट की गई है। इस संहिता को बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधीय अधिकारियों में परिचालित किया गया है और उनके द्वारा इसके अनुपालन की पुष्टि की गई है।

प्रबंध निदेशक से हस्ताक्षरित एक घोषणा-पत्र नीचे दिया जा रहा है:

मैं एतद्वारा पुष्टि करता हू कि इस कंपनी ने बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन से पुष्टि प्राप्त की है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 के संबंध में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन की आचार संहिता का अनुपालन किया है।

श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आईआरटीएस
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. (अतिरिक्त भार)

23. इस कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

24. कंपनी द्वारा संभाले जाने से पहले सभी प्रमुख ठेके विभिन्न सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी में विभिन्न विभागीय स्तरों पर जोखिम मूल्यांकन के अधीन होते हैं।

25. प्रबंधीय विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के अभिन्न अंग बनते हैं।

26. किसी भी भौतिक वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन में बड़े पैमाने पर इस कंपनी के हितभंगकारी किसी वैयक्तिक पक्षपात के बारे में किसी भी वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी से इस मंडल को कोई प्रकटन प्राप्त नहीं हुए।

27. अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में परिवर्तन: मुख्य वित्तीय अधिकारी को वर्ष के दौरान नियुक्त किया गया है।

28. मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मुख्य वित्तीय अधिकारी अर्थात प्रबंध निदेशक - कप्तान एस दिवाकर, मु.का.अ. और श्री के. राजेश, मु.वि.अ. ने वर्ष 2023-24 के लिए सेबी (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियमन 33 (2) (ए) और विनियमन 17 (8) में निहित निर्धारित प्रमाणन दिया है।

29. यह कंपनी प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से समय-सीमा के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को निगमित अभिशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करती रही है।

30. मंडल के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने जून, 2020 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से शेयरों की स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए आवेदन किया है। एक्सचेंज के अनुरोध के अनुसार, स्पष्टीकरण दिए गए हैं। डीलिस्टिंग की पुष्टि की प्रतीक्षा है।

31. सेबी (एलओडीआर) की अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन: कंपनी ने अधिदेशात्मक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

32. सेबी (एलओडीआर) की अनधिदेशात्मक / स्वेच्छानिर्णीत अपेक्षा का अनुपालन - अनुसूची ॥ भाग-ई

A. **बोर्ड:** डीसीआई में एक कार्यकारी प्रबंध निदेशक है। अत: गैर-कार्यपालक अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षालय के निर्वाह का प्रश्न नहीं उठता।

B. **शेयरधारकों के अधिकार:** पिछले छह महीनों में महत्वपूर्ण घटनाओं के सार सहित वित्तीय निष्पादन संबंधी अर्ध-वार्षिक घोषणा, प्रत्येक शेयरधारक को भेजी जाए। वित्तीय परिणाम, निगमित अभिशासन रिपोर्ट, शेयरधारिता रीति, शेयर पूंजी रिपोर्ट का समाधान, वित्तीय परिणामों के लिए मंडल बैठकों की सूचनाएँ, और अन्य सभी संचार, जिन्हें स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करने की आवश्यकता है, ऑनलाइन और कंपनी की वेबसाइट पर भी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पोस्ट किए जाते हैं। अर्धवार्षिक आधार पर महत्वपूर्ण घटनाओं और वित्तीय निष्पादन का सार भेजने की व्यवहार्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।

C. **लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय:** सूचीबद्ध इकाई संशोधित लेखा-परीक्षा राय से वित्तीय विवरणों की प्रवृत्ति के प्रति गतिशील हो सकती है - इस वर्ष की रिपोर्ट में सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई है। कुछ जोर देने योग्य विषय हैं जिनको निदेशकों की रिपोर्ट में स्पष्ट किया जा चुका है।

D. **अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलग-अलग पद:** दिनांक 31 मार्च, 2024 तक इसका अनुपालन किया गया है।

E. **आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग:** आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करें; इसकी जांच की जाएगी।

33. **संबंधित अभिकरणों के साथ लेन-देन:** समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बड़े पैमाने पर ऐसे कोई वित्तीय या अन्य लेन-देन नहीं किए हैं, जिससे व्यापक रूप से इस कंपनी के हितों के प्रति संभावित संघर्ष उत्पन्न हो और/या जो साधारण कार्य व्यापार के दौरान नहीं हों। लेखा मानक - 18 के तहत संबंधित पक्ष लेनदेन के अंतर्गत आने वाले और प्रकटीकरण की आवश्यकता वाले किसी भी निकाय के साथ कोई ऋण/अग्रिम/निवेश या कोई अन्य लेनदेन नहीं हुआ है, जिनमें उनके द्वारा दिए गए प्रकटनों के अनुसार निदेशक रुचि रखते हों। संबंधित पक्ष लेनदेन पर नीति वेबसाइट http://dredge-india.com/files/DCI-POLICY-FOR-RELTED-PRTY-TRNSCTION.pdf पर दर्शाई गई है।

34. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों अथवा किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा न तो कोई दंडशुल्क लगाया गया है और न ही कोई कटु आलोचना की गई है।

35. व्यय संबंधी कोई मद ऐसी लेखा बहियों में नामे नहीं डाली गई जो व्यापार के प्रयोजन के लिए नहीं हो । इसके अलावा, ऐसा कोई भी खर्च नहीं किया गया जो प्रकृति में व्यक्तिगत हो और निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।

36. बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण :- बोर्ड में व्यापक अनुभव रखने वाले कार्यपालक निदेशक तथा प्रबंधन, वित्त, महासागर इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशासन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हैं। कार्यकारी निदेशक औद्योगिक संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेते रहते हैं।

37. गैर-कार्यकारी सदस्यों के मूल्यांकन का तंत्र: सेबी (एलओडीआर) की अपेक्षाओं के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों ने 12/02/2024 को आयोजित अपनी बैठक में गैर-स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन किया।

38. विसिल ब्लोअर नीति: बोर्ड द्वारा अनुमोदित विसिल ब्लोअर नीति कंपनी में अपनाई गई थी और इस कंपनी की वेबसाइट में दर्शाई गई थी।

39. लाभांश वितरण नीति: बोर्ड द्वारा अनुमोदित लाभांश वितरण नीति को इस कंपनी में अपनाया गया और इसे कंपनी की वेबसाइट http://dredge-india.com/files/dciddp.pdf पर दर्शाया गया है।

39. संचार के साधन

i. तिमाही परिणाम

वर्ष 2023-24 के लिए मंडल द्वारा तिमाही परिणामों का विचार किए जाने का अनुसूचीबद्ध कार्यक्रम इस प्रकार है

a) 30 जून, 2023 को समाप्त पहली तिमाही के परिणाम	: 11-08-2023
b) 30 सितंबर, 2023 को समाप्त दूसरी तिमाही के परिणाम	: 07-11-2023
c) 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तीसरी तिमाही के परिणाम	: 13-02-2024
d) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित परिणाम	: 29-05-2024

ii. ये परिणाम घोषणा के समय से 48 घंटे के अंदर बिजनेस स्टैंडर्ड समाचार पत्र में अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशित किए जाते हैं।

iii. इन तिमाही परिणामों को इस कम्पनी के वेबसाइट - www.dredge-india.com पर मंडल द्वारा विचार किए जाने और अभिलेखांकित किए जाने के बाद दर्शाया जाता है।

iv. इस कम्पनी के वेबसाइट - www.dredge-india.com पर कार्यालयीन समाचार, यदि कोई हो, दर्शाया जाता है।

v. इस कम्पनी के वेबसाइट - www.dredge-india.com पर संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के सम्मुख रखे गए प्रस्तुतीकरणों, यदि कोई हों, को दर्शाया जाता है।.

vi. वार्षिक रिपोर्ट सदस्यों और इसके हकदार अन्य लोगों को परिचालित की जाती है। प्रबंधीय विचार-विमर्श और विश्लेषण (एमडीए) रिपोर्ट और निगमित अभिशासन रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के अंश बनते हैं। अध्यक्षीय भाषण वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरधारकों को वितरित किया जाता है। इसे देश के विभिन्न भागों में रहने वाले शेयरधारकों की सूचना के लिए कंपनी की वेबसाइट पर भी दर्शाया जाता है।

vii. **हरित पहल:** यह कम्पनी महत्वपूर्ण संचार शेयरधारियों को ई-मेल द्वारा भेजती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, इलेक्ट्रॉनिक मोड में सभी दस्तावेजों की सेवा की अनुमति देकर, कागज रहित संचार की अनुमति देते हैं। तद्नुसार, कंपनी वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, वार्षिक सामान्य बैठक के आयोजन की सूचना सहित, ई-मेल द्वारा उन शेयरधारकों को भेजेगी जिन्होंने डीपी/आर एंड टी एजेंटों के यहाँ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति का विकल्प चुना है।

41. सामान्य शेयरधारकों की जानकारी

वार्षिक सामान्य बैठक दिनांक, समय और स्थान	:	27 सितंबर 2024 को 1100 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
वित्तीय वर्ष	:	दिनांक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024
बही बंद की तिथि	:	20.09.2024 स 27.09.2024 (दोनों दिनों सहित)
रिमोट ई-वोटिंग की अंतिम तिथि	:	20.09.2024
रिमोट ई-वोटिंग शुरू होने की तारीख और समय	:	24.09.2024 को 9.00 बजे
रिमोट ई-वोटिंग समाप्ति तिथि और समय	:	26.09.2024 को 5.00 बजे

शेयर बाजारों में सूचीकरण :

शेयर बाजार का नाम व पता	:	
नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड	:	DREDGECORP; एक्स्चेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुम्बई - 400051
बीएसई लिमिटेड	:	523618 ; 25वीं मंजिल, नई ट्रेडिंग रिंग, रोटुंडा बिल्डिंग, फिरोज जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001
कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड.	:	14050; 7, लियोन रेंज, कोलकाता -700 001.

i. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान बीएसई और एनएसई को किया गया है. सीएसई से चालान की प्रतीक्षा है।

ii. कंपनी के कर मुक्त बांड बीएसई लिमिटेड, मुंबई के साथ सूचीबद्ध हैं

iii. आईएसआईएन नंबर डीमॉट फ़ार्म में ईक्विटी के लिए	:	आईएनई506ए01018
व्यापार हेतु आईएसआईएन नंबर कर-मुक्त बांडों के लिए आईएसआईएन नंबर	:	आईएनई 506ए07015
iv. स्टॉक कोड	:	523618

v. कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या है: L29222DL1976PLC008129

vi. पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता: सर्वश्री अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड, नई दिल्ली कंपनी के पंजीयक और शेयर अंतरण अभिकर्ता हैं।

vii. **शेयर अंतरण प्रणाली:** शेयर अंतरण की प्रक्रिया के लिए प्रलेखन भाग पंजीयकों द्वारा किया जाता है। रजिस्ट्रार कंपनी की शेयर अंतरण समिति के अनुमोदन के लिए कंपनी को आवधिक रूप से शेयर अंतरण ज्ञापन भेजते रहते हैं। पंजीयकों को समिति के अनुमोदन के संसूचित किए जाने के बाद वे हस्तांतरिती के हित में शेयर प्रमाण-पत्रों को पृष्ठांकित करते हैं और उनको हस्तांतरितियों की सेवा में भेजते हैं। शेयर अंतरणों को पंजीकृत किया जाता है और यदि प्रलेखन सभी पहलुओं में सही और वैध हो तो प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के अंदरशेयर प्रमाण-पत्र प्रेषित किए जाते हैं।

viii. 2023-24 के दौरान बीएसई सेंसेक्स और एनएसई (एस एंड पी सीएनएक्स निफ्टी) की तुलना में कंपनी का बाजारी मूल्य

महीना	बीएसई शेअर मूल्य (₹)		बीएसई सेंसेक्स (एस एंड पी)		एनएसई शेयर प्राइस (₹)		एनएसई (निफ्टी 50)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल-23	332.75	285.55	61,209.46	58,793.08	333.00	284.35	18089.15	17885.30
मई-23	352.85	309.40	63,036.12	61,002.17	353.20	308.65	18662.45	18581.25
जून-23	359.00	313.00	64,768.58	62,359.14	363.85	312.00	19201.70	19024.60
जुलाई-23	376.00	337.00	67,619.17	64,836.16	376.20	337.10	19991.85	19758.40
अगस्त -22	548.35	356.70	66,658.12	64,723.63	548.70	356.65	19795.60	19223.65
सितम्बर -23	562.05	451.00	67,927.23	64,818.37	561.90	450.90	20222.45	19255.70
अक्तूबर-23	539.00	425.05	66,592.16	63,092.98	539.65	426.10	19849.75	18837.85
नवम्बर -23	546.80	454.10	67,069.89	63,550.46	547.00	456.00	20158.70	18973.70
दिसम्बर -23	627.70	506.50	72,484.34	67,149.07	628.70	506.50	21801.45	20183.70
जनवरी-24	929.95	586.15	73,427.59	70,001.60	930.00	585.05	22124.15	21137.20
फरवरी -24	841.00	680.65	73,413.93	70,809.84	843.00	682.50	22297.50	21530.20
मार्च-24	740.00	614.75	74,245.17	71,674.42	739.00	610.00	22526.60	21710.20

स्रोत बीएसई लिमिटेड, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटें

ix. मार्च 31, 2024 तक शेयरधारिता रीति

संवर्ग	मामले	धारिता	ईक्विटी के प्रति %
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक - कॉर्प्स	13	83911	0.3
न्यास	4	39504	0.14
निवासी व्यक्ति	43330	5037444	17.99
बीमा कंपनियां	3	1439292	5.14
प्रवासी भारतीय	633	125899	0.45
निकासी सदस्य	22	83874	0.3
कंपनियों या निगमित निकायों की शेयरधारिता जहां केंद्र / राज्य सरकार एक प्रमोटर है	2	21613	0.08
योग्य संस्थागत खरीददार	0	0	0
प्रवासी भारतीय गैर प्रत्यावर्तनीय	0	0	0
निगमित निकाय	247	311359	1.11
एच यू एफ़	1313	285091	1.02
प्रमोटर - चार पत्तन न्यास	4	20572013	73.47
कुल	**45,571**	**2,80,00,000**	**100**

मार्च 31, 2024 तक शेयरधारिता का वितरण

क्र. सं.	संवर्ग (शेयर)	मामलों की संख्या	मामलों की %	राशि (₹ में)	राशि की %
1	1-5000	47629	99.803	40457060.00	14.4489
2	5001- 10000	40	0.0838	3039280.00	1.0854
3	10001- 20000	31	0.0650	4483530.00	1.6012
4	20001- 30000	7	0.0147	1792220.00	0.6400
5	30001- 40000	1	0.0021	318000.00	0.1135
6	40001- 50000	2	0.0042	843630.00	0.3012
7	50001- 100000	5	0.0105	3220090.00	1.1500
8	100001 से अधिक	8	0.0168	225846190.00	80.6593
	कुल:	**47723**	**100.00**	**28000000**	**99.9995**

x. शेयरों का विभौतिकीकरण / पुनर्भौतिकीकरण और परिसमापनता

कंपनी के शेयरों का कारोबार अनिवार्य रूप से डिमटेरियलाइज्ड रूप में किया जाता है। ₹ 10/- प्रत्येक के 2,80,00,000 पूर्ण प्रदत्त शेयरों में से 2,05,72,013 शेयर (73.47%) चार पोर्ट ट्रस्टों - विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के प्रतिनिधित्व वाले प्रमोटरों की धारिता में हैं और शेष 74,27,987 शेयर (26.53%) अन्यों की धारिता में हैं। वर्ष के दौरान, किसी भी शेयर को पुनर्भौतिकीकृत नहीं किया गया।

xi. 31 मार्च, 2024 तक वस्तुगत/डीमेटीरियलाइज रूपी शेयरधारिता का वितरण निम्नानुसार है:

संवर्ग	धारकों की संख्या	कुल शेयर	ईक्विटी के प्रति %
वस्तुगत	652	1372	0.0049
एन एस डी एल	26254	14891058	53.1824
सी डी एस एल	20817	13107570	46.8127
कुल	**47723**	**28000000**	**100**

xii. बकाये रह गए जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज, परिवर्तन और ईक्विटी पर संभावित प्रभाव: इस कंपनी ने कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज जारी नहीं किए हैं और इसलिए कोई जीडीआर/एडीआर/वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव संबंधी कोई बकाये नहीं है।

xiii. उपयोगी वस्तु मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां: इस कंपनी में एक मजबूत विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है और विदेशी मुद्रा पहलू को नीति की शर्तों के अनुसार बचाव किया जाता है;

xiv. परियोजना स्थान

वर्तमान में, इस कंपनी के परियोजनालय हल्दिया, एन्नोर, मैंगलोर, पारादीप, विशाखपट्टणम, एमएनओ चेन्नई, कोचीन, मुंबई और जेएनपीए में स्थित हैं। इस कंपनी का पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है और प्रधान कार्यालय विशाखपट्टणम में है। जब कभी किसी स्थान की परियोजना सौंपी जाती है, उस स्थान पर एक परियोजना कार्यालय खोला जाता है।

xv. निवेशकों के पत्राचार हेतु पता:

कम्पनी
कंपनी सचिव
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.
कंपनी सचिव विभाग,
निकर्षण सदन, एचबी कॉलोनी मेन रोड,
सीतम्मधारा, विशाखापट्टणम -530022.
दूरभाष: 0891- 2871207/298
ई-मेल : kalabhinetri@dcil.co.in

पंजीयक व अंतरण अभिकर्ता: -
सर्वश्री अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
अलंकित हाउस,
झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली - 110055
दूरभाष: छे. +91-11-42541234
ई-मेल : rta@lankit.com

(पंजीयक व अंतरण अभिकर्ता के साथ किए जानेवाले सभी पत्राचार में कृपया कृपया उल्लेख करें कि इकाई का नाम ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है।)

xvi. सभी ऋण दस्तावेजों/कार्यशील पूंजी के लिए संगत वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी संशोधन के साथ इकाई द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची:

अप्रैल 2023

क्र. सं.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम	प्राप्त रेटिंग
1	मेसर्स केयरएज रेटिंग	• CRE BBB+; Negative / CRE 3+ • CRE 3+

सितम्बर 2023

क्र. सं.	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम	प्राप्त रेटिंग
1	मेसर्स केयरएज रेटिंग	• CRE BBB+; Stable • CRE 3+; Stable • CRE BBB+; Stable/CRE 3+

42. डीमैट उचंत खाता/दावा न किए गए उचंत खाते के संबंध में प्रकटीकरण:

a) वर्ष के आरंभ में शेयरधारकों की सकल संख्या और उचंत खाते में बकाये पड़े शेयर - 2003-04 में भारत सरकार के बिक्री प्रस्ताव द्वारा विनिवेशन से संबंधित 148 शेयरों के लिए 32 मामले।

b) वर्ष के दौरान उचंत खाते से शेयरों के हस्तांतरण के लिए संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या-शून्य

c) वर्ष के दौरान उचंत खाते से कितने शेयरधारकों को शेयर हस्तांतरित किए गए - शून्य

d) वर्ष के अंत में शेयरधारकों की सकल संख्या और उचंत खाते में बकाये पड़े शेयर - 32 मामले - 148 शेयर

e) इन शेयरों पर मतदान अधिकार तब तक जमे रहेंगे जब तक कि ऐसे शेयरों का सही मालिक शेयरों का दावा नहीं करता.

i. निगमित कार्रवाई: 2012-13 से कंपनी द्वारा घोषित लाभांश:

वर्ष	घोषित लाभांश	वर्ष	घोषित लाभांश
2012-13	20% (₹ 2/- प्रति इक्विटी शेयर)	2017-18	20% (₹ 2/- प्रति इक्विटी शेयर)
2013-14	30% (₹ 3/- प्रति इक्विटी शेयर)	2018-19	30% (₹ 3/- प्रति इक्विटी शेयर)
2014-15	30% (₹ 3/- प्रति इक्विटी शेयर)	2019-20	शून्य
2015-16	30% (₹ 3/- प्रति इक्विटी शेयर)	2020-21	शून्य
2016-17	शून्य	2021-22	शून्य
2017-18	शून्य	2022-23	शून्य
2018-19	30% (₹ 3/- प्रति इक्विटी शेयर)	2023-24	शून्य

ii. अदा नहीं किया गया/दावा नहीं किया गया लाभांश: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (1) में प्रावधान है कि कोई भी लाभांश जो सात वर्षों की अवधि तक अदा नहीं किया गया है/दावा नहीं किया गया है, उसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। शेयरधारकों को यह भी सूचित किया गया कि दावा नहीं किए गए लाभांश को जब एक बार आईईपीएफ को हस्तांतरित किया जाता है, उसके विषय में आगे कोई दावा नहीं किया जाएगा। जिन शेयरधारकों ने अभी तक पिछले वर्षों के लिए अपने लाभांश को भुनाया नहीं है, वे इस संबंध में कंपनी या उसके पंजीयक व अंतरण अभिकर्ता को लिख सकते हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने मई 2012 में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (कंपनियों के पास पड़ी अदत्त और दावा न की गई राशि के संबंध में जानकारी अपलोड करना) नियम, 2012 अधिसूचित किया था, जिसके आधार पर प्रत्येक कंपनी को वार्षिकसामान्य बैठक के संपन्न होने के 90 दिनों के भीतर निर्धारित प्रपत्र 5आईएनवी में कंपनी अधिनियम की धारा 125 के तहत संदर्भित सभी भुगतान न की गई और दावा न की गई राशि की जानकारी दर्ज करना आवश्यक है। उसके बाद, एक विवरणात्मक निवेशक-वारी सूचना निवेशक शिक्षाऔर संरक्षण निधि के वेबसाइट में और साथ ही कम्पनी के वेबसाइट में अपलोड करना आवश्यक है। उक्त नियमों के अधीन डीसीआई ने यह सूचना निर्धारित फ़ार्म/प्रपत्र में निगमित व्यवहार मंत्रालय/निवेशक शिक्षा व संरक्षण निधि के वेबसाइट में और डीसीआई के वेबसाइट में भी दर्शाया है।

iii. आईईपीएफ को अंतरित किए जाने के लिए दावा नहीं किए गए लाभांश के विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	घोषणा की तिथि	आईईपीएफ को स्थानांतरण के लिए नियत वित्तीय वर्ष
2014-15	30/09/2015	अक्तूबर 2022
2015-16	30/09/2016	अक्तूबर 2023
2016-17	लाभांश की घोषणा नहीं की गई	
2017-18	13/08/2018	सितंबर 2025
2018-19	08/08/2019	सितंबर 2026
2019-20	लाभांश की घोषणा नहीं की गई	
2020-21	लाभांश की घोषणा नहीं की गई	
2021-22	लाभांश की घोषणा नहीं की गई	
2022-23	लाभांश की घोषणा नहीं की गई	
2023-24	लाभांश की घोषणा नहीं की गई	

43. अन्य सूचना

a) बोर्ड की बैठकें, इसकी समिति बैठकें और प्रक्रिया: कंपनी अधिनियम/सूचीकरण समझौते के तहत यथापेक्षित बोर्ड की और उसकी समिति (समितियों) की बैठकें हर साल आयोजित की जाती हैं। व्यावसायिक अत्यावश्यकताओं या अत्यावश्यक मामलों के विषय में, संकल्पों को परिचालन द्वारा पारित किया जाता है जिन्हें बोर्ड की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाता है। बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जानेवाली सूचना में निम्नलिखित शामिल हैं:

i) वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट और अन्य अद्यतन अंश।

ii) पूंजीगत बजट और अन्य अद्यतन अंश।

iii) इस कंपनी और उसके प्रचालन प्रभागों/व्यावसायिक खंडों के तिमाही परिणाम।

iv) लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

v) मंडल के बिलकुल निकट के निम्न स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक संबंधी सूचना, जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या हटा दिए जाने संबंधी सूचना भी सम्मिलित है।

vi) कारण बताओ, मांग, अभियोजन सूचनाएँ और दंड सूचनाएँ, जो विषयपरक महत्वपूर्ण हैं।

vii) घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरनाक घटनाएं, किसी वस्तु के बहि:स्राव या प्रदूषण संबंधी समस्याएं।

viii) इस कंपनी के प्रति और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी भौतिक चूक, या इस कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के प्रति पर्याप्त गैर-भुगतान।

ix) कोई भी मुद्दा, जिसमें किसी भी निर्णय या आदेश सहित पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक दायित्व दावे शामिल हों, जिनपर कंपनी के आचरण पर कटु आलोचना हुई हो या किसी अन्य उद्यम पर प्रतिकूल

विचार किया गया हो, जिसका कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो।

x) किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते के विवरण।

xi) ऐसे लेन-देन जिनमें ख्याति, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा, यदि कोई हो, के लिए पर्याप्त भुगतान शामिल है।

xii) महत्वपूर्ण श्रमिक समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान। मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध क्षेत्र में मजदूरी समझौते पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन इत्यादि जैसे कोई महत्वपूर्ण विकास।

xiii) निवेशनों, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की वस्तुगत स्वरूपी बिक्री, यदि कोई हो, जो साधारण व्यापारिक क्रम में न हों।

xiv) विदेशी मुद्रागत संव्यवहारों के तिमाही विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन के जोखिमों, यदि महत्वपूर्ण हो, को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।

xv) किसी भी विनियामक, वैधानिक या सूचीकरण अपेक्षाओं और लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी जैसी शेयरधारकों की सेवाओं का अननुपालन इत्यादि।

xvi) मंडल की समितियों के संदर्भगत शर्तें।.

b) मंडल और इसकी समितियों की बैठकों की कार्यसूची: इस कंपनी के सभी विभागों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने कार्यों की योजना अग्रिम रूप से अच्छी तरह से बना लें, विशेष रूप से उन मामलों के संबंध में जिनमें चर्चा/अनुमोदन/निर्णय या बोर्ड/समिति की बैठकों में जानकारी की आवश्यकता होती है। बोर्ड के सदस्यों को संगठन संबंधी सारी जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाती है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अन्य कार्यकारी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के परामर्श से मंडल की बैठकों की कार्यसूची पत्रों को अंतिम रूप देते हैं जिन्हें बाद में बोर्ड/समिति के सदस्यों को परिचालित करने के लिए अग्रिम रूप से कंपनी सचिव को सूचित किया जाता है। बोर्ड की कार्यसूची जिसमें बोर्ड टिप्पणियां, प्रबंधन रिपोर्टें और अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल होती हैं, निदेशकों को अग्रिम रूप से परिचालित की जाती हैं। विशेष और अपवादात्मक परिस्थितियों में, कार्यसूची में अतिरिक्त या अनुपूरक मद (मदों) की अनुमति है। संवेदनशील विषयों पर, बिना लिखित सामग्री पहले से प्रसारित किए, बैठक में विचार-विमर्श/चर्चा की जा सकती है।

a) बैठक के बाद अनुवर्ती तंत्र : बोर्ड/समिति द्वारा नोट किए जाने हेतु पिछली बैठक (बैठकों) के निर्णयों/कार्यवृत्त पर अनुवर्ती रिपोर्ट बोर्ड/समिति की तुरंत बाद की बैठक में प्रस्तुत की जाती है।

b) बोर्ड और समिति की बैठकों में कार्यवाही के कार्यवृत्त की रिकॉर्डिंग: कंपनी सचिव प्रत्येक बोर्ड और समिति की बैठक की कार्यवाही के कार्यवृत्त रिकॉर्ड करता है। इस कार्यवृत्त के मसौदे को बोर्ड के सभी सदस्यों और समिति की बैठकों में टिप्पणियों और अनुमोदन के लिए परिचालित किया जाता है। कार्यवृत्त की पुष्टि बोर्ड/समिति की अगली बैठक में की जाती है और बाद में उस बैठक के समापन से 30 दिनों के भीतर कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज की जाती है।

c) शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का सामंजस्य: स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण समझौते की अपेक्षाओं के अनुसार, डिपॉजिटरी और कंपनी की कुल जारी और सूचीबद्ध पूंजी दोनों के साथ कुल स्वीकृत पूंजी के सामंजस्य के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 में सभी तिमाहियों के लिए तिमाही आधार पर एक सचिवीय लेखा परीक्षा की जाती है। सर्वश्री अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, नई दिल्ली से प्राप्त शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मिलान सभी तिमाहियों के लिए मुंबई, कलकत्ता और नेशनल स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया गया और इसे बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत भी किया गया।

d) वित्तीय परिणाम एनईएपीएस और बीएसई ऑनलाइन फाइलिंग की वेबसाइटों में दायर किए जाते हैं।

e) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान किया गया कुल शुल्क ₹ 10.40 लाख है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है।

f) अधिनियम के प्रावधानों और इन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर जारी किए जानेवाले ऐसे निर्देशों और/या अनुदेशों के अधीन, इस कंपनी का कारोबार निदेशक मंडल द्वारा संभाला जाता है जो ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे सभी कार्य कर सकता है जो कंपनी करने के लिए अधिकृत है और जो इस कम्पनी के व्यापार के सही संचालन के लिए उन सभी शक्तियों को, यथा-आवश्यक, अध्यक्ष और/या प्रबंध निदेशकों को, समय-समय पर प्रत्यायोजित करें। तदनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य कार्यकारी निदेशकों को भी कतिपय शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। कंपनी का दिन-प्रतिदिन का व्यवसाय प्रबंधन द्वारा इन प्रत्यायोजित शक्तियों के आधार पर चलाया जाता है। एमडी ने इनमें से कुछ शक्तियों को अपने अधीन कार्यरत कार्यकारी और परियोजना अध्यक्षों को सौंप दिया है।

g) इस कंपनी के लिए लागू कानूनों के अनुपालन के संबंध में यह पुष्टि की जाती है कि इस कंपनी को किसी भी कानून के अनुपालन में गैर-अनुपालन / चूक की कोई विशिष्ट घटना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

h) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण:

(a) वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या - शून्य

(b) वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या - शून्य

(c) वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या। शून्य

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / मुख्य वित्तीय अधिकारी का प्रमाणन

हम, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (अतिरिक्त भार) की क्षमता में श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आईआरटीएस, और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी की क्षमता में श्री ई किरण मंडल को यह प्रमाणित करते हैं कि:

(a) हमने वर्ष 2023-24 की वित्तीय विवरणियाँ और नकद प्रवाह विवरणी की समीक्षा की है और यह हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

  i) इन विवरणियों में वस्तुगत रूप से कोई असत्य कथन नहीं है या कोई भौतिक तथ्य छोड़ा नहीं गया है अथवा कोई भ्रामक कथन नहीं है।

  ii) ये विवरणियाँ एक साथ इस कंपनी के व्यवहारों का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और विद्यमान लेखाकरण मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(b) हमारे अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान इस कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता के प्रति उल्लंघन हो।

(c) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और उन्होंने ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हो, जिसके बारे में वे जानते हैं और इन कमियों को सुधारने के लिए उन्होंने जो उपाय किए हैं या करने का प्रस्ताव रखते हैं, के बारे में लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को प्रकट किया है।

(d) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है कि :

  (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

  (ii) वर्ष के दौरान लेखाकरणगत नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं और उनको वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रकट किया गया है; और

  (iii) ऐसे कोई कपटपूर्ण दृष्टांत नहीं हैं जिनके बारे में वे जानते हैं और जिनमें प्रबंधन ने या किसी कर्मचारी ने सम्मिलित होकर वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाई हो।

-ह0/-
(श्री ई.किरण)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

-ह0/-
(श्री दुर्गेश कुमार बे, आईआरटीएस)
प्रबंध निदेशक और मु.का.अ. (अतिरिक्त भार)

स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक : 29/05/2024

निदेशकों की ग़ैर–अयोग्यता संबंधी प्रमाण पत्र

(सेबी (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियमन 34(3) और अनुसूची v पैरा–सी खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,

सदस्य

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोर –2,

पहली मंजिल, स्कोप मीनार, प्लॉट नंबर 2 ए और 2 बी, लक्ष्मीनगर जिला केंद्र,

दिल्ली–110091

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 विनियमन 34 (3) और साथ ही अनुसूची v पैरा–सी उप खंड 10 (i) के अनुसरण में यह प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नि.प.सं. एल29222डीएल1976पीएलसी008129, जिसका पंजीकृत कार्यालय **कोर–2, प्रथम तल, स्कोप मीनार, प्लॉट नंबर 2ए और 2बी, लक्ष्मी नगर, जिला केंद्र, दिल्ली –110091** में स्थित है (इसके बाद 'कंपनी' के नाम से संदर्भित), **के निदेशकों से प्राप्त** इस कंपनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किए गए संगत बहियों, अभिलेखों, फ़ॉर्मों, विवरणियों और प्रकटनों **की** हमने **जांच की है**।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और यथा–आवश्यक समझी जानेवाली जाँचों (निदेशक पहचान संख्या (नि.प.सं.) पोर्टल www.mca.gov.in की स्थिति सहित), इस कंपनी और इसके निदेशकों / अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण/अभ्यावेदनों के अनुसार, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, नीचे दिए गए अनुसार, कंपनी के बोर्ड के कोई भी निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा इस कंपनी के निदेशकों के रूप में नियुक्त होने या निदेशक के रूप में जारी रहने से 2024 को वंचित या अयोग्य नहीं ठहरते हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या	कम्पनी में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री उन्मेष शरद वाघ	08805348	17.01.2024
2.	सुश्री नूतन गुहा बिस्वास	03036417	22.12.2020
3.	श्री अरुण कुमार गुप्ता	03310218	04.07.2022
4.	श्री संजय कुमार मेहता	06912891	08.05.2019
5.	श्री विनोद कुमार पिपरसेनिया	07280306	26.05.2022
6.	श्री हरनाध लक्ष्मी पोलमराजु	07295378	23.10.2021
7.	श्री लव वर्मा	07560071	28.02.2023
8.	श्री मधैयान अंगमुथु	06549030	19.05.2023
9.	श्री रजत सचर	09616779	26.05.2022
10.	कप्तान एस दिवाकर	09675405	13.10.2022

मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निदेशक के जारी रहने की योग्यता को सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाण पत्र इस कंपनी को भविष्य में चला सकने के लिए न तो आश्वासन है और न ही इस कम्पनी के व्यवहार चलाने में प्रबंधन समिति की दक्षता या प्रभावात्मकता के लिए।

कृते अग्रवाल एस एसोसिएटस,
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनिक कोड: पी2003डीई049100
Peer Review Cert. No.: 2725/2022

–ह0/–
सीएस अंजलि
एसीएस नं.:65330
सी पी नं..:26496

दिनांक:10.07.2024
स्थान: नई दिल्ली
यूडीआईएन: ए065330एफ000708181

निगमित अभिशासन संबंधी प्रमाण–पत्र

सेवा में

सदस्य,

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड

1. हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 (इसके बाद सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के रूप में कहा जाता है) के विनियम 17 से 27, 46 (2) (बी) से (आई) और अनुसूची त के अनुच्छेद सी और डी में यथा–विनिर्दिष्ट, दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए **ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (सीआईएन: L29222DL1976PLC008129) द्वारा निगमित अभिशासन संबंधी शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

2. निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन इस कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच उक्त खंड और दिशानिर्देशों में निर्धारित निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इस कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित रही है। यह न तोलेखा–परीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय की अभिव्यक्ति है।

3. हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि इस कंपनी ने नीचेदिए गए मदों को छोड़कर, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, 46 (2) (बी) से (आई) तक और अनुसूची 5 के अनुच्छेद सी और डी में यथा–विनिर्दिष्ट, निगमित अभिशासन संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है :

   I. *भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 23(9) के अनुसार, सूचीकृत संगठन बोर्ड द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट प्रारूप में स्टॉक एक्सचेंजों को संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटीकरण से संबंधित अपेक्षा का अनुपालन करेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। अब निगमित अभिशासन प्रमाणपत्र की जारी की तिथि तक इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है।*

   II. *कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) और साथ ही सेबी (एलओडीआर), विनियमन, 2015 के विनियमन 17(10) का ग़ैर–अनुपालन, इस कंपनी ने सेबी विनियमन में यथा–निर्धारित, स्वतंत्र निदेशक और समिति का निष्पादन–मूल्यांकन नहीं किया है, हालांकि 12 फरवरी 2024 की स्वतंत्र निदेशक बैठक ने गैर–कार्यकारी निदेशकों और बोर्ड का समग्र रूप से निष्पादन मूल्यांकन किया है।*

   III. *भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं की सूची में शामिल होने के कारण यह कंपनी लाभांश वितरण नीति बनाने में विफल रही है तथा उसने उक्त नीति को कंपनी की वेबसाइट पर नहीं डाला है। अब निगमित अभिशासन प्रमाणपत्र की जारी की तिथि तक इसे कंपनी की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है।*

4. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियमन, 2015 के विनियम 17(1), 33 और 43ए का अनुपालन न करने पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जिसके खिलाफ कंपनी के प्रबंधन ने लगाए गए जुर्माने की माफी के लिए क्रमशः 11.01.2024, 17.01.2024, 20.06.2023, 31.10.2023, 16.11.2023 और 02.01.2024 को ई–मेल के माध्यम से एनएसई को सूचना/प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है।

5. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटन प्रस्तुत करने में देरी के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 23(9) का अनुपालन न करने के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया, जिसके खिलाफ कंपनी ने उल्लेख किया कि यह गैर–अनुपालन न तो किसी लापरवाही या चूक के कारण था, बल्कि केवल कंपनी द्वारा सामना किए गए तकनीकी मुद्दों के कारण था और जुर्माना माफ करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से अनुरोध किया।

6. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने कंपनी को नोटिस जारी कर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियमन, 2015 के विनियम 21(3सी), 24ए, 30, 50(1), 52 और 54(2) का अनुपालन न करने पर जवाब मांगा है, जिसके खिलाफ इस कंपनी के प्रबंधन ने स्टॉक एक्सचेंजों को उनके विचारार्थ दिनांक 17.01.2024 के पत्र(पत्रों) के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, हालांकि कंपनी को बीएसई से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

7. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने कंपनी को नोटिस जारी किया है, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण), विनियमन, 2015 के नियम 27(2), और 30 का अनुपालन न करने के लिए जवाब मांगा गया है और कंपनी के प्रबंधन ने स्टॉक एक्सचेंजों को उनके विचार के लिए दिनांक 17.01.2024 के पत्र(पत्रों) के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है, हालांकि कंपनी को एनएसई से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

8. हमारे आगे का कथन है कि इस तरह का अनुपालन प्रमाण पत्र न तो इस कंपनी को भविष्य में चला सकने के लिए आश्वासन है या न ही इस कम्पनीके व्यवहार चलाने में प्रबंधन समिति की दक्षता या प्रभावशीलता के लिए जिससे इस कम्पनी को संभाला।

कृते अग्रवाल एस एसोसिएटस,
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई यूनिक कोड: पी2003डीई049100
Peer Review Cert. No.: 2725/2022

-ह0/-
सीएस अंजलि
एसीएस नं.:65330
सी पी नं..:26496

दिनांक:10.07.2024
स्थान: नई दिल्ली
यूडीआईएन: ए065330एफ000708181

अनुलग्नक–1

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

खंड ए: सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीकृत संस्था के विवरण

1	सूचीकृत संस्था की निगमित पहचान संख्या (सीआईएन)	L29222DL1976PLC008129
2	सूचीकृत संस्था का नाम	**ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**
3	स्थापना वर्ष	1976
4	पंजीकृत कार्यालय का पता	कोर -2, पहली मंजिल, स्कोप मीनार, प्लॉट नंबर 2 ए और 2 बी, लक्ष्मी नगर जिला केंद्र, दिल्ली- 110092
5	निगमित पता	ड्रेज हाउस, एचबी कॉलोनी मेन रोड, सीतम्मधारा, विशाखपट्टणम- 530022
6	ई-मेल	kalabhinetri@dcil.co.in
7	दूरभाष	0891-2871298
8	वेबसाइट	https://www.dredge-india.com/
9	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2023-24
10	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीकृत हैं	बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड; नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड; कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीएसई)। कंपनी ने सीएसई से अपने शेयरों को स्वैच्छिक रूप से सूची से हटाने के लिए आवेदन किया है और पुष्टि की प्रतीक्षा है।
11.	प्रदत्त पूँजी	रु. 28 करोड़
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट के किसी भी प्रश्न के विषय में संपर्क किया जा सकता है	श्री दुर्गेश कुमार दूबे, प्रबंध निदेशक और मु.का.अ. (अतिरिक्त भार) 0891-2871327, dredgingdcil.co.in;
13.	रिपोर्टिंग सीमा- क्या इस रिपोर्ट के तहत प्रकटन एक स्टैंडअलोन आधार पर (अर्थात केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर किए गए हैं (अर्थात इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का एक हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है):	स्टैंडअलोन आधार क्योंकि कंपनी की कोई होल्डिंग, सहायक या सहयोगी नहीं है.
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	लागू नहीं
15.	आश्वासन प्रदाता का प्रकार	लागू नहीं

II. उत्पाद/सेवाएं

16. **व्यावसायिक गतिविधियों के विवरण (पण्यावर्त का 90% हिस्सा)**

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के पण्यावर्त का%
1.	निकर्षण	निकर्षण	100%

17. **इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के कारोबार का 90% हिस्सा)**

क्र. सं.	उत्पाद/सेवाएं	एनआईसी कोड	कुल पण्यावर्त का % योगदान दिया
1.	निकर्षण	63012	100%

III. प्रचालन:

18. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई का संयंत्र और/या प्रचालन/कार्यालय स्थित हैं

स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	11	11
अतर्राष्ट्रीय	लागू नहीं	शून्य	शून्य

19. इकाई द्वारा दी गई बाजारी सेवाएँ

a. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (शेयरों की संख्या)	11
अतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	शून्य

b. इकाई के कुल पण्यावर्त की प्रतिशतता के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

c. ग्राहकों के प्रकारों पर एक संक्षिप्त विवरण

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) भारत में देश के प्रधान पत्तनों को ड्रेजिंग सेवाएं प्रदान करता है। डीसीआई ड्रेजिंग और समुद्री विकास के क्षेत्र में एक अग्रणी संगठन है। डीसीआई के ग्राहक आधार में घरेलू प्रचालनों के लिए भारत सरकार के तहत विविध मंत्रालय, विभाग और संस्थान शामिल हैं.

IV. कर्मचारी :

20. वित्तीय वर्ष के अंत तक के विवरण

a. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांग सहित)

क्र. सं.	विवरण	कुल (A)	पुरुष		स्त्री	
			संख्या (B)	% (B / A)	संख्या (C)	% (C / A)
		कर्मचारी (तटीय)				
1.	स्थायी (D)	172	141	82%	31	18%
2.	स्थायी से अन्य (E)	49	41	83.67%	8	16.33%
3.	**कुल कर्मचारी (D + E)**	**221**	**182**	**82.83%**	**39**	**17.16%**
		कर्मचारी (जहाजी)				
1.	स्थायी (D)	76	76	100%	0	0
2.	स्थायी से अन्य (E)	310	308	99.35%	02	0.64%
3.	**कुल कर्मचारी (D + E)**	**386**	**384**	**99.67%**	**02**	**0.51%**
		श्रमिक				
4.	स्थायी (F)	-	-	-	-	-
5.	स्थायी से अन्य (G)	-	-	-	-	-
6.	**कुल कर्मचारी (F+G)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

b. दिव्यांग और श्रमिक

क्र. सं.	विवरण	कुल (A)	पुरुष		स्त्री	
			संख्या (B)	% (B / A)	संख्या (C)	% (C / A)
		दिव्यांग कर्मचारी (तटीय)				
1.	स्थायी (D)	2	2	100%	0	0
2.	स्थायी से अन्य (E)	1	0	0	1	100%
3.	**कुल दिव्यांग (D+E)**	**3**	**2**	**66.66%**	**1**	**33.33%**
		दिव्यांग कर्मचारी (जहाजी)				
1.	स्थायी (F)	-	-	-	-	-
2.	स्थायी से अन्य (G)	-	-	-	-	-
3.	**कुल दिव्यांग (F+G)**					
		दिव्यांग श्रमिक				
4.	स्थायी (F)	-	-	-	-	-
5.	स्थायी से अन्य (G)	-	-	-	-	-
6.	**कुल दिव्यांग (F+G)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

21. **महिलाओं की भागीदारी/समावेशन/प्रतिनिधित्व**

विवरण	कुल (A)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशतता	
		संख्या (B)	% (B / A)
निदेशक मंडल	10	1	14.28%
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	3	1	33.33%

22. **स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए पण्यावर्त दर**

विवरण	(2023-24 में पण्यावर्त दर)			(2022-23 में पण्यावर्त दर)			(2021-22 में पण्यावर्त दर)		
	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल	पुरुष	स्त्री	कुल
स्थायी कर्मचारी	7.64	0	6.41	7.47	6.25	7.28	3.74	5.58	4.07
स्थायी जहाजी	11.84	0	11.84	18.82	0	18.82	7	0	7

V. होल्डिंग, सहायक और एसोसिएट कंपनियां (संयुक्त उद्यमों सहित):

23. **(a) होल्डिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों के नाम**

क्र. सं.	होल्डिंग / सहायक / सहयोगी कंपनियों / संयुक्त उद्यमों का नाम (A)	संकेत करें कि होल्डिंग/ सहायक/एसोसिएट/संयुक्त उद्यम	सूचीकृत इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम A में इंगित इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक उत्तरदायित्व पहलों में भाग लेती है? (हाँ/नहीं)
1.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

VI. सीएसआर विवरण:

24. (i) **क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां/नहीं)**

हां, कंपनी में सीएसआर लागू होता है।

(ii) **कुल पण्यावर्त (रु. में)**

रु. 94,880.98 लाख (दिनांक 31.03.2024 तक);

(iii) **निवल मूल्य (रु. में)**

रु. 1,26,360.22 लाख (दिनांक 31.03.2024 तक).

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन:

25. **जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें :**

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र अमल में है (हाँ / नहीं) (यदि हो, तो शिकायत निवारण नीति का वेब-लिंक दें	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ
समुदाय	जी हाँ, https://pgportal. gov.in/	24	1	ये शिकायतें सीपीजीआरएएस पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किए जाते हैं	58	5	ये शिकायतें सीपीजीआरएएस पोर्टल के माध्यम से ट्रैक किए जाते हैं
निवेशक (शेयरधारकों से अन्य)	जी हाँ, https://www. dredge-india.com/	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-
शेयरधारी	जी हाँ, https://www. dredge-india.com/	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र अमल में है (हाँ / नहीं) (यदि हो, तो शिकायत निवारण नीति का वेब-लिंक दें	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	वर्ष समाप्ति पर समाधान हेतु लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियाँ
कर्मचारी और श्रमिक	जी हाँ,, hodhrdcil.co.in	1	1	लागू नहीं	2	2	लागू नहीं
ग्राहक	जी हाँ,, https://www.dredge-india.com/	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-
मूल्य श्रृंखला भागीदार	जी हाँ,, https://www.dredge-india.com/	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-
अन्य (कृपया बताएँ)	जी हाँ, https://www.dredge-india.com/	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-

26. **इकाई की सामग्री जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण समस्याओं का अवलोकन:**

कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर पेश करते हैं, उसी की पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के लिए दृष्टिकोण, इसके वित्तीय निहितार्थों के साथ, निम्नलिखित प्रारूप में दें:

क्र. सं.	पहचाना गया भौतिक मुद्दा	जोखिम हो या अवसर संकेत करें (जोखिम/ अवसर)	जोखिम / अवसर की पहचान के लिए तर्क	यदि जोखिम हो, तो उसको अनुकूलित करने या कम करने के लिए	जोखिम या अवसर का वित्तीय प्रभाव (इंगित करें कि सकारात्मक है या नकारात्मक)
1.	पर्यावरण	जोखिम	तेल और गैस उद्योग में बढ़ती मांग के कारण ड्रेजिंग उद्योग और भारतीय समुद्री क्षेत्र में मजबूत वृद्धि की संभावना है। ये उद्योग अन्वेषण, निष्कर्षण, शोधन और परिवहन गतिविधियों में लगे हुए हैं। नौगम्य जलमार्गों को बनाए रखने, अपतटीय बुनियादी ढांचे के निर्माण और प्रबंधन और माल के कुशल परिवहन को सुनिश्चित करने में ड्रेजिंग महत्वपूर्ण है। कचरे के संचय और उच्च ज्वार से जहाजों की आवाजाही का जोखिम बढ़ जाता है जो अंततः परिवहन गतिविधियों को प्रभावित करेगा।	उत्पाद नवाचार ड्रेजिंग बाजार में एक प्रमुख प्रवृत्ति के रूप में उभर रहा है और प्रमुख कंपनियां अत्याधुनिक समाधानों के विकास को प्राथमिकता दे रही हैं। अनुकूलित विकल्प विशिष्ट ड्रेजिंग संचालन के लिए तैयार किए गए हैं। जल निकायों से तलछट, मलबे और सामग्री को हटाने के लिए विशेषीकृत ड्रेजिंग पंप, ड्रेजिंग संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं।	नकारात्मक वित्तीय प्रभाव
2.	मानव संसाधन	जोखिम / अवसर	संस्कृति, संगठनात्मक संरचना, भर्ती, निष्पादन प्रबंधन, पारिश्रमिक, सीखना और विकास, सहायक प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित प्रतिधारण महत्वपूर्ण हैं।	सांस्कृतिक और संगठनात्मक संरचना को समझने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। नियमित अंतराल पर शिक्षण और विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं	सकारात्मक / नकारात्मक वित्तीय प्रभाव

क्र. सं.	पहचाना गया भौतिक मुद्दा	जोखिम हो या अवसर संकेत करें (जोखिम/अवसर)	जोखिम / अवसर की पहचान के लिए तर्क	यदि जोखिम हो, तो उसको अनुकूलित करने या कम करने के लिए	जोखिम या अवसर का वित्तीय प्रभाव (इंगित करें कि सकारात्मक है या नकारात्मक)
3.	सामग्री	जोखिम / अवसर	खरीद प्रक्रिया, आंतरिक और बाहरी रसद और परिवहन, गुणवत्ता नियंत्रण, आउटसोर्सिंग और विक्रेता संबंध कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों का अंतर्निहित हिस्सा हैं।	घिसाव प्रतिरोधी भागों और एक कुशल प्रेरकों के साथ डिज़ाइन किया गया ड्रेजिंग पंप अलग-अलग पानी की गहराई वाले क्षेत्रों में तेज़ और आसान प्रचालनों की सुविधा देता है। चैनलों को गहरा करने, मशीनीकरण और अधिक बर्थ बनाने जैसे मूल संरचनाओं से ड्रेजिंग उद्योग की मांग बढ़ेगी। नए ग्रीन फील्ड पत्तनों के निर्माण से घरेलू बाजार में ड्रेजिंग की मांग भी बढ़ेगी।	सकारात्मक / नकारात्मक वित्तीय प्रभाव
4.	प्रौद्योगिकी	अवसर	शुष्क गोदीकरण योजना, ड्रेजर्स के स्वास्थ्य को बनाए रखना.	ड्रेजिंग प्रचालनों को विकसित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। उन्नत ड्रेजिंग प्रौद्योगिकियों और उपकरणों को अपनाने से दक्षता में सुधार होगा और बड़े जहाजों को समायोजित करके अधिक कार्गो को संभालने में मदद मिलेगी।	सकारात्मक वित्तीय प्रभाव.
5.	परियोजना प्रबन्धन	अवसर	विशिष्ट परियोजना लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संसाधनों की योजना बनाना, उन्हें संगठित करना और उनका प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है।	सागरमाला परियोजना और राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना ने ड्रेजिंग क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा किए हैं। - वैश्विक बेंचमार्क के रूप में उन्नति परियोजना को 12 महा पत्तनों के लिए दक्षता और उत्पादकता केपीआई में सुधार करने के लिए अपनाया गया था। दक्षता सुधार के माध्यम से 100 एमटीपीए से अधिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए 12 महा पत्तनों में लगभग 116 पहलों की पहचान की गई थी। जिनमें से 80 एमटीपीए से अधिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए 93 पहलों को लागू किया गया है। सभी 12 महा पत्तनों के लिए मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया गया है।	सकारात्मक वित्तीय प्रभाव

क्र. सं.	पहचाना गया भौतिक मुद्दा	जोखिम हो या अवसर संकेत करें (जोखिम/ अवसर)	जोखिम / अवसर की पहचान के लिए तर्क	यदि जोखिम हो, तो उसको अनुकूलित करने या कम करने के लिए	जोखिम या अवसर का वित्तीय प्रभाव (इंगित करें कि सकारात्मक है या नकारात्मक)
6.	समुद्री क्षेत्र	अवसर	भारतीय निकर्षण उद्योग मुख्य रूप से अपने महा और लघु पत्तनों आने वाली ड्रेजिंग मांग से प्रेरित है। मूल संरचनाओं में सुधार से निकर्षण उद्योग की मांग बेगी।	भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे लाने के उद्देश्य से, पत्तन, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 (एमआईवी 2030) तैयार किया है, जो अगले दशक में भारत के समुद्री क्षेत्र के समन्वित और त्वरित विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक खाका है। एमआईवी 2030 में भारतीय समुद्री क्षेत्र के सभी पहलुओं को कवर करने वाले 10 विषयों में 150 से अधिक पहलों की पहचान की गई है और यह राष्ट्रीय समुद्री उद्देश्यों को परिभाषित करने और पूरा करने के लिए एक व्यापक प्रयास है।	सकारात्मक वित्तीय प्रभाव
7.	विपणन/ निविदा, संविदा प्रबंधन	अवसर	भारतीय ड्रेजिंग कंपनियाँ कुल मिलाकर निर्वाहगत निकर्षण बाजार तक ही सीमित हैं। निर्वाहगत निकर्षण बाजार बहुत छोटा है, जिसमें सभी आकार और साइज़ के अनुगामी चूषण ड्रेजर और अलग-अलग मूल के लोग एक ही पाई के पीछे भाग रहे हैं। प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र है कि मूल्य युद्ध में अंत में केवल हारने वाले ही होंगे.	हाल ही में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किए गए विकास और भारतीय समुद्री क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार के फोकस से ड्रेजिंग उद्योग को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है। भारतीय पत्तन बड़े जहाजों को समायोजित करके अधिक कार्गो को संभालने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए पत्तन संरचना में अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने की आकांक्षा रखते हैं।	सकारात्मक वित्तीय प्रभाव.
8.	सूचना प्रौद्योगिकी/ सुरक्षा	जोखिम / अवसर	आईटी जोखिम में आईटी रणनीति, नेटवर्क, समर्थन प्रणाली, इंटरफेस, डेटा विश्वसनीयता, एक्सेस नियंत्रण आपदा रिकवरी जैसे मुद्दे शामिल हैं, साइबर सुरक्षा, डेटा हानि, धोखाधड़ी, सिस्टम आउटेज, गोपनीयता का उल्लंघन, कानूनी / नियामक उल्लंघन, साथ ही डेटा अखंडता से जुड़े जोखिम।	कंपनी नियमित आधार पर अपने सभी व्यवसायों के लिए गोपनीयता प्रभाव विश्लेषण आयोजित करती है। कंपनी द्वारा किए गए उपायों में रणनीति शामिल है यह सुनिश्चित करने के लिए कि सुरक्षा पूरी तरह से इसके प्रचालनों में एकीकृत है।	सकारात्मक / नकारात्मक वित्तीय प्रभाव।
9.	वित्त	अवसर	पूंजी संरचना, पूँजी आबंटन, राजस्व का वित्तीय प्रबंधन, देनदार का प्रबंधन, विदेशी मुद्रा, हेजिंग पर समय पर कार्रवाई और वित्तीय विवरणों की तैयारी एक फायदा है।	मजबूत वित्तीय निष्पादन राजस्व वृद्धि, पूंजी तक पहुंच और बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ की अनुमति देता है।	सकारात्मक वित्तीय प्रभाव

क्र. सं.	पहचाना गया भौतिक मुद्दा	जोखिम हो या अवसर संकेत करें (जोखिम/ अवसर)	जोखिम / अवसर की पहचान के लिए तर्क	यदि जोखिम हो, तो उसको अनुकूलित करने या कम करने के लिए	जोखिम या अवसर का वित्तीय प्रभाव (इंगित करें कि सकारात्मक है या नकारात्मक)
10.	विनियामक मुद्दे और अनुपालन	जोखिम	विनियामक अनुपालन वह आधार है जिस पर कंपनी की छवि बनती है। कंपनी के लिए विनियामक अनुपालन बनाए रखना, अपने हितधारक समूहों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कानूनी उल्लंघनों को रोकने के लिए इसके प्रचालन लागू कानूनों के अनुरूप हैं।	कंपनी ने डिजिटल रूप से सक्षमव्यापक अनुपालन प्रबंधन ढांचा अपनाया है। वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रभावी नियंत्रण और कुशल निरीक्षण को गतिविधि के अंतिम कलाकार तक जिम्मेदारी मैट्रिक्स को कैस्केडिंग करके सुनिश्चित किया जाता है। कंपनी की आचरण संहिता, प्रशिक्षण के साथ-साथ 100% अनुपालन और निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने से एक परिपक्व, डिजिटल रूप से सक्षम अनुपालन ढांचा सक्षम हुआ है।	नकारात्मक वित्तीय प्रभाव

खंड बी: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने की दिशा में संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में मदद करना है।

प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ									
1. a. क्या आपकी इकाई की नीति/नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को कवर करती हैं? (हाँ/नहीं)	हां, प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्व कंपनी की एक या अधिक नीतियों द्वारा कवर किए जाते हैं।								
b. क्या बोर्ड द्वारा यह नीति अनुमोदित की गई है? (हाँ/नहीं)	हां, नीतियां बोर्ड/बोर्ड समिति / कार्यकारी समिति द्वारा यथा-प्रयोज्य अनुमोदित की जाती हैं।								
c. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	कंपनी की कॉर्पोरेट नीतियां https://dredge-india.com/ पर उपलब्ध हैं। कंपनी की कुछ नीतियां केवल कर्मचारियों और अन्य आंतरिक हितधारकों के लिए सुलभ हैं।								
2. क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में रूपांतरित किया है। (हाँ नहीं)	अधिकांश नीतियों को उन प्रक्रियाओं के माध्यम से लागू किया जाता है जो या तो नीतियों में शामिल की जाती हैं या अलग दस्तावेजों / एसओपी / प्रक्रियाओं के रूप में उपलब्ध होती हैं।								
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक फैली हुई हैं? (हाँ/नहीं)	हां, आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों की आचरण संहिता मूल्य श्रृंखला भागीदारों पर लागू कंपनी की नीतियों के प्रमुख पहलुओं को कवर करती है। इसके अलावा, कंपनी की कुछ अन्य नीतियां जैसे कि विक्रेता और चैनल भागीदारों के लिए व्हिसलब्लोइंग पॉलिसी प्रासंगिक के रूप में भी आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित की जाती हैं।								
4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड / प्रमाणन / लेबल / मानकों का नाम (उदाहरण के लिए वन प्रबंधन परिषद, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टिया) मानक (उदाहरण के लिए SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) जो आपकी संस्था द्वारा अपनाए गए हैं और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किए गए हैं.	कंपनी द्वारा अपनाए गए कुछ मानक, प्रमाणन, कोड इस प्रकार हैं: पी 1: आईएसएम, आईएसपीएस, आईएसओ-9001, आईएसओ -14001; पी 2: आईएसओ -9001; पी 3: आईएसएम, एमएलसी -2006; पी 4: आईएसओ -9 001, आईएसओ -14001, आईएसपीएस; पी 5: लागू नहीं; पी 6: आईएसओ -14001; पी 7: आईएसओ -9001, आईएसओ -14001; पी 8: एन / ए; पी 9: आईएसओ -9 001, आईएसओ -14001.								

प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
5. परिभाषित समयसीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं और लक्ष्य, यदि कोई हों	**पी 3: कर्मचारी:** -2025 तक शून्य घटनाएँ -कर्मचारी पण्यावर्त:<2025 तक 5 % स्वैच्छिक संघर्षण -2025 तक कार्यबल में 18% महिलाएं **पी 4: हितधारकों की व्यस्तता:** -2025 तक 3.80/5 की कर्मचारी संतुष्टि दर; -आपूर्तिकर्ता संतुष्टि दर = लागू नहीं. -2025 तक 4.75/5 की ग्राहक संतुष्टि दर **समुद्री प्रदूषण:** -एमएआरपीओएल विनियमों के अनुसार जलयानों के बोर्ड पर आईओपीपी और आईएपीपी श्रेणी की अपेक्षाओं का अनुपालन लागू किया गया है।								
6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों के प्रति इकाई का निष्पादन और यदि वे पूरे नहीं हुए तो कारण सहित.	**पी 3: कर्मचारी:** वित्त वर्ष 2023-2024 में मृत्यु दर की संख्या = शून्य LTI की संख्या = शून्य स्वैच्छिक संघर्षण दर = शून्य वित्त वर्ष 2023-2024 तक 18% महिला कार्यबल **पी 4: हितधारकों की व्यस्तता:** -2025 तक 3.95/5 की कर्मचारी संतुष्टि दर -आपूर्तिकर्ता संतुष्टि दर = लागू नहीं -ग्राहक संतुष्टि दर = 4.2/5								

अभिशासन, नेतृत्व और निरीक्षण

7. व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, (इस प्रकटीकरण के स्थानन के संबंध में सूचीबद्ध इकाई को लचीलापन है)

प्रिय हितधारकों,

मुझे सेबी द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुपालन में कंपनी की पहली व्यावसायिक उत्तरदायित्वऔर स्थिरता रिपोर्ट का अनावरण करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हम मानवता के दिल और स्थिरता की ताकत के साथ अपने ग्रह की रक्षा करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। यह रिपोर्ट कंपनी की टिकाऊ विनिर्माण प्रथाओं, सक्रिय संरक्षण पहल और सार्थक सामुदायिक जुड़ाव को दर्शाती है। यह हमारे हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य का निर्माण करते हुए एक बेहतर भविष्य के लिए आधार तैयार करता है। इस आधार ने कंपनी को अपनी व्यावसायिक रणनीति के हर पहलू में ईएसजी को समेकित करने में सक्षम बनाया है। इसने न केवल हमें विभिन्न जोखिमों और अवसरों की क्षतिपूर्ति करने में सक्षम बनाया है, बल्कि जोखिमों को कम करने और प्रमुख उद्देश्यों के प्रति हमार निष्पादन में सुधार करने के लिए एक कार्य योजना भी निर्धारित की है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान हमने अपनी ईएसजी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए 4त मॉडल, यानी विज़न, वैल्यू और वेलोसिटी और विज़िबिलिटी के साथ गठबंधन किया है। इस प्रकार, हमारे प्रयासों को हमारे सतत निष्पादन के लिए हितधारकों द्वारा सराहा जाना चाहिए। नैतिकता और संस्कृति ने हमें नई ऊँचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया है, जिसे रिपोर्ट के निम्नलिखित खंडों में दर्शाया गया है। मैं अपने सभी हितधारकों को हमारे प्रयासों पर अटूट विश्वास दिखाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। यह हमारे लिए अपनी क्षमताओं के अनुसार सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत रहा है कि हम अपनी सेवाएँ निर्बाध रूप से प्रदान करते रहें। हम आपके निरंतर समर्थन और अंतर्दृष्टि की आशा करते हैं ताकि हम स्थिरता के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ खुद को बेंचमार्क कर सकें।

सादर,

दुर्गेश कुमार दूबे

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

8. व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति (यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकारी के विवरण।	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और बोर्ड व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण हैं।
9. क्या संस्था में बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो विवरण दें।	हां, बोर्ड की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, सुरक्षा और स्थिरता समिति (मसीएसआरएसएससीफ) स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। सीआरएसएससी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया अभिशासन रिपोर्ट देखें जो इस समेकित वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का ब्यौरा:

समीक्षा के लिए विषय	इंगित करें कि क्या निदेशक/बोर्ड की समिति/किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी									आवृत्ति वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया विनिर्दिष्ट करें)								
	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
उपरोक्त नीतियों के प्रति निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	हाँ, नीतियों के प्रति निष्पादन की समीक्षा बोर्ड/बोर्ड समिति/कार्यकारी समिति द्वारा आवधिक आधार पर की जाती है।																	
सिद्धांतों के लिए प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और, किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार	कंपनी लागू होने वाले नियमों और सिद्धांतों का अनुपालन करती है।																	

11.

प्रकटीकरण प्रश्न प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
क्या इकाई ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों की कार्यकारिता का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन किया है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएँ:	कंपनी समय-समय पर हमारी नीतियों के लिए एक व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित करती है और इन नीतियों के कार्यान्वयन में पाए गए किसी भी लुप्तांश का मूल्यांकन और निगरानी करती है।								

12. **यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर नहीं है अर्थात सभी सिद्धांत नीति द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो उसके कारण :**

प्रश्न	पी1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
इकाई अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को सामग्री नहीं मानती है (हां/नहीं)	लागू नहीं								
इकाई उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों (हां/नहीं) पर नीतियां बनाने और लागू करने की स्थिति में है									
इकाई में कार्य संपादन के लिए वित्तीय या/मानवीय और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हां/नहीं)									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में किए जाने की योजना है (हां/नहीं)									
कोई अन्य कारण (कृपया विनिर्दिष्ट करें)									

खंड सी: सिद्धांत वार निष्पादन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके निष्पादन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई सूचना को ''आवश्यक'' और ''नेतृत्व'' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों को इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए अनिवार्यतया प्रत्येक इकाई द्वारा प्रकटन किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतकों को स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किया जा सकता है जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति की इच्छा रखते हैं।

1 सिद्धांत

व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपना संचालन और शासन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:**

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का %
निदेशक मंडल	1	व्यापार, रणनीति, जोखिम, प्रेरण, ईएसजी, साइट/ऑपरेटिव संयंत्रों का संदर्शन और कानूनों का अद्यतन	100
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1	व्यापार, रणनीति, जोखिम, विनियामक चर्चाएँ, ईएसजी, साइट/प्रचालन संयंत्रों का संदर्शन और कानूनों का अद्यतन	100
निदेशक मंडल और केएमपी से अन्य कर्मचारी	42	कंपनी पूरे वर्ष भर आंतरिक या बाहरी संकाय/विशेषज्ञों के नेतृत्व में कई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण आयोजित करती है, जिसमें सुरक्षा, आचार संहिता, यौन उत्पीड़न की रोकथाम, साइबर सुरक्षा, विविधता और समावेशन, कंपनी भर में कर्मचारियों के लिए स्थिरता जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों को उनकी नौकरी और भूमिका की आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें व्यावहारिक योग्यता, नेतृत्व विकास, परियोजना प्रबंधन जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। कंपनी इंजीनियरिंग/ डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, व्यवहार आधारित सुरक्षा, डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन, आईओटी, आईएस मानक और कोड जैस कौशल उन्नयन पर भी ध्यान केंद्रित करती है।	100
श्रमिक	-	-	-

2. **वित्तीय वर्ष में नियामकों/विधि प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाहियों में भुगतान किए गए जुर्माना/शास्ति/दंड/पुरस्कार/शमन शुल्क/निपटान राशि का विवरण निम्नलिखित प्रपत्र में (नोट इकाई सेबी (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) विनियम, 2015 के विनियम 30 में यथा विनिर्दिष्ट भौतिकता के आधार पर और इकाई की वेबसाइट पर प्रकट किए गए अनुसार प्रकटीकरण करेगी):**

वित्तीय					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम**	**राशि (भारतीय रुपयों में)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)**
जुर्माना	सिद्धांत 1	1) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 2) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	5,900/- 5,13,330/-	दिनांक 30.09.2023 को समाप्त छमाही के लिए सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 23(9) के अनुसार संबंधित पक्ष लेनदेन प्रस्तुत न करना। विनियम 17(1) के अनुसार 31.12.2020 को समाप्त तिमाही के लिए निदेशक मंडल की संरचना और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 43ए के अनुसार 31.03.2023 को समाप्त तिमाही के लिए लाभांश वितरण नीति का प्रकटन न करना।	कोई अपील नहीं की गई है।
समायोजन			शून्य		
शमन शुल्क			शून्य		

	गैर–मौद्रिक			
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	**विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या अपील को प्राथमिकता दी गई है? (हाँ/नहीं)**
कारावास	वर्ष के दौरान कोई मामला सामने नहीं आया है			
सज़ा				

3. **उपर्युक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए उदाहरणों में से, उन मामलों में प्राथमिकता दी गई अपील/पुनरीक्षण का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है:**

मामले के विवरण	**विनियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के नाम**
एनएसई के साथ कंपनी द्वारा छूट के लिए दायर आवेदन पर विचार नहीं किया गया है और कंपनी ने ऊपर उल्लिखित जुर्माने का भुगतान किया है:	

4. **क्या इकाई में भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें:**

हाँ, डीसीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है, जिसका उद्देश्य लोक प्रशासन में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। ये दिशा-निर्देश भ्रष्टाचार को रोकने और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में कार्य करते हैं। प्रमुख क्षेत्र जहां सीवीसी दिशानिर्देश डीसीआई की मदद करते हैं वे हैं निवारक सतर्कता, व्हिसल ब्लोअर संरक्षण, सक्रिय प्रकटीकरण, जांच और अभियोजन।

इन दिशानिर्देशों का पालन करके, संगठन और व्यक्ति भ्रष्टाचार की रोकथाम और पता लगाने में योगदान दे सकते हैं, अंततः सुशासन और सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं। दिशानिर्देशों के अलावा, संगठन में धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाने, व्हिसल ब्लोइंग, नैतिकता और पारदर्शिता के लिए आचरण संहिता के लिए नीतियां और प्रोटोकॉल हैं जो सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। यह परतों की एक श्रृंखला के रूप में कार्य करता है जो जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

कंपनी में मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और विविध बोर्ड स्तरीय समितियां हैं जो समय-समय पर इन पहलुओं की निगरानी और समीक्षा करती हैं।

5. **निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:**

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
निदेशक	0	0
केएमपी	0	0
कर्मचारी	0	0
श्रमिक	0	0

6. **हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:**

	वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2022-23	
	संख्या	टिप्पणियां	संख्या	टिप्पणियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/दंड/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।:**

शून्य

8. **देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाते *365) / खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में दें:**

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
देय खातों के दिनों की संख्या	102	129

9. **व्यापार की खुलापन व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

पैरामीटर	मैट्रिक्स	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
खरीद की एकाग्रता	a. कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	लागू नहीं	
	b. व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है		
	c. ट्रेडिंग हाउस से कुल खरीद के % के रूप में शीर्ष 10 ट्रेडिंग हाउस से खरीद		
बिक्री की एकाग्रता	a. कुल बिक्री के % के रूप में डीलरों / वितरकों को बिक्री	लागू नहीं	
	b. डीलरों/वितरकों की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है		
	c. डीलरों/वितरकों को कुल बिक्री के % के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरकों को बिक्री,		

पैरामीटर	मैट्रिक्स	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
आरपीटी का हिस्सा	a. खरीद (संबंधित पार्टियों के साथ खरीद / कुल खरीद	शून्य	
	b. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री / कुल बिक्री	रु. 45,024.27 लाख	
	c. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम / कुल ऋण और अग्रिम)	रु. 17,900.00 लाख	
	d. निवेश (संबंधित पार्टियों में निवेश / कुल निवेश)	शून्य	

नेतृत्व संकेतक

1. **वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:**

आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के तहत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला भागीदारों का %
उन्नत ड्रेजिंग प्रौद्योगिकियों को अपनाना, पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए दक्षता में सुधार, निर्माणगत निकर्षण, ड्रेजिंग बाजारों का निर्वाह, अनुगामी चूषण निकर्षक, भारतीय समुद्री क्षेत्र, भारतीय पत्तन, चैनलों को गहरा करने जैसी मूल संरचना, मशीनीकरण और अधिक बर्थों का निर्माण, नए ग्रीन फील्ड पत्तनों का निर्माण, समय-समय पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों को प्रकाश डाला जा रहा है।		

2. **क्या संस्था में बोर्ड के सदस्यों से संबंधित हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो उसके विवरण दें:**

   हाँ, डीसीआई में हितों के टकराव का एक खंड है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन संगठन के सर्वोत्तम हितों में काम करें। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के हितों के टकराव की कोई संभावना नहीं थी।

2 सिद्धान्त

व्यवसाय में माल और सेवाएं इस तरह से होनी चाहिए जो सतत और सुरक्षित हो:

आवश्यक संकेतक

1. **इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश के प्रति क्रमश: उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत :**

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
अनुसंधान एवं विकास	शून्य	शून्य	शून्य
पूंजीगत व्यय *	195.41 करोड़	114.65 करोड़	नए ड्रेजर्स के अधिग्रहण से कई ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण में मदद मिलेगी

*विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर, मंत्रालय ने 12000 m3 TSHD ड्रेजर्स की खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसमें से पहला 2021 में हासिल किया गया था, दूसरा 2023 में और तीसरे ड्रेजर की खरीद दो ड्रेजर्स के प्रदर्शन के विश्लेषण के आधार पर हो सकती है।

2. **a. क्या इकाई में स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हाँ/नहीं)**

   हां, कंपनी के पास संधारणीय सोर्सिंग के लिए सिस्टम, नीतियां और प्रक्रियाएं हैं। हम अपनी संधारणीय खरीद (संधारणीय खरीद नीति) द्वारा निर्देशित हैं। हमारा सिस्टम सभी आपूर्तिकर्ताओं के पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मापदंडों को रिकॉर्ड करता है और सत्यापित करता है, और हम उन्हें उनके ESG मीट्रिक को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं।.

   b. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

   टिकाऊ सोर्सिंग के हिस्से के रूप में, लगभग 90% इनपुट सामग्री स्थानीय रूप से सोर्स की जाती है.

3. **जीवन के अंत में पुन: उपयोग, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अपने उत्पादों को सुरक्षित रूप से पुन: प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें**

   (a) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) – तट के लिए मात्रा बहुत सीमित है और जहाजों पर पूरी तरह से टाला जाता है।

   (b) ई-कचरा – ई-कचरे का निपटान आईएमएस मैनुअल में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। यह आपूर्तिकर्ता से वापस खरीद द्वारा या सामग्री विभाग द्वारा एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से नीलामी द्वारा किया जाता है। एमएसटीसी ई-कचरा रिसाइकिलर/डिस्पोजर की पहचान करता है।

   (b) खतरनाक अपशिष्ट और

   उत्पन्न खतरनाक अपशिष्ट का निपटान पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं अथवा डिस्पोजरों के माध्यम से किया जाता है जिन्हें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से अनुमति प्राप्त होती है।

   (d) अन्य अपशिष्ट – कचरा तंत्र योजना जहाज पर लागू की जा रही है।.

4. **क्या विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होती है (हां / नहीं) यदि हां, तो क्या अपशिष्ट संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत की गई विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो उसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करें।**

   हाँ, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) कंपनी के लिए लागू है।

   वर्ष 2022 में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-कचरा और बैटरी अपशिष्ट से संबंधित ईपीआर नियमों में संशोधन किया और नियमों का कवरेज आयातकों तक बढ़ा दिया गया। ईपीआर नियमों का अनुपालन करने के साथ-साथ अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में सुधार करने के लिए, कंपनी ने जागरूकता सत्र आयोजित करने, अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदाताओं सहित अपनी प्रक्रियाओं में सुधार किया।

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या इकाई ने अपने किसी भी उत्पाद (विनिर्माण उद्योग के लिए) या अपनी सेवाओं (सेवा उद्योग के लिए) के लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/आकलन (एलसीए) आयोजित किया है? यदि हाँ, तो निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें।**

एनआईसी कोड	उत्पाद/सेवा का नाम	दिए गए कुल पण्यावर्त के योगदान का %	सीमा जिसके लिए जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन आयोजित किया गया था	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया (हाँ / नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में सूचित किए गए परिणाम (हां/नहीं) यदि हां, तो वेब-लिंक दें
लागू नहीं					

2. **जीवन चक्र परिप्रेक्ष्य/मूल्यांकन (एलसीए) में या किसी अन्य माध्यम से पहचाने गए अनुसार, यदि आपके उत्पादों/सेवाओं के उत्पादन या निपटान से कोई महत्वपूर्ण सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताएं और/या जोखिम उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें कम करने के लिए की गई कार्रवाई के साथ-साथ उनका संक्षेप में वर्णन करें :**

उत्पाद/सेवा का नाम	जोखिम/चिंता का विवरण	की गई कार्रवाई
ईंधन तेल और चिकनाई तेल	तेल प्रदूषण	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के साथ समझौता ज्ञापन

3. **उत्पादन (विनिर्माण उद्योग के लिए) या सेवाएं प्रदान करने (सेवा उद्योग के लिए) में उपयोग की जाने वाली कुल सामग्री (मूल्य के अनुसार) में पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री का प्रतिशत:**

इनपुट सामग्री इंगित करें	कुल सामग्री में पुनर्नवीनीकरण या पुन: उपयोग की जाने वाली इनपुट सामग्री	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

4. **उत्पादों के जीवन के अंत में पुनः प्राप्त उत्पादों और पैकेजिंग में से, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार, पुन: उपयोग, पुनर्नवीनीकरण और सुरक्षित रूप से निपटाई गई मात्रा (मेट्रिक टन में) :**

	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	पुन: उपयोग	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से निपटाया गया	पुन: उपयोग	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से निपटाया गया
प्लॉस्टिक (पैकेजिंग सहित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	पुन: उपयोग	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से निपटाया गया	पुन: उपयोग	पुनर्नवीनीकरण	सुरक्षित रूप से निपटाया गया
ई-कचरा	6 पीसी को अपग्रेड किया गया और ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) के माध्यम से सीएसआर के तहत स्कूल को दान किया गया।)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
खतरनाक अपशिष्ट	ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) के माध्यम से बायबैक के तहत लौटाई गई 26 यूपीएस बैटरियां	शून्य	शून्य	ओईएम (मूल उपकरण निर्माता) के माध्यम से बायबैक के तहत लौटाई गई 34 यूपीएस बैटरियां	शून्य	शून्य
अन्य अपशिष्ट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

5. **प्रत्येक उत्पाद श्रेणी के लिए पुन: प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री (बेचे गए उत्पादों के प्रतिशत के रूप में):**

उत्पाद श्रेणी इंगित करें	संबंधित श्रेणी में बेचे जाने वाले कुल उत्पादों के% के रूप में पुन: प्राप्त उत्पाद और उनकी पैकेजिंग सामग्री
शून्य	शून्य

3 सिद्धान्त

व्यवसाय को सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और प्रचार करना चाहिए, जिनमें उनकी मूल्य श्रृंखला भी शामिल है

आवश्यक संकेतक

1. a. **कर्मचारियों की भलाई के उपायों का विवरण:**

श्रेणी	कुल (A)	निम्नलिखित द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों का%									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (B)	% (B/A)	संख्या (C)	% (C/A)	संख्या (D)	% (D/A)	संख्या (E)	% (E/A)	संख्या (F)	% (F/A)
स्थायी कर्मचारी (तटीय)											
पुरुष	141	141	*100%	141	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	141	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्त्री	31	31	*100%	31	100%	31	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**172**	**172**	***100%**	**172**	**100%**	**31**	**100%**	**141**	**100%**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
स्थायी कर्मचारियों से अन्य (तटीय)											
पुरुष	41	41	100	41	100	लागू नहीं	लागू नहीं	41	100	लागू नहीं	लागू नहीं
स्त्री	8	8	100	8	100	8	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**49**	**49**	**100**	**49**	**100**	**8**	**100**	**41**	**100**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
स्थायी कर्मचारी (जहाजी)											
पुरुष	76	76	100%	76	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	76	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्त्री	*लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**76**	**76**	**100%**	**76**	**100%**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**76**	**100%**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
स्थायी कर्मचारियों से अन्य (जहाजी)											
पुरुष	308	308	100	308	100	लागू नहीं	लागू नहीं	308	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्त्री	02	02	100	02	100	02	100	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**310**	**310**	**100**	**310**	**100**	**02**	**100**	**308**	**100**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से सभी डीसीआई कर्मचारियों को अंतरंग-रोगी उपचार प्रदान किया जाता है।

b. **श्रमिकों की भलाई के उपायों का विवरण:**

श्रेणी	कुल (A)	निम्नलिखित द्वारा कवर किए गए श्रमिकों का%									
		स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (B)	% (B/A)	संख्या (C)	% (C/A)	संख्या (D)	% (D/A)	संख्या (E)	% (E/A)	संख्या (F)	% (F/A)
स्थायी श्रमिक											
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्त्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
स्थायी श्रमिकों से अन्य											
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्त्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

c. **निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और स्थायी से अन्य) की भलाई के उपायों पर खर्च:**

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कंपनी के कुल राजस्व के % के रूप में कल्याण उपायों पर खर्च की गई लागत*	0.13	0.11

*जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, चिकित्सा बीमा, कामगार मुआवजा, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, कर्मचारी कल्याण के लिए किए जाने वाले व्यय कल्याणकारी उपायों के रूप में विचार किया जाता है। कंपनी सुरक्षात्मक गियर और सुरक्षा संबंधी वस्तुओं के लिए काफी राशि खर्च करती है; वर्तमान में अलग से अनुमान नहीं लगाया गया है।

2. **चालू वित्त वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के विवरण:**

लाभ	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	काटा गया और प्राधिकरण के पास जमा किया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	काटा गया और प्राधिकरण के पास जमा किया गया (हाँ/नहीं/लागू नहीं)
(तटीय और जहाजी)						
भविष्य निधि	100%	-	हाँ	100%	-	हाँ
उपदान	100%	-	हाँ	100%	-	हाँ
ईएसआई	-	-	शून्य	-	-	शून्य
अन्य - कृपया विनिर्दिष्ट करें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3. **कार्यस्थलों की पहुंच:**

क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की अपेक्षाओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय अलग ढंग से सक्षम (दिव्यांग) कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं:

कंपनी के अधिकांश स्थायी परिसर व्हीलचेयर वाले दिव्यांग लोगों के लिए सुलभ हैं (जैसे रैंप, शौचालय, लिफ्ट के माध्यम से)। कंपनी दिव्यांग व्यक्तियों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए सही संरचना प्रदान करने और सुलभ बुनियादी ढांचे के लिए शेष परिसर तैयार करने के लिए कदम उठा रही है।

4. **क्या इकाई में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।**

कंपनी भारत सरकार के दिशानिर्देशों का पालन करती है। कंपनी रोजगार में समान अवसर प्रदान करने और एक समावेशी कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नीति स्पष्ट रूप से मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करती है जो कंपनी को सभी के लिए समान और न्यायसंगत अवसर सुनिश्चित करने और लोगों के व्यवहार में नैतिकता, मूल्यों और शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है।

5. मातृत्व–पितृत्व की छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर.

लिंग	स्थायी कर्मचारी (तटीय और जहाजी)		स्थायी श्रमिक	
	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
स्त्री	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**100%**	**100%**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षेप में ब्यौरा दीजिए।

	हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का विवरण संक्षेप में दें)
स्थायी श्रमिक	हां, कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत शिकायतों के सत्यापन और निवारण के लिए आसान और आसानी से स्वीकार्य तंत्र उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम में शिकायत प्रक्रिया उपलब्ध है।
स्थायी श्रमिकों से अन्य	
स्थायी कर्मचारी	
स्थायी कर्मचारियों से अन्य	

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (संघों) या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता:

संवर्ग	वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2022–23		
	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक (A)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो संघ या यूनियन के सदस्य हैं (B)	% (B/A)	संबंधित श्रेणी में कुल कर्मचारी/श्रमिक (C)	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो संघ या यूनियन के सदस्य हैं (D)	% (D / C)
(तटीय और जहाजी)						
कुल स्थायी कर्मचारी	76	76	100	85	85	100
पुरुष	76	76	100	85	85	100
स्त्री	–	–	–	–	–	–
स्थायी कर्मचारियों से अन्य	310	310	100	365	365	100
पुरुष	308	308	100	363	363	100
स्त्री	02	02	100	02	02	100
कुल स्थायी श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्त्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

8. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण के विवरण:

संवर्ग	वित्तीय वर्ष 2023–24					वित्तीय वर्ष 2022–23				
	कुल (A)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (D)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (B)	% (B / A)	संख्या (C)	% (C / A)		संख्या (E)	% (E / D)	संख्या (F)	% (F/D)
					कर्मचारी (स्थायी)					
पुरुष	141	13	9.21	53	37.58	156	9	5.77	39	25
स्त्री	31	1	3.22	16	51.61	31	1	3.22	8	25.80
कुल	**172**	**14**	**8.14**	**69**	**40.12**	**187**	**10**	**5.34**	**47**	**25.13**

संवर्ग	वित्तीय वर्ष 2023-24					वित्तीय वर्ष 2022-23				
	कुल (A)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (D)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		संख्या (B)	% (B / A)	संख्या (C)	% (C / A)		संख्या (E)	% (E / D)	संख्या (F)	% (F/D)
कर्मचारी (स्थायी से अन्य)										
पुरुष	41	26	63.41	9	21.95	41	29	70.73	4	9.75
स्त्री	8	8	100	6	75	8	7	87.5	2	25
कुल	**49**	**34**	**69.39**	**15**	**30.61**	**49**	**36**	**73.46**	**6**	**12.24**
श्रमिक										
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्त्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

9. **कर्मचारियों और श्रमिकों के निष्पादन और व्यवसाय विकास की समीक्षा के विवरण:**

संवर्ग	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल (A)	संख्या (B)	% (B/A)	कुल (C)	संख्या (D)	% (D/C)
स्थायी कर्मचारी (तटीय)						
पुरुष	141	52	36.87	156	0	0
स्त्री	31	14	45.16	31	0	0
कुल	**172**	**66**	**38.37**	**187**	**0**	**0**
स्थायी कर्मचारी (जहाजी)						
पुरुष	76	6	7.89	85	5	5.88
स्त्री	0	0	0	0	0	0
कुल	**76**	**6**	**7.89**	**85**	**5**	**5.88**
श्रमिक						
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्त्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

10. **स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:**

a. **क्या इकाई द्वारा एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली की कवरेज?**

हां, जहाज पर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन (आईएसएम) का पालन किया जा रहा है।

b. **इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर काम से संबंधित खतरों की पहचान करने और जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं?**

हां, एसएमएस (सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) का पालन किया जा रहा है जिसमें कार्य के सभी क्षेत्रों में जोखिम निर्धारण शामिल है.

c. **क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को हटाने के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हाँ / नहीं)**

हाँ.

d. **क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों तक गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच है? (हाँ/नहीं)**

हाँ.

11. **सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में:**

सुरक्षा / घटना / संख्या	संवर्ग *	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
खोई हुई वस्तु चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख-व्यक्ति कार्य घंटे)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	-	-
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	2	0
	श्रमिक	10	12
मौतों की संख्या	कर्मचारी	1	1
	श्रमिक	-	-
घातक परिणामित काम से संबंधित चोटें या अस्वस्थता (मौतों को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	श्रमिक	-	-

* संविदा कार्यबल में शामिल

12. **एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य स्थान सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें.**

डीसीआई विभिन्न उपायों को लागू करके कर्मचारियों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देता है। इनमें व्यापक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग सुनिश्चित करना, मूल्यांकन करना और सुरक्षा नीतियों और दिशानिर्देशों को लागू करना शामिल है। संभावित खतरों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए तीसरे पक्ष के सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमित निरीक्षण और निर्वाहगत गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। डीसीआई समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रमों की पेशकश करते हुए, कर्मचारियों की सहभागिता और सुरक्षा चिंताओं की रिपोर्टिंग को भी प्रोत्साहित करता है। डीसीआई गैर-व्यावसायिक चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच भी प्रदान करता है, जिसमें उपचार प्रतिपूर्ति, और बीमारी की गंभीरता के आधार पर चिकित्सा अग्रिम और छुट्टियाँ भी शामिल हैं। नियामक मानकों का अनुपालन सर्वोपरि है, और डीसीआई आईएसएम कोड का पालन करके अपने पूरे प्रचालनों में सुरक्षा की संस्कृति बनाने का प्रयास करता है।

13. **कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:**

संवर्ग	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
कार्यगत स्थितियाँ	शून्य			शून्य		
स्वास्थ्य व संरक्षा						

14. **वर्ष के लिए आकलन :**

सुरक्षा घटना / संख्या	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया जाता है
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	100%
कार्यगत स्थितियाँ	100%

15. **सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और कार्यगत स्थिति के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों / चिंताओं पर संबोधित करने के लिए की गई या चल की जा रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई के विवरण दें।**

घटना रिपोर्टिंग और जांच पर आईएसएम कोड के अनुसार डीसीआई सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड पर सभी घटनाओं की पूरी तरह से जांच की जाती है और इसी तरह की घटनाओं की गैर-घटना सुनिश्चित करने के लिए साइटों पर जानकारी साझा की जाती है। इसके अलावा, कर्मचारियों को घटना विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से ऐसी घटनाओं को खत्म करने के लिए असुरक्षित कृत्यों और स्थितियों की अधिकतम संख्या की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

नेतृत्व संकेतक

1. **क्या इकाई (ए) कर्मचारियों (हाँ/नहीं) (बी) श्रमिकों (हाँ/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में किसी भी जीवन बीमा या किसी भी प्रतिपूरक पैकेज की व्यवस्था करती है?**

हां, कंपनी ने पी एंड आई बीमा अपनाया है जो एक जीवन बीमा पॉलिसी है जो अपने रोजगार के दौरान बीमित कर्मचारी की मृत्यु के जोखिम को कवर करती है। कमानेवाले की मृत्यु के मामले में मृतक के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी कारण से मृत्यु को यह पॉलिसी कवर करती है।

2. **यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा की गई है, इकाई द्वारा किए गए उपायों के बारे में उल्लेख करें।**

कंपनी अपने मूल्य श्रृंखला भागीदारों के अनुपालन की निगरानी और ट्रैक करती है। प्रशासन की टीमें, हर महीने, प्रत्येक केंद्र पर लागू, सत्यापित अनुपालन दस्तावेजों को केंद्रीय निगरानी के लिए कंपनी के अनुपालन ट्रैकिंग सिस्टम पर अपलोड करती हैं। कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन टीम यह सुनिश्चित करती है कि ठेकेदारों द्वारा मासिक वैधानिक बकाया राशि संबंधित पीएफ / ईएसआई आदि प्राधिकरण को प्रेषित की जाए और इसका प्रमाण समय-समय पर प्रस्तुत किया जाए।

3. **ऐसे कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या बताएं जिन्हें गंभीर परिणाम वाली कार्य-संबंधी चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) का सामना करना पड़ा है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:**

संवर्ग	कुल प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या		कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त वातावरण में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त वातावरण में रखा गया है	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. **क्या इकाई निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर के अंत के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ / नहीं)**

   हां, आवश्यकताओं के अधीन, कुछ उच्च योग्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सलाहकार के रूप में बनाए रखा जाता है। रोजगार के दौरान, निरंतर रोजगार की सुविधा के लिए कर्मचारियों को कई कौशल उन्नयन कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं।

5. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन पर विवरण:**

सुरक्षा घटना / संख्या	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का% जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास कार्यगत स्थितियाँ	कंपनी के रणनीतिक और पसंदीदा मूल्य श्रृंखला भागीदारों के 100% का मूल्यांकन किया गया है. उपर्युक्त हाइलाइट किए गए रणनीतिक भागीदारों के अलावा, कंपनी ने ड्राई डॉक पर लागू अनिवार्य सुरक्षा मानकों (मएमएसएसफ) पर अपने अनुबंध भागीदारों के 100% का भी आकलन किया है, यह सेवा प्रदाता द्वारा सुनिश्चित करता है

6. **स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की कामकाजी परिस्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना.**

   सुधारात्मक कार्रवाइयां ठेकेदार के क्षमता निर्माण और अनुप्रयोज्य एमएसएस के प्रशिक्षण के सुदृढ़ीकरण को उजागर करती हैं। मूल्य श्रृंखला भागीदारों को तदनुसार सलाह दी जाती है.

4 सिद्धान्त

व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।**

   डीसीआई ड्रेजिंग व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी का लक्ष्य विभिन्न हितधारकों की जरूरतों, रुचियों और अपेक्षाओं को व्यवसाय के साथ संतुलित करना और दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करना है। हितधारकों को ऐसे व्यक्ति, समूह या संगठन माना जाता है जो हमें प्रभावित कर सकते हैं या कंपनी के प्रचालन, सेवाओं और इसके निष्पादन से प्रभावित हो सकते हैं। हमारे प्रमुख हितधारकों में ग्राहक, कर्मचारी, निवेशक और शेयरधारक, आपूर्तिकर्ता, नियामक प्राधिकरण, समुदाय और गैर सरकारी संगठन, मीडिया और विश्लेषक आदि शामिल हैं। भौतिकता मूल्यांकन के अंतर्गत समय-समय पर हितधारकों की पहचान, मानचित्रण और प्राथमिकता तय की जाती है। यह प्रक्रिया भौतिक मुद्दों के साथ-साथ हितधारकों के परिप्रेक्ष्य अभिविन्यास, प्रभावों और अपेक्षाओं को समझने और मैप करने में सहायता करती है जो संबंधित संचार रणनीतियों की तैयारी के साथ-साथ उचित प्रतिक्रियाओं को प्राथमिकता देने और डिजाइन करने में मदद करती है।

2. **आपकी इकाई के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति की सूची बनाएं।**

हितधारक समूह	क्या कमजोर और हाशिए पर पड़ समूह के रूप म पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट,) अन्य	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य- कृपया बताएं))	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा जिसमें सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएँ शामिल हैं
ग्राहक	नहीं	वेबसाइट, वितरक/खुदरा विक्रेता/ प्रत्यक्ष ग्राहक/प्राप्तकर्ता बैठक, बैठकें/दौरे, हेल्पडेस्क, सम्मेलन, ईमेल, ग्राहक सर्वेक्षण, रिपोर्ट, ब्रोशर, प्रतिक्रिया तंत्र, ग्राहक सहायता प्रकोष्ठ।	त्रैमासिक, वार्षिक, के रूप में, और जब कभी आवश्यक हो.	= सर्वेक्षणों में ग्राहकों शिपिंग लाइनों को अपने पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और प्रमाणन और कार्बन कमी, अपशिष्ट प्रबंधन और जल दक्षता, मानवाधिकार प्रथाओं पर लक्ष्यों का प्रकटन करने के लिए कहा जाता है। = सेवा की गुणवत्ता। = आवश्यकता के प्रति जवाबदेही.

हितधारक समूह	क्या कमजोर और हाशिए पर पड़ समूह के रूप म पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट,) अन्य	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य– कृपया बताएं))	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा जिसमें सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएँ शामिल हैं
कर्मचारी	नहीं	ऑनलाइन सर्वेक्षण, पत्रिकाएं, ई-मेल, इंट्रानेट, रिपोर्ट, वेबसाइट, ऑनलाइन शिकायत तंत्र, आमने-सामने बातचीत, ब्रोशर, मानव संसाधन संचार, कल्याण पहल और कार्यशालाएं	निरंतर, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक.	= कैरियर/ प्रदर्शन चर्चा। = प्रशिक्षण और जागरूकता।. = मानव अधिकार मुद्दों की पहचान करना और रिपोर्ट करना, तथा किसी भी दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जागरूकता। = परिचालन दक्षता = स्वास्थ्य, सुरक्षा और सहभागिता पहल।
निवेशक और शेयरधारक	नहीं	प्रेस विज्ञप्तियाँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस, ईमेल सलाह, व्यक्तिगत बैठकें, निवेशक सम्मेलन, गैर-सौदा रोड शो, कॉन्फ्रेंस कॉल	त्रैमासिक और वार्षिक, जब कभी आवश्यक हो	= निवेशक समुदाय को टीसीएस के एकीकृत मूल्य सृजन मॉडल और दीर्घावधि के लिए व्यावसायिक रणनीति के बारे में शिक्षित करना।. = निवेशकों को कंपनी की नीतियों, रिपोर्टिंग, रणनीति आदि के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने में मदद करना। = शेयरधारकों की अपेक्षाओं को समझना।.
आपूर्तिकर्ता	नहीं	पूर्व योग्यता/जांच, संचार और साझेदारी बैठकें, समझौता ज्ञापन और रूपरेखा समझौते, ऑनलाइन सर्वे क्षण, ई-मेल, ईएसजी मूल्यांकन, विक्रेता बैठक, ऑनलाइन शिकायत तंत्र, साइट का दौरा, एक-से-एक बातचीत, रिपोर्ट, वेबसाइट और कार्यशालाएं	मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक, जब कभी आवश्यक हो	= गुणवत्ता और टिकाऊ आपूर्ति = समय पर डिलीवरी और भुगतान। = ईएसजी विचार (स्थायित्व, सुरक्षा, अनुपालन की जाँच, मानवाधिकार, आईएसओ और ओएचएसएएस मानक। = सहयोग और डिजिटलीकरण के अवसर
समुदाय और एनजीओ	हाँ	सामुदायिक दौरे और परियोजनाएं, स्थानीय दान संस्थाओं के साथ साझेदारी, स्वयंसेवा, सेमिनार/ सम्मेलन, आकलन और सर्वेक्षण, केंद्रित समूह चर्चा, आमने-सामने बातचीत, मीडिया, वेबसाइट, ऑनलाइन शिकायत तंत्र और क्षेत्र दौरे.	मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक, जब कभी आवश्यक हो.	= समुदायों द्वारा अपेक्षित हस्तक्षेपों की पहचान करना और उन्हें प्राथमिकता देना।. = सीएसआर हस्तक्षेपों के लिए तीसरे पक्ष द्वारा विभिन्न सामुदायिक विकास परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन किया जाता है। = मानवाधिकारों के लिए आकलन।. = सीएसआर गतिविधियाँ। = जागरूकता कार्यक्रम.

हितधारक समूह	क्या कमजोर और हाशिए पर पड़ समूह के रूप म पहचाना गया है (हाँ/नहीं)	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट,) अन्य	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य– कृपया बताएं))	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा जिसमें सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएँ शामिल हैं
विनियामक प्राधिकरण	नहीं	रिपोर्ट, वेबसाइट, ऑनलाइन आवेदन, प्रस्तुति, एक-से-एक बातचीत, घटनाएं, ई-मेल, पत्र और बैठकें.	वार्षिक, जब कभी आवश्यक हो.	▪ विनियामक और अनुपालन आवश्यकताएँ।. ▪ व्यावसायिक निष्पादन पर समर्थन और प्रतिक्रिया।. ▪ चिंता के स्थिरता विषय

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो ऐसे परामर्शों से प्राप्त फीडबैक बोर्ड को कैसे प्रदान किया जाता है?.**

   कंपनी हितधारकों के साथ मिलकर नीतियां और रणनीतियां विकसित करती है, जिसमें उनके विविध दृष्टिकोण शामिल होते हैं, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। हितधारकों के साथ बातचीत से पर्यावरण, सामाजिक और शासन संबंधी जोखिमों को कम करने के लिए दीर्घकालिक समाधान सह-निर्माण करने का अवसर मिलता है।

   कंपनी ने संगठन के भीतर हर स्तर पर स्थिरता विकास को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड स्तर, कॉर्पोरेट स्तर और इकाई स्तर पर तीन-स्तरीय शासन संरचना स्थापित की है। बोर्ड को निष्पादन की समीक्षा करने, रणनीतिक दिशाओं पर चर्चा करने, प्राथमिकताओं को सरेखित करने और कॉर्पोरेट स्तर पर संबंधित समितियों को प्रतिक्रिया प्रदान करने का काम सौंपा गया है।.

2. **क्या पर्यावरण और सामाजिक विषयों की पहचान और प्रबंधन में सहायता के लिए हितधारकों से परामर्श का उपयोग किया जाता है (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसे उदाहरणों का विवरण दें कि इन विषयों पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट को इकाई की नीतियों और गतिविधियों में कैसे शामिल किया गया?**

   हां, कंपनी ने अपनी ईएसजी प्राथमिकताओं को व्यावसायिक नीतियों और रणनीतियों के साथ सरेखित करने के लिए आंतरिक और बाहरी हितधारकों के साथ काम किया है। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों की पहचान, क्षेत्र के लिए इसकी प्रासंगिकता और लागू मानकों और रेटिंग सूचकांकों की आवश्यकताओं के आधार पर की जाती है। बाहरी हितधारकों के लिए इन विषयों का महत्व और व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करने वाले आंतरिक हितधारकों के लिए महत्व का मूल्यांकन एक-से-एक बातचीत और केंद्रित समूह चर्चाओं के माध्यम से किया जाता है। उनसे प्राप्त फीडबैक को प्राथमिकता दी जाती है और सिद्धांतों के लिए व्यवसाय जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट नीतियों की तैयारी के हिस्से के रूप में माना जाता है।

3. **कमजोर/हाशिए पर पड़े हितधारक समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई और उनके साथ जुड़ाव के उदाहरणों का विवरण दें।**

   कंपनी निरंतर आधार पर वंचित, कमज़ोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों की पहचान करती है। किसी भी प्रस्तावित नई परियोजना या विस्तार को हितधारकों को सक्रिय रूप से शामिल करके मैप किया जाता है। हमारे सभी स्थानों पर एक व्यापक हितधारक प्रबंधन और शिकायत तंत्र मौजूद है। कंपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तीकरण, आजीविका संवर्धन, स्वच्छता, गंदी बस्ती सुधार और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वंचित, कमज़ोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों के साथ जुड़ती है, जिसका उद्देश्य नेतृत्व और आर्थिक वृद्धि के लिए उनके कौशल का विकास करना है। महिलाओं, छात्रों, बेरोज़गार युवाओं आदि के लिए कई पहल की जाती हैं। सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं हमारी वेबसाइट http://dredge-india.com/files/CSR%20Policy.pdf पर उपलब्ध हैं।

5 सिद्धान्त

व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (ओं) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

संवर्ग	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	कुल (A)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (B)	% (B / A)	कुल (C)	कवर किए गए कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या (D)	% (D / C)
कर्मचारी (तटीय)						
स्थायी	172	141	82%	187	31	18%
स्थायी से अन्य	49	41	83.67%	49	8	16.33%
कुल कर्मचारी	**221**	**182**	**82.83%**	**236**	**39**	**17.16%**
कर्मचारी (जहाजी)						
स्थायी	76	76	100%	85	-	-
स्थायी से अन्य	310	308	99.35%	365	02	0.64%
कुल कर्मचारी	**386**	**384**	**99.67%**	**450**	**02**	**0.51%**
श्रमिक						
स्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी से अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल श्रमिक	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

2. निम्नलिखित प्रारूप में कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान किए गए न्यूनतम वेतन के विवरण:

संवर्ग	वित्तीय वर्ष 2023-24					वित्तीय वर्ष 2022-23				
	कुल (A)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (D)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (B)	% (B /A)	संख्या (C)	% (C /A)		संख्या (E)	% (E / D)	संख्या (F)	% (F / D)
कर्मचारी (तटीय)										
स्थायी	172	-	-	172	100	187	-	-	187	100
पुरुष	141	-	-	141	100	156	-	-	156	100
स्त्री	31	-	-	31	100	31	-	-	31	100
स्थायी से अन्य	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुरुष	41	41	100	-	-	41	41	100	-	-
स्त्री	8	8	100	-	-	8	8	100	-	-
कर्मचारी (जहाजी)										
स्थायी	76	-	-	76	100	85	-	-	85	100
पुरुष	76	-	-	76	100	85	-	-	85	100
स्त्री	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
स्थायी से अन्य	386	-	-	386	100	365	-	-	365	100
पुरुष	384	-	-	384	100	363	-	-	363	100
स्त्री	2	-	-	2	100	2	-	-	2	100

संवर्ग	वित्तीय वर्ष 2023-24					वित्तीय वर्ष 2022-23				
	कुल (A)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक		कुल (D)	न्यूनतम मजदूरी के बराबर		न्यूनतम मजदूरी से अधिक	
		संख्या (B)	% (B /A)	संख्या (C)	% (C /A)		संख्या (E)	% (E / D)	संख्या (F)	% (F / D)
श्रमिक										
स्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्त्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्थायी से अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
पुरुष	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
स्त्री	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

3. **पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी के विवरण**

a. **माध्यिक पारिश्रमिक/मजदूरी:**

	पुरुष		स्त्री	
	संख्या	संबंधित संवर्ग का माध्यिक पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित संवर्ग का माध्यिक पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी
निदेशक मंडल (नि.मं.)	9	1,50,000.00	1	रु. 2,80,000.00
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	2	25,82,598.00	1	रु. 16,40,989.00
नि.मं. और केएमपी से अन्य कर्मचारी	696	7,80,004.00	34	रु. 9,01,518.00
श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

b. **निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी:**

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी	5.75	5.18

4. **क्या आपके यहाँ मानव अधिकारों के प्रभावों या व्यवसाय के कारण या योगदान किए गए मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हाँ/नहीं)**

लागू नहीं।

5. **मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक तंत्र का वर्णन करें:**

शिकायत निवारण तंत्र में किसी भी उल्लंघन की शिकायतों को संबोधित करने के लिए एक संरचित प्रक्रिया शामिल है। कोई भी व्यक्ति जो उत्पीड़न का अनुभव करता है या देखता है, वह लिखित शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी में मानवाधिकार मुद्दों सहित कर्मचारियों की शिकायतों को संभालने के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित केंद्रीय शिकायत तंत्र है।.

6. **कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:**

संवर्ग	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
लैंगिक उत्पीड़न	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बाल श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बलात मजदूरी/ अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वेतन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य मानवाधिकार संबंधी मुद्दे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

7. **कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:**

	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के तहत दर्ज की गई कुल शिकायतें	शून्य	शून्य
महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के % के रूप में POSH पर शिकायतें	शून्य	शून्य
पॉश पर शिकायतों को बरकरार रखा गया	शून्य	शून्य

8. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता को प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र.**

भारत में हमारे कार्यालय में भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ताओं के लिए किसी भी प्रतिकूल परिणाम को रोकने के लिए, हम कई सक्रिय उपाय करते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमने भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ स्पष्ट और व्यापक नीतियां स्थापित की हैं, जिन्हें सभी कर्मचारियों को सूचित किया जाता है। हम अपनी टीम के बीच जागरूकता बढ़ाने में विश्वास करते हैं, इसलिए हम सभी को अस्वीकार्य व्यवहार और एक-दूसरे के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित करते हैं। एक निष्पक्ष और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, हमने एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की है जिसमें अच्छी तरह से प्रशिक्षित सदस्य शामिल हैं जो ऐसे मामलों को संवेदनशीलता और गोपनीयता के साथ संभालते हैं। इसके अतिरिक्त, हम एक गुमनाम रिपोर्टिंग तंत्र प्रदान करते हैं, जिससे कर्मचारी प्रतिशोध के डर के बिना आगे आ सकते हैं.

9. **क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और संविदाओं के अंश हैं? (हाँ/नहीं)**

हाँ

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का% जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक अधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100%
मजबूर/अनैच्छिक श्रम	100%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	100%
वेतन	100%
अन्य- कृपया विनिर्दिष्ट करें	100%

10. **वर्ष के लिए आकलन:**

11. **उपरोक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें।**

कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कोई जोखिम नहीं पहचाना है, इसलिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी।

नेतृत्व संकेतक

1. **मानव अधिकारों की शिकायतों/शिकायतों को संबोधित करने के परिणामस्वरूप संशोधित/शुरू की जा रही व्यावसायिक प्रक्रिया का विवरण:**

कंपनी किसी भी प्रकार के भेदभाव उत्पीड़न के प्रति शून्य सहिष्णुता की सख्त नीति रखती है। चूंकि कोई मानव अधिकार शिकायतें/शिकायतें नहीं थीं, इसलिए रिपोर्टिंग अवधि के दौरान व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया था।.

2. **आयोजित किसी भी मानवाधिकार के दायरे और कवरेज का विवरण:**

कंपनी मानवाधिकारों का सम्मान और सुरक्षा करने में अपनी मौलिक जिम्मेदारियों को पहचानती है और एक विविध, समावेशी और न्यायसंगत कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने एक अनुपालन प्रबंधन ढांचा लागू किया है जो न केवल मौजूदा नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप जांच और संतुलन पर उपयोगकर्ता विभागों का मार्गदर्शन प्रदान करता है, बल्कि बदलते नियामक परिदृश्य की निगरानी को भी सक्षम करता है। सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन का सत्यापन करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा की जाती है, तदनुसार सुधारात्मक और निवारक कार्रवाइयां की जाती हैं।

3. **क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई का परिसर/कार्यालय दिव्यांग आगंतुकों के लिए सुलभ है?**

हां, समान अवसर नीति के अनुरूप कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं कंपनी के आगंतुकों तक फैली हुई हैं। कंपनी के स्थानों के भीतर आसान आवागमन के लिए, रैंप संरचनाओं के साथ पर्याप्त व्हीलचेयर सुविधाएं उपलब्ध हैं।

4. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों के आकलन पर विवरण:**

	मूल्य श्रृंखला भागीदारों का % (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका मूल्यांकन किया गया था
यौन उत्पीड़न	हमारे संगठन में काम करने वाले मूल्य श्रृंखला भागीदारों के 100% के संबंध में मानवाधिकारों के सभी मापदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।
कार्यस्थल पर भेदभाव	
बाल श्रम	
मजबूर/अनैच्छिक श्रम वेतन	
अन्य- कृपया विनिर्दिष्ट करें	

5. **उपरोक्त प्रश्न 4 में दिए गए आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या की जा रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण दें:**

लागू नहीं।

6 सिद्धान्त

व्यवसायों को पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापित करने के लिए सम्मान और प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता के विवरण:**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली की खपत (A)	शून्य	शून्य
कुल ईंधन की खपत (B)	शून्य	शून्य
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (C)	शून्य	शून्य
नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (A+B+C)	**शून्य**	**शून्य**
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली की खपत (D)	28657.8432	26392.522
कुल ईंधन की खपत (E)	1630499.32	1689860.32
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (F)	लागू नहीं	लागू नहीं
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत कुल ऊर्जा (D+E+F)	**1659157.163**	**1716252.842**
कुल ऊर्जा की खपत (A+B+C+D+E+F)	**1659157.163**	**1659157.163**
पण्यावर्त की प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/प्रचालनों से राजस्व)	0.34	0.40
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित पण्यावर्त की प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/ पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालनों से राजस्व)	0.34	0.40
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा की तीव्रता	लागू नहीं	लागू नहीं
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम - हाँ, आईआरएस (इण्डियन रजिस्टर ऑफ़ शिप्पिंग)

2. **क्या संस्था में भारत सरकार की निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचाने गए कोई साइट / सुविधाएं हैं? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि पीएटी योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं या नहीं. यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, दें:**

नहीं।

3. **निम्नलिखित प्रारूप में पानी से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण के विवरण दें:**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) भूजल	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)तृतीय पक्ष जल	36333 KL	36798 KL
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत पानी	शून्य	शून्य
(v) अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2022–23
पानी की निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	36333 KL	36798 KL
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	36333 KL	36798 KL
पण्यावर्त की प्रति रुपया पानी की तीव्रता (कुल पानी की खपत/प्रचालनों से राजस्व)	0.00154	0.000126
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित पण्यावर्त की प्रति रुपया पानी की तीव्रता (कुल पानी की खपत/ पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालनों से राजस्व)	0.00154	0.000126
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में पानी की तीव्रता	लागू नहीं	लागू नहीं
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। – नहीं।

4. **डिस्चार्ज किए गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें:**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2022–23
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल के लिए	लागू नहीं	लागू नहीं
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल के लिए		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii)समुद्री जल के लिए		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तृतीय-पक्षों को भेजा गया		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य		
– कोई उपचार नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल डिस्चार्ज किया गया पानी (किलोलीटर में)		

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। – नहीं।

5. **क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए एक तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन के विवरण दें।**

हां, कंपनी शून्य तरल निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध है और इसे अपनी सभी फ्लोटिंग परिसंपत्तियों पर वैधानिक एमएआरपीओएल नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ हासिल किया जाता है। सभी जहाजों को फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन / आरओ / द्वारा प्रमाणित किया जाता है और आईओपीपी प्रमाण पत्र (अंतर्राष्ट्रीय तेल प्रदूषण रोकथाम) प्रशंसापत्र के रूप में जारी किए जाते हैं।

6. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) के विवरण प्रदान करें:**

पैरामीटर	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2022–23
एनओएक्स	मेट्रिक टन (एमटी)	1901.17	1831.55
एसओएक्स	मेट्रिक टन (एमटी)	76.56	55.65
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	मेट्रिक टन (एमटी)	48.398	50.238
लगातार कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य- कृपया निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ / नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम – हाँ, आईआरएस (इण्डियन रजिस्टर ऑफ़ शिप्पिंग)

7. **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता के विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

पैरामीटर	इकाई	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 समकक्ष	760.200	11.96.40
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में ब्रेक-अप, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 समकक्ष	(420 KG)	(661 KG)
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 टर्नओवर की प्रति रुपया उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / प्रचालनों से राजस्व)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित टर्नओवर का प्रति रुपया कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालनों से राजस्व)	लागू नहीं	0.000033	0.000040
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 वायु उत्सर्जन की तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। - नहीं।

8. **क्या इकाई के यहाँ ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें.**

नहीं।

9. **निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें:**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक कचरा (A)	शून्य	शून्य
ई-कचरा (B)	शून्य	शून्य
जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (C)	शून्य	शून्य
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (D)	शून्य	शून्य
बैटरी कचरा (E)	शून्य	शून्य
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (F)	शून्य	शून्य
अन्य खतरनाक अपशिष्ट, कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो। (G) 1. खाली बैरल 2. अपशिष्ट तेल	562 Nos 248.08 KL	549 nos 86.8
उत्पन्न अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट (क). कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई हो।. (संरचना द्वारा ब्रेक-अप यानी क्षेत्र से संबंधित सामग्री द्वारा) 1. एमएस स्क्रैप 2. एल्यूमिनियम ब्रेक शू 3. कास्ट स्टील 4. लोहे निकला हुआ किनारा के साथ रबर	491.7 Tons 0.1 Tons 0.24 Tons 4.36 Tons	शून्य
कुल (A+B + C + D + E + F + G + H)	496.4 टन 300 बैरल	**शून्य**
पण्यावर्त की प्रति रुपया अपशिष्ट की तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/प्रचालनों से राजस्व)	लागू नहीं	लागू नहीं
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित पण्यावर्त की प्रति रुपया अपशिष्ट की तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट / पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालनों से राजस्व)	लागू नहीं	लागू नहीं
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट की तीव्रता	लागू नहीं	लागू नहीं
अपशिष्ट की तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुन: उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से बरामद किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
कचरे की श्रेणी		
(i) पुनर्नवीनीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) पुनः उपयोग किया गया	लागू नहीं	लागू नहीं

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2022–23
(iii)अन्य पुनर्प्राप्ति प्रचालन	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति द्वारा निपटाया गया कुल कचरा (मीट्रिक टन में)		
कचरे की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) लैंडफिलिंग	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)अन्य निपटान कार्य	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	लागू नहीं	लागू नहीं

नोटः इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। – नहीं।

10. **अपने प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।**

    डीसीआई ने अपनी जलयान कचरा प्रबंधन योजना तैयार की है। डीसीआई नियमित रूप से पुनर्चक्रण और उचित निपटान तकनीकों का अभ्यास करता है। ई-अपशिष्ट और कागज अपशिष्ट का एकत्रीकरण, छंटाई और संबंधित अनुमोदित विक्रेताओं को आपूत की जाती है। इसके अलावा, डीसीआई प्रासंगिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है, जिसमें खतरनाक कचरे का उचित संचालन और निपटान शामिल है।

11. **पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में / उनके आसपास यदि इकाई के संचालन / कार्यालय हैं, जहां पर्यावरण अनुमोदन / मंजूरी की आवश्यकता है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप में विवरण निर्दिष्ट करें।**

क्र. सं.	प्रचालन/कार्यालयों का स्थान	प्रचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हाँ/नहीं) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, तो वह क्या है?
1.	पत्तन	निकर्षण	हां, पर्यावरणीय मंजूरी पत्तनों द्वारा ली जाती है।

12. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा किए गए परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के विवरण:**

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया (हाँ / नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम सूचित किए गए? (हां / नहीं)	संबंधित वेब-लिंक
शून्य					

13. **क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके अधीन नियम (हाँ/नहीं)। यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें**

क्र. सं.	उन कानून/विनियम/दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया था	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम सूचित किए गए? (हां / नहीं)	सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो,
शून्य				

नेतृत्व संकेतक

1. **पानी की निकासी, खपत और पानी की कमी के क्षेत्रों में निर्वहन (किलोलीटर में):** लागू नहीं

    जल दबाव वाले क्षेत्रों में स्थित प्रत्येक सुविधा / संयंत्र के लिए, निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: लागू नहीं

    (i) **क्षेत्र का नाम :** लागू नहीं

    (ii) **प्रचालनों की प्रकृति :** लागू नहीं

    (iii) **निम्नलिखित प्रारूप में पानी की निकासी, खपत और निर्वहन:** लागू नहीं

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
स्रोत द्वारा पानी की निकासी (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) भूजल	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) तृतीय पक्ष जल	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)समुद्री जल / अलवणीकृत पानी	लागू नहीं	लागू नहीं
(v) अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं
पानी की निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
पानी की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
पण्यावर्त की प्रति रुपया पानी की तीव्रता (खपत किया गया पानी/पण्यावर्त)	लागू नहीं	लागू नहीं
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार पानी का निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल के लिए	लागू नहीं	लागू नहीं
- कोई उपचार नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii) भूजल के लिए	लागू नहीं	लागू नहीं
- कोई उपचार नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii) समुद्री जल के लिए	लागू नहीं	लागू नहीं
- कोई उपचार नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv) तृतीय-पक्षों को भेजा गया	लागू नहीं	लागू नहीं
- कोई उपचार नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
(v) अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं
- कोई उपचार नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
- उपचार के साथ - कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल डिस्चार्ज किया गया पानी (किलोलीटर में)	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। - नहीं।

2. **कृपया निम्नलिखित प्रारूप में कुल स्कोप 3 उत्सर्जन और इसकी तीव्रता के विवरण दें:**

पैरामीटर	इकाई	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में ब्यौरा, यदि उपलब्ध हो)	CO2 समकक्ष मीट्रिक टन	760200	119640
पण्यावर्त के प्रति रुपया कुल स्कोप 3 उत्सर्जन	-	0.000033	0.000040
कुल स्कोप 3 उत्सर्जन की तीव्रता (वैकल्पिक) - प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट: इंगित करें कि क्या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन / मूल्यांकन / आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी एजेंसी का नाम। - नहीं।

3. **उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में रिपोर्ट किए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचार गतिविधियों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें: लागू नहीं**

4. **यदि इकाई ने संसाधन दक्षता में सुधार के लिए कोई विशिष्ट पहल की है या नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/प्रवाह निर्वहन/उत्पन्न अपशिष्ट के कारण प्रभाव को कम किया है, तो कृपया निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार उसी का विवरण और ऐसी पहलों के परिणाम प्रदान करें:**

क्र.सं	की गई पहल	पहल के विवरण (वेब-लिंक, यदि कोई हो, सारांश के साथ दिया जाए)	पहल के परिणाम
1.	आईएसओ -14001	आईएसओ -14001 का कार्यान्वयन	पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली अनुपालन
2.	मारपोल	आईएपीपी, आईओपीपी, आईएसपीपी के लिए प्रमाणित जलयान.	आईएमओ अनुपालन

5. **क्या इकाई में व्यवसाय निरंतरता और आपदा प्रबंधन योजना है? 100 शब्दों/वेब लिंक में विवरण दें:**

डीसीआई आपदा प्रबंधन योजना विशाखपट्टणम पतन प्राधिकरण का हिस्सा है। डीसीआई की व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) जोखिम प्रबंधन रणनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है जिसमें मानव संसाधन, परिसंपत्तियाँ और व्यावसायिक प्रक्रियाओं, प्राकृतिक आपदाओं-मौसम संबंधी घटनाओं, बाढ़, आग, साइबर

और आभासी हमलों, प्रचालनगत जोखिमों, आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों, वित्त, स्वास्थ्य और सुरक्षा, और अन्य पहलुओं के लिए आकस्मिक योजना शामिल है जो डाउनटाइम या विफलता से प्रभावित हो सकते हैं। कंपनी जोखिम पहचान और शमन प्रक्रिया के अंतर्गत इन जोखिमों को पकड़ती है और व्यावसायिक निर्णय लेते समय इसके प्रभाव पर विचार करती है।.

बीसीपी में एक विस्तृत चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका शामिल है जो निम्नलिखित को रेखांकित करती है:

- विशिष्ट प्रतिक्रिया
- जवाब के लिए जिम्मेदार लोग
- प्रमुख जिम्मेदारियां
- समयरेखा जो इस बात पर प्रकाश डालती है कि प्रतिक्रियाओं को कब निष्पादित किया जाना है

डीसीआई ने आपदा प्रबंधन योजना के साथ स्थल विशिष्ट आपातकालीन योजना भी विकसित की है जिसमें घटना को समय पर रोकने, हताहतों की संख्या को कम करने और व्यक्तिगत भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ किसी बाढ़, चक्रवात, भूकंप या आग के खतरे की घटना में और चोटों को रोकने के लिए प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाया गया है।

6. **इकाई की मूल्य श्रृंखला से उत्पन्न पर्यावरण पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव का खुलासा करना। इस संबंध में इकाई द्वारा क्या शमन या अनुकूलन उपाय किए गए हैं:**

डीसीआई अपनी सेवाओं और इकाई की मूल्य श्रृंखला से जुड़े पर्यावरणीय जोखिमों को पहचानता है। कंपनी सुनिश्चित करती है कि मूल्य श्रृंखला लागू पर्यावरण अनुमतियों (गतिविधि के लिए सहमति और रसद भागीदारों के लिए पीयूसी) का पालन करती है। इन जोखिमों को कम करने के लिए कंपनी नवीनतम तकनीकों और नवाचारों पर निवेश करती है। इसने ठोस प्रयास किए हैं।

7. **मूल्य श्रृंखला भागीदारों का प्रतिशत (ऐसे भागीदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य से) जिनका पर्यावरणीय प्रभावों के लिए मूल्यांकन किया गया था:**

कंपनी ने मूल्य श्रृंखला भागीदारों का कोई वस्तुगत मूल्यांकन नहीं किया है। हालांकि, कंपनी सुनिश्चित करती है कि 100% मूल्य श्रृंखला सदस्य लागू पर्यावरण अनुमतियों का पालन करें।

7 सिद्धान्त

व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें इस रीति में करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो।

आवश्यक संकेतक

1. a. **व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।**

   b. **शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की सूची (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जिसका यह इकाई सदस्य है / जिससे इसकी संबद्धता है।**

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडल/संघ का नाम	व्यापार और उद्योग मंडल/संघ (राज्य/राष्ट्रीय) की पहुंच
1	एफआईसीसीआई	राष्ट्रीय
2	भारतीय समुद्री संघ	राष्ट्रीय
3	एनयूएसआई	राष्ट्रीय
4	आईएनएसए	राष्ट्रीय
5	राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड	राष्ट्रीय

2. **विनियामक प्राधिकरणों से प्रतिकूल आदेशों के आधार पर संस्था द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना:**

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
	शून्य	

नेतृत्व संकेतक

1. **इकाई द्वारा वकालत की गई सार्वजनिक नीति की स्थिति के विवरण:**

क्र. सं.	वकालत की गई सार्वजनिक नीति	इस तरह की वकालत के लिए विधि बहाल की गई	क्या जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है? (हाँ/नहीं)	बोर्ड द्वारा समीक्षा की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो
कंपनी उद्योग मंडलों, संघों, सरकारी मंत्रालयों और नियामकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न है और बुनियादी ढांचा क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और सुरक्षा आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर अपने इनपुट प्रदान करती है। इन वर्षों में, कंपनी के अधिकारियों ने सार्वजनिक नीति को आकार देने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।					

8 सिद्धान्त

व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) के विवरण:**

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया (हाँ / नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में परिणाम सूचित किए गए? (हां / नहीं)	संबंधित वेब-लिंक
डीसीआई ने एसआईए से संबंधित कोई कार्यकलाप संचालित नहीं किए हैं।					

2. **उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी दें, जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) कार्यक्रम किए जा रहे हैं:**

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर चल रहा है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की कुल संख्या	आर एंड आर द्वारा कवर किए गए पीएएफ का %	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपयों में)
डीसीआई ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन से संबंधित कोई कार्यकलाप नहीं किए हैं.						

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें:**

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRMS) एक ऑनलाइन मंच है, जो आम जनता की शिकायतों को संबोधित करने के माध्यम से भारत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए शासन में सुधार के लिए एक प्रमुख पहल है। डीसीआई पोर्टल का उपयोग समुदायों की शिकायतों को दूर करने और दर्ज की गई शिकायतों, प्रगति को ट्रैक करने और अपडेट प्राप्त करने के लिए करता है। संबंधित विभाग शिकायत की समीक्षा करता है और आवश्यक कार्रवाई करता है।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य द्वारा कुल इनपुट के प्रति इनपुट):**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त	11%	15%
सीधे भारत के भीतर से	13.22%	17.65%

5. **छोटे शहरों में रोजगार सृजन – निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/संविदात्मक आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का विवरण, कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में दें:**

स्थान	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23
ग्रामीण	69.5	68.8
अर्ध-शहरी	18.2	17.6
शहरी	8.7	9.8
महानगरीय	3.6	3.8

(स्थान को आरबीआई वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा - ग्रामीण / अर्ध-शहरी / शहरी / महानगरीय)

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें (संदर्भ: उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1):

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
कंपनी द्वारा आवश्यक कोई कार्रवाई नहीं.	

2. सरकारी निकायों द्वारा पहचाने गए नामित आकांक्षी जिलों में अपनी इकाई द्वारा किए गए सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्र. सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (भारतीय रुपयों में)
1	आंध्र प्रदेश	अल्लूरी सीतारामराजू जिला	रु. 5,00,000/-

3. (a) क्या आपके पास एक अधिमानी खरीद नीति है जहां आप हाशिए पर / कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)

   हाँ

   (b) आप किन हाशिए वाले/कमजोर समूहों से खरीद करते हैं?

   1) एमएसएमई/एससी-एसटी के स्वामित्व वाला विक्रेता

   2) महिला उद्यमी

   (c) यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

   वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी की खरीद का 13.2% स्थानीय राज्य विक्रेताओं से और 13.2% उसी जिले से प्राप्त किया गया था।

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में):

क्र. सं.	पारंपरिक ज्ञान के आधार पर बौद्धिक संपदा	स्वामित्व / अर्जित (हाँ/नहीं)	लाभ साझा किया गया (हाँ/नहीं)	लाभ शेयर की गणना का आधार
कंपनी के यहाँ वर्ष के दौरान पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्वामित्व, निर्मित या अधिग्रहित कोई बौद्धिक संपदा नहीं है।				

5. बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल है।:

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
कंपनी के पास वर्ष के दौरान पारंपरिक ज्ञान के आधार पर स्वामित्व, निर्मित या अधिग्रहित कोई बौद्धिक संपदा नहीं है।		

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए वाले समूहों के लाभार्थियों का %
1.	आंध्र प्रदेश के अरुकु, अल्लूरी सीताराम राजू जिले के जनजातीय एजेंसी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बोरवेल की स्थापना	2 गांवों के लोग	100% जनजातीय लोग

9 सिद्धान्त

व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और मूल्य प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें:**

डीसीआई को सीपीजीआरएएमएस पोर्टल, ईमेल, पत्र और डाक आदि जैसे विभिन्न तरीकों से शिकायतें प्राप्त होती हैं।

शिकायतों और व्यथावेदनों को संबंधित अनुभागों, विभागों, आरबीजी, एसबीजी के समक्ष भेजाजाता है और उचित निवारण तंत्र अपनाया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित शिकायत निवारण नीति के माध्यम से भी शिकायतों पर कार्रवाई की जाती है।

2. **उत्पादों और/सेवाओं का पण्यावर्त, उन सभी उत्पादों/सेवाओं के पण्यावर्त के प्रतिशत के रूप में, जो निम्नलिखित के बारे में जानकारी रखते हैं:**

	कुल पण्यावर्त के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद के लिए प्रासंगिक पर्यावरण और सामाजिक पैरामीटर	लागू नहीं
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	लागू नहीं
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2022-23		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणियां
डेटा गोपनीयता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विज्ञापन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
साइबर सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अनुचित व्यापार व्यवहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस बुलाने के उदाहरणों का विवरण:**

	संख्या	उत्पाद वापस बुलाने के कारण
स्वैच्छिक रूप से वापस बुलाया गया	0	लागू नहीं
जबरदस्ती वापस बुलाया गया	0	

5. **क्या इकाई के यहाँ साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई ढांचा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब-लिंक प्रदान करें।**

हां, डीसीआई में साइबर सुरक्षा ढांचा है और उसने साइबर जोखिमों और डेटा गोपनीयता खतरों से निपटने और उन्हें कम करने के लिए तंत्र स्थापित किए हैं। यह ढांचा संभावित सुरक्षा उल्लंघनों के खिलाफ व्यावसायिक प्रक्रियाओं की सुरक्षा और ग्राहक डेटा के किसी भी दुरुपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण है। आईटी हेड यह सुनिश्चित करता है कि साइबर घटनाओं से उत्पन्न जोखिमों और उन्हें कम करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में नियमित आधार पर ईमेल के माध्यम से कर्मचारियों को शिक्षित करके आईटी सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रणालियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। सालाना, कंपनी सभी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों पर भेद्यता मूल्यांकन करती है और आवर्ती आधार पर, एक तीसरा पक्ष हमारी प्रणाली की प्रभावशीलता, प्रक्रियाओं, परिपक्वता और प्रथाओं का ऑडिट करता है ताकि उनकी दक्षता सुनिश्चित हो सके। डीसीआई की गोपनीयता नीति www.dredge-india.com पर उपलब्ध है

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण, साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस बुलाने के उदाहरणों की पुन: घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा जुर्माना / की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करना;**

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण चिंताओं/शिकायतों/दंड/विनियामक कार्रवाइयों की पहचान नहीं की गई। फिर भी, हमारी प्रतिबद्धता हमारे ग्राहकों को उच्चतम गुणवत्ता वाले उत्पाद देने में दृढ़ बनी हुई है। हम अपनी सेवाओं को लगातार बढ़ाने के लिए अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सभी हितधारकों से प्रतिक्रिया को सक्रिय रूप से शामिल करते हैं।

7. **डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

   a. **डेटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या:** शून्य

   b. **ग्राहकों की व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत:** शून्य

   c. **डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो:** लागू नहीं

नेतृत्व संकेतक

1. **ऐसे चैनल/प्लेटफ़ॉर्म जहाँ इकाई के उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है (यदि उपलब्ध हो तो वेब लिंक प्रदान करें).**

   हां, हमारी सेवाओं के बारे में सभी आवश्यक जानकारी हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और इसे यहां देखा जा सकता है: www. dredge-india.com

2. **उत्पादों और/या सेवाओं के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित और शिक्षित करने के लिए उठाए गए कदम.**

   कंपनी बी2सी स्पेस में काम नहीं करती है और निर्मित उत्पाद क्लाइंट/ग्राहक विनिर्देशों के अनुसार बनाए जाते हैं। उत्पाद व्यवसाय औद्योगिक और रक्षा उपयोग के लिए भारी मशीनों और मशीन भागों का निर्माण करता है। कंपनी अपने ग्राहकों/ग्राहकों के साथ नियमित आधार पर अपने उत्पादों, नवाचारों, नई प्रौद्योगिकियों और तकनीकों के बारे में बताती है जिन्हें उत्पाद की गुणवत्ता और विशेषताओं को बढ़ाने के लिए लागू किया जाता है या लागू करने का प्रस्ताव है।

3. **आवश्यक सेवाओं के व्यवधान/बंद होने के किसी भी जोखिम के बारे में उपभोक्ताओं को सूचित करने के लिए स्थापित तंत्र.**

   कंपनी की आवश्यक सेवाओं के प्रावधान में कोई प्रत्यक्ष उपस्थिति या भूमिका नहीं है। हालाँकि, परियोजनाओं के निष्पादन और मशीनरी/उपकरणों के परिवहन के दौरान, ग्राहकों और संबंधित सार्वजनिक विभागों/प्राधिकरणों को इलेक्ट्रॉनिक संचार और टेलीफोन कॉल के माध्यम से अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है और सड़क बंद करने, यातायात मोड़ने, उपयोगिता आपूर्ति को अलग करने आदि के लिए उनकी अनुमति मांगी जाती है।

4. **क्या इकाई स्थानीय कानूनों के अनुसार अनिवार्य के अलावा उत्पाद पर उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करती है? (हां/नहीं/लागू नहीं) यदि हाँ, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें। क्या आपकी इकाई ने इकाई के प्रमुख उत्पादों / सेवाओं, इकाई या इकाई के संचालन के महत्वपूर्ण स्थानों से संबंधित उपभोक्ता संतुष्टि के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है? (हाँ/नहीं)**

   कंपनी ऐसे उत्पादों का निर्माण या बिक्री नहीं करती है जो ऐसे कानूनों के अंतर्गत आते हैं। विभिन्न व्यावसायिक वर्टिकल व्यवस्थित तरीके से ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण और फीडबैक आयोजित करते हैं और यह एक प्रक्रिया है जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली में शामिल है। फीडबैक एक संरचित प्रश्नावली आधारित प्रासंगिक मापदंडों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। फीडबैक आमतौर पर अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर एकत्र किया जाता है। सुधार के क्षेत्रों से संबंधित मुख्य बिंदुओं को फीडबैक रिपोर्ट में शामिल किया जाता है जिसकी नियमित आधार पर संबंधित व्यवसाय के वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट पर रिपोर्ट

राय :-

हमने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखपट्टणम ('कंपनी') के स्टैंडअलोन भा.ले.मा. वित्तीय विवरणों का परीक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक का तुलन-पत्र , लाभ-हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), ईक्विटी में परिवर्तन के विवरण और उस समय समाप्त हुए वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और सामग्री लेखांकरण नीति संबंधी सूचनासहित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी (इसके बाद ''वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित ढंग से प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133, साथ ही कंपनी (''लेखाकरण मानक'') नियम, 2006, यथा-संशोधित (''लेखाकरण मानक'') और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की इस कम्पनी की स्थिति, लाभ/हानि, और इस तिथि को समाप्त वर्ष संबंधी नकद प्रवाह की सही स्थिति प्रस्तुत करती हैं।

राय के लिए आधार -

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षण संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखा-परीक्षण किया है। इसके तहत हमारे दायित्वों के विवरण आगे हमारे प्रतिवेदन के ''वित्तीय विवरणियों के लेखा-परीक्षण के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व'' खंड में दिए गए हैं। भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी की गई आचार संहिता, साथ ही कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसकी नियमावली के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे परीक्षण के लिए संगत नैतिक अपेक्षाओं के अनुसरण में, हम स्वतंत्र हैं और आचार संहिता की इन अपेक्षाओं के अनुसार हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा-परीक्षा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त और समुचित आधार बने हैं।

जोर देने योग्य विषय -

हम ध्यान आकर्षित करते हैं;

a) टिप्पणी संख्या 1 में किसी हानि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाजार मूल्य/उपयोग में मूल्य रिपोर्टिंग तिथि के अंत में पीपीई की वहन राशि से अधिक है।

b) सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास द्वारा की गई विवादित वसूली के कारण उनसे प्राप्य राशियों के संबंध में वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं 6

c) टिप्पणी संख्या 30 और उप टिप्पणी सं.11, जो क्रमश: देनदारों और लेनदारों के शेष के संबंध में हैं। उक्त शेष राशियाँ पुष्टिकरण और समाधान के अधीन हैं।

d) टिप्पणी संख्या 30 उप टिप्पणी सं 12, जो चालू वर्ष के दौरान लेखागत पूर्व अवधि मदों के कारण तुलनात्मक और पिछली अवधियों के पुनर्विवरण के संबंध में।

उपरोक्त मामलों के बारे में हमारी राय अपरिवर्तित है।

प्रमुख लेखा-परीक्षण मामले :-

प्रमुख लेखा-परीक्षण मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को वित्तीय विवरणों की हमारे लेखा-परीक्षण के संदर्भ में समग्र रूप से संबोधित करने और उस पर हमारी राय बनाने में किया गया था। हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने निर्धारित किया है कि अपनी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए कोई भी प्रमुख लेखा-परीक्षण मामले नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी -

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन रिपोर्ट और अध्यक्ष के कथन में सम्मिलित जानकारी है लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उनपर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। उम्मीद है कि वार्षिक रिपोर्ट इस लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथि के बाद हमें उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को आवरित नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन, निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी प्रस्तुत करना है, और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, और यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमसे अपेक्षित है कि हम मामले को शासन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बताएं तथा प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के तहत लागू आवश्यक कार्रवाई करें।.

प्रबंधन की जिम्मेदारियां और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए अभिशासन के प्रभारी

अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरणगत मानकों सहित, भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखाकरणगत सिद्धांतों के अनुसार, इस कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, ईक्विटी में परिवर्तन और नकद प्रवाह का सही और उचित सूचना देनेवाली इन स्टैण्डअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में कम्पनी अधिनियम,2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में उल्लिखित विषयों के लिए इस कम्पनी का निदेशक मण्डल उत्तरदायी है।

इस कम्पनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा करने और छल-कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता कर उनका निवारण करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा-अभिलेखों का निर्वाह करना, लेखाकरण कार्यनीतियों के समुचित चयन और अनुप्रयोग करना, समुचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय और प्राक्कलन करना, लेखा अभिलेखों की शुद्धता

और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित होनेवाले पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन और निर्वाह करना, किसी छल या तृटि के कारण, सही और स्पष्ट सूचना देनेवाली और वस्तुगत अपकथन से मुक्त वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुति करना भी इस दायित्व में सम्मिलित हैं।

जब तक निदेशक मण्डल इस कम्पनी को परिसमाप्त करने का इरादा नहीं रखता या प्रचालनसमाप्त नहीं कर देता अथवा ऐसा करने के सिवा कोई अन्य वास्तविक विकल्प नहीं रखता, तब तक इन वित्तीय विवरणियों की तैयारी में व्यवहार्य पद्धति पर जारी रहने की इस कम्पनी की क्षमता का निर्धारण करने और यथा-प्रयोज्य मामलों को व्यवहार्य पद्धति में प्रकटन करने तथा लेखाकरण के व्यवहार्य पद्धति का प्रयोग करने के लिए यह निदेशक मण्डल उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारे उद्देश्य इस बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या किसी छल या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरण पूरी तरह से वस्तुगत अपकथन से मुक्त हैं या नहीं और लेखा-परीक्षकों का प्रतिवेदन जारी करना, जिसमें हम ारी राय भी सम्मिलित है। समुचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन तो है ही, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा-परीक्षणगत मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखा-परीक्षा वस्तुगत अपकथन को, यदि मौजूद हो, तो हमेशा पता लगाएगा।

ये अपकथन छल-कपट या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है।

लेखा-परीक्षणगत मानकों के अनुसार लेखा-परीक्षा के अंतर्गत, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा-परीक्षण में व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- छल-कपट या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में हुए वस्तुगत अपकथन की जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, उन जोखिमों के प्रति अनुक्रियाशील ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन कर निष्पादित करते हैं और लेखा-परीक्षा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त होते हैं। छल-कपट के परिणामस्वरूप वस्तुगत अपकथन का पता नहीं लगाने का जोखिम, भूल या त्रुटि के परिणामस्वरूप होनेवाली जोखिम से भी अधिक है, क्योंकि छल-कपट में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना जुड़ी होती है।
- परिस्थितियों के अनुरूप ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाविता है।
- प्रयोग की गई लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और लेखाकरण अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संगत प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटन सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय का मूल्यांकन करते हैं और इन वित्तीय विवरणियों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को ऐसी पद्धति में दर्शाया गया है कि नहीं जिससे सही प्रस्तुतीकरण प्राप्त हो।.

हम अन्य मामलों के साथ, लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध विस्तार और समय तथा महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्ष, अपनी लेखा-परीक्षा के दौरान हमारे द्वारा पहचानी गई आंतरिक नियंत्रण की महत्वपूर्ण कमियों संबंधी सूचना अभिशासकों को देते है।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

उन अभिशासकों को सूचित किए गए मामलों में से, हम उन मामलों को महत्वपूर्ण निर्धारित करते हैं, जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा-परीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए वे प्रमुख लेखा-परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि इस मामले का उल्लेख हमारी रिपोर्ट में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं जिससे सार्वजनिक हित लाभ ऐसी सूचना से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते है।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') में यथापेक्षित, अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) की शर्तों के अधीन, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट विषयों पर, जहां तक लागू हो, मअनुलग्नक-एफ में एक विवरणी देते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथापेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
   (a) हमने अपने लेखा-परीक्षण के प्रयोजनों के लिए अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं।

(b) हमारी राय में, कानून द्वारा यथापेक्षित, उचित लेखा-बहियाँ कंपनी में निर्वाहित की गई हैं, जहां तक यह उन बहियों की हमारी लेखा-परीक्षा से लगता है।.

(c) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ -हानि विवरणी, ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकद प्रवाह विवरणी, लेखा बहियों के अनुरूप हैं।.

(d) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 साथ ही कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के अंतर्गत निर्धारित लेखाकरणगत मानकों का अनुपालन करते हैं।.

(e) निदेशक मंडल द्वारा अभिलेखित दिनांक 31 मार्च, 2024 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों के अधीन, दिनांक 31 मार्च, 2024 तक कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य नहीं ठहरते।.

(f) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाविता के संबंध में, ''अनुलग्नक-बी'' में हमारे अलग से दिए गए प्रतिवेदन को देखें।

(g) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में, हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 30 देखें.

(ii) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं थे, जिनके लिए कोई सामग्री संबंधी पूर्वानुमानित हानि थे।.

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जाने को अपेक्षित राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.7 को देखें।.

(iv) परीक्षण जांच सहित हमारी परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने अपने लेखा-बहियों के निर्वाह के लिए एक लेखाकरण सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी संगत लेनदेन के लिए वर्ष-भर इसका प्रचालन किया गया है। आगे, हमारे लेखा-परीक्षण के दौरान, हमें ऑडिट ट्रेल फीचर के साथ हेरफेर का कोई प्रमाण नहीं मिला।.

(v) (i) प्रबंधन ने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रस्तुत किया है कि कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (''मध्यस्थ'') शामिल है, में कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) अग्रिम या उधार या निवेशित नहीं की गई है (चाहे उधार ली गई निधियों, शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगा।;

(ii) प्रबंधन ने अपनी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रस्तुत किया है कि कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (''फ़ंडिंग पार्टी'') शामिल है, से कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हो) प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कम्पनी, फ़ंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करेगी।

(iii) इन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी जानकारी में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत दिए गए अभ्यावेदनों में, जैसा कि ऊपर (i) और (ii) में बताया गया है, कोई वस्तुगत अपकथन है।.

(h) अधिनियम, यथा-संशोधित, की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी अधिकतम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार है।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 5 की शर्तों के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के अंतर्गत यथापेक्षित, हम अपनी रिपोर्ट **अनुलग्नक – ग** में संलग्न करते हैं।

कृते राव एण्ड कुमार
सनदी लेखापाल
एफआरएन03089एस
-ह0/-

अनिर्बन पाल
भागीदार
एम.नं.214919
यूडीआईएन नं.24214919बीकेबीजीओई2046

स्थानः विशाखपट्टणम
दिनांकः 29.05.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का

"अनुलग्नक-ए"

(हमारी समदिनांकित रिपोर्ट में 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

(i) (a) (A) कंपनी ने अपनी स्थिर परिसंपत्ति बही को एक संपादन योग्य एक्सेल प्रारूप में निर्वाह किया है और मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की स्थिति सहित पूर्ण विवरणों की आवश्यक रिकॉर्डिंग का अनुपालन नहीं किया है।

(B) कंपनी कोई अमूर्त परिसंपत्ति नहीं रखती, आदेश के पैराग्राफ 3 (i) के खंड (बी) को कंपनी के लिए अनुपयुक्त माना जाता है।

(b) प्रबंधन ने वार्षिक तौर पर सभी प्रधान परिसंपत्तियों (निकर्षक) का भौतिक सत्यापन किया है। हमारी राय में, भौतिक सत्यापन की आवधिकता उचित है। इस तरह के सत्यापन पर कोई साम ग्री विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।.

(c) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और इस कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.30, उप टिप्पणी सं.16 के साथ पढ़े जाने पर, अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेखों के विवरण (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और जहाँ पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए गए हैं) कंपनी के नाम पर दिए गए हैं।

(d) कंपनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (परिसंपत्ति के उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया था।.

(e) हमारी अधिकतम जानकारी और ज्ञान के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और न ही लंबित है।.

(ii) (a) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा शाखाओं में ड्रेजरों पर मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया है। तथापि, प्रबंधन द्वारा सत्यापन के विस्तार क्षेत्र और प्रक्रिया में, समय पर समन्वय, अचल और अप्रचलित मालसूची की पहचान जैसे सुधारों की आवश्यकता है। जिसके अधीन, भौतिक स्टॉक और बही अभिलेखों के बीच मालसूचियों के प्रत्येक वर्ग में समग्र रूप में 10% से कम की विसंगतियाँ सत्यापन पर पाई गईं।.

(b) चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा कंपनी को कुल मिलाकर 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी मंजूर की गई। ऐसे बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ कंपनी द्वारा फाइल की गई तिमाही विवरणियाँ, कंपनी की लेखा-बहियों से मेल नहीं खाती हैं, जैसा कि नीचे वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं.30, उप-टिप्पणी 16 में दिया गया है।

(रुपये लाखों में)

विवरण	30 जून 2023 को समाप्त तिमाही	30 सितम्बर 2023 को समाप्त तिमाही	31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही	31 मार्च 2024 को समाप्त तिमाही
बहियों के अनुसार व्यापार प्राप्य शेष	27,975.49	34,533.19	37,065.84	35,693.43
गुणवत्ता विवरणी के अनुसार व्यापार प्राप्य शेष	35,400.43	34,618.62	37,065.85	35,769.25
अंतर	-7,424.94	-85.43	-0.01	-75.82

(iii) चूंकि इस कंपनी ने ऋणों में कोई निवेश नहीं किया था/कोई उधार और अग्रिम नहीं दिए थे, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (iii) के खंड (ए) से (एफ) को कंपनी के लिए लागू नहीं माना जाता है।.

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) इस कंपनी ने ऐसी कोई जमा राशि या राशियाँ स्वीकार नहीं की है जिसे जमा माना जाता है जिस पर अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधान और अन्य संगत प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम लागू होते हैं।

(vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के व्यापार स्वरूप के विषय में केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों का निर्वाह निर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर, और अन्य संवैधानिक बकाया सहित अविवादात्मक संवैधानिक देय राशियाँ समुचित प्राधिकारियों को जमा करने में नियमित रही है, सिवाय रु. 2.06 करोड़ तक के जीएसटी आईटीसी रिवर्सल पर ब्याज देयता को छोड़कर, जिसके लिए बहियों में प्रावधान किया गया था।

(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवादों के हिसाब पर निम्नलिखित बकाये जमा नहीं की गई हैं.

क्र. सं.	संविधि का नाम	बकायों का स्वरूप	किस फोरम में लंबित है	यह राशि किस अवधि से संबंधित है	रुपये (लाखों में)
1	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	उच्च न्यायालय	2008-09 से 2011-12	2828.00
2	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीआईटी (ए)	2011-12 से 2014-15 और 2016-17 से 2020-21	5801.00
3	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	आईटीएटी	2015-16	82.00
4	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	सीपीसी	2020-21	596.00
5	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	सीईएसटीएटी	2005-06 से 2017-18	13,843.00
6	माल व सेवा कर अधिनियम, 2017	माल व सेवा कर	ट्रिबुनल	2017-18	918.00
7	माल व सेवा कर अधिनियम, 2017	माल व सेवा कर	अपर आयुक्त	2017-18	310.00

(viii) ऐसे कोई लेनदेन नहीं थे, जिनका अभिलेख लेखा-बहियों में नहीं किया गया और जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किए गए।

(ix) (a) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण, अन्य उधार या ब्याज के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।;

(b) हमें दी गई जानकारी से, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा ''विलफुल डिफॉल्टर'' घोषित नहीं किया गया है।;

(c) समग्र रूप से आहरित आवधिक ऋण और उसके उपयोग संबंधी अभिलेखों की समीक्षा के आधार पर, आवधिक ऋणों का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए ऋण लिए गए थे।;

(d) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र परीक्षा पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए किसी भी धन का उपयोग नहीं किया गया है।;

(e) इस कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई निधि नहीं लिया था।

(f) वर्ष के दौरान इस कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों की गिरवी पर कोई ऋण नहीं लिये थे।

(x) (a) इस कंपनी ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर या आगे के पब्लिक ऑफर (ऋण संबंधी दस्तावेजों सहित) द्वारा कोई धन-राशि एकत्रित नहीं की थी।

(b) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह से, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर) का कोई अधिमानी आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है।.

(xi) (a) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष रूप से रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई लेखा-परीक्षा संबंधी प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी के ऊपर कोई छल-कपटपूर्ण व्यवहार नहीं देखा गया है।.

(b) लेखा परीक्षकों ने कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत, कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के समक्ष कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की है।

(c) सचिवीय अभिलेखों की समीक्षा से हमें पता चला है कि कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। तद्नुसार, आदेश का खंड वाक्य 3 (xii) लागू नहीं होता।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन, जहाँ कहीं लागू हों, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुसार हैं, और ऐसे लेनदेन के विवरण, प्रयोज्य लेखाकरण मानकों द्वारा यथापेक्षित, वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

(xiv) (a) कंपनी ने आंतरिक लेखा-परीक्षण करने के लिए एक बाहरी एजेंसी नियुक्त की है और उनकी रिपोर्टें हमें उपलब्ध कराई गई है। हमारी राय में, इस कंपनी में अपने व्यापार के परिमाण और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।.

(b) हमने लेखा-परीक्षाधीन अवधि केलिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, इस कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन नहीं किए हैं।

(xvi) (a) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को धारा 45-1 ए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

(b) कंपनी के अभिलेखों की समीक्षा करने पर, हमारा विचार है कि इस कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवासीय वित्त कार्यकलाप नहीं किए थे।.

(c) यह कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में यथा-परिभाषित, एक प्रधान निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

(d) यह कंपनी किसी भी समूह का हिस्सा नहीं है (कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016, यथा-संशोधित, के प्रावधानों के अनुसार)।)

(xvii) कंपनी को चालू वित्त वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष में उसे 4,524.81 लाख रुपए की नकद हानि हुई थी।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया।

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति व वित्तीय देयताओं के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान एवं पूर्वानुमानों का समर्थन करने वाले प्रमाणों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी देयताओं को पूरा करने में सक्षम है। फिर भी, हमारा कहना है कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देयताओं को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।.

(xx) (i) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा 5के अंतर्गत यथापेक्षित, अन्य चालू परियोजनाओं के विषय में, इस कम्पनी के यहाँ कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है।

(ii) इस कम्पनी के यहाँ चालू परियोजनाओं के विषय में, धारा 135 की उप-धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने को अपेक्षित, कोई अप्रयुक्त राशि नहीं है।

(xxi) इन खंडों के अंतर्गत, कोई रिपोर्ट करने योग्य संस्थाएं नहीं हैं, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 (xx) को इस कंपनी के लिए अनुपयुक्त माना जाता है।

कृते राव एण्ड कुमार
सनदी लेखापाल
एफआरएन03089एस
-ह0/-

अनिर्बन पाल
भागीदार
एम.नं.214919
यूडीआईएन नं.24214919बीकेबीजीओई2046

स्थान: विशाखपट्टणम
दिनांक: 29.05.2024

''अनुलग्नक-बी''

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में 'अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 2 (एफ) में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का परीक्षण किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और निर्वाह शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथापेक्षित, कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, छल-कपट और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और कुशल संचालन, लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।.

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू सीमा तक लेखा परीक्षा के मानकों, दोनों के अनुसार अपना परीक्षण किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना बनाएं और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखे गए थे और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं। हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालनिक प्रभाविता के बारे में लेखा-परीक्षण प्रमाण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं लागू करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, मौजूद वस्तुगत कमजोरी की जोखिम का निर्धारण करना और निर्धारण किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालनिक प्रभाविता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, वित्तीय विवरणों में किसी छल-कपट या त्रुटि के कारण हुए वस्तुगत अपकथन के जोखिमों का आकलन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर होती हैं।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी विशेष लेखा-परीक्षण राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे साधारणतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं : (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार होने देने के लिए आवश्यक ढंग से दर्ज किए गए, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर वस्तुगत प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, अर्थात् छल की संभाव्यता या अव्यवस्थित प्रबंधन, नियंत्रणों का उल्लघन आदि की वजह से, त्रुटि या कपट से वस्तुगत अपकथन पाए जा सकते हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर गिर सकता है।

विशेष राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, दिनांक 31, मार्च 2024 तक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में नियंत्रण वातावरण, इकाई की जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया, नियंत्रण गतिविधियों, सूचना प्रणाली और संचार, नियंत्रणों की निगरानी और कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाविता में निम्नलिखित वस्तुगत कमजोरियाँ पहचानी गई हैं:

a) अचल और अप्रचलित स्टॉक की पहचान और मूल्यांकन के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली। खपत प्रविष्टियों को पारित करने में देरी और चूक और ड्रेजर्स पर पड़ी माल-सूचियों के लिए बाद में संशोधन।

b) प्रणाली माल-सूची की मदों के खिलाफ खपत प्रविष्टियों को पोस्ट करने की अनुमति देती है जिनमें अपर्याप्त/शून्य शेष होता है जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक इन्वेंट्री समापन शेष होता है।.

c) ग्राहक स्वीकृति, क्रेडिट मूल्यांकन और बिक्री के लिए क्रेडिट सीमा स्थापित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी अंतिम संग्रह की उचित निश्चितता स्थापित किए बिना राजस्व को पहचान सकती है।

d) ईआरपी प्रणाली का समय-समय पर परीक्षण नहीं किया जाता है।

e) संपादन योग्य एक्सेल प्रारूप में स्थान, मात्रा इत्यादि परिसंपत्तियों के विवरण का निर्वाह।

f) व्यापार देय और प्राप्य लेखों का लंबित मदों की उचित निगरानी और निकासी के साथ आवधिक मिलान।

g) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा और परीक्षण एक परामर्शदाता को सौंपा गया था, लेकिन हमारे ऑडिट के निष्कर्ष की तिथि तक पूरा नहीं हुआ था।

एक 'वस्तुगत कमजोरी' वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में एक ऐसी कमी या कमियों का एक संयोजन है, जिससे इस कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों में वस्तुगत अपकथनों का सामयिक तौर पर निवारण या पहचान नहीं किए जाने की उपयुक्त संभावना है।.

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, को छोड़कर, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरणों के मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार किया गया था।.

हमने 31, मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई वस्तुगत कमजोरियों पर विचार किया है और ये वस्तुगत कमजोरियां कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते राव एण्ड कुमार
सनदी लेखापाल
एफआरएन03089एस
-ह0/-

अनिर्बन पाल
भागीदार
एम.नं.214919
यूडीआईएन नं.24214919बीकेबीजीओई2046

स्थान: विशाखपट्टणम
दिनांक: 29.05.2024

"अनुलग्नक-सी"

(सम तारीख की हमारी रिपोर्ट में 'अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 3 में संदर्भित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट

क्र.सं.	जाँच किए गए क्षेत्र	प्रेक्षण/ निष्कर्ष
1	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली अमल में है? यदि हां, तो वित्तीय आशयों सहित, लेखों की संपूर्णता पर लेखाकरण लेनदेन के बाहरी आईटी प्रणाली के माध्यम से भेजने का प्रभाव, यदि हो, तो उल्लेख करें।	कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स - आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखाकरण लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। यह सुझाव दिया जाता है कि कंपनी समय-समय पर सिस्टम ऑडिट करवाने के लिए एक नीति बनाए।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी मौजूदा ऋण की पुनर्संरचना या ऋण/उधार/ब्याज की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले ऋणदाता द्वारा कंपनी को किए गए हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का समुचित रूप से हिसाब रखा गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा लिए गए पुनर्गठित/ छूट-प्राप्त/बट्टे खाते में डाले गए कोई विद्यमान उधार नहीं है।
3	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार समुचित रूप से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था? व्यतिक्रम के मामलों की सूची दें।	केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए ऐसी कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है।

कृते राव एण्ड कुमार
सनदी लेखापाल
एफआरएन03089एस
-ह0/-

अनिर्बन पाल
भागीदार
एम.नं.214919
यूडीआईएन नं.24214919बीकेबीजीओई2046

स्थान: विशाखपट्टणम
दिनांक: 29.05.2024

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय स्थिति पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों को तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 29 मई 2024 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यपत्रों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षक और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों की जाँच तक सीमित है। अपने पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं:

A. वित्तीय स्थिति के बारे में टिप्पणियाँ

तुलन-पत्र

परिसंपत्तियाँ

अप्रचलित परिसंपत्तियाँ

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (टिप्पणी सं.1):
रु. 1,43,845.40 लाख

कंपनी की घोषित लेखा नीति के अनुसार, निकर्षक का उपयोगी जीवन-काल 25 वर्ष के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। निकर्षक VIII, XI, XII और XIV का निर्माण 1976 और 1991 के बीच किया गया था और उन्होंने अपना उपयोगी जीवन पूरा कर लिया था और इन परिसंपत्तियों को 1 अप्रैल 2023 से पहले उनके अवशिष्ट मूल्यों पर पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया था। कंपनी ने फरवरी 2022 और मार्च 2024 के बीच इन निकर्षकों की शुष्क-गोदीकरणगत मरम्मतें की और रु.7702.27 लाख की शुष्क-गोदीकरणगत मरम्मतों (अतिरिक्त पुर्जों की कीमत सहित) की लागत को पूंजीकृत किया और शुष्क-गोदीकरण मरम्मतों के पूरा होने की तारीख से आईआरएस द्वारा डॉकिंग सर्वेक्षण प्रमाणन की अगली नियत तारीख तक उपयोगी जीवन पर विचार करके वर्ष 2022-23 के लिए रु.920.77 लाख और वर्ष 2023-24 के लिए रु.1042.11 लाख की राशि का मूल्यह्रास किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन ड्रेजरों पर के शुष्क गोदीकरण व्यय का पूंजीकरण कंपनी की लेखाकरण नीति और इस संबंध में प्राप्त आईसीएआई विशेषज्ञ की राय का उल्लंघन है। चूंकि ये परिसंपत्तियां अपने उपयोगी जीवन-काल को पार कर चुकी हैं, इसलिए निकर्षक VIII, XI, XII और XIV पर किए गए शुष्क गोदीकरण मरम्मत को अन्य व्यय के तहत मरम्मतें और निर्वाह (जलयान) लागत के रूप में चार्ज किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) को रु.5739.39 लाख से अधिक दर्शाया गया है और अन्य व्यय के अंतर्गत मरम्मतें और निर्वाह (जलयान) लागत को रु.6781.50 लाख से कम दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यह्रास और कर-पूर्व लाभ क्रमशः रु.1042.11 लाख और रु.5739.39 लाख से अधिक दर्शाया गया।

वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए डीसीआई के लेखों पर इस मुद्दे पर नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की इसी तरह की टिप्पणियों के बावजूद, कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक
के लिए और उनकी ओर से

-ह0/-
(एम.एस.सुब्रह्मण्यम)
वाणिज्य लेखा-परीक्षा महा निदेशक
हैदराबाद

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 07 अगस्त 2024

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर

क्र.सं.	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन की प्रतिक्रिया
1	कंपनी की घोषित लेखा नीति के अनुसार, निकर्षक का उपयोगी जीवन-काल 25 वर्ष के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। निकर्षक VIII, XI, XII और XIV का निर्माण 1976 और 1991 के बीच किया गया था और उन्होंने अपना उपयोगी जीवन पूरा कर लिया था और इन परिसंपत्तियों को 1 अप्रैल 2023 से पहले उनके अवशिष्ट मूल्यों पर पूरी तरह से मूल्यह्रास किया गया था। कंपनी ने फरवरी 2022 और मार्च 2024 के बीच इन निकर्षकों की शुष्क-गोदीकरणगत मरम्मतें की और रु.7702.27 लाख की शुष्क-गोदीकरणगत मरम्मतों (अतिरिक्त पुर्जों की कीमत सहित) की लागत को पूंजीकृत किया और शुष्क-गोदीकरण मरम्मतों के पूरा होने की तारीख से आईआरएस द्वारा डॉकिंग सर्वेक्षण प्रमाणन की अगली नियत तारीख तक उपयोगी जीवन पर विचार करके वर्ष 2022-23 के लिए रु.920.77 लाख और वर्ष 2023-24 के लिए रु.1042.11 लाख की राशि का मूल्यह्रास किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन ड्रेजरों पर के शुष्क गोदीकरण व्यय का पूंजीकरण कंपनी की लेखाकरण नीति और इस संबंध में प्राप्त आईसीएआई विशेषज्ञ की राय का उल्लंघन है। चूंकि ये परिसंपत्तियां अपने उपयोगी जीवन-काल को पार कर चुकी हैं, इसलिए निकर्षक VIII, XI, XII और XIV पर किए गए शुष्क गोदीकरण मरम्मत को अन्य व्यय के तहत मरम्मतें और निर्वाह (जलयान) लागत के रूप में चार्ज किया जाना चाहिए था। उपरोक्त का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) को रु.5739.39 लाख से अधिक दर्शाया गया है और अन्य व्यय के अंतर्गत मरम्मतें और निर्वाह (जलयान) लागत को रु.6781.50 लाख से कम दर्शाया गया है। परिणाम स्वरूप, वर्ष 2023-24 के लिए मूल्यह्रास और कर-पूर्व लाभ क्रमशः रु.1042.11 लाख और रु.5739.39 लाख से अधिक दर्शाया गया। वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए डीसीआई के लेखों पर इस मुद्दे पर नियंत्रक एवं महा लेखा-परीक्षक की इसी तरह की टिप्पणियों के बावजूद, कंपनी ने वर्ष 2023-24 के दौरान इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।	**जहां तक शुष्क गोदी व्यय के लेखाकरण का संबंध है,:** दिनांक 14.02.2022 को आयोजित 338वीं बैठक में कंपनी के तत्कालीन वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षकों के परामर्श से लेखा-परीक्षा समिति और बोर्ड द्वारा निकर्षकों के शुष्क गोदीकरण व्यय के पूँजीकरण की नीति की समीक्षा की गई और अनुमोदन किया गया और हमारी राय में यह भारतीय लेखाकरणगत मानक 16, पीपीई के अनुरूप है।. नीति के अनुसार, सभी जलयानों के शुष्क गोदीकरण (खपत किए गए अतिरिक्त पुर्जों सहित) के कारण होने वाले व्यय को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में पूंजीकृत किया जा रहा है और आईआरएस द्वारा यथा-प्रमाणित, शुष्क गोदीकरण के पूरा होने की तिथि से लेकर गोदीकरण सर्वेक्षण की अगली नियत तिथि तक की अवधि में मूल्यह्रास किया जा रहा है। भारतीय लेखाकरणगत मानक 16 के पैरा 7 और 14, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: पैरा 7: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी यदि और केवल यदि: (क) यह संभावना है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ इकाई को प्राप्त होंगे; और (ख) मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है. पैरा 14: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उदाहरण के लिए, एक विमान) के किसी आइटम को संचालित करना जारी रखने की एक शर्त यह हो सकती है कि आइटम के कुछ हिस्सों को बदला जाए या नहीं, दोषों के लिए नियमित रूप से बड़े निरीक्षण किए जाएं। जब प्रत्येक प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के आइटम की वहन राशि में मान्यता दी जाती है यदि मान्यता मानदंड संतुष्ट हैं। पिछले निरीक्षण की लागत की कोई भी शेष वहन राशि (भौतिक भागों से अलग) को मान्यता नहीं दी जाती है। यह इस बात की परवाह किए बिना होता है कि पिछले निरीक्षण की लागत उस लेनदेन में पहचानी गई थी जिसमें आइटम का अधिग्रहण या निर्माण किया गया था। यदि आवश्यक हो, तो भविष्य के समान निरीक्षण की अनुमानित लागत का उपयोग इस बात के संकेत के रूप में किया जा सकता है कि आइटम के अधिग्रहण या निर्माण के समय मौजूदा निरीक्षण घटक की लागत क्या थी।. भारतीय लेखा मानक 16 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के पैरा 7 और 14 के अनुसार, शुष्क गोदीकरण के लिए किया गया व्यय परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त करने के योग्य है क्योंकि पैरा 7 (ए), (बी) और 14 की संचयी शर्तें पूरी होती हैं, और तदनुसार, लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के रूप में माना जाना है। चूंकि यह एक शर्त है कि ड्रेजरों को संचालित करना जारी रखने के लिए, कंपनी को शुष्क गोदीकरण सर्वेक्षण करवाना और संबंधित खर्च वहन करना आवश्यक है, शुष्क गोदीकरण व्यय को प्रमुख निरीक्षण लागत के रूप में माना जाना चाहिए, शुष्क गोदीकरण सर्वेक्षण के लिए अगली नियत तारीख तक की अवधि में पूंजीकृत और मूल्यह्रास किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वर्ष के दौरान प्रबंधन ने समय-समय पर विषय परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवन का आकलन किया था, और ऐसे शुष्क गोदीकरण के कारण शेष उपयोगी जीवन के अस्तित्व की रिपोर्ट की थी। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी ड्रेजरों के शुष्क गोदीकरण व्यय को पूंजीकृत करने की नीति भारतीय लेखा मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप है और वित्तीय विवरणों में भी इसका प्रकटन किया गया है। तदनुसार, उक्त व्यय को पूंजीकृत किया गया और उस पर मूल्यह्रास लगाया गया।

दिनांक 31-03-2024 तक का

तुलन-पत्र

विवरण	टिप्पणी संख्या	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा मार्च 31, 2022 को था
अप्रचलित परिसंपत्तियाँ				
(a) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1	1,43,845.40	1,53,084.87	1,59,879.83
(b) प्रगतिशील पूँजीगत कार्य	1	3,104.39	470.99	2,940.04
(c) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेशन	2	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3	51.52	51.26	50.63
(c) अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियाँ	4	31,325.84	11.545.47	-
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियँ		**1,78,327.15**	**1,65,152.58**	**1,62,870.50**
चालू परिसंपत्तियाँ				
(a) माल-सूचियाँ	5	11,668.33	13,562.67	15,975.04
(b) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) व्यापार प्राप्तव्य	6	17,511.00	26,692,32	20,972.78
(ii) नकद और नकद समतुल्य	7	4,979.78	3,097,13	9,364.03
(iii) उपर्युक्त (ii) से अन्य बैंक शेष		48.26	49.46	50,48
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	8	14,635.97	13,593.66	13,468.36
(c) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	9	8,426.08	7,270.42	6,338.64
(d) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	10	4,668.31	3,189.06	3,512.60
(e) बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	11	31.90	31.90	31.90
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**61,969.61**	**67,486.62**	**69,713.83**
कुल परिसपत्तियाँ		**2,40,296.76**	**2,32,639.20**	**2,32,584.33**
ईक्विटी और देयताएँ				
ईक्विटी				
(a) ईक्विटी शेयर पूँजी	12	2,800.00	2,800.00	2,800.00
(b) अन्य ईक्विटी	13	1,23,560.22	1,20,123.96	1,39,481.11
कुल ईक्विटी		**1,26,360.22**	**1,22.,923.96**	**1,42,281.11**
देयताएँ				
अप्रचलित देयताएँ				
(a) वित्तीय देयताएँ				
(i) दीर्घकालिक उधार	14	31,161.54	11,272.73	6,92931
(b) प्रावधान	15	967.65	842.44	897.41
(c) अन्य अप्रचलित देयताएँ	16	1,978.95	1,884.30	2,029.01
कुल अप्रचलित देयताएँ		**34,108.14**	**13,999.47**	**9,855.73**
चालू देयताएँ				
(a) वित्तीय देयताएँ				
(i) व्यापार देय				
(a) एमएसएमई के देय बकाये	17(a)	238.31	112.01	106.67
(b) एमएसएमई से अन्य देय बकाये	17(b)	26,271.17	41,127.70	37,425.45
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	18	13,166,29	10,102.62	9,793.64
(iii) अल्प कालिक उधार	19	11,474.91	16,783.44	20,354.07
(b) प्रावधान	15	281.22	348.71	291.58
(c) अन्य चालू देयताएँ	20	28,396.49	27,241.30	12,476.08
कुल चालू देयताएँ		**79,828.40**	**95,715.77**	**80,447.49**
कुल देयताएँ		**1,13,936.54**	**1,09,715.24**	**90,303.22**
कुल ईक्विटी और देयताएँ		**2,40.296.76**	**2,32,639.20**	**2,32,584.33**
सामग्री लेखाकरणगत नीतियाँ	31			

इनके साथ अनुलग्न टिप्पणियाँ 1 से 30 तक इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंश हैं

हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार

कृते **राव एण्ड कुमार एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
फ़र्म पंजीकरण सं.03089एस

सीए. अनिर्बन पाल
भागीदार
सदस्यता सं.214919
यूडीआईएन: 24214919BKBGOE2046
स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक:29/05/2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

डॉ. मधैयान अंगमुथु, भाप्रसे
अध्यक्ष

श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आईआरटीएस
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. (अ/भा)

सीए. ई.किरण
मुख्य वित्तीय अधिकारी

पी.चंद्रकलाभिनेत्री
कम्पनी सचिव

31-03-2024 को समाप्त वर्ष के लिए

लाभ और हानि विवरणी

विवरण	टिप्पणी संख्या	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
आय:			
प्रचालनों से राजस्व	21	94,550.08	1,16,501.46
अन्य आय	22	330.90	323.11
कुल आय (I + II)		**94,880.98**	**1,16,824.57**
व्यय			
(a) कर्मचारी हितलाभ व्यय	23	9,824.71	9,599.51
(b) वित्त लागत	24	2,847.51	2,935.88
(c) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	25	14,082.21	14,967.53
(d) उप-ठेका व्यय		21,101.55	32,194.49
(d) अन्य व्यय	26	43,193.25	76,619.50
कुल व्यय (IV)		**91,049.24**	**1,36,316.91**
अपवादात्मक मदों और कर के पहले लाभ (III – IV)		**3831.74**	**(19492.34)**
अपवादात्मक मदें	30 (10)	79.42	-
कर-पूर्व लाभ (V-VI)		**3752.33**	**(19492.34)**
कर व्यय:			
चालू कर	27	183.95	127.59
		3568.38	**(19619.93)**
वर्ष का लाभ (VII – VIII)	28	**3568.38**	**(19619.93)**
अन्य व्यापक आय			
मदें जो लाभ और हानि को पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगी			
परिभाषित हितलाभ योजनाओं (लाभ)/हानि का पुनर्मूल्यांकन		(132.13)	262.78
कुल अन्य व्यापक आय (X)		**(132.13)**	**262.78**
इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय (IX + X)		**3436.25**	**(19357.15)**
प्रति ईक्विटी शेयर आमदनी (रु.10/- अंकित मूल्य)			
मूल और फीका (रुपयों में)	30(9)	12.27	(69.13)
सामग्री लेखाकरणगत नीतियाँ	31		

इनके साथ अनुलग्न टिप्पणियाँ 1 से 30 तक इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंश हैं

हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार

कृते **राव एण्ड कुमार एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
फ़र्म पंजीकरण सं.03089एस

सीए. अनिर्बन पाल
भागीदार
सदस्यता सं.214919
यूडीआईएन: 24214919BKBGOE2046
स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक:29/05/2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

डॉ. मधैयान अंगमुथु, भाप्रसे
अध्यक्ष

श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आईआरटीएस
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. (अ/भा)

सीए. ई.किरण
मुख्य वित्तीय अधिकारी

पी.चंद्रकलाभिनेत्री
कम्पनी सचिव

31-03-2024 को समाप्त अवधि के लिए

नकद प्रवाह विवरणी

विवरण	टिप्पणी संख्या	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
प्रचालनगत कार्यकलापों से नकद प्रवाह			
वर्ष का लाभ	28	**3,436.25**	**-19,357.15**
निम्नोक्त के लिए समायोजन :			
लाभ या हानि में पहचाना गया आय-कर व्यय		183.95	127.59
लाभ या हानि में पहचाना गया वित्त लागत		2791.20	2124.13
अन्य प्रचालनेतर आय (सीधे आरोपीय व्यय का निवल)		-158.93	-354.69
अप्रचलित परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास और परिशोधन		14,082.21	14,967.53
निवल विदेशी विनिमय (लाभ)/हानि		56.31	731.91
खराब ऋणों के लिए प्रावधान		1,729.01	7,421.04
अन्य हानियों के लिए प्रावधान		1,328.30	12,256.67
		23,448.30	**17,917.03**
कार्यशील पूँजी में विचलन			
व्यापार प्राप्तव्य में (वृद्धि)/घटती		1,867.31	2437.63
माल-सूचियों में (वृद्धि)/घटती		7,900.11	1,2681.73
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/घटती		-1,566.46	-972.06
व्यापार देय और अन्य देयताओं में वृद्धि / (घटती)		11,601.09	10161.31
प्रचालनों से उत्पन्न नकद		**20,048.16**	**16862.19**
आय कर वापसी (अदा किया गया)		-804.92	-1594.06
अपवादात्मक आय (व्यय)		-79.44	-
बट्टे खाते में डालने के लिए अनपेक्षित अतिरिक्त प्रावधान		-93.71	464.43
प्रचालनगत कार्यकलापों से उत्पन्न निवल नकद		**19070.11**	**14803.71**
निवेशनगत कार्यकलापों से नकद प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के लिए भुगतान		-29,100.32	-17540.69
प्राप्त ब्याज		95.79	224.24
निवेशनगत कार्यकलापों से (प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकद		**-29004.53**	**-17316.45**
वित्तीय कार्यकलापों से नकद प्रवाह			
उधार ली गई राशियों का नकद प्रतिभुगतान		-4,925.56	-14,229.31
उधार ली गई राशियों का नकद रसीद		19,590.57	12596.01
अदा किया गया ब्याज		2849.15	-2121.87
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल नकद		**11,815.86**	**-3755.18**
नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि		1881.44	6267.92
वर्ष/अवधि के आरंभ में नकद और नकद समतुल्य (A)	7	3,146.60	9414.51
वर्ष/अवधि के आरंभ में बैंक ओवर ड्राफ़्ट (B)	18	-10,044.67	-9733.26
वर्ष/अवधि के आरंभ में निवल नकद और नकद समतुल्य (A + B)		**-6,898.07**	**-318.75**
वर्ष/अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य (C)(टिप्पणी सं.7 देखें)	7	5,028.04	3,146.60
वर्ष/अवधि के अंत तक बैंक ओवर ड्राफ़्ट (D) (टिप्पणी सं.18 देखें)	18	-13,166.29	-10,044.67
वर्ष/अवधि के अंत तक निवल नकद और नकद समतुल्य (C + D)		**-8,138.25**	**-6,898.07**
****चालू खातों में बैंक शेष से युक्त**			
चालू खातों में बैंक शेष/हाथ में नकद		2368.53	1440.70
तीन महीनों से कम मूल परिपक्व वाले जमा खातों में बैंक शेष @		2659.50	1706.53
कुल		**5028.03**	**3146.60**
#प्रयोग के लिए अनुपलब्ध चालू खातों में बैंक शेष			
एस्क्रो खाता शेष		-	257.80
सीमांत धन		700.00	33.98
ऋण सेवा आरक्षिति खाता ड्यूच बैंक		44.82	44.82
दावा नहीं किया गया लाभांश		3.44	4.64
कुल		**748.26**	**341.24**

31-03-2024 को समाप्त अवधि के लिए

नकद प्रवाह विवरणी

विवरण	टिप्पणी संख्या	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
उपयोग के लिए अनुपलब्ध तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाले जमा खातों में बैंक शेष राशि @			
ऋण सेवा आरक्षिति खाता ड्यूच बैंक		892.40	-
अदालती मामले के लिए जमा		93.91	87.61
बैंक गारंटियों और ऋण पत्रों के लिए जमा		1293.04	1219.96
पेंशन वार्षिकी निधि		379.84	398.97
कुल		2659.19	1706.54
सामग्री लेखाकरणगत नीतियाँ	31		
इनके साथ अनुलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंश हैं			

हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार

कृते **राव एण्ड कुमार एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
फ़र्म पंजीकरण सं.03089एस

सीए. अनिर्बन पाल
भागीदार
सदस्यता सं.214919
यूडीआईएन: 24214919BKBGOE2046
स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक:29/05/2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

डॉ. मधैयान अंगमुथु, भाप्रसे
अध्यक्ष

श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आईआरटीएस
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. (अ/भा)

सीए. ई.किरण
मुख्य वित्तीय अधिकारी

पी.चंद्रकलाभिनेत्री
कम्पनी सचिव

मार्च 31, 2024 तक

ईक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरणी

टिप्पणी: 2

(A) ईक्विटी शेयर पूँजी (टिप्पणी सं.1.2 को देखें)

	जैसा मार्च 31, 2024 को था		जैसा मार्च 31, 2023 को था		जैसा अप्रैल 01, 2022 को था	
	शेयरों की संख्या	राशि भारतीय रुपयों में	शेयरों की संख्या	राशि भारतीय रुपयों में	शेयरों की संख्या	राशि भारतीय रुपयों में
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में शेष	280,00,000	2,800	280,00,000	2,800	280,00,000	2,800
वर्ष के दौरान ईक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	–	–	–	–	–	–
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	**280,00,000**	**2,800**	**280,00,000**	**2,800**	**280,00,000**	**2,800**

(B) अन्य ईक्विटी (टिप्पणीसं.2 को देखें)

	अन्य ईक्विटी						
	पूँजीगत आरक्षिति	सामान्य आरक्षिति	टनेज कर आरक्षिति	टनेज कर आरक्षिति विनियोग खाता	डिबेंचर प्रतिदान आरक्षिति	प्रतिधारित आय	कुल
मार्च 31, 2022 तक का शेष	**451.83**	**44,984.00**	**2,775.00**	**2,105.00**	**3,000.00**	**84,621.58**	**1,37,937.41**
पूर्वावधि की तृटियों से संबंधित समायोजन	–	–	–	–	–	1,543.70	1,543.70
01 अप्रैल, 2022 तक का शेष	**451.83**	**44,984.00**	**2,775.00**	**2,105.00**	**3,000.00**	**86,165.28**	**1,39,481.11**
मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष का लाभ	–	–	–	–	–	1,255.80	1,255.80
वर्ष की अन्य व्यापक आय	–	–	–	–	–	262.78	262.78
वर्ष की कुल व्यापक आय	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**1,518.58**	**1,518.58**
लाभांशों का भुगतान	–	–	–	–	–	–	–
लाभांश पर कर	–	–	–	–	–	–	–
टनेज कर आरक्षिति को अंतरण	–	–	472.00	–	–	(472.00)	–
सामान्य आरक्षिति को अंतरण	–	3,000.00	–	–	(3,000.00)	–	–
पूँजीगत आरक्षिति	–	–	–	–	–		–
पूर्वावधि की तृटियों से संबंधित समायोजन	–	–	–	–	–	(20,875.73)	(20,875.73)
मार्च 31, 2023 तक का शेष	**451.83**	**47,984.00**	**3,247.00**	**2,105.00**	**–**	**66,336.13**	**1,20,123.96**
मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष का लाभ	–	–	–	–	–	3,568.38	3,568.38
वर्ष की अन्य व्यापक आय	–	–	–	–	–	(132.13)	(132.13)
वर्ष की कुल व्यापक आय	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**3,436.25**	**3,436.25**
लाभांशों का भुगतान	–	–	–	–	–	–	–
लाभांश पर कर	–	–	–	–	–	–	–
टनेज कर आरक्षिति को अंतरण	–	–	1,152.00	–	–	(1,152.00)	–
सामान्य आरक्षिति को अंतरण	–	–	–	–	–	–	–
पूँजीगत आरक्षिति	–	–	–	–	–	–	–
पूर्वावधि की तृटियों से संबंधित समायोजन	–	–	–	–	–	–	–
मार्च 31, 2024 तक का शेष	**451.83**	**47,984.00**	**4,399.00**	**2,105.00**	**–**	**68,620.38**	**1,23,560.21**

इनके साथ अनुलग्न टिप्पणियाँ इन वित्तीय विवरणों के अभिन्न अंश हैं

हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार
कृते **राव एण्ड कुमार एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
फ़र्म पंजीकरण सं.03089एस

सीए. अनिर्बन पाल
भागीदार
सदस्यता सं.214919
यूडीआईएन: 24214919BKBGOE2046
स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक : 29/05/2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

डॉ. मधैयान अंगमुथु, भाप्रसे
अध्यक्ष

श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आईआरटीएस
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. (अ/भा)

सीए. ई.किरण
मुख्य वित्तीय अधिकारी

पी.चंद्रकलाभिनेत्री
कम्पनी सचिव

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

1 . संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
निम्नोक्त के लिए निवल मूल राशियाँ:			
उन्मुक्त भूमि	35.98	35.98	35.98
भवन	3,182.92	3,340.52	3,497.53
मोटर वाहन	0.58	0.58	0.58
कम्प्यूटर	66.38	86.93	84.37
तात्कालिक संरचनाएँ / फ़िक्सचर व निर्माण	-	-	-
संयंत्र और उपस्कर	1,40,509.74	1,49,564.12	1,56,196.17
फ़र्नीचर, फ़िटिंग व उपस्कर	49.80	56.74	65.20
कुल पीपीई की निवल मूल लागत	**1,43,845.40**	**1,53,084.87**	**1,59,879.83**
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य	3,104.39	470.99	2,940.04
	1,46,949.79	**1,53,555.86**	**1,62,819.87**

विवरण	उन्मुक्त भूमि	भवन	मोटर वाहन	कम्प्यूटर	तात्कालिक संरचनाएँ / फ़िक्सचर व निर्माण	संयंत्र और उपस्कर	फ़र्नीचर, फ़िटिंग व उपस्कर	कुल
सकल मूल राशि								
01.04.2022 तक का शेष	**35.98**	**4,055.66**	**29.02**	**752.04**	**119.09**	**3,34,976.19**	**621.83**	**3,38,745.96**
वर्ष के दौरान जोड़	-	0.60	-	37.51	-	8,018.68	1.99	8,058.78
वर्ष के दौरान निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा के विनिमयगत विभिन्नताओं का प्रभाव	-	-	-	-	-	113.79	-	113.79
01.04.2023 तक का शेष	**35.98**	**4,056.26**	**29.02**	**789.55**	**119.09**	**3,43,108.66**	**623.82**	**3,48,762.38**
वर्ष के दौरान जोड़	0.00	-0.00	0.00	9.31	-0.00	4,781.53	3.32	4,794.15
वर्ष के दौरान निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा के विनिमयगत विभिन्नताओं का प्रभाव	-	-	-	-	-	48.55	-	48.55
31.03.2024 तक का शेष	35.98	4,056.26	29.02	798.86	119.09	3,47,938.74	627.14	3,53,605.09
संचयी मूल्यह्रास								
01.04.2022 तक का शेष	**-**	**558.13**	**28.44**	**667.67**	**119.09**	**1,78,780.02**	**556.63**	**1,80,709.98**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	157.61	-	34.95	-	14,764.53	10.45	14,967.54
वर्ष के दौरान निपटान	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2023 तक का शेष	**-**	**715.74**	**28.44**	**702.62**	**119.09**	**1,93,544.55**	**567.08**	**1,95,677.52**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	157.60	0.00	29.86	-	13,884.49	10.26	14,082.21
वर्ष के दौरान निपटान	-	-	-		-	-	-	-
31.03.2024 तक का शेष	**-**	**873.34**	**28.44**	**732.48**	**119.09**	**2,07,429.00**	**577.34**	**2,09,759.69**

टिप्पणियाँ :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची की आवश्यकता के अनुसार, जहाँ परिसंपत्ति के किसी भाग की लागत परिसंपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवन शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है, उस महत्वपूर्ण भाग का उपयोगी जीवन मूल्यह्रास के उद्देश्य से अलग से निर्धारित किया जाएगा। सावधानीपूर्वक जांच के बाद, कंपनी का मानना है कि, अचल परिसंपत्ति के भौतिक घटक भाग जिन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन कुल परिसंपत्ति (पीपीई) की तुलना में उनका उपयोगी जीवन अलग नहीं है, सिवाय गैर भौतिक घटक के जो एक प्रमुख निरीक्षण या ड्रेजर के लिए किए गए शुष्क गोदीकरण व्यय (खपत किए गए अतिरिक्त पुर्जों सहित) का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिणामस्वरूप, शुष्क गोदीकरण व्यय के अलावा, घटक भागों के लिए मूल्यह्रास चार्ज करना आवश्यक नहीं था। शुष्क गोदीकरण व्यय (खपत किए गए अतिरिक्त पुर्जों सहित) को संबंधित ड्रेजर में पूंजीकृत किया जाता है और पूंजीकरण की तिथि से अगली नियत तिथि डॉकिंग तक की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है। प्रबंधन का मानना है कि इसके जलयान के लिए कोई हानि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ''बाजार मूल्य / उपयोग में मूल्य'' रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पीपीई की वहन राशि से अधिक है।

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर तथा प्रगतिशील पूँजीगत कार्य (चालू..)

1(a) दिनांक 31.03.2024 तक प्रगतिशील पूँजीगत कार्य की आयु

विवरण	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
a. ड्रेज-XVII के शुष्क गोदीकरण की प्रगति	720.85	0.00	0.00	0.00	720.85
b. 12000 घ.मी. क्षमता के नये ड्रेजर बीगल - अ.चू.हॉ.नि. के निर्माण के प्रति प्रारंभिक लागत	1917.04	466.50	0.00	0.00	2383.54
कुल	**2637.89**	**466.50**	**0.00**	**0.00**	**3104.39**

1(b) दिनांक 31.03.2023 तक प्रगतिशील पूँजीगत कार्य की आयु.

विवरण	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
a. ड्रेज-XXI के शुष्क गोदीकरण की प्रगति	4.49	0.00	0.00	0.00	4.49
b. 12000 घ.मी. क्षमता के नये ड्रेजर बीगल - अ.चू.हॉ.नि. के निर्माण के प्रति प्रारंभिक लागत	466.50	0.00	0.00	0.00	466.50
कुल	**470.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**470.99**

1(c) दिनांक 01.04.2022 तक प्रगतिशील पूँजीगत कार्य की आयु

विवरण	0-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
a. ड्रेज-के शुष्क गोदीकरण की प्रगति	1494.93	0.00	0.00	0.00	1494.93
b. ड्रेज-के शुष्क गोदीकरण की प्रगति	1404.97	0.00	0.00	0.00	1404.97
c. ई-ऑफ़िस परियोजना	40.14	0.00	0.00	0.00	40.14
कुल	**2940.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2940.04**

2. निवेशन

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
अप्रचलित			
अनुद्धत निवेशन (सभी पूर्णतया प्रदत्त) : एफ़वीटीपीएल में ईक्विटी दस्तावेजों में निवेशन संबंधी टिप्पणी देखें।			
सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड	3,000.00	3,000.00	3,000.00
मित्तल चैम्बर्स प्रमीसेस को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड	0.01	0.01	0.01
घटाव : निवेशनों के मूल्य में हानि की समेकित राशि	3,000.01	3,000.01	3,000.01
अनुद्धत निवेशनों का पूर्णयोग	-	-	-
अनुद्धत निवेशनों के वहन मूल्य का पूर्णयोग	-	-	-

टिप्पणियाँ:

1. तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट, एन्नोर पोर्ट लिमिटेड, विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और पारादीप पोर्ट ट्रस्ट शेयरधारकों के रूप में शामिल कर 06.12.2004 को सेतुसमुद्रम नौजलमार्ग परियोजना के विकास के लिए एक विशेष प्रयोजन अभियान सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल), की स्थापना की गई। डीसीआई ने रु.3000 लाख (पिछले वर्ष रु.3000 लाख) के निवेश के साथ भाग लिया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के परिणामस्वरूप 17.09.2009 से ड्रेजिंग कार्य रोक दिया गया है। चूंकि तब से परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई है, इसलिए प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2016-17 में निवेश में कमी का प्रावधान किया था।

2. निवेश को लेखा बहियों में रु. 1.00 पर दर्ज किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

3. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
अप्रचलित			
प्रतिभूति जमे	51.52	51.26	50.63
कुल	**51.52**	**51.26**	**50.63**

4. अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
अप्रचलित			
पूँजीगत अग्रिम	31,325.84	11,545.47	-
कुल	**31,325.84**	**11,545.47**	**-**

टिप्पणी: सर्वश्री कोचीन शिपयार्ड और सर्वश्री आईएचसी हॉलैंड को 12000 घनमीटर क्षमता वाले नए ड्रेजर के निर्माण के लिए पूंजीगत अग्रिम दिया गया।

5 . माल-सूचियाँ

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
a) मालसूचियाँ (लागत व वसूलीय मूल्य का निम्न)			
- अतिरिक्त पुर्जे और भण्डार का स्टॉक	11,598.38	13,085.10	15,715.93
- पारगमनगत अतिरिक्त पुर्जे और भण्डार	69.95	477.57	259.11
(घटाव) बेकार अतिरिक्त पुर्जों के लिए प्रावधान	-	-	-
कुल	**11,668.33**	**13,562.67**	**15,975.04**

टिप्पणी:

1. कंपनी इन्वेंट्री के मूल्यांकन के लिए आवधिक भारित औसत लागत फार्मूले का पालन करती है.

2. लाभ व हानि को भारित किया गया हानि / माल-सूची के मूल्यांकन के लिए प्रावधान वर्ष के दौरान शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)।

6. व्यापार प्राप्तव्य

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
चालू			
व्यापार प्राप्तव्य			
(a) प्रतिभूत, ठीक विचार किए गए	-	-	-
(b) अप्रतिभूत, ठीक विचार किए गए	17,511.00	26,692.32	20,972.78
(c) संदिग्ध	18,182.42	16,547.13	9,921.61
घटाव : संदिग्ध ऋणों के लिए उधार हानि भत्ता	-18,182.42	-16,547.13	-9,921.61
	17,511.00	**26,692.32**	**20,972.78**

6.1 दिनांक 31.03.2024 तक व्यापार प्राप्तव्यों की आयु

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(a) अविवादग्रस्त व्यापार प्राप्तव्य ठीक विचार किए गए	10420.95	2577.46	824.56	68.23	0.00	13891.20
(b) अविवादग्रस्त व्यापार प्राप्तव्य संदिग्ध विचार किए गए	0.00	0.00	0.00	0.00	6584.15	6584.15
(c) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्तव्य ठीक विचार किए गए	0.00	0.00	1570.47	2049.34	0.00	3619.81
(d) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्तव्य संदिग्ध विचार किए गए	906.34	1005.89	478.62	185.94	9021.47	11598.26
कुल व्यापार प्राप्तव्य	**11327.28**	**3583.35**	**2873.66**	**2303.51**	**15605.62**	**35693.43**

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

6. व्यापार प्राप्तव्य (चालू....)

6.2 दिनांक 31.03.2023 तक व्यापार प्राप्तव्यों की आयु

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(a) अविवादग्रस्त व्यापार प्राप्तव्य ठीक विचार किए गए	20652.47	2541.73	161.11	25.53	0.00	23380.84
(b) अविवादग्रस्त व्यापार प्राप्तव्य संदिग्ध विचार किए गए	0.00	0.00	0.00	0.00	6583.79	6583.79
(c) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्तव्य ठीक विचार किए गए	0.00	1015.89	2295.28	0.00	0.00	3311.17
(d) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्तव्य संदिग्ध विचार किए गए	480.54	181.26	184.13	283.93	8833.78	9963.64
कुल व्यापार प्राप्तव्य	**21133.00**	**3738.89**	**2640.52**	**309.46**	**15417.57**	**43239.44**

6.3 दिनांक 31.03.2022 तक व्यापार प्राप्तव्यों की आयु

विवरण	6 महीने से कम	6 महीने से 1 वर्ष तक	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(a) अविवादग्रस्त व्यापार प्राप्तव्य ठीक विचार किए गए	10475.91	774.85	442.38	0.00	6583.79	18276.94
(b) अविवादग्रस्त व्यापार प्राप्तव्य संदिग्ध विचार किए गए	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्तव्य ठीक विचार किए गए	1489.91	834.30	0.00	371.63	0.00	2695.83
(d) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्तव्य संदिग्ध विचार किए गए	0.00	940.16	134.24	1057.18	7790.04	9921.62
कुल व्यापार प्राप्तव्य	**11965.82**	**2549.32**	**576.61**	**1428.81**	**14373.83**	**30894.39**

टिप्पणियाँ:

1. कंपनी (डीसीआईएल) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में जेएनपीए का निर्वाहगत निकर्षण किया। वर्ष के दौरान, डीसीआईएल ने ड्रेजिंग क्षेत्र के कुछ हिस्से को स्वयं निष्पादित किया और कुछ क्षेत्रों का निकर्षण सर्वश्री इंटरनेशनल सीपोर्ट ड्रेजिंग प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे आईएसडीपीएल कहा जाएगा) नामक उपठेकेदार द्वारा किया गया। डीसीआईएल को समझौते में उल्लिखित दरों के अनुसार जेएनपीटी से भुगतान प्राप्त हुआ। हालांकि, डीसीआईएल ने डीसीआईएल बनाम आईएसडीपीएल के बीच समझौते के अनुसार आईएसडीपीएल को भुगतान जारी किया। चूंकि डीसीआईएल और जेएनपीटी की दरों तथा आईएसडीपीएल और डीसीआईएल की दरों में अंतर है, इसलिए जेएनपीटी ने कंपनी द्वारा उठाए गए बाद के चालानों से इन राशियों की वसूली शुरू कर दी। दिनांक 31/03/2024 तक जेएनपीए द्वारा रु.34.98 करोड़ (जीएसटी को छोड़कर) की राशि वसूल की गई है, कंपनी वसूली के लिए प्रयास कर रही है और इस राशि को ''विवादित व्यापार प्राप्तव्य, लेकिन ठीक विचार किए गए'' के रूप में देखती है।
2. कंपनी एक प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर व्यापार प्राप्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है। यह मैट्रिक्स व्यापार प्राप्तियों के मामले में प्रत्याशित ऋण हानि की पहचान का एक सरलीकृत आधार है। यह मॉडल व्यापार प्राप्तियों के लिए ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव का उपयोग करता है अर्थात् यह मॉडल रिपोर्टिंग तिथि तक व्यापार प्राप्तियों के आयु विश्लेषण का उपयोग करता है और यह उन दिनों की संख्या पर आधारित है जब व्यापार प्राप्तियां देय हैं। यह आयु पिछले 3 वर्षों की अवधि में 90 दिनों के ब्रैकेट के लिए निर्धारित की गई है। 3 वर्ष से अधिक पुराने प्राप्य को अप्राप्य माना जाता है। इसके अलावा, दिवालियापन की घोषणा करने वाले या कंपनी के साथ बकाया राशि के पुनर्भुगतान योजना में शामिल न होने वाले ग्राहकों के लिए मामले दर मामले आधार पर प्रावधान किया जाता है अर्थात् ऐसे ग्राहक इस हानि अभ्यास का हिस्सा नहीं बनते हैं और उनके लिए अलग से प्रावधान किया जाता है।

7. नकद और नकद समतुल्य

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
बैंकों में			
- चालू खाते	2314.26	1,386.75	6,417.64
- सावधि जमा राशियाँ	2,659.50	1,706.52	2,943.79
हाथ में नकद	6.02	3.87	2.60
	4,979.78	**3,097.13**	**9,364.03**
उपर्युक्त के अतिरिक्त बैंक शेष:			
- बैंकों में अलग से रखे गए उद्दिष्ट शेष	3.44	4.64	5.66
- बैंकों के पास मार्जिन मनी	44.82	44.82	44.82
	48.26	**49.46**	**50.48**

टिप्पणियाँ:

1. 31 मार्च, 2024 तक नकद और नकद समतुल्यों में प्रतिबंधित नकद और बैंक शेष राशि शामिल है, जो क्रमशः अप्रैल, 2022 तक रु.2659.19 लाख (पिछले वर्ष रु.1706.54 लाख) और रु.2943.79 है। प्रतिबंध मुख्य रूप से बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट और ऋण सेवा आरक्षित

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

7. नकद और नकद समतुल्य (चालू....)

खातों के लिए मार्जिन मनी प्राप्त करने के लिए बैंक बैलेंस और एस एंड एस इंफ्रा कानूनी मामले के लिए कोर्ट डिपॉजिट के लिए 1 अप्रैल, 2022 तक रु.93.91 लाख (पिछले वर्ष रु.87.61 लाख) और रु.81.75 लाख के कारण हैं।

2. कंपनी द्वारा बैंकों में रखी गई अन्य जमाराशियां सावधि जमाराशियां हैं, जिन्हें कंपनी द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना या मूलधन पर जुर्माने के निकाला जा सकता है।

3. दावा नहीं किए गए लाभांश शेषों से संबंधित बैंकों में अलग से रखा गया उद्दिष्ट शेष।

वर्ष	दावा नहीं किया गया लाभांश
2017-18	1.62
2018-19	1.82
कुल	**3.44**

4. 31 मार्च, 2024 तक चालू खाता शेष में रु.700.00 लाख का एस्क्रो खाता शेष शामिल है जो आईडब्ल्यूएआई कार्यों के लिए प्राप्त हुआ था लेकिन अभी तक कार्य आदेश को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। (पिछले वर्ष रु.33.98 लाख)

8. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
जमे^	3378.11	2574.85	3200.33
संविदात्मक परिसंपत्तियाँ*	9869.02	9796.64	8986.72
दावे और अन्य प्राप्तव्य@	1261.88	1153.06	1123.70
जमों और अग्रिमों पर प्रोद्भूत ब्याज	122.83	59.67	136.85
	14631.83	**13584.22**	**13447.60**
कर्मचारियों को ऋण	4.14	9.44	20.76
कुल	**14635.97**	**13593.66**	**13468.36**

टिप्पणी:

^जमाराशियों में रु.2100.00 लाख (पिछले वर्ष रु.100.00 लाख) की राशि शामिल है और 1 अप्रैल, 2022 तक 0.00 लाख न्यायालय के मामले के संबंध में न्यायालयों में जमा किए गए थे।

*संविदात्मक परिसंपत्तियों का तात्पर्य है संविदा के नियमों और शर्तों के अनुसार 31.03.2024 तक निष्पादित किए गए कार्यों से है, लेकिन जो अभी तक ग्राहकों को बिल नहीं किया गया हों।

@1 अप्रैल, 2022 तक रु.1726.92 लाख (पिछले वर्ष रु.1726.92 लाख) और रु.1726.92 लाख की राशि के ग्राहकों को देय अन्य प्राप्तियों से घटाकर समायोजित किए गए थे।

9. चालू कर परिसंपत्तियाँ

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
प्राप्तव्य कर वापसी	8,426.08	7,270.42	6,338.64
	8,426.08	**7,270.42**	**6,338.64**

10. अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
कर्मचारियों को अग्रिम	86.19	84.20	68.71
पूर्व-प्रदत्त व्यय	35.51	75.92	96.04
आपूर्तिकारों को अग्रिम	4,546.60	3,028.93	3,347.83
	4,668.31	**3,189.05**	**3,512.58**

टिप्पणियाँ: कंपनी के निदेशकों, प्रमोटरों, केएमपी से देय अग्रिम राशि शून्य है (पिछले वर्ष रु.शून्य)।

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

11. बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
बिक्री के लिए धारित आवासीय फ्लॉट	31.90	31.90	31.90
	31.90	**31.90**	**31.90**

टिप्पणी : वहन मूल्य या एनआरवी के निम्न की दर पर बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत।

12. ईक्विटी शेयर पूँजी

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
प्राधिकृत शेयर पूँजी			
प्रत्येक रु.10/- के 3,00,00,000 (पिछले वर्ष 3,00,00,000) ईक्विटी शेयर	3,000.00	3,000.00	3,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त			
प्रत्येक भारतीय रु.10/- के 1400 पूर्णतया प्रदत्त ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1400).	0.14	0.14	0.14
नकद से अन्यथा विचार किए जाने के लिए :			
प्रत्येक भारतीय रु.10/- के पूर्णतया प्रदत्त के रूप में आबंटित 2,79,98,600 के ईक्विटी शेयर (पिछले वर्ष:2,79,98,600)	2,799.86	2,799.86	2,799.86
	2,800.00	**2,800.00**	**2,800.00**

ईक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें:

कंपनी में ईक्विटी शेयरों का एक वर्ग है। सभी शेयर समान मतदान अधिकार रखते हैं.

12.1. 5% से अधिक रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

	जैसा मार्च 31, 2024 को था			जैसा मार्च 31, 2023 को था			जैसा अप्रैल 01, 2022 को था		
	धारित शेयरों की संख्या	रुपये लाख में	ईक्विटी शेयरों की धारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	रुपये लाख में	ईक्विटी शेयरों की धारिता का %	धारित शेयरों की संख्या	रुपये लाख में	ईक्विटी शेयरों की धारिता का %
पूर्णतया प्रदत्त ईक्विटी शेयर									
विशाखपट्टणम पत्तन न्यास	54,51,710	545.17	19.47	54,51,710	545.17	19.47	54,51,710	545.17	19.47
पारादीप पत्तन न्यास	50,40,101	504.01	18.00	50,40,101	504.01	18.00	50,40,101	504.01	18.00
जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	50,40,101	504.01	18.00	50,40,101	504.01	18.00	50,40,101	504.01	18.00
दीनदयाल पत्तन न्यास	50,40,101	504.01	18.00	50,40,101	504.01	18.00	50,40,101	504.01	18.00

12.2 प्रमोटरों की शेयरधारिता का संचलन:

क्र. सं.	प्रमोटर का नाम	प्रमोटर द्वारा धारित शेयरों की संख्या	ईक्विटी शेयरों की धारिता का %	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
1	विशाखपट्टणम पत्तन न्यास	54,51,710	19.47	0.00
2	पारादीप पत्तन न्यास	50,40,101	18.00	0.00
3	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	50,40,101	18.00	0.00
4	दीनदयाल पत्तन न्यास	50,40,101	18.00	0.00
	कुल	**205,72,013**	**73.47**	**0.00**

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

13. अन्य ईक्विटी:

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
सामान्य आरक्षिति	47,984.00	47,984.00	44,984.00
प्रतिधारित अर्जन	68,620.38	66,336.13	86,165.28
आय कर अधिनियम की धारा 115 वीटी के अंतर्गत आरक्षिति	2,105.00	2,105.00	2,105.00
बांड/डिबेंचर प्रतिदान आरक्षिति	-	-	3,000.00
टनेज कर आरक्षिति	4,399.00	3,247.00	2,775.00
पूँजीगत आरक्षिति	451.83	451.83	451.83
	1,23,560.22	**1,20,123.96**	**1,39,481.11**

13.1 सामान्य आरक्षिति

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
वर्ष के आरंभ में शेष	47,984.00	44,984.00	44,984.00
डिबेंचर प्रतिदान आरक्षिति से संचलन	-	3,000.00	-
वर्ष के अंत में शेष	**47,984.00**	**47,984.00**	**44,984.00**

13.2 प्रतिधारित अर्जन

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
वर्ष के आरंभ में शेष	66,336.13	86,165.28	83,672.85
पूर्वावधि भूल समायोजन*	-	(20,875.73)	2,231.09
इस कम्पनी के स्वामियों को आरोप्य लाभ (हानि)	3,568.38	1,255.80	356.96
आय कर अधिनियम की धारा 115 वीटी के अंतर्गत टनेज कर आरक्षिति को अंतरण	-1,152.00	(472.00)	(270.00)
परिभाषित हितलाभ अनिवार्यता के पुनर्मूल्यन से उत्पन्न व्यापक आय	(132.13)	262.78	174.38
वर्ष के अंत तक शेष	**68,620.38**	**66,336.13**	**86,165.28**

टिप्पणी : *इसमें पिछले वर्ष उल्लेख की गई राशि रु.687.39 लाख और चालू वर्ष में उल्लेख की गई राशि रु.1543.70 लाख शामिल है।

13.3 धारा 115 वीटी विनियोग खाता के अंतर्गत आरक्षिति

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
वर्ष के आरंभ में शेष	2,105.00	2,105.00	2,105.00
वर्ष के दौरान चालू	-	-	-
वर्ष के अंत तक शेष	**2,105.00**	**2,105.00**	**2,105.00**

13.4 बांड/डिबेंचर प्रतिदान आरक्षिति

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
वर्ष के आरंभ में शेष	-	3,000.00	3,000.00
वर्ष के दौरान चालू	-	-	-
घटाव : सामान्य आरक्षिति खाते को अंतरण	-	-3,000.00	-
वर्ष के अंत तक शेष	**-**	**-**	**3,000.00**

13.5 आय कर अधिनियम की धारा 115 वीटी के अंतर्गत टनेज कर आरक्षिति

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
वर्ष के आरंभ में शेष	3,247.00	2,775.00	2,505.00
वर्ष के दौरान चालू	1,152.00	472.00	270.00
घटाव : धारा 115 वीटी विनियोग खाते के अंतर्गत आरक्षिति को अंतरण	-	-	-
वर्ष के अंत तक शेष	**4,399.00**	**3,247.00**	**2,775.00**

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

13. अन्य ईक्विटी: (चालू....)

13.6 पूँजीगत आरक्षिति

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
वर्ष के आरंभ में शेष	451.83	451.83	451.83
वर्ष के दौरान चालू	–	–	–
वर्ष के अंत तक शेष	**451.83**	**451.83**	**451.83**

14. अप्रचलित उधार:

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
प्रतिभूत प्रतिशोधित लागत पर			
(i) आवधिक उधार			
विदेशी बैंकों से	15,685.49	7,672.73	6,929.31
भारतीय बैंकों से	476.05	–	–
(ii) भारतीय पत्तन प्राधिकरणों से उधार	15,000.00	3,600.00	–
कुल अप्रचलित उधार	**31,161.54**	**11,272.73**	**6,929.31**

निम्नलिखित (भारतीय रुपयों में) मूल्यांकित उधार बैंकों से विदेशी मुद्रागत आवधिक उधार का प्रतिनिधित्व करते हैं :

क्र. सं.	विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
1	ड्रेज-XIX के लिए उधार	–	–	5,133.26
2	ड्रेज-XX के लिए उधार	–	2,525.69	7,211.12
3	ड्रेज-XXI के लिए उधार	–	4,755.26	9,051.20
4	अ.चू.हॉ.नि. 12000 घ.मी. निकर्षक के लिए उधार	15,685.49	7,672.72	–
	लघु योग	**15,685.49**	**14,953.67**	**21,395.58**
5	दीर्घकालिक ऋण का वर्तमान देय भाग	–	(7,280.94)	(14,466.27)
	सकल योग	**15,685.49**	**7,672.73**	**6,929.31**

भारतीय बैंकों से आवधिक उधार

क्र. सं.	विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
1	आईसीआईसीआई बैंक	6,870.00	2,670.00	–
2	इंडियन बैंक	3,333.19	–	–
	लघु योग	**10,203.19**	**2,670.00**	**–**
	आवधिक उधार का वर्तमान देय भाग	9,727.14	2,670.00	–
	सकल योग	**476.05**	**–**	**–**

14.1 उधार व्यवस्था के संक्षिप्त विवरण :

(i) आवधिक उधारों और अन्य उधारों के प्रतिभुगतान की शर्तें नीचे दी गई हैं :
जैसा मार्च 31, 2024 को था

प्रमोटर का नाम	बकायी पड़ी राशि (भारतीय रुपये लाख)	प्रतिभुगतान की शर्तें	ब्याज की दर
एबीएन आम्रो बैंक	0.00 (पिछले वर्ष.2525.67)	0 (1) अर्द्ध वार्षिक और बराबर की किस्तों में प्रतिदेय	6 मिलियन यूरिबार +0.825% प्रति वर्ष
एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ़ इण्डिया, लंदन शाखा	0.00 (पिछले वर्ष.4755.26)	0 (2) अर्द्ध वार्षिक और बराबर की किस्तों में प्रतिदेय	6 मिलियन यूरिबार +2.85% प्रति वर्ष
ड्यूट्सचे बैंक	15685.49 (पिछले वर्ष.7672.72)	नए ड्रेजर के निर्माण के दौरान ऋण में कमी	6 महीने यूरिबार +1.15% प्रति वर्ष
सर्वश्री दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण से उधार	3600.00 (झध.3600.00)	नए ड्रेजर के निर्माण के लिए प्रमोटर पत्तनों से ऋण में कमी	8.45%

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

14. अप्रचलित उधार: (चालू....)

प्रमोटर का नाम	बकायी पड़ी राशि (भारतीय रुपये लाख)	प्रतिभुगतान की शर्तें	ब्याज की दर
सर्वश्री पारादीप पत्तन प्राधिकरण से उधार	5400.00 (पिछले वर्ष.0.00)	नए ड्रेजर के निर्माण के लिए प्रमोटर पत्तनों से ऋण में कमी	8.90%
सर्वश्री जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण से उधार	6000.00 (पिछले वर्ष.0.00)	नए ड्रेजर के निर्माण के लिए प्रमोटर पत्तनों से ऋण में कमी	8.90% और 8.95%
सर्वश्री श्यामप्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण से उधार	0.00 (पिछले वर्ष.5000.00)	कार्यशील पूँजी उधार	8.50%
इंडियन बैंक	3333.19 (पिछले वर्ष.0.00)		आवधिक उधार 9.00% की दर पर
आईसीआईसीआई बैंक	6870.00 (पिछले वर्ष.2670.00)		आवधिक उधार 9.05% की दर पर

टिप्पणियाँ:

1. किसी भी उधार के लिए निदेशकों और अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूति नहीं दी गई।
2. उधारों और उसपर के ब्याज के प्रतिभुगतान में तुलन-पत्र में व्यतिक्रम नहीं है।
3. भा.ले.मा.23 प्रकटन :
   a. प्रभावी ब्याज की दर 7.7213% है और वही दर उधार लागत के पूँजीकरण के लिए प्रयुक्त है।
   b. प्रभावी ब्याज की दर पद्धति के अनुसार, दिनांक 31/03/2024 तक रु.1356.54 लाख की राशि पूँजीकृत की गई है।

15. अप्रचलित प्रावधान

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
कर्मचारी प्रसुविधाएँ :			
उपदान के लिए प्रावधान	619.07	569.85	484.30
अवकाश नकदीकरण के लिए प्रावधान	629.80	621.31	704.69
कुल	**1,248.87**	**1,191.16**	**1,188.99**
चालू	281.22	348.71	291.58
अप्रचलित	967.65	842.44	897.41
कुल	**1,248.87**	**1,191.16**	**1,188.99**

दिनांक 31.03.2024 तक कर्मचारी प्रसुविधा अनिवार्यता

	योजित देयताएँ	योजित परिसंपत्तियाँ
उपदान	619.07	845.21
अवकाश नकदीकरण	629.80	-

16. अन्य अप्रचलित देयताएँ

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
बयाना राशि / प्रतिभूति जमा	1,978.95	1,884.30	2,029.01
	1,978.95	**1,884.30**	**2,029.01**

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

17. व्यापार देय – चालू

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
चालू:			
व्यापार देय			
a) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाये देय और	238.31	112.01	106.67
b) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों को देय बकाये	26,271.17	41,127.70	37,425.45
	26,509.48	**41,239.71**	**37,532.12**

17.1 दिनांक 31.03.2024 तक व्यापार देयताओं की आयु

विवरण	0 –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादग्रस्त देय – एमएसएमई	238.31	0.00	0.00	0.00	238.31
(ii) अविवादग्रस्त देय – अन्य	16774.47	6275.69	2648.55	572.46	26271.17
(iii) विवादग्रस्त देय – एमएसएमई@	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादग्रस्त देय – अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**17012.78**	**6275.69**	**2648.55**	**572.46**	**26509.48**

दिनांक 31.03.2023 तक व्यापार देयताओं की आयु

विवरण	0 –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादग्रस्त देय – एमएसएमई	112.02	0.00	0.00	0.00	112.02
(ii) अविवादग्रस्त देय – अन्य	28425.32	10543.19	2159.18	0.00	41127.69
(iii) विवादग्रस्त देय – एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादग्रस्त देय – अन्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**28537.34**	**10543.19**	**2159.18**	**0.00**	**41239.71**

दिनांक 31.03.2022 तक व्यापार देयताओं की आयु

विवरण	0 –1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i) अविवादग्रस्त देय – एमएसएमई	106.67	0.00	0.00	0.00	106.67
(ii) अविवादग्रस्त देय – अन्य	24357.24	5565.06	72.94	560.98	30556.22
(iii) विवादग्रस्त देय – एमएसएमई	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv) विवादग्रस्त देय – अन्य	3720.06	3149.17	0.00	0.00	6869.23
कुल	**28183.97**	**8714.23**	**72.94**	**560.98**	**37532.12**

17.2 एमएसएमई अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकटन की अपेक्षा

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
(a) (i) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को न चुकाई गई मूल राशि	238.31	112.02	106.67
(ii) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को न चुकाए गए ब्याज पर देय ब्याज (अलग से दर्शाया जाएगा)	18.27	5.00	2.48
(b) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 16 के अनुसार क्रेता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि, साथ ही प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आ-पूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि;	–	–	–

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

17. व्यापार देय - चालू (चालू....)

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
(c) भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जिसका भुगतान वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद किया गया है) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।;	-	-	-
(d) प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में प्रोद्भूत ब्याज और शेष अदत्त राशि	18.27	5.00	2.48
(e) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजनार्थ, आगामी वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि उपरोक्त बकाया ब्याज वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान नहीं कर दिया जाता है।	18.27	5.00	2.48

18. अन्य वित्तीय देयताएँ

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
चालू			
a) प्रोद्भूत ब्यात	-	57.95	60.38
b) बैंक ओवरड्राफ़्ट	13,166.29	10,044.67	9,733.26
	13,166.29	**10,102.62**	**9,793.64**

19. अल्पावधिक उधार

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
a) दीर्घकालिक ऋणों आवधिक ऋणों की चालू परिपक्वताएँ (ड्रेज-XXI की गिरवी द्वारा प्रतिभूत)	-	7,280.94	14,466.27
b) कर-मुक्त बांडों की चालू परिपक्वताएँ	-	-	5887.8
c) इंडियन बैंकों से आवधिक ऋण	9,727.14	2,670.00	-
d) सर्वश्री श्याम प्रसाद मुखर्जी पत्तन से कार्यशील पूँजी उधार	-	5,000.00	-
e) बिलों की छूट	1,747.77	1,832.50	-
	11,474.91	**16,783.44**	**20,354.07**

20. अन्य चालू देयताएँ

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
a) दावा न किया गया लाभांश	3.44	4.62	5.64
b) संविदाकारों से बयाना/प्रतिभूति जमा	383.23	352.16	377.35
c) संविदा देयताएँ	3,824.42	5,137.74	74.88
d) देय स्रोत से काटा गया कर	74.33	69.26	66.75
e) अन्य देय	24,111.08	21,677.52	11,951.46
	28,396.49	**27,241.30**	**12,476.08**

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

21. प्रचालनों से राजस्व

विवरण	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
a) प्रचालनिक आय :		
i. सेवा की बिक्री (प्रधान)	94,314.53	1,15,830.28
b) अन्य प्रचालनिक आय :		
i. अतिरिक्त प्रावधान/आगे अनपेक्षित दायित्व	93.71	466.52
ii. रद्दी और अन्य की बिक्री	141.84	204.66
	94,550.08	**1,16,501.46**

खंडात्मक प्रतिवेदन :

कंपनी ड्रेजिंग सेवाओं में लगी हुई है और केवल ऐसी सेवाओं से अपनी आय उत्पन्न करती है, और वही एकमात्र रिपोर्ट करने योग्य खंड है।

22. अन्य आय :

विवरण	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
a) निम्नोक्त पर ब्याज आय		
बैंक जमे	158.56	169.38
	158.56	**169.38**
b) अन्य प्रचालनेतर आय		
– कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज	0.58	0.73
– कार्यालय भवन का अल्पकालिक पट्टा और अन्य	171.75	153.00
	172.34	**153.73**
कुल	**330.90**	**323.11**

23. कर्मचारी प्रसुविधा व्यय

विवरण	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
वेतन और मजदूरियाँ	9,381.91	9,093.60
भविष्य निधि और अन्य निधियों के लिए अंशदान	433.04	380.20
कर्मचारी कल्याण संबंधी व्यय	9.76	125.71
	9,824.71	**9,599.51**

24. वित्तीय लागत

विवरण	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
(a) ब्याज लागत		
विदेशी मुद्रागत उधारों पर ब्याज	191.08	267.51
गैर-परिवर्तनीय बांड पर ब्याज	–	409.34
(b) ओवरड्राफ़्ट पर ब्याज	1,610.80	998.39
(c) विनिमयगत विभिन्नताएँ (लाभ)/हानि	56.31	731.91
(d) अन्य वित्तीय लागत		
संविदात्मक देयताओं (पत्तनों) से कार्य अग्रिमों पर ब्याज	583.87	327.36
बिल डिस्काउंटिंग (एलसी) शुल्क	119.58	79.74
अधिकोष प्रभार / गारंटी शुल्क	285.87	121.62
कुल	**2,847.51**	**2,935.88**

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

25. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

विवरण	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
सतत प्रचालनों से संबंधित संयंत्र, संपत्ति और उपस्कर का मूल्यह्रास	14,082.21	14,967.53
सतत प्रचालनों से संबंधित कुल मूल्यह्रास और परिशोधन	**14,082.21**	**14,967.53**
बंद प्रचालनों से संबंधित संयंत्र, संपत्ति और उपस्कर का मूल्यह्रास	-	-
कुल मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**14,082.21**	**14,967.53**

26. अन्य व्यय

विवरण	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
ऊर्जा और ईंधन	31887.05	47001.44
दरें और कर	47.20	29.81
किराया व्यय	34.21	37.59
यात्रा और वाहन-शुल्क	254.82	278.15
अंशदान/दान	60.50	1.23
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1729.01	7421.04
देनदारों की निकासी / बट्टे खाते में डाले गए देनदार	0.00	570.90
अन्य हानियों के लिए प्रावधान	1328.30	12256.67
स्थापनागत व्यय	119.03	158.86
परामर्शी व्यय	70.86	70.46
पाइपलाइन लगाने/निर्वाह संबंधी व्यय	12.96	3.01
प्रत्यक्ष कार्य व्यय	270.15	321.11
बोट/अनुकर्षक और क्रेन भाड़ा प्रभार	291.46	617.73
विधिक सलाहकार शुल्क और सचिवालयीन व्यय	99.54	88.16
मरम्मतें और निर्वाह		
- जलयान	1032.63	1344.76
- भवन और सामान्य निर्वाह	288.33	110.53
अतिरिक्त पुर्जे और भण्डार	4205.42	5248.58
बीमा	674.62	610.42
लेखा-परीक्षा शुल्क और व्यय:		
a) लेखा-परीक्षा के लिए	9.30	9.30
b) कराधान संबंधी मामलों के लिए	1.20	1.20
निगमित सामाजिक दायित्व	0.00	0.00
फुटकर प्रचालनिक व्यय	776.67	438.25
कुल	**43193.25**	**76619.50**

टिप्पणियाँ:

विवरण	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		
a. कोचिन पत्तन	168.84	370.89
b. पारादीप पत्तन	1,560.17	117.16
c. नव मंगलूर पत्तन	-	270.63
d. सेतुसमुद्रम	-	6,583.79
e. नुमालीगढ़ रिफाइनरी	-	11.00
f. एन्नोर पत्तन	-	67.57
कुल	**1,729.01**	**7,421.04**
अन्य हानियों के लिए प्रावधान		
a. कोचि पत्तन के साथ प्रतिभूति जमा	0.00	559.42
b. पारादीप के साथ प्रतिभूति जमा	0.00	305.75
c. नव मंगलूर पत्तन	280.35	0.00
c. विधिक मामले के लिए हानि (एमएलएल)	412.46	6866.10
e. विधिक मामले के लिए हानि (एमडीएल)	203.14	3543.17
e. अन्य विधिक मामलों के लिए हानि	198.71	0.00
f. कर प्राप्तियों के लिए हानि	0.00	534.69
g. आईओसीएल ब्याज	105.80	369.60
h. जीएसटी इनपुट रिवर्सल पर ब्याज	127.84	77.94
कुल	**1328.30**	**12256.67**

टिप्पणी : वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने कोचीन पत्तन के क्रमशः 195.63 लाख रुपये, एन्नोर पत्तन के 242.05 लाख रुपये और विशाखापत्तनम पत्तन के 133.22 लाख रुपये के देनदारों को वापस ले लिया था।

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

27. सतत प्रचालनों से संबंधित आय कर

27.1 लाभ और हानि में पहचाने गए आय कर

विवरण	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
चालू कर		
चालू वर्ष के विषय में		
– चालू कर	183.95	127.59
	183.95	**127.59**
आस्थगित कर		
चालू वर्ष के विषय में	–	–
अन्य	–	–
सतत प्रचालनों से संबंधित चालू वर्ष में पहचाना गया कुल आय कर व्यय टनेज कर योजना के अनुसार आय कर की गणना की गई।	**183.95**	**127.59**

*कंपनी ने आयकर अधिनियम की धारा 115 वीटी के तहत टन भार कर योजना का विकल्प चुना था। इसलिए, आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता को मापा नहीं गया है और भा.ले.मा.12 के अनुसार पहचाना गया है।

27.2 आय कर: कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 में धारा 115 बीएए को शामिल करके संशोधन किया है, जो घरेलू कंपनियों को कम कर दरों का विकल्प चुनने का विकल्प प्रदान करता है, बशर्ते कि वे कुछ कटौतियों का दावा न करें। कंपनी ने इस विकल्प का प्रयोग करने का चयन किया है और तदनुसार चालू वर्ष के लिए आयकर के लिए प्रावधान पहचाना गया है।

लागू कर दरों के लिए आधार

विवरण	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
सामान्य कर की दर	22%	22%
अधिशुल्क	10%	10%
स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	4%	4%
लागू कर की दर	**25.17%**	**25.17%**

चालू कर देयताएँ

विवरण	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
आद्य शेष	**–**	**–**
जोड़ : वर्ष के लिए वर्तमान कर देयताएँ	183.95	127.59
घटाव : भुगतान किए गए कर	183.95	127.59
अंत्य शेष	**–**	**–**

28. सतत प्रचालनों से वर्ष का लाभ

विवरण	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष
सतत प्रचालनों से वर्ष का लाभ निम्नोक्त पर आरोपीय हैं :		
कम्पनी के स्वामी	3,568.38	–19,619.93
अनियंत्रित ब्याज	–	–
	3,568.38	**–19,619.93**

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

29. प्रमुख वित्तीय अनुपात: (सभी अनुपात प्रतिशत (%) में हैं)

विवरण	न्यूमरेटर	डिनॉमिनेटर	मार्च 31, 2024 को समाप्त वर्ष	मार्च 31, 2023 को समाप्त वर्ष	% में परिवर्तन
चालू अनुपात	(चालू परिसंपत्तियाँ)	(चालू देयताएँ)	78%	71%	7%
ऋण-साम्या अनुपात	(दीर्घकालिक ऋण)	(कुल ईक्विटी)	34%	23%	11%
ऋण सेवा कवरेज अनुपात	(ईबीआईटीडीए)	(ऋण अनिवार्यता)	146%	-13%	160%
ईक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	(कर-पश्चात् लाभ)	(कुल ईक्विटी)	3%	-16%	19%
मालसूची पण्यावर्त अनुपात	(प्रचालनिक आय)	(औसत मालसूची)	749%	789%	-39%
व्यापार प्राप्तव्य पण्यावर्त अनुपात	(प्रचालनिक आय)	(औसत व्यापार प्राप्तव्य)	428%	489%	-61%
व्यापार देय पण्यावर्त अनुपात	(प्रचालनिक आय)	(औसत व्यापार देय)	279%	296%	-17%
निवल पूँजी पण्यावर्त अनुपात	(प्रचालनिक आय)	(कुल ईक्विटी)	75%	95%	-20%
निवल लाभ अनुपात	(कुल व्यापक आय)	(कुल आय)	4%	-17%	20%
लगाई गई पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई)	(पीबीआईटी)	(लगाई गई पूँजी)	4%	-12%	15%
निवेशन पर प्रतिफल (आरओआई)	(कर-पूर्व लाभ)	(लगाई गई पूँजी)	3%	-13%	16%
ब्याज कवरेज अनुपात	(ईबीआईटीडीए)	(ब्याज)	851%	-126%	977%

पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25% से अधिक परिवर्तन के लिए स्पष्टीकरण:

1. ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात में 160% की वृद्धि मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में ईबीआईटीडीए में वृद्धि के कारण है।
2. मालसूची पण्यावर्त अनुपात: मालसूची पण्यावर्त अनुपात में -39% की कमी मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान प्रचालनिक आय में कमी और मालसूची शेष में कमी के कारण है।
3. व्यापार प्राप्य पण्यावर्त अनुपात: देनदार पण्यावर्त अनुपात में -61% की कमी मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान प्रचालनिक आय में कमी और पुराने व्यापार प्राप्य को बट्टे खाते में डालने के कारण है।
4. ब्याज कवरेज अनुपात: ब्याज कवरेज अनुपात में 977% की वृद्धि मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईबीआईटीडीए में रु.20299.70 लाख की वृद्धि के कारण हुई है, जबकि पिछले वर्ष ईबीआईटीडीए रु.2522.21 लाख थी।

30. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त जानकारी:

1. **A. आकस्मिक देयताएँ: भारतीय लेखाकरण मानक 37 के अनुसार प्रकटीकरण**

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
इस कम्पनी के प्रति प्रस्तुत दावे जो ऋणों के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किए गए	2079.17	19497.76	18577.55
प्राप्त आय कर माँगें, जिनके प्रति इस कम्पनी का विवाद चल रहा है	9307.00	8770.00	9817.00
प्राप्त सेवा कर माँगें, जिनके प्रति इस कम्पनी का विवाद चल रहा है (मांग की तिथि से भुगतान की तिथि तक देय ब्याज के कारण राशि में वृद्धि की जा सकती है)^	15071.00	14761.00	13292.00
पूँजीकृत हिसाब पर निष्पादित होने को शेष संविदाओं की प्राक्कलित राशि, जिसके लिए प्रावधान नहीं रखा गया#	43498.9	67336.00	77823.18
कम्पनी द्वारा दी गई बैंक गारंटियाँ	8829.96	9650.85	13234.70
कुल	**78,786.03**	**1,20,015.61**	**1,32,744.43**

^इसमें शामिल है कि कंपनी ने जून, 2005 से जून, 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त अनियमित सेनवैट क्रेडिट के लिए ब्याज और जुर्माना सहित रु.15071 लाख की वसूली की पुष्टि करने वाले कमीशन दर आदेशों के खिलाफ सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील और स्थगन के लिए आवेदन दायर किया। कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि मामला न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है।.

#इसमें शामिल है- डीसीआई ने वर्ष 2022-23 में नए टीएसएचडी 12000 एम3 क्षमता वाले ड्रेजर के निर्माण के लिए सर्वश्री कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 379.70 करोड़ रुपये प्लस 4.6262 करोड़ यूरो के संविदात्मक मूल्य पर समझौता किया है और ड्रेजर निर्माणाधीन है।

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

30. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त जानकारी: (चालू....)

B. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ :

रुपये लाखों में

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
कम्पनी द्वारा किए गए दावे	9478.59	8665.15	8665.15
कुल	**9478.59**	**8665.15**	**8665.15**

2. **विदेशी मुद्रा में व्यय:**

रुपये लाखों में

विवरण	2023-24	2022-23
यात्रा	3.99	0.00
ब्याज	191.07	267.51
अतिरिक्त पुर्जो की खरीद	8717.18	3188.88
कुल	**8912.24**	**3456.39**

3. **आयातों का मूल्य:**

रुपये लाखों में

विवरण	2023-24	2022-23
घटक और अतिरिक्त पुर्जे (लागत बीमा व भाड़ा मूल्य)	8717.18	3188.88
खपत हुए आयाती अतिरिक्त पुर्जों और घटकों का मूल्य	4734.56	5934.48
खपत हुए देशीय अतिरिक्त पुर्जों और घटकों का मूल्य	673.86	765.98
खपत हुए कुल अतिरिक्त पुर्जों और घटकों के प्रति खपत हुए आयाती अतिरिक्त पुर्जों और घटकों के मूल्य की प्रतिशतता	87.54	88.57
खपत हुए कुल अतिरिक्त पुर्जों और घटकों के प्रति खपत हुए देशीय अतिरिक्त पुर्जों और घटकों के मूल्य की प्रतिशतता	12.46	11.43

4. **पूँजी प्रबंधन : भा.ले.मा. 107 और 109 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दिए गए अनुसार**

A. जोखिम प्रबंधन: पूंजी प्रबंधन करते समय कंपनी का उद्देश्य शेयरधारकों को प्रतिफल और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करने के लिए कंपनी की क्षमता को एक व्यवहार (गोइंग कंसर्न) के रूप में जारी रखना है और पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखना है।

कंपनी ऋण इक्विटी अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है। इस अनुपात की गणना ऋण को कुल इक्विटी से विभाजित करके की जाती है। ऋण की गणना दीर्घावधिक उधार के रूप में की जाती है (तुलन-पत्र में दिखाए गए दीर्घावधिक उधार के वर्तमान हिस्से सहित)

रुपये लाखों में

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
निवल ऋण	42,636.45	28,056.17	27,283.38
कुल ईक्विटी	1,26,360.22	1,22,923.96	1,42,281.11
ईक्विटी अनुपातों के प्रति निवल ऋण	**0.34**	**0.23**	**0.19**

B. ऋण अनुबंध: कंपनी का 31-03-2024 तक ड्यूश बैंक के साथ 1ईसीबी ऋण समझौता है।

5. **वित्तीय प्रबंधन:** कंपनी को क्रेडिट जोखिम, तरलता जोखिम और बाजार जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी के जोखिम प्रबंधन संरचना की स्थापना और पर्यवेक्षण की समग्र जिम्मेदार है। निदेशक मंडल ने जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की स्थापना की, जो कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों को विकसित करने और उनकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार है। लेखा परीक्षा समिति इस बात की देखरेख करती है कि प्रबंधन कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी कैसे करता है, और कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों के संबंध में जोखिम प्रबंधन संरचना की पर्याप्तता की समीक्षा करता है।

A. क्रेडिट जोखिम: क्रेडिट जोखिम कंपनी को वित्तीय नुकसान का जोखिम है, यदि किसी वित्तीय साधन का ग्राहक अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। कंपनी का क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से उसके व्यापार प्राप्तियों के कारण उत्पन्न होता है। व्यापार प्राप्तियों में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले बड़ी संख्या में ग्राहक शामिल होते हैं। जब ग्राहक क्रेडिट अवधि के भीतर संविदात्मक भुगतान करने में विफल रहता है, तो व्यापार प्राप्य पर व्यतिक्रम (डिफ़ॉल्ट) माना जाता है। यह क्रेडिट अवधि उस कारोबारी माहौल को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है जिसमें कंपनी काम करती है। कंपनी क्रेडिट योग्य ग्राहकों के साथ व्यवहार करने और जहां उचित हो, पर्याप्त संपार्श्विक प्राप्त करने पर विचार करती है, ताकि डिफ़ॉल्ट से वित्तीय नुकसान के जोखिम को कम किया जा सके। उपरोक्त के कारण क्रेडिट जोखिम की समय-समय पर निगरानी की जाती है। आवधिक विश्लेषणों के आधार पर, क्रेडिट जोखिम को निरंतर समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

30. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त जानकारी: (चालू....)

B. कंपनी प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर व्यापार प्राप्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान करती है। यह मैट्रिक्स व्यापार प्राप्तियों के मामले में प्रत्याशित ऋण हानि की पहचान का एक सरलीकृत आधार है। मॉडल व्यापार प्राप्तियों के लिए ऐतिहासिक ऋण हानि अनुभव का उपयोग करता है अर्थात् यह मॉडल रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार व्यापार प्राप्तियों के आयु विश्लेषण का उपयोग करता है और यह उन दिनों की संख्या पर आधारित है जब व्यापार प्राप्तियां देय हैं। पिछले 3 वर्षों की अवधि में 90 दिनों के ब्रैकेट के लिए आयु निर्धारित की गई है। 3 साल से अधिक पुराने प्राप्तियां अप्राप्य मानी जाती हैं। इसके अलावा, दिवालियापन की घोषणा करने वाले या कंपनी के साथ पुनर्भुगतान योजना में शामिल होने में विफल रहने वाले ग्राहकों के लिए मामले दर मामले आधार पर प्रावधान किया जाता है अर्थात् ऐसे ग्राहक इस हानि अभ्यास का हिस्सा नहीं बनते हैं और इसलिए प्रावधान किया जाता है।

1. **व्यापार प्राप्तियों का सामंजस्य:**

रुपये लाखों में

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
व्यापार प्राप्तियों का सकल वहन-मूल्य	35,693.42	43,239.44	30,894.39
घटाव : प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए किया गया प्रावधान	-18,182.42	-16,547.13	-9,921.61
व्यापार प्राप्तियों का निवल वहन-मूल्य	**17,511.00**	**26,692.32**	**20,972.78**

2. **अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान का समाधान:**

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था
दिनांक 31-03-2022 तक हानि भत्ता	**9921.61**
वर्ष के दौरान अशोध्य ऋणों के लिए किया गया प्रावधान	7421.04
घटाव : वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले गए / निकाले गए	795.53
दिनांक 31-03-2023 तक हानि भत्ता	**16,547.13**
वर्ष के दौरान अशोध्य ऋणों के लिए किया गया प्रावधान	1729.01
निकासी के प्रावधान	-93.71
दिनांक 31-03-2024 तक हानि भत्ता	**18,182.42**

3. **अनुपयोगी पुर्जों और भंडारों के लिए प्रावधान का समाधान:**

विवरण	जैसा मार्च 31, 2023 को था
31-03-2022 तक अनुपयोगी पुर्जों के लिए प्रावधान	**175.92**
हानि भत्ते में परिवर्तन	(175.92)
31-03-2023 तक हानि भत्ता	**0.00**
वर्ष के दौरान हानियों के लिए किया गया प्रावधान	0.00
31-03-2024 तक अनुपयोगी पुर्जों के लिए प्रावधान	**0.00**

B. लिक्विडिटी जोखिम:

विवेकपूर्ण लिक्विडिटी जोखिम प्रबंधन से तात्पर्य कंपनी की अल्पकालिक और दीर्घकालिक फंडिंग और लिक्विडिटी प्रबंधन अपेक्षाओं के प्रबंधन से है। कंपनी का खजाना प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के तहत धन की उपलब्धता बनाए रखकर फंडिंग में लचीलापन बनाए रखता है। कंपनी पर्याप्त रिजर्व, बैंकिंग सुविधाएं और रिजर्व उधार सुविधाओं को बनाए रखकर, पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है।

c. बाजार जोखिम::

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो विदेशी मुद्रागत दरों, ब्याज की दरों और कमोडिटी की कीमतों जैसे बाजार संकेतकों में परिवर्तन से कंपनी की आय या उसके वित्तीय साधनों के मूल्य को प्रभावित करेगा। कंपनी की गतिविधियाँ मुख्य रूप से विदेशी मुद्रागत दर और ब्याज की दरों में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के लिए इसे उजागर करती हैं।

d. विदेशी मुद्रा जोखिम:

कंपनी मुख्य रूप से यूरो और कुछ अन्य विदेशी मुद्राओं के संबंध में विदेशी मुद्राओं में व्यय करती है। विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देयताओं से उत्पन्न होता है, जो ऐसी मुद्रा में मूल्यांकित होती हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रुपये) नहीं है।

30. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त जानकारी: (चालू....)

a. विदेशी मुद्रा जोखिम: रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम, भारतीय रुपये में व्यक्त, निम्नानुसार है:

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
1. वित्तीय देयताएँ:			
a. उधार	15685.49	14953.67	21395.98
b. आयाती पुर्जे	1091.27	1167.35	620.22
c. आयाती सेवाएँ (शुष्क गोदीकरण व्यय)	0.00	130.77	1997.51
कुल	**16776.76**	**16251.79**	**24013.71**

6. **वित्तीय लिखत:** वित्तीय साधनों की श्रेणियाँ – श्रेणियों द्वारा वित्तीय साधनों का वहन मूल्य / उचित मूल्य निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
	वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
1.	**एफ़वीटीओसीआई में मूल्यांकित**			
	प्रारंभिक पहचान पर पदनामित ईक्विटी दस्तावेजों में निवेशन	0.00	0.00	0.00
2.	**परिशोधित लागत पर मूल्यांकित:**			
	जमे (प्रतिभूति जमों सहित)	3378.11	2574.85	3200.33
	बिल न की गई प्रचालनिक आय	9869.02	9796.64	8986.72
	दावे और अन्य प्राप्तव्य	1261.88	1153.06	1123.70
	अग्रिम	4632.79	3113.13	3416.54
	कर्मचारियों को ऋण	4.14	9.44	20.76
	व्यापार प्राप्तव्य	17511.00	26692.32	20972.78
	नकद और बैंक शेष	5028.03	3146.60	9414.51
	वित्तीय देयताएँ			
3	**परिशोधित लागत पर मूल्यांकित:**			
	बांड / डिबेंचर	0.00	0.00	5887.80
	आवधिक ऋण (चालू परिपक्वताओं सहित)	15685.4	14953.67	21395.58
	व्यापार देय	26509.48	41239.71	37532.12

ऐसे दृष्टांत जबकि वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य उपर्युक्त वर्गीकरण पर आधारित ऐसे लेखों पर प्रभाव नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार है :

क्र. सं.	विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
	परिसंपत्तियाँ : ईक्विटी दस्तावेजों में निवेशन (सर्वश्री सेतुसमुद्रम)			
1.	**वहन मूल्य**	0.00	0.00	0.00
	ओसीआई के माध्यम से प्रारंभिक पहचान पर उचित मूल्य के रूप में पदनामित	0.00	0.00	0.00
	कुल उचित मूल्य	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2.	**देयताएँ : आवधिक ऋण**			
	वहन मूल्य	15685.49	14953.67	21395.58
	कुल उचित मूल्य	**15685.49**	**14953.67**	**21395.58**

7. **उचित मूल्य माप:**

I. उचित मूल्य पदानुक्रम:

स्तर 1 एक समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – परिसंपत्ति या देयता के लिए या तो प्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी कीमतों से प्राप्त), प्रेक्षणीय स्तर 1 के ध्यान देने योग्य बातों में शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट।

स्तर 3 – उन परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अदृश्य इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

30. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त जानकारी: (चालू....)

II. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन तकनीक:

वित्तीय साधनों को महत्व देने के लिए उपयोग की जाने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में शामिल हैं:

- गैर-सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए बही मूल्यों का उपयोग
- शेष वित्तीय साधनों का उचित मूल्य रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

III. मूल्यांकन प्रक्रियाएं

कंपनी का वित्त विभाग वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए जहां भी आवश्यक हो, वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्यांकन करता है, जिसमें स्तर 3 उचित मूल्य शामिल हैं.

8. प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई परिसंपत्ति:

विवरण	टिप्पणियाँ	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
अप्रचलित परिसंपत्तियाँ:				
a. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	(1)	89351.32	118861.46	126412.03
प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई कुल परिसंपत्तियाँ		**89351.32**	**118861.46**	**126412.03**

9. प्रति शेयर आमदनी:

ओसीआई के बाद शेयर के लिए आमदनी:

विवरण	2023-24	2022-23
अवधि के लिए कुल व्यापक	3436.25	(19357.15)
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य@ रु.10 प्रत्येक)	2,80,00,000	2,80,00,000
मूल प्र.शे.आ.	12.27	(69.13)
फ़ीका इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य@ रु.10 प्रत्येक)	2,80,00,000	2,80,00,000
फ़ीका प्र.शे.आ.	12.27	(69.13)

ओसीआई के पहले शेयर के लिए आमदनी

विवरण	2023-24	2022-23
वर्ष का लाभ	3568.38	(19619.93)
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य@ रु.10 प्रत्येक)	2,80,00,000	2,80,00,000
मूल प्र.शे.आ.	12.74	(70.07)
फ़ीका इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य@ रु.10 प्रत्येक)	2,80,00,000	2,80,00,000
फ़ीका प्र.शे.आ.	12.74	(70.07)

10. अपवादात्मक मदें:

वर्ष के दौरान, कंपनी ने सर्वश्री वेस्टकोस्ट ड्रेजिंग के कानूनी मामले के परिणाम के लिए रु.79.42 लाख की राशि का व्यय चार्ज किया, जिसे लाभ और हानि खाते में अपवादात्मक व्यय के तहत पहचानी गई।

11. ग्राहकों और विक्रेताओं से शेष राशि की पुष्टि:

a) कंपनी में व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय राशियों और जमाराशियों के संबंध में सभी पक्षों से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रथा है। जबकि समाधान एक सतत प्रक्रिया है, प्रबंधन को इसके कारण वित्तीय परिणामों को प्रभावित करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण अंतर की उम्मीद नहीं है।.

b) विक्रेता/ग्राहक शेष राशि का समाधान एक सतत प्रक्रिया है। प्रबंधन का मानना है कि उपरोक्त समाधान के कारण शेष राशि में परिवर्तन और उसके बाद विदेशी मुद्रा लाभ/हानि का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होगा।

12. **भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार प्रकटीकरण** – पूर्व अवधि पुनर्कथन: पिछले वर्ष 2022-23 के संबंध में पूर्व अवधि की त्रुटियों को नीचे दिए अनुसार पुनर्कथन किया गया। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 और उससे पहले की अवधि के लिए रु.1843.85 लाख की अल्प मान्यता (पीपीई) और रु.300.15 लाख के आईओसीएल ब्याज व्यय की अल्प मान्यता को 1 अप्रैल, 2022 तक प्रतिधारित आय के आरंभिक शेष में समायोजित किया गया।

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

30. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त जानकारी: (चालू....)

पूर्व अवधि की त्रुटियों का समाधान:

रुपये लाखों में

विवरण	ऑपीपीं
दिनांक 31-03-2022 तक प्रतिधारित आय शेष	**84621.58**
पूर्व अवधि की त्रुटियों से संबंधित समायोजन (नीति में परिवर्तन के अनुसार मूल्यह्रास का पूर्वव्यापी प्रभाव)	1843.85
विलंब से हुए आईओसीएल के भुगतान पर ब्याज	-300.15
दिनांक 01 अप्रैल, 2022 तक प्रतिधारित आय शेष (A)	85165.28
वर्ष 2022-23 का कर-पश्चात् लाभ (पूर्व पुनर्कथन)	1518.58
प्रचालनिक व्यय : देनदार	
पत्तनों द्वारा अशोध्य ऋणों की लघु पहचान - एलडी प्रभार	-1539.91
आईओसीएल ब्याज के लिए प्रावधान की लघु पहचान	-369.60
मूल्यह्रास की लघु पहचान पुनरीक्षित नीत के अनुसार	-1382.61
प्रचालनेतर व्यय : देनदार	
कर प्राप्तियों के लिए प्रावधान की लघु पहचान	-534.69
अशोध्य ऋणों की लघु पहचान सेतुसमुद्रम के बकाये	-6583.79
अन्य हानियों की लघु पहचान अदालती मामले	-10409.27
जीएसटी ब्याज देयता के लिए प्रावधान की लघु पहचान	-77.94
प्रचालनेतर आय : लेनदार	
प्रचालनेतर आय की लघु पहचान	21.67
निवल पूर्वावधि समायोजन	-20875.61
वर्ष 2022-23 का पुनर्कथित लाभ (हानि) (B)	-19357.15
दिनांक 31-03-2023 तक प्रतिधारित आय शेष (A + B)	**66336.13**

13. **ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व:** कुल राजस्व के रूप में प्रकट की गई राशि के प्रति ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है:

रुपये लाखों में

विवरण	वित्तीय वर्ष - 2023-24	वित्तीय वर्ष - 2022-23
ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व	94314.53	115830.28
अन्य स्रोतों से राजस्व	235.55	671.18
प्रचालनों से कुल राजस्व	**94550.08**	**116501.46**

राजस्व की पहचान:

रुपये लाखों में

विवरण	31-03-2024			31-03-2023		
	समय में बिंदु पर	समय के साथ	कुल	समय में बिंदु पर	समय के साथ	कुल
ग्राहकों से राजस्व	0.00	94314.53	94314.53	0.00	115830.28	115830.28
कुल राजस्व			**94314.53**			**115830.28**

संविदागत परिसंपत्ति:

रुपये लाखों में

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
संविदागत परिसंपत्ति का आद्य शेष	9796.64	8986.72	8,680.01
चालू अवधि में व्यापार प्राप्तियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत आद्य शेष	(10743.23)	(8945.71)	(9637.75)
चालू वर्ष संविदागत परिसंपत्ति - अग्रेनीत	10815.61	9755.63	9944.10
संविदागत परिसंपत्ति का अंत्य शेष	**9869.02**	**9796.64**	**8986.72**

संविदागत देयता :

रुपये लाखों में

विवरण	जैसा मार्च 31, 2024 को था	जैसा मार्च 31, 2023 को था	जैसा अप्रैल 01, 2022 को था
संविदागत देयता का आद्य शेष	5137.74	74.88	0.00
संविदागत देयता के आद्य शेष से पहचाना गया राजस्व	5137.74	74.88	0.00
चालू वर्ष संविदागत देयता - अग्रेनीत	3824.42	5137.74	74.88
संविदागत देयता का अंत्य शेष	**3824.42**	**5137.74**	**74.88**

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

30. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त जानकारी: (चालू....)

तुलन-पत्र में टिप्पणी नोट संख्या 8 के तहत प्रकट की गई संविदागत परिसंपत्तियाँ ग्राहकों को बिल न की गई राशियाँ हैं जो आज तक हस्तांतरित सेवाओं के लिए कंपनी के प्रतिफल के अधिकार का प्रतिनिधित्व करती हैं। संविदागत परिसंपत्तियों के रूप में पहले से मान्यता प्राप्त कोई भी राशि ग्राहक को चालान किए जाने के समय व्यापार प्राप्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत की जाती है।

तुलन-पत्र में संविदागत देयताएँ मान्यता प्राप्त राजस्व से अधिक अग्रिम भुगतान और बिलिंग का गठन करती हैं। कंपनी को उम्मीद है कि वह आगामी वित्तीय वर्षों में ऐसे राजस्व को मान्यता देगी। तालिका में उल्लिखित राशि और ऊपर दिए गए स्पष्टीकरण को छोड़कर रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संविदागत परिसंपत्तियों और संविदागत देयताओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए।

नोट संख्या 6 में प्रकट की गई व्यापार प्राप्य में संविदा शेष शामिल हैं।

कंपनी की राजस्व सृजन गतिविधियों पर आम तौर पर लागू भुगतान शर्तों के तहत, पूर्व भुगतान केवल सीमित सीमा तक ही प्राप्त होते हैं। आम तौर पर, भुगतान सेवाओं के पूरा होने पर या उसके बाद देय होता है। कंपनी ड्रेजिंग गतिविधियों से राजस्व अर्जित करती है। ड्रेजिंग और जहाज़ को किराए पर लेने से होने वाले राजस्व को समय के साथ पहचाना जाता है, जिसे पूरा होने के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कंपनी ने आउटपुट पद्धति का पालन करते हुए समय अवधि के आधार पर राजस्व को पहचाना है। चूंकि, कंपनी निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए कुल अपेक्षित अनुमानित मात्रा के सापेक्ष मात्रा के प्रति निकर्षित मात्रा को मापने के द्वारा संविदा के पूरा होने की दिशा में प्रगति को ट्रैक कर सकती है, इसलिए चार्टर की अवधि के दौरान ड्रेजिंग के पूरा होने की प्रतिशतता की पद्धति / सीधी रेखा के आधार पर अर्थात् आउटपुट पद्धति, माल या सेवाओं के हस्तांतरण का एक विश्वसनीय चित्रण प्रदान करती है।

14. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:

निदेशक :	कप्तान एस.दिवाकर, दिनांक 15.04.2024 तक प्रबंध निदेशक
	श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आईआरटीएस, दिनांक 16.04.2024 से प्रभावी प्रबंध निदेशक
मुख्य वित्तीय अधिकारी :	दिनांक 05.03.2024 तक श्री के.राजेश
	दिनांक 06.03.2024 से प्रभावी श्री ई.किरण
कम्पनी सचिव :	श्रीमती पी.चन्द्र कलाभिनेत्री
कुल वेतन व हितलाभ :	रु.85.02 लाख (पिछले वर्ष रु.95.63 लाख)

प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V और धारा 197 के अनुपालन में है।

15. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण:

रुपये लाखों में

संबंधित पार्टी	संबंध का स्वरूप
1. विशाखपट्टणम पत्तन न्यास	महत्वपूर्ण प्रभाव
2. पारादीप पत्तन न्यास	महत्वपूर्ण प्रभाव
3. जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	महत्वपूर्ण प्रभाव
4. दीनदयाल पत्तन न्यास	महत्वपूर्ण प्रभाव

क्र. सं.	पार्टी	वर्ष के दौरान सबसे बड़ा एकल लेनदेन (प्रचालनों से राजस्व)	वर्ष के दौरान लेनदेन (प्रचालनों से राजस्व)	31-03-2024 तक बकाया शेष (प्राप्तियां)
1	विशाखपट्टणम पत्तन न्यास	1770.00	3191.77	1397.78
		(पिछले वर्ष 2360.00)	(पिछले वर्ष 5712.84)	(पिछले वर्ष 2673.88)
2	पारादीप पत्तन न्यास	2156.81	22298.93	1786.30
		(पिछले वर्ष 2673.55)	(पिछले वर्ष 20180.53)	(पिछले वर्ष 186.20)
3	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	7660.85	19533.57	11340.87
		(पिछले वर्ष 7203.40)	(पिछले वर्ष 34994.50)	(पिछले वर्ष 14030.84)
4	दीनदयाल पत्तन न्यास	0	0	0
		(पिछले वर्ष 0.00)	(पिछले वर्ष 0.00)	(पिछले वर्ष 0.00)

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

30. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त जानकारी: (चालू....)

संबंधित पार्टी से लिया गया ऋण :

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31-03-2023 तक बकाया	डेरप अींरळश्रशव वीळपस ींहश ूशरी	वर्ष के दौरान अदा किया गया	दिनांक 31-03-2024 तक बकाया
1	**विशाखपट्टणम पतन न्यास**				
	कार्यशील पूँजी अग्रिम	2,000.00	1,500.00	675.58	2,824.42
	ब्याज	108.10	–	150.60	142.39
2	**पारादीप पतन न्यास**				
	कार्यशील पूँजी अग्रिम	500.00	5,000.00	5,500.00	–
	ब्याज	2.19		167.68	–
	ड्रेजर के लिए पूँजी ऋण	–	5,400.00		5,400.00
	ब्याज	–	188.02		188.02
3	**दीनदयाल पतन न्यास**				
	ड्रेजर के लिए पूँजी ऋण	3,600.00			3,600.00
	ब्याज	123.00	–	304.20	126.68
4	**जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास**				
	ड्रेजर के लिए पूँजी ऋण	–	6,000.00		6,000.00
	ब्याज	–	–	–	408.08
गुणात्मक इनपुट		डीसीआईएल इन चारों पत्तन न्यासों के लिए चालू आधार पर निकर्षण सेवाओं की व्यवस्था करता है और डीसीआई के मंडलमें प्रत्येक पत्तन न्यास के नामिती हैं। सभी लेन-देन आर्म्स लेंथ बेसिस पर किए गए हैं।			

16. अतिरिक्त विनियामक जानकारी:

a) सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर आयोजित किए जाते हैं:

b) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

c) कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और संबंधित पार्टियों को कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है:

d) 31-03-2024 तक इस कंपनी के नाम पर कोई बेनामी संपत्ति नहीं है।

e) वर्ष के दौरान कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थानों या उधारदाताओं द्वारा ''इरादतन चूककर्ता'' घोषित नहीं किया गया है।

f) फंसी कंपनियों के साथ संबंध: कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत फंसी कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है।

g) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान क्रिप्टो करेन्सी या वर्च्युअल करेन्सी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

h) कंपनी के पास निवेश की कई परतें नहीं हैं। इसलिए, परतों की संख्या का प्रतिबंध नियम 2017 लागू नहीं है।

i) 31-03-2024 तक संवैधानिक अवधि से परे कंपनियों के रजिस्टर के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

j) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर निर्धारण में वर्ष के दौरान अज्ञात/अलिखित आय को आय के रूप में अभ्यपत या प्रकट नहीं किया गया है।

k) कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों से उधार लिया है और तिमाही विवरणियां और बैंकों के साथ कंपनी द्वारा दायर चालू परिसंपत्तियों के विवरण लेखा बहियों के साथ मेल नहीं खाते हैं। नीचे दी गई तालिकाओं में अंतर के लिए सामंजस्य नहीं किया जा सका, क्योंकि मतभेदों का कारण निम्नलिखित का संयोजन है।

- टीडीएस और बाद में जीएसटी टीडीएस का लेखाकरण।
- बैंकों को शेष राशि जमा करने की तारीख के बाद लेखा बहियों में प्रविष्टियां की गईं।
- कुछ देनदारों के मामले में, किए गए कार्य में भिन्नताएं थीं, लेकिन लेखा-बहियों में और बैंक विवरणों में बिल नहीं माना गया था।
- बैंकों को देनदार विवरण प्रस्तुत करते समय प्रचालनेतर देनदारों का विचार नहीं किया गया।

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

30. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त जानकारी: (चालू....)

तिमाही4 2023-24

पत्तन का नाम	दिनांक 31-03-2024 तक का शेष	3 वर्ष से अधिक	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	6-12 महीने	0-6 महीने
बैंक को प्रस्तुत विवरणों के अनुसार शेष	35,769.25	15,605.62	2,314.51	2,828.39	1,878.51	13,142.22
लेखा बहियों के अनुसार शेष राशि	35,693.43	15,605.62	2,303.51	2,873.66	3,583.35	11,327.28
अंतर	**75.82**	**0.00**	**11.00**	**-45.27**	**-1,704.84**	**1,814.94**

तिमाही3 2023-24

विवरण	दिनांक 31-12-2023 तक का शेष	3 वर्ष से अधिक	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	6-12 महीने	0-6 महीने
बैंक को प्रस्तुत विवरणों के अनुसार शेष	37065.85	15432.82	1235.37	2641.16	4708.90	13047.60
लेखा बहियों के अनुसार शेष राशि	37065.84	15432.82	1235.37	2788.37	4719.67	12889.62
अंतर	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**-147.21**	**-10.77**	**157.98**

तिमाही2 2023-24

विवरण	दिनांक 31-12-2023 तक का शेष	3 वर्ष से अधिक	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	6-12 महीने	0-6 महीने
बैंक को प्रस्तुत विवरणों के अनुसार शेष	34,618.62	15,410.61	1,235.36	2,483.83	1,944.25	13,544.57
लेखा बहियों के अनुसार शेष राशि	34,533.19	15,432.82	1,235.36	3,571.03	7,680.53	6,613.46
अंतर	**85.43**	**-22.21**	**0.00**	**-1,087.20**	**-5,736.28**	**6,931.11**

तिमाही1 2023-24

विवरण	दिनांक 31-12-2023 तक का शेष	3 वर्ष से अधिक	2-3 वर्ष	1-2 वर्ष	6-12 महीने	0-6 महीने
बैंक को प्रस्तुत विवरणों के अनुसार शेष	35400.43	15410.61	1229.05	2277.06	768.12	15715.59
लेखा बहियों के अनुसार शेष राशि	27975.49	15432.82	1225.39	2257.73	829.52	8230.03
अंतर	**7424.94**	**-22.21**	**3.66**	**19.33**	**-61.40**	**7485.56**

17. **निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर):** यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत आती है और विवरण नीचे दिए गए हैं।

A. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि और वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो, का ब्यौरा: शून्य

B. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ: रु.-12,112.35 लाख

C.

(a) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत:	रु.-242.25 लाख
(b) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष	शून्य
(c) वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ किए जाने के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो:	शून्य
(d) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व	रु. 0.00 लाख

B. i) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रुपयों में)	खर्च न की गई राशि (रुपयों में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि।		
	धारा 135 (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
0	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

30. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त जानकारी: (चालू....)

i) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा : शून्य

ii) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा: शून्य

iii) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि: शून्य

iv) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो: लागू नहीं

v) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि है: शून्य

vi) समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपयों में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	0.00 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई कुल राशि	0.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि (ii)-(i)	0.00
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला अधिशेष, यदि कोई हो	81.66 लाख
(v)	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (iii)-(iv)	81.66 लाख

E. (a) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण: **शून्य**

(b) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चालू परियोजनाओं के लिए इस वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: **लागू नहीं**

F. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई गई या अर्जित संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें: **सीएसआर खर्च के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोई पूंजीगत संपत्ति अर्जित/बनाई नहीं गई थी।**

G. कारण (कारणों) को निर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135 (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है: **लागू नहीं**

18. सामान्य

a) कंपनी ड्रेजिंग के व्यवसाय में लगी हुई है और इसलिए, भारतीय लेखा मानक 108 ''ऑपरेटिंग सेगमेंट'' के अनुसार इसका केवल एक रिपोर्ट योग्य सेगमेंट है।

b) नवीनतम उपलब्ध सूचकांकों के आधार पर वृद्धि दावों (श्रम/सामग्री) को प्राथमिकता दी गई है।

c) पिछले वर्ष/अवधि के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष/अवधि के लेन-देन के अनुरूप बनाने के लिए जहाँ भी आवश्यक/व्यवहार्य हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनः प्रस्तुत किया गया है।

d) कर्मचारी लाभों पर भारतीय लेखा मानक 19 के अंतर्गत प्रकटीकरण आवश्यकताएँ कर्मचारी लाभ दायित्वों के अंतर्गत दी गई हैं।

19. कर्मचारी लाभ दायित्व:

1. **कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाओं का विवरण:** कंपनी अपने कर्मचारी की परिभाषित लाभ योजनाओं को उपदान, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के रूप में प्रदान करती है।

i. उपदान	a. कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर कर्मचारी को दिये जानेवाले लाभ का प्रतिनिधित्व करता है। कर्मचारी सेवानिवृत्ति या इस्तीफे पर इसको प्राप्त करने का हकदार है। b. डीसीआई ने उपदान के लिए एक न्यास बनाया है जिसे कंपनी द्वारा नियमित आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। न्यास की परिसंपत्तियों को योजना परिसंपत्तियाँ माना गया है।
ii. अवकाश नकदीकरण	कर्मचारियों के खाते में संचित अप्रयुक्त अवकाश के लाभों को दर्शाता है तथा संबंधित नियमों के अनुसार तटीय और जहाजीकर्मचारियों को भुगतान किया जाता है।
iii. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना	किसी अप्रत्याशित घटना के घटित होने पर सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारी को चिकित्सा लागत का सामना करना पड़ता है।

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

30. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त जानकारी: (चालू....)

2. **परिभाषित अंशदान योजनाओं का विवरण:** कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना और पेंशन अंशदान के रूप में परिभाषित अंशदान योजनाएं प्रदान करती है।

i.	भविष्य निधि	कर्मचारी भविष्य निधि लाभ में अंशदान एक अलग ट्रस्ट में किया जाता है। ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट प्राप्त है। छूट प्रदान करने की शर्तों के अनुसार, कंपनी भारत सरकार द्वारा घोषित वैधानिक दर की तुलना में ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर में यदि कोई कमी है, तो उसे पूरा करेगी।
ii.	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा योजना (नई 01.01.2007 से प्रभावी)	यह सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय के प्रावधान के लिए मासिक मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 2.19% का योगदान है।
iii.	पेंशन अंशदान	यह कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी के प्रावधान के लिए मासिक मूल वेतन और डीए का 10% का योगदान है और इसे डीसीआई द्वारा एनपीएस के साथ वित्त पोषित किया जा रहा है।

कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाएँ – 31 मार्च, 2024 को जीवनांकिक मूल्यांकन के अनुसार.

विवरण	उपदान		छुट्टियाँ (तटीय)		छुट्टियाँ (जहाजी)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
I. अवधि की शुरुआत में अनिवार्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (पीवीओ)	**1,495.80**	**1,482.07**	**586.42**	**676.70**	**34.88**	**27.98**
ब्याज लागत	98.78	94.74	38.22	42.79	2.36	1.85
वर्तमान सेवा लागत	84.05	85.59	170.64	186.24	51.60	44.74
स्थानांतरित कम्पनी द्वारा भुगतान किए गए देयता लाभ	-259.28	-234.77	-	-162.11	-160.13	-108.71
अवधि के अंत में पीवीओ की अनिवार्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	44.93	68.16	14.27	-157.20	107.67	68.99
अवधि के अंत में पीवीओ	1,464.28	1,495.80	593.07	586.42	36.38	34.88
II. ब्याज खर्च	-					
ब्याज लागत	98.78	94.75	38.22	42.79	2.36	1.85
III. योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य						
शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	925.95	997.77		-	-	-
ब्याज आय	60.26	64.22		-	-	-
IV. निवल दायित्व						
अवधि की शुरुआत में पीवीओ	1,495.80	1,482.07	586.42	676.69	34.88	27.98
रिपोर्ट की शुरुआत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	925.95	997.77	-	-	-	-
निवल दायित्व	**569.85**	**484.30**	**586.42**	**676.69**	**34.88**	**27.98**
V. निवल ब्याज						
ब्याज खर्च	98.78	94.74	38.22	42.79	2.36	1.85
ब्याज आय	60.26	64.22	-	-	-	-
निवल ब्याज	38.51	30.52	38.22	42.79	2.36	1.85
VI. योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	-	51.23		-		
घटाव: ऊपर शामिल ब्याज आय	60.26	64.22	-	-	-	-
ब्याज को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	**34.57**	**-12.99**	**-**	**-**	**-**	**-**
VII. अनिवार्यता पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	-			-		
जनसांख्यिकीय धारणा के कारण*	-	-	-	-	-	-
वित्तीय धारणा के कारण	16.74	-25.84	7.54	-11.19	0.22	0.40
अनुभव के कारण	28.19	94.00	6.73	-146.00	107.46	69.40
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	**44.93**	**68.16**	**14.27**	**-157.20**	**107.67**	**68.99**
VIII. योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य :						
योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य खोलना	**925.95**	**997.77**		**-**	**-**	
योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य खोलने के लिए समायोजन	-	-	-	-	-	
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (ब्याज आय को छोड़कर)	34.57	-12.95	-	-	-	
ब्याज आय	60.26	64.22	-	-	-	
ट्रांसफर इन फ़ंड ट्रांसफर आउट फंड	-	-	-	-	-	

*यह आंकड़ा जनसांख्यिकीय धारणा और वित्तीय धारणा के बीच अंतर्संबंध को प्रतिबिंबित नहीं करता है जब लाभ पर एक सीमा लागू की जाती है, तो प्रभाव एक अनुभव के रूप में दिखाया जाएगा

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

30. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त जानकारी: (चालू....)

विवरण	उपदान		छुट्टियाँ (तटीय)		छुट्टियाँ (जहाजी)	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
नियोक्ता द्वारा योगदान	83.71	111.67	0.00	162.11	160.13	108.71
कर्मचारी द्वारा योगदान	-	-	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	-259.28	-234.77	-	-162.11	-160.13	-108.71
अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**845.21**	**925.95**	**-**	**-**	**-**	**-**
IX. तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि लेखा विवरण में पहचानी गई राशियाँ						
अवधि के अंत में पीवीओ	1,464.28	1,495.80	593.07	586.21	36.38	34.88
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	845.21	925.95	-	-	-	-
वित्त पोषित स्थिति	-619.07	-569.85	-593.07	-586.21	-36.38	-34.88
तुलन-पत्र में पहचानी गई निवल परिसंपत्ति/(देयता)	**-619.07**	**-569.85**	**-593.07**	**-586.21**	**-36.38**	**-34.88**
X. लाभ-हानि खाते की विवरणी में पहचाना गया व्यय						
वर्तमान सेवा लागत	84.05	85.59	170.64	186.24	36.38	44.75
निवल ब्याज	38.51	30.52	38.22	42.79	-	1.86
पिछली सेवा लागत- (गैर निहित लाभ)पिछली सेवा लागत - (निहित लाभ)	-	-	-	-	-36.38	-
लाभ-हानि खाते की विवरणी में पहचाना गया व्यय	**122.57**	**116.11**	**208.86**	**229.03**	**-36.38**	**46.60**
XI. अन्य व्यापक आय (ओसीआई)						
अवधि के लिए पहचाना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	44.93	68.16	14.27	-157.20	107.67	68.99
निवल ब्याज को छोड़कर योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	-34.57	-	-	-	-	-
पिछली अवधि से न पहचाना गया बीमांकिक (लाभ)/हानि	-	12.95	-	-	-	-
अवधि के लिए पहचाना गया कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि (ओसीआई)	**10.36**	**81.11**	**14.27**	**-157.20**	**107.67**	**68.99**
XII. तुलन-पत्र में पहचानी गई देयता में संचलन						
आरंभिक शेष राशि को आरंभिक निवल देयता समायोजन	569.85	484.30	586.42	676.70	34.88	27.99
उपरोक्त के अनुसार व्यय	122.57	116.11	208.86	161.62	53.96	46.60
कंपनी द्वारा भुगतान किए गए लाभ	-	-	-	-	-	-
अदा किया गया योगदान	-83.71	-111.67	-216.49	-162.11	-160.13	-108.71
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	10.36	81.11	14.27	-157.20	107.67	68.99
अंत्य निवल देयताएँ	**619.07**	**569.85**	**593.07**	**586.41**	**36.38**	**34.88**
XIII. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III						
वर्तमान दायित्व	211.25	238.45	51.61	106.73	18.37	3.60
गैर-वर्तमान देयता	407.82	331.40	541.47	526.07	18.02	31.27
XIV. अनुमानित सेवा लागत 31 मार्च 2024	**82.06**	**84.05**	**170.00**	**170.63**	**54.24**	**51.59**
मान्यताएँ						
नश्वरता	IALM (2012-14) Ult.	IALM (2012-14)Ult	IALM (2012.14) Ult.	IALM (2012-14)Ult	IALM (2012-14)Ult	IALM (2012-14)Ult
ब्याज/छूट दर	6.97%	0.07	6.97%	0.07	0.07	0.07
मुआवजे में वृद्धि की दर स्वास्थ्य देखभाल लागत में वार्षिक वृद्धि	4%	0.04	4%	0.04	0.04	0.04
अधिकतम राज्य स्वास्थ्य लाभ में भविष्य के परिवर्तन अपेक्षित औसत शेष सेवा	8.57	8.73	5.45	9.27	9.27	9.27
कर्मचारी संघर्षण दर (पूर्व सेवा (पीएस))	PS:0 to 42: 5%	PS: 0 to 42:5%	PS:0 to 42: 5%	PS: 0 to 42:5%	PS: 0 to 42:5%	PS: 0 to 42:5%

a. आंकड़ों को लाखों दशमलव तक पूर्णांकित किया गया है। (शेयर डेटा को छोड़कर और अन्यथा कहा गया है)।

b. पिछले वर्ष/अवधियों के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो/चालू वर्ष/अवधि के लेनदेनों के अनुरूप करने के लिए पुनः समूहित/पुनर्व्यवस्थित/पुन प्रस्तुत किया गया है।

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

31. सामग्री लेखाकरण नीतियां:

सामान्य जानकारी:

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (''डीसीआईएल''/ ''कंपनी'') भारत में निगमित और अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में और निगमित कार्यालय विशाखपट्टणम में है। क्षेत्रीय/परियोजना कार्यालय देश के विभिन्न भागों जैसे हल्दिया, कोलकाता, कोचीन, चेन्नई, मुंबई आदि में स्थित हैं। कंपनी की प्रतिभूतियाँ मुख्य रूप से बीएसई और एनएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं।

इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत और विदेश दोनों जगह पत्तनों, नौसेना आदि की ड्रेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करना है। कंपनी के प्रमुख कार्यकलापों में निर्माणगत निकर्षण, निर्वाहगत निकर्षण, तट- पोषण, भूमि उद्धार, उथले और अंतर्देशीय जल ड्रेजिंग, परियोजना प्रबंधन परामर्श, समुद्री निर्माण की सेवाएं प्रदान करना शामिल है।''

1. वित्तीय विवरणों की तैयारी का आधार:

1.1 अनुपालन का विवरण:

ये वित्तीय विवरण समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित लागू भारतीय लेखा मानकों (''इंड एएस'') और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं।.

1.2 लेखाकरण परंपरा और मापन का आधार::

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा और प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदों के, जिन्हें प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक द्वारा अपेक्षित उचित मूल्यों पर मापा गया है:

i) कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं (वित्तीय दस्तावेजों पर लेखाकरण नीति देखें);

ii) परिभाषित लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (कर्मचारी लाभ पर लेखांकन नीति देखें);

1.3 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा:

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है और प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा है जिसमें कंपनी संचालित होती है। शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर, भारतीय रुपये में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख रुपये तक पूर्णांकित किया गया है।

2. लेखाकरण निर्णयों, अनुमानों और मान्यताओं का उपयोग:

इंडएएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे अनुमान, निर्णय और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखाकरण नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों और देयताओं, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशियों और आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखाकरण अनुमानों में संशोधन को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें अनुमान संशोधित किए जाते हैं और किसी भी प्रभावित भविष्य की अवधि में।

लेखाकरण नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी, साथ ही निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में अनुमान और धारणाएं, जिनका अगले वित्तीय वर्ष के वहन राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, प्रासंगिक नोटों में शामिल हैं।

i) संपत्ति, संयंत्र, उपस्कर का उपयोगी जीवन।

ii) परिभाषित लाभ अनिवार्यताओं का मापन।

iii) प्रावधानों और आकस्मिकताओं की घटना का मापन और संभावना।

3. राजस्व मान्यता:

a) भारतीय लेखा मानक 115 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाले ग्राहकों के साथ संविदाओं से प्राप्त राजस्व को मान्यता दी जाती है, जब (या उसके रूप में) किसी ग्राहक को वादा की गई सेवा हस्तांतरित करके निष्पादन दायित्व को पूरा किया जाता है, उस लेनदेन मूल्य की राशि के लिए जो आंतरिक मूल्यांकन/सर्वेक्षण के आधार पर उस निष्पादन दायित्व को आवंटित की जाती है।

b) लेन-देन की कीमत, प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर निर्धारित की जाती है और संविदा के अनुसार जहां भी लागू हो, भत्ते के लिए कम कर दी जाती है।

c) ड्रेजिंग गतिविधियों के विषय में निष्पादन दायित्व की संतुष्टि और राजस्व की मान्यता, समय पर या समय से बाहर, तब पहचानी जाती है, जब किसी सेवा के नियंत्रण का हस्तांतरण किया जाता है और, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक पूरा होता है:

   i) ग्राहक एक साथ डीसीआईएल द्वारा प्रदान की गई ड्रेजिंग सेवा के लाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है।

   ii) डीसीआईएल के निष्पादन से एक संपत्ति बनती है या बढ़ती है (उदाहरण के लिए, निर्माणगत निकर्षण) जिसे ग्राहक नियंत्रित करता है क्योंकि संपत्ति बनाई या बढ़ाई जाती है; अथवा

   iii) डीसीआईएल के निष्पादन से वैकल्पिक उपयोग वाली कोई परिसंपत्ति नहीं बनती है और डीसीआईएल के पास

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

आज तक पूरे किए गए निष्पादन के लिए भुगतान पाने का प्रवर्तनीय अधिकार है।

d) नीचे खंड (ई) में निर्दिष्ट लोगों के अलावा बाहरी एजेंसियों के खिलाफ दावों को वसूली की निश्चितता पर हिसाब दिया जाता है।

e) जहाजी हल और मशीनरी बीमा दावों के संबंध में, दावे को प्रचालनिक आय के अंतर्गत समुद्री बीमाकर्ता को औसत समायोजक रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर समुद्री बीमाकर्ता से वसूली योग्य दावों के रूप में दर्ज किया जाता है। जब भी समुद्री बीमाकर्ता से वास्तविक दावे प्राप्त होते हैं, तो दावा वसूली योग्य खाते में आवश्यक समायोजन किए जाते हैं। अन्य बीमा दावों के संबंध में, उन्हें समुद्री बीमाकर्ता द्वारा उनकी वसूली/निपटान पर दर्ज किया जाता है और परिचालन आय के अंतर्गत दर्ज किया जाता है।

f) ब्याज आय को लागू ब्याज दर का उपयोग करते हुए प्रोद्भूति पद्धति के आधार पर पहचाना जाता है।

g) अन्य सभी राजस्व वसूली की निश्चितता पर पहचाना जाता है।

4. प्रचालनिक व्यय:

a) सभी प्रचालनिक व्यय को प्रोद्भूति के आधार पर राजस्व को भारित किया जाता है।

b) भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम में अंतिम समायोजन को अंतिम मांगों/प्राप्त रिफंड (प्रतिदाय) के आधार पर खातों में विचार किया जाता है।

c) जहाजों के सामान्य औसत दावों/क्षति के कारण होने वाले व्यय को उसी वर्ष में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है जिसमें वे किए गए हैं।

5. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर:

a) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को लागत, घटाव संचित मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो, पर मापा जाता है।

b) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत में वह लागत शामिल है जो सीधे तौर पर परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई है, और सीधे तौर पर उसे उस स्थान और स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार है जो प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक है और इसमें जहां भी लागू हो, विघटन / पुनर्स्थापना के लिए अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य शामिल है।.

c) ड्रेजरों, आनुषंगिक नौयानों, भवन और मोटर वाहन (उन्मुक्त भूमि, निर्माणाधीन संपत्तियां, कंप्यूटर, फर्नीचर और कार्यालय उपस्कर और अन्य प्रचालनिक परिसंपत्तियों को छोड़कर) के लिए मूर्त परिसंपत्तियों की लागत पर मूल्यह्रास उनके 2% अवशिष्ट मूल्य से घटा कर, जिसमें लीजहोल्ड परिसर भी शामिल है, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के भाग में निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति के तहत और उसमें निर्दिष्ट तरीके से प्रदान किया जाता है। 5,000/- रुपये से कम लागत वाली परिसंपत्तियों का अधिग्रहण/खरीद के वर्ष में पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है।

d) मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और लेखाकरण अनुमान में परिवर्तन के रूप में हिसाब किया जाता है।

e) निम्नलिखित श्रेणियों की परिसंपत्तियों के संबंध में, उनके उपयोगी जीवन-काल का आकलन तकनीकी सलाह के आधार पर किया गया है, जिसमें परिसंपत्ति की प्रकृति, उसका अनुमानित उपयोग, प्रचालनिक स्थितियां, प्रतिस्थापन का पिछला इतिहास, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्माता की वारंटी और निर्वाह सहायता को ध्यान में रखा गया है। (तालिका शामिल की जाएगी)

संपत्ति का प्रकार	उपयोगी जीवन-काल
निकर्षक	25 वर्ष
हल्की इस्पात पाइप लाइन उपस्कर	4 वर्ष
उच्च सांद्रतावाले पॉली एथिलीन पाइप लाइन उपस्कर	8 वर्ष
पुरानी परिसंपत्तियाँ	अनुमानित शेष सेवा अवधि के अनुसार

f) निपटान पर संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का कोई एक मद मान्यता से वंचित कर दिया जाता है (नहीं पहचाना जाता है) या जब परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ होने की उम्मीद नहीं होती है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

g) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के प्रत्येक घटक/भाग की लागत, जो वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का मूल्यह्रास अलग से तभी किया जाता है, जब उसका उपयोगी जीवन-काल अलग हो। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की मान्यता रद्द होने से होने वाले लाभ या हानि को लाभ या हानि के विवरण में शामिल किया जाता है, जब वस्तु की मान्यता रद्द कर दी जाती है।

h) शुष्क गोदीकरण व्यय: जहाजों के शुष्क गोदीकरण के कारण होने वाले व्यय (खपत किए गए अतिरिक्त पुर्जों सहित) को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में पूंजीकृत किया जाता है। आईआरएस द्वारा यथा-प्रमाणित, शुष्क गोदीकरण व्यय को

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

शुष्क गोदीकरण के पूरा होने की तिथि से लेकर डॉकिंग सर्वेक्षण की अगली नियत तिथि तक की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

6. उधार लेने की लागत:

a) ऐसी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए किए गए उधार लागत (विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर सहित, जहां तक उन्हें ब्याज लागत में समायोजन माना जाता है) को, जिनके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, संबंधित परिसंपत्तियों में पूंजीकृत किया जाता है, जहां भी लागत सीधे ऐसी परिसंपत्तियों के लिए आरोपणीय हो सकती है और अन्य मामलों में ऐसी परिसंपत्तियों पर व्यय के लिए उधार की भारित औसत लागत को लागू करके।

b) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2009 को जारी अधिसूचना और साथ ही 9 अगस्त, 2012 की अधिसूचना में दिए गए संक्रमण- कालीन प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को इन विदेशी मुद्रा मदों से अर्जित परिसंपत्तियों की लागत में समायोजित करने का विकल्प चुना है।

c) अन्य उधार लागतों को वर्ष के लिए व्यय के रूप में माना जाता है.

d) दीर्घावधिक उधारों के संबंध में महत्वपूर्ण लेन-देन लागतों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके संबंधित ऋणों की अवधि में परिशोधन किया जाता है।

7. विदेशी मुद्रागत लेन-देन:

a) गैर-मौद्रिक वस्तुओं और विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित वस्तुओं/सेवाओं की खरीद और बिक्री से संबंधित लेन-देन को प्रचलित विनिमय दर या लेन-देन की तिथि पर की वास्तविक दर के लगभग बराबर दर पर दर्ज किया जाता है।

b) विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों की प्रकृति की परिसंपत्तियों और देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित और पुनःउल्लेख किया जाता है।

c) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के निपटान/रूपांतरण के कारण उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस अवधि में व्यय या आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं।

d) विदेशी मुद्रा लाभ और हानि की सूचना निवल आधार पर दी जाती है।

8. माल-सूचियाँ:

a) पुर्जों और भंडारों के स्टॉक का मूल्यांकन आवधिक भारित औसत लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर किया जाता है।

b) जलयानों को जारी/वितरित किए गए भंडार/अतिरिक्त पुर्जे/ईंधन/स्नेहक को संबंधित जलयानों द्वारा उपभोग किए जाने पर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। हालांकि, शुष्क गोदीकरण में उपभोग किए गए अतिरिक्त पुर्जों को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर की नीति के अनुसार पूंजीकृत किया जाता है।

c) प्रगति पर चल रहे सेवा कार्यों का मूल्यांकन लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य से कम पर किया जाता है.

9. वित्तीय साधन (वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देनदारियां):

a) सभी वित्तीय साधनों को शुरू में उचित मूल्य पर पहचाना जाता है। वित्तीय साधनों का वर्गीकरण उस व्यवसाय मॉडल के उद्देश्य पर निर्भर करता है जिसके लिए इसे रखा जाता है और संविदात्मक नकदी प्रवाह जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान होता है।

b) गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के बाद का माप:

i) प्रतिभूति जमाराशियां, नकद और नकद समतुल्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम, व्यापार प्राप्य और पात्र चालू और गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ इस खंड के अंतर्गत वित्तीय आस्तियों के रूप में वर्गीकृत की गई हैं।

ii) ऋण और उधार, व्यापार और विभिन्न पक्षों से एकत्रित जमा राशि सहित अन्य देयताएं और पात्र चालू और गैर-चालू वित्तीय देनदारियों को इस खंड के तहत वित्तीय देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii) बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति घटाव हानि का प्रयोग करते हुए, जहां कहीं लागू हो, वित्तीय लिखतों को परिशोधन लागत पर ले जाया जाता है।

c) विशिष्ट क्षति:

i) वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

- वित्तीय परिसंपत्तियां जो ऋण साधन हैं, जहां भी लागू हो, उन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है, उदाहरण के लिए, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा और बैंक शेष।
- व्यापार प्राप्य - कंपनी उन व्यापार प्राप्य पर क्षति

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

हानि भत्ते की पहचान के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, इसकी प्रारंभिक पहचान से ही यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के आधार पर क्षति हानि भत्ते को पहचानता है।

ii) गैर-वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

- कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई ऐसा वस्तुनिष्ठ साक्ष्य है कि कोई गैर-वित्तीय परिसंपत्ति या गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों का समूह क्षतिग्रस्त है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी क्षतिग्रस्त हानि की राशि का अनुमान लगाती है।

10. कर्मचारी लाभ:

a) अल्प-कालिक लाभ

(i) सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर मि लने वाले सभी कर्मचारी लाभों को अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वेतन, मजदूरी, चिकित्सा, छुट्टी यात्रा सहायता, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति, बोनस, अनुग्रह राशि आदि जैसे लाभों की लागत को उस अवधि में व्यय के रूप में पहचाना जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।.

b) रोजगार के बाद मिलने वाले लाभ

i) परिभाषित योगदान योजनाएं:

भविष्य निधि योजना, तथा कर्मचारी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, पेंशन (एनपीएस) योजना के अंतर्गत भुगतान किया गया/देय अंशदान, योजना में योगदान करने के लिए कंपनी के दायित्वों की छूट रहित राशि पर व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

ii) परिभाषित लाभ योजनाएं:

उपदान के प्रति कंपनी का दायित्व एक परिभाषित लाभ योजना है। ऐसी योजना के तहत दायित्व के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीयूसी) पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है। योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज आय और वास्तव में प्राप्त प्रतिफल के बीच कोई भी अंतर और योजना के भीतर एक्चुरियल मान्यताओं या अनुभवी समायोजन में परिवर्तन के कारण वर्ष के दौरान देनदारियों में कोई भी परिवर्तन तुरंत अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है और बाद में लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

सभी परिभाषित लाभ योजना दायित्व रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र एक्चुअरी द्वारा पीयूसी पद्धति का उपयोग करके किए गए मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी के निवल दायित्व का चालू और गैर-चालू में वर्गीकरण बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार है।

iii) अन्य दीर्घकालिक लाभ योजनाएं:

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों जैसे कि दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए दायित्व का निर्धारण और मान्यता उसी प्रकार से की जाती है जैसा कि परिभाषित लाभ योजना में बताया गया है।

c) उपदान, भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा और पेंशन लाभों के प्रावधान का वित्तपोषण इस प्रयोजन के लिए गठित पृथक न्यासों से किया जाता है।

11. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ:

a) प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब इकाई पर किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो, यह संभावना हो कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियाँ

b) प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक प्रतिफल का सर्वोत्तम अनुमान है, जिसमें दायित्व से जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है।

c) जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभ किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद होती है, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह लगभग निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और प्राप्य की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

d) भारी संविदाओं के लिए प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब कंपनी द्वारा संविदासे प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित लाभ संविदाके तहत भविष्य के दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागतों से कम होते हैं। भारी संविदाओं के लिए प्रावधानों को संविदा को पूरा करने की अपेक्षित निवल लागत और संविदा को समाप्त करने की अपेक्षित लागत में से कम के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

e) आकस्मिक परिसंपत्तियों और आकस्मिक देनदारियों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटीकरण किया जाता है।

12. कर व्यय

वर्तमान कर

a) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत शिपिंग कंपनियों से संबंधित विशेष प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की मानी गई टन भार आय के आधार पर प्रचालनिक आय पर वर्तमान कर का प्रावधान किया गया है।

b) गैर-प्रचालनिक आय पर वर्तमान कर का प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

13. प्रति शेयर आमदनी:

a) मूल ईपीएस की गणना इक्विटी शेयरधारकों को देय कर-पश्चात् लाभ को वर्ष / अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

b) तनुकृत (फीका) ईपीएस की गणना, इक्विटी शेयरधारकों को देय कर पश्चात लाभ को, जिसे तनुकृत (फीका) संभावित इक्विटी शेयरों से संबंधित व्यय या आय पर लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए समायोजित किया जाता है, मूल ईपीएस प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और उन इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जिन्हें सभी तनुकृत (फीका) संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किया जा सकता था।

हमारे समदिनांकित प्रतिवेदन के अनुसार

कृते **राव एण्ड कुमार एण्ड कम्पनी**
सनदी लेखापाल
फ़र्म पंजीकरण सं.03089एस

सीए. अनिर्बन पाल
भागीदार
सदस्यता सं.214919
यूडीआईएन: 24214919BKBGOE2046
स्थान : विशाखपट्टणम
दिनांक:29/05/2024

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

डॉ. मधैयान अंगमुथु, भाप्रसे
अध्यक्ष

श्री दुर्गेश कुमार दूबे, आईआरटीएस
प्रबंध निदेशक एवं मु.का.अ. (अ/भा)

सीए. ई.किरण
मुख्य वित्तीय अधिकारी

पी.चंद्रकलाभिनेत्री
कम्पनी सचिव

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

http://www.dredge-india.com/

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

कोर-2, पहली मंजिल, 'स्कोप मीनार' प्लॉट नबर 2ए । 2बी,
लक्ष्मीनगर जिला केंद्र,
दिल्ली - 110 092; दूरभाष : 011 22448528

प्रधान कार्यालय

'निकर्षण सदन',
एच. बी. कोलनी मेन रोड, सीतम्मधारा,
विशाखपट्टणम - 530 022
दूरभाष : 0891 2523250

a K&A creation | www.kalolwala.com